वार्षिक रिपोर्ट
2007-08

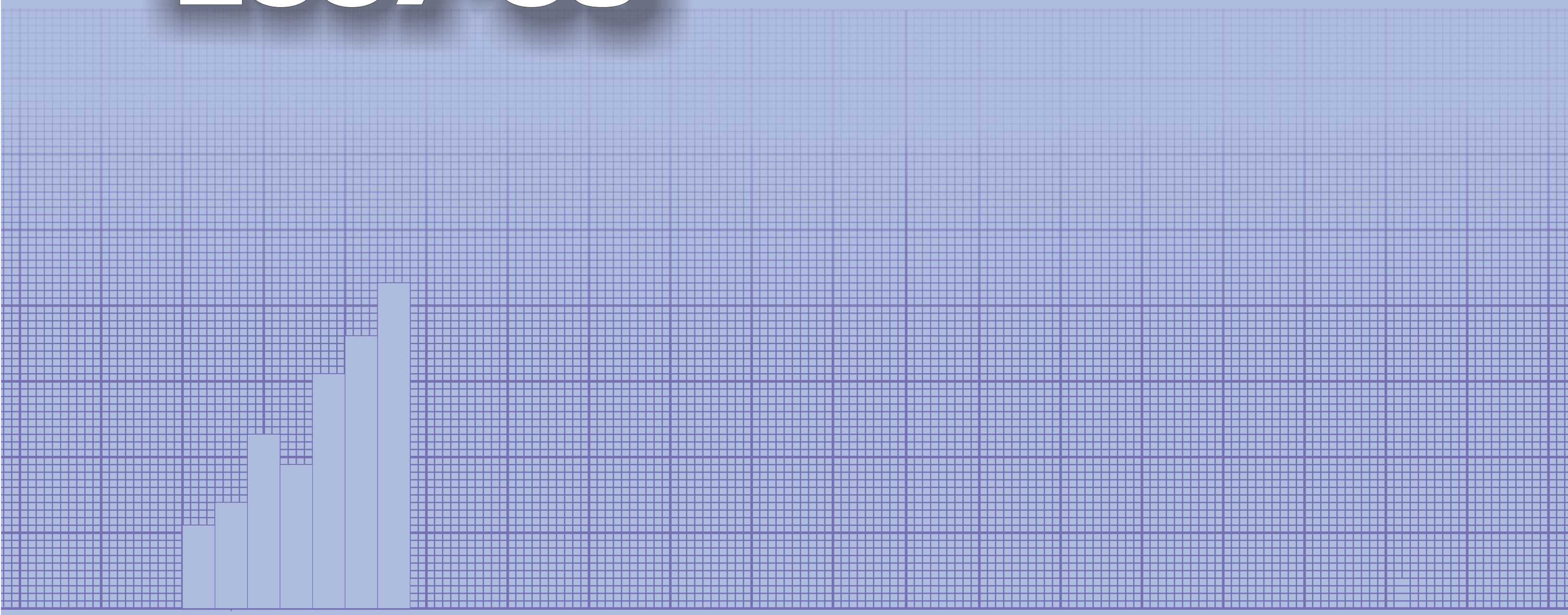

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

2007-08

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

योजना आयोग

नई दिल्ली

वेबसाइट : planningcommission.gov.in

विषय-सूची

	विवरण	पृष्ठ
अध्याय 1	**भूमिका, गठन और कार्य**	**1-4**
अध्याय 2	**अर्थव्यवस्था और योजना : सिंहावलोकन**	**5-16**
अध्याय 3	**योजनाएं – 11वीं योजना 2007-12 तथा वार्षिक योजना 2007-08**	**17-26**
अध्याय 4	**योजना आयोग में प्रमुख कार्यकलाप**	**27**
4.1	कृषि प्रभाग	27
4.2	पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास प्रभाग	35
4.3	भारत निर्माण कार्यक्रम	39
4.4	संचार एवं सूचना प्रभाग	39
4.5	विकास नीति प्रभाग	47
4.6	शिक्षा प्रभाग	47
4.7	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	50
4.8	राष्ट्रीय ज्ञान आयोग	51
4.9	पर्यावरण और वन प्रभाग	53
4.10	वित्तीय संसाधन प्रभाग	54
4.11	स्वास्थ्य, आयुष, परिवार कल्याण और पोषण	56
4.12	आवासन और शहरी विकास प्रभाग	62
4.13	उद्योग प्रभाग (कोयला यूनिट सहित)	68
4.14	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग	70
4.15	श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग	72
4.16	बहुस्तरीय योजना (एमएलपी) प्रभाग	74
4.17.1	योजना समन्वय प्रभाग	77
4.17.2	संसद अनुभाग	79
4.18	विद्युत और ऊर्जा प्रभाग	80
4.19	परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी)	82
4.20	भावी योजना प्रभाग	87
4.21	ग्रामीण विकास प्रभाग	89
4.22	विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग	90
4.23	अवस्थापना संबंधी समिति (सीओआई) के लिए सचिवालय	90
4.24	समाजार्थिक अनुसंधान	100
4.25	राज्य योजना प्रभाग	106

	विवरण	पृष्ठ
4.26	राज्य योजना - पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	109
4.27	परिवहन प्रभाग	110
4.28	पर्यटन	112
4.29	ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग	113
4.30	स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ	113
4.31	जल संसाधन प्रभाग	114
4.32	महिला और बाल विकास	119
4.33.1	प्रशासन	120
4.33.2	जीवन-वृत्ति प्रबंधन कार्यकलाप	120
4.33.3	संगठन पद्धति और समन्वय अनुभाग	121
4.33.4	हिन्दी अनुभाग	122
4.33.5	पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र	122
4.33.6	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र- योजना भवन यूनिट	123
4.33.7	विभागीय अभिलेख कक्ष	137
4.33.8	योजना आयोग क्लब	137
4.33.9	कल्याण यूनिट	138
4.33.10	चार्ट, नक्शे एवं उपस्कर यूनिट	140
4.33.11	सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ	141
अध्याय 5	**कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन**	**142**
अध्याय 6	**सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप**	**149**
संलग्नक	**नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा संबंधी अभिमत**	**150**
संलग्नक	**योजना आयोग का संगठन चार्ट**	

अध्याय 1

भूमिका, गठन और कार्य

1. योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक संकल्प के अधीन मार्च, 1950 में किया गया था और यह राष्ट्रीय विकास परिषद के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करता है और उनके कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखता है। आयोग शीर्ष स्तर पर एक सलाहकार योजना निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

कार्य

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

(क) देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का, तकनीकी कार्मिकों सहित, मूल्यांकन करना और इनमें से ऐसे संसाधनों की वृद्धि करने के लिए जो कम पाए जाएं, प्रस्तावों का निर्माण करना।

(ख) देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।

(ग) उन चरणों की परिभाषा करना जिन्हें प्रत्येक चरण की पूर्णता हेतु योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण और संसाधनों का आबंटन किया जाना चाहिए।

(घ) योजना के सभी पहलुओं की दृष्टि से योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र की प्रकृति का विनिर्धारण करना।

(ङ.) उन कारकों का निर्धारण करना जिनसे आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है और उन स्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थापित किया जाना चाहिए।

(च) योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना और नीतियों तथा उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो ऐसे मूल्यांकन के अनुसार जरूरी समझे जाएं।

(छ) राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग।

(ज) समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास हेतु विशेष कार्यक्रम।

(झ) भावी योजना।

(ञ) अनुप्रयुक्त जनसाधन अनुसंधान संस्थान।

(ट) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) का समग्र समन्वय तथापि, पीएमजीवाई के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रक कार्यक्रमों का समग्र प्रबंधन और अनुश्रवण करना संबंधित नोडल मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी होगी।

टिप्पणीः प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) का समग्र समन्वय योजना आयोग की जिम्मेदारी होगी। तथापि पीएमजीवाई के अधीन स्वतंत्र क्षेत्रक कार्यक्रमों के समग्र प्रबंध और मानीटरन की जिम्मेदारी संबंधित नोडल मंत्रालय/ विभाग की होगी।

आयोग का गठन

3. भारत के प्रधान मंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। योजना आयोग का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से हैः

1.	**डॉ0 मनमोहन सिंह,** प्रधान मंत्री	:	अध्यक्ष
2.	**डॉ0 मोंटेक सिंह अहलूवालिया**	:	उपाध्यक्ष
3.	**श्री प्रणब मुखर्जी,** विदेश कार्य मंत्री	:	सदस्य
4.	**श्री अर्जुन सिंह,** मानव संसाधन विकास मंत्री	:	सदस्य
5.	**श्री शरद पवार** कृषि एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री	:	सदस्य
6.	**श्री लालू प्रसाद,** रेल मंत्री	:	सदस्य
7.	**श्री पी. चिदम्बरम,** वित्त मंत्री	:	सदस्य
8.	**श्री एम. वी. राजशेखरन** राज्य मंत्री, योजना	:	सदस्य
9.	**डॉ0 किरीट पारिख**	:	सदस्य
10.	**प्रो0 अभिजीत सेन**	:	सदस्य
11.	**डॉ0 वी.एल. चोपड़ा**	:	सदस्य
12.	**डॉ0 भालचन्द्र मुंगेकर**	:	सदस्य
13.	**डॉ0 (सुश्री) सईदा हमीद**	:	सदस्य
14.	**श्री बी.एन. युगांधर**	:	सदस्य
15.	**श्री अनवारुल हुदा**	:	सदस्य
16.	**श्री बी.के. चतुर्वेदी**	:	सदस्य

4. उपाध्यक्ष, योजना आयोग केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जे के हैं जबकि सभी पूर्णकालिक सदस्य और सदस्य-सचिव (उपर्युक्त गठन के क्रम संख्या 9 से 16) केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्जे के हैं।

5. योजना आयोग के अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों के संबंध में आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

6. योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित) विस्तृत योजना निर्माण कार्य के मामले में एक संहत निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दृष्टिकोण पत्र/प्रलेख और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने, मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों में आयोग के विभिन्न विषय प्रभागों को निर्देशन, परामर्श एवं सलाह प्रदान करते हैं। योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के परिवीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु भी विषय प्रभागों को उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होता है।

7. योजना आयोग अनेक विषय प्रभागों और कुछ विशेषज्ञ प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी होता है जो संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव के स्तर पर सलाहकार के रूप में पदनामित होता है और/अथवा सचिव स्तर का अधिकारी जिन्हें प्रधान सलाहकार के रूप में पदनामित किया गया है।

8. ये प्रभाग दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :

(1) विशेषज्ञ प्रभाग जो संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं से संबंधित हैं; यथा भावी योजना, वित्तीय संसाधन, विकास नीति प्रभाग, आदि; और

(2) विषय प्रभाग, अर्थात् कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास प्रभाग आदि जो सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास के विशिष्ट विषयों से सम्बद्ध हैं।

योजना आयोग में कार्यरत विशेषज्ञ प्रभाग इस प्रकार हैं:

i. विकास नीति प्रभाग

ii. वित्तीय संसाधन प्रभाग, राज्य और केन्द्रीय वित्त सहित

iii. अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग

iv. श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

v. भावी योजना प्रभाग, सांख्यिकी और सर्वेक्षण सहित

vi. योजना समन्वय प्रभाग

vii. परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

viii. समाजार्थिक अनुसंधान एकक

ix. राज्य योजना प्रभाग

x. बहु-स्तरीय योजना प्रभाग, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास, पश्चिमी घाट विकास, विकास और सुधार सुविधा, विकेन्द्रीकृत योजना आदि शामिल हैं

xi. आधारिक संरचना प्रभाग (आधारभूत ढांचे संबंधी समिति के सचिवालय के रूप में)।

विषय प्रभाग इस प्रकार हैं :

i. कृषि प्रभाग

ii. पिछड़ा वर्ग और जनजातीय विकास प्रभाग

iii. संचार और सूचना प्रभाग

iv. शिक्षा प्रभाग, युवा कार्य और खेल तथा संस्कृति सहित

v. पर्यावरण और वन प्रभाग

vi. स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण प्रभाग

vii. आवास और शहरी विकास प्रभाग

viii. उद्योग और खनिज प्रभाग

ix. विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

x. ग्रामीण विकास प्रभाग

xi. विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

xii. सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण प्रभाग

xiii. परिवहन प्रभाग

xiv. ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग

xv. स्वैच्छिक कार्रवाई समन्वय प्रकोष्ठ

xvi. जल संसाधन प्रभाग (जल आपूर्ति सहित) और

xvii. पर्यटन प्रकोष्ठ।

उपरोक्त के अलावा, योजना आयोग को विभिन्न समितियों की सेवा करनी होती है और/ अथवा ऐसे विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना होता है जो समय-समय पर इसे सौपे जाएं।

9. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, चुनिंदा योजना कार्यक्रमों/ स्कीमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करता है ताकि आयोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगी अभिपुष्टि (फीडबैक) उपलब्ध हो सके। दिल्ली में अपने मुख्यालय के अलावा, पीईओ के कुछ राज्यों की राजधानियों में सात क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैं तथा उनसे सम्बद्ध आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

अध्याय 2

अर्थव्यवस्था और योजना : सिंहावलोकन

1. अर्थव्यवस्था का निष्पादन

(i) उपादान लागत पर (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा मापित भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) के दौरान औसतन 7.6% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आठवीं योजना अवधि (1992-96) में 6.5% वार्षिक वृद्धि दर और नौवीं योजना अवधि (1997-2001) की 5.5% की वृद्धि दर के पिछले निष्पादन की तुलना में उत्साहवर्द्धक है। दसवीं योजना अवधि में प्राप्त की गई वृद्धि दर अभी तक किसी भी योजना में प्राप्त सर्वोच्च दर है। इसके अलावा यहां तक कि दसवीं अवधि के भीतर भी तेजी आई थी और दसवीं योजना के अंतिम चार वर्षों में (2003-04 से 2005-06) में वृद्धि दर औसतन 8.6% थी जोकि विश्व में भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था का परिचायक है।

(ii) बाजार मूल्यों पर (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) जीडीपी की वृद्धि दर दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) के लिए 7.8 प्रतिशत वार्षिक आकलित की गई है जबकि दसवीं योजना अवधि के लिए 8.1 प्रतिशत वार्षिक की समग्र जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। दसवीं योजना के अंतिम 4 वर्षों के दौरान बाजार मूल्यों पर जीडीपी द्वारा मापित वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत वार्षिक है जोकि दसवीं योजना में 8.1 प्रतिशत वार्षिक के लक्षित वृद्धि दर से बढ़कर है। बाद में विश्लेषित क्षेत्रक वृद्धि निष्पादन दसवीं योजना के पहले वर्ष में (2002-03) कृषि क्षेत्रक में जीडीपी में 7.2 प्रतिशत की गिरावट परिलक्षित करता है जिसके फलस्वरूप

तालिका 1 : उपादान लागत पर जीडीपी और बाजार मूल्य पर जीडीपी की वृद्धि दरें

वर्ष	उपादान लागत पर जीडीपी	बाजार मूल्य पर जीडीपी
2002-03	3.8	3.7
2003-04	8.5	8.4
2004-05	7.5	8.3
2005-06 (क्यूई)	9.0	9.2
2006-07 (आरई)	9.4	9.4
औसत : दसवीं योजना	7.6	7.8
दसवीं योजना लक्ष्य	**7.9**	**8.1**

क्यूई = त्वरित अनुमान आरई = संशोधित अनुमान

तालिका-1 दसवीं योजना अवधि के 5 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए बाजार मूल्यों और उपादान लागत पर जीडीपी की वृद्धि दरें दर्शाती है। बाजार मूल्य पर जीडीपी में उपादान लागत पर जीडीपी के अलावा अप्रत्यक्ष कर (निवल सब्सिडी) शामिल रहते हैं। उपादान लागत की तुलना में बाजार मूल्यों पर जीडीपी की उच्चतर वृद्धि दर निवल प्रत्यक्ष करों की उच्चतर वृद्धि की परिचायक है।

उस वर्ष में संपूर्ण वृद्धि दर मात्र 3.2 प्रतिशत रह गई। दसवीं योजना में वृद्धि लक्ष्य में गिरावट के लिए मूलतः कृषि जीडीपी में भारी गिरावट जिम्मेदार है।

2. बचत और निवेश दर

(i) दसवीं योजना में उच्च वृद्धि दर के साथ-साथ घरेलू बचत और निवेश दर में वृद्धि देखी गई है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचत, जिसे बचत दर कहा जाता है, उसमें दसवीं योजना अवधि में एक लौकिक तरीके से वृद्धि हुई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश, जिसे निवेश दर, कहा जाता है उसमें भी दसवीं योजना अवधि के दौरान लौकिक दृष्टि से वृद्धि हुई। बचत दर जोकि दसवीं योजना के आधार वर्ष (2002-03) में 26.3 प्रतिशत थी वह अंतिम वर्ष (2006-07) में बढ़कर अनुमानतः 34.4 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार निवेश दर जोकि दसवीं योजना के आधार वर्ष (2002-03) में 25.2 प्रतिशत थी वह अंतिम वर्ष (2006-07) में बढ़कर अनुमानतः 35.5 प्रतिशत हो गई। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष से लेकर दसवीं योजना के अंतिम वर्ष तक बचत दर और निवेश दर में क्रमशः 10.9% बिंदुओं और 12.6% बिंदुओं की वृद्धि हुई। ये वृद्धियां अभी तक की सर्वोच्च वृद्धियां हैं। दसवीं योजना के 5 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए बचत और निवेश दरें नीचे **तालिका-2** में दी गई हैं।

तालिका 2 : बचत और निवेश दर

वर्ष	बचत दर	निवेश दर
2002-03	26.3	25.2
2003-04	29.7	28.0
2004-05	31.1	31.5
2005-06 (क्यूई)	32.4	33.8
2006-07 (अनुमान)	34.4	35.5

क्यूई = त्वरित अनुमान

3. बचतों का गठन

(i) बचत सरकारी और निजी बचत के रूप में विभाजित हैं। सरकारी बचत में सरकारी विभागों की बचत (जिसे विभागीय बचत भी कहा जाता है) और सरकारी क्षेत्र के निगमों की बचत (अर्थात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बचत) शामिल रहती है। सरकारी क्षेत्रक बचत के दोनों घटकों में दसवीं योजना में सुधार हुआ। दसवीं योजना अवधि के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रकों के अनुसार बचत का गठन नीचे **तालिका-3** में प्रस्तुत है।

(ii) सरकारी क्षेत्रक की बचत दर जोकि 2002-03 में (-) 0.6% थी वह 2004-05 में बढ़कर 2.4% हो गई हालांकि 2005-06 में मामूली गिरावट आने पर वह 2.0% रह गई। सरकारी क्षेत्रक के इस बेहतर निष्पादन के लिए मुख्यतः गैर-विभागीय उद्यमों की बचत में वृद्धि, विभागीय उद्यमों की बचत में लघु वृद्धि तथा सरकारी प्रशासन में अबचत में गिरावट जिम्मेदार है। सरकारी प्रशासन की बचत में सुधार के पीछे मुख्यतः तीन कारण हैं; पहला तो यह कि

तालिका 3 : बचत का गठन

(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	पारिवारिक क्षेत्रक	निजी निगमित क्षेत्रक	सरकारी क्षेत्रक	जीडीएस
2002-03	22.7	4.2	-0.6	26.3
2003-04	23.8	4.7	1.2	29.7
2004-05	21.6	7.1	2.4	31.1
2005-06 (क्यूई)	22.3	8.1	2.0	32.4

क्यूई = त्वरित अनुमान

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव प्रणाली के भीतर पहले ही अंतःनिर्मित कर दिया गया था; दूसरा कारण राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम का कार्यान्वयन तथा 2008-09 के लिए निर्धारित राजकोषीय और राजस्व घाटे के लक्ष्य जिनके कारण अनुशासन का तत्व लागू करने में मदद मिली; और तीसरा कारण कर प्रशासन में सुधारों सहित दसवीं योजना में दर्ज की गई उच्च वृद्धि दर के फलस्वरूप कर राजस्व में भारी वृद्धि हुई जिसने बचत में सुधार में योगदान दिया।

(iii) निजी बचत में परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश और निगमित क्षेत्र बचतों सहित पारिवारिक बचत शामिल रहती है। निजी निवेशों के दोनों घटकों (परिवारों और निगमित क्षेत्रक) में दसवीं योजना में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सुधार हुआ है। निगमित बचत में दसवीं योजना में विशेष रूप से उछाल आया है जोकि हाल के वर्षों में निजी क्षेत्रक के अत्यंत मजबूत उत्पादन और वित्तीय निष्पादन का परिचायक है।

(iv) पारिवारिक क्षेत्रक, सकल घरेलू बचत में प्रमुख योगदान देने वाला बना रहा। जीडीपी के अनुपात के रूप में पारिवारिक बचत जोकि 2002-03 में 22.7 प्रतिशत थी वह 2003-04 में बढ़कर 23.8 प्रतिशत हो गई। 2004-05 में यह दर गिरकर 21.6 प्रतिशत हो गई 2005-06 में यह पुनः बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गई। 2000-01 से पारिवारिक क्षेत्रक ने वित्तीय परिसंपत्तियों की तुलना में भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में बचत को वरीयता प्रदान की है, जोकि दसवीं योजना अवधि के दौरान उदार ब्याज दर व्यवस्था से स्पष्ट हो जाता है। तथापि, इस अवधि के दौरान बचत दर की वृद्धि में सरकारी और निगमित बचतों का योगदान रहा था। निजी निगमित क्षेत्रक में बचत की दर जोकि 2002-03 में 4.2% थी वह 2004-05 में बढ़कर 7.1% तथा 2005-06 में और आगे बढ़कर 8.1% हो गई। यह वृद्धि लाभ विषयक आय और बाद में की उच्चतर वृद्धि और बाद में उसके संधारण को परिलक्षित करती है।

(v) दसवीं योजना अवधि में पारिवारिक क्षेत्रक, निजी निगमित क्षेत्रक और सरकारी क्षेत्रक-वार बचत का गठन दर्शाता है कि (क) घरेलू बचत में मुख्य योगदान देने वाला क्षेत्रक पारिवारिक क्षेत्रक है तथा (ख) सरकारी क्षेत्रक ने बचत में सकारात्मक योगदान देना शुरू कर दिया है।

4. निवेश का गठन

(i) हाल के पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के निवेश व्यवहार में संरचनात्मक बदलाव देखा गया है। यह स्थिति सरकारी और निजी निवेश की सापेक्ष हिस्सेदारियों में बदलाव से स्पष्ट हो जाती है। सरकारी और निजी क्षेत्रक में निवेश के गठन में निजी निवेश की तरफ झुकाव देखने में आया है। समग्र निवेश में सरकारी क्षेत्रक निवेश की हिस्सेदारी जोकि आठवीं योजना में 34.7% थी वह नौवीं योजना में गिरकर 29% हो गई। समग्र निष्पादन के प्रति सरकारी निवेश की हिस्सेदारी में यह गिरावट दसवीं योजना के पहले 2 वर्षों में जारी रही लेकिन उसके बाद दसवीं योजना अवधि के अगले 2 वर्षों में, जिसके संबंध में डाटा उपलब्ध है उसमें सुधार होना शुरू हो गया। समूची दसवीं योजना अवधि के दौरान निजी क्षेत्रक निवेश में बराबर उछाल बना रहा, दसवीं योजना में समग्र निवेश के प्रति सरकारी निवेश का हिस्सा गिरकर 22% रह गया।

(ii) दसवीं योजना में एक प्रमुख पूर्व-धारणा यह थी कि 8.1% की उच्च वृद्धि दर केवल 28.4% की सापेक्ष संयत निवेश दर द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसका अर्थ 3.5 के अंतर्निहित पूंजी-उत्पादन अनुपात से है। पूर्व-धारणा का मूलाधार योजना अवधि के आरंभ में अर्थव्यवस्था के सरकारी और निजीश्र्दोनों क्षेत्रों में अप्रयुक्त क्षमताओं की मौजूदगी में निहित है। अतः दसवीं योजना ने वृद्धि दरों में तेजी लाने के लिए केवल निवेश में वृद्धि करने पर ही नहीं बल्कि सरकारी आधारिक तंत्र निवेश में निष्क्रिय क्षमता का लाभ उठाने के निमित्त उपयुक्त नीतिगत उपायों सहित मौजूदा संसाधनों की उत्पादकता में और साथ ही नए निवेश की प्रभाविता में वृद्धि की ओर भी ध्यान दिया। दसवीं योजना के लिए समूची अर्थव्यवस्था के संबंध में पूंजी-उत्पादन अनुपात किंचित उच्चतर अर्थात 3.9 रहा है।

5. वृद्धि और क्षेत्रक उत्पादन

(i) दसवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्रक की वृद्धि दर 4% वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 2.1% वार्षिक होने की संभावना है। कृषि क्षेत्रक नौवीं योजना अवधि से ही न्यून वृद्धि दर से ग्रस्त रहा है और यह स्थिति दसवीं योजना अवधि में बनी रही। कृषि वृद्धि दर दोषपूर्ण मानसून, कृषि क्षेत्रक के हिस्से में 1999-2000 में समग्र निवेश के 8%

से घटकर 2005-06 में समग्र निवेश के लगभग 6% रह जाने, मौजूदा सिंचाई और परंपरागत जल संचय संरचनाओं के असंतोषपूर्ण रखरखाव तथा जल विभाजक विकास के लिए अपर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता के अलावा अपर्याप्त विद्युत और ग्रामीण आधारिक सुविधाओं से प्रभावित रही है। कृषि क्षेत्रक में सुधार के प्रमुख संकेत दसवीं योजना के अंतिम 2 वर्षों में (2005-06 तथा 2006-07) औसतन 4.4% वार्षिक की वृद्धि दर के चलते उभर रहे हैं जबकि पहले 3 वर्षों में (2002-03 से 2004-05) में इस आशय की वृद्धि दर 1% वार्षिक से भी कम रही थी।

(ii) दसवीं योजना के दौरान उद्योग क्षेत्रक की वृद्धि दर 8.9% वार्षिक रहने की संभावना है जबकि लक्ष्य भी यही रखा गया था, जबकि दसवीं योजना के दौरान सेवा क्षेत्रक के लिए वृद्धि दर 9.3% वार्षिक रहने की संभावना है और यह भी इस क्षेत्रक के लिए योजनागत लक्ष्य के बराबर है। इस प्रकार उद्योग और सेवा क्षेत्रों ने दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्षित वृद्धि दर प्राप्त कर ली है।

(iii) अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर में भारी अंतःक्षेत्रीय भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। दसवीं योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान (2002-03 से 2005-06) ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्चतर रही है, हैं: झारखंड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, उत्तरांचल, चंडीगढ़, दिल्ली। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर **संलग्नक** में दी गई है।

6. राजकोषीय निष्पादन

(i) दसवीं योजना में राजकोषीय निष्पादन नौवीं योजना में 4.3% की अत्यंत न्यून वृद्धि दर की तुलना में बेहतर रहा है। औद्योगिक वृद्धि दर का यह पुनरुद्धार हाल के वर्षों में नीति की एक प्रमुख उपलब्धि है। पिछले दो योजनाओं में सेवा क्षेत्रक की वृद्धि दर शानदार रही है और इस वृद्धि दर में दसवीं योजना में तीव्र वृद्धि हुई है।

(ii) कृषि की वृद्धि दर न्यून होने के बावजूद दसवीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त की जाने वाली संभावित समग्र वृद्धि दर अभी तक की किसी भी योजना की सर्वोच्च वृद्धि दर कही जा सकती है। क्षेत्रक (कृषि, उद्योग और सेवाएं) वृद्धि दरें **तालिका-4** में दी गई हैं।

(iii) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति सबसे अधिक मजबूत रही है। एफआरबीएम द्वारा अनुशंसित राजकोषीय पुनर्रचना के उद्देश्य की दृष्टि से 2008-09 तक केन्द्र और राज्यों के संयुक्त

तालिका-4 : क्षेत्रक वृद्धि दरें

(उपादान लागत पर, 1991-2000 मूल्य)

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	योग
2002-03	-7.2	7.1	7.4	3.8
2003-04	10.0	7.4	8.5	8.5
2004-05	0.0	9.8	9.6	7.5
2005-06 (क्यूई)	.6.0	9.6	9.8	9.0
2006-07 (आरई)	2.7	10.9	11.0	9.4
औसत : दसवीं योजना	2.1	8.9	9. 3	7.6
दसवीं योजना लक्ष्य	**4.0**	**8.9**	**9.3**	**7.9**

क्यूई = त्वरित अनुमान, आरई = संशोधित अनुमान

तालिका 5 : केन्द्र और राज्य सरकारों के घाटे की प्रवृत्तियां

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	संयुक्त		केन्द्र		राज्य	
	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा
2002-03	10.00	6.63	5.94	4.39	4.06	2.24
2003-04	8.82	5.76	4.46	3.55	4.36	2.21
2004-05	7.47	3.67	4.02	2.51	3.45	1.16
2005-06	6.63	2.78	4.11	2.59	2.53	0.20
2006-07 (आरई)	6.45	2.16	3.69	2.02	2.76	0.13
2007-08 (बीई)	5.55	1.53	3.23	1.53	2.32	0.00

स्रोतः केन्द्रीय बजट दस्तावेज, आरबीआई-राज्य वित्त : बजटों का एक अध्ययन, विभिन्न मुद्दे

राजस्व घाटे की पूर्ण समाप्ति और सकल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6 प्रतिशत तक सीमित रखना है जिसमें केन्द्रीय तथा राज्यों में से प्रत्येक द्वारा जीडीपी के 3-3 प्रतिशत तक घटाया जाना जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बजट में केन्द्र और राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 (बीई) में घटकर जीडीपी के 5.55 प्रतिशत तक कम रखा गया है। बजट में संयुक्त राजस्व घाटे के भी 2007-08 (बजट अनुमान) में जीडीपी का 1.53 प्रतिशत रहेगा। केन्द्र और राज्य सरकार के घाटे की प्रवृत्ति **तालिका-5** में दर्शाई गई है।

(iv) केन्द्रीय सरकार की राजकोषीय स्थिति में 2007-08 (बीई) में सुधार हुआ है। केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा जोकि 2002-03 में जीडीपी का 5.9% वह 2006-07 (आरई) में घटकर 3.7% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे घटकर 3.2% रह गया। केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा जोकि 2002-03 में जीडीपी का 4.4% था वह 2006-07 (आरई) में घटकर 2.0% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे घटकर 1.53% रह गया। यह प्रवृत्ति निम्न ग्राफ से परिलक्षित होती है।

केन्द्रीय सरकार के घाटे के प्रवृत्तियां

(जीडीपी के % के रूप में)

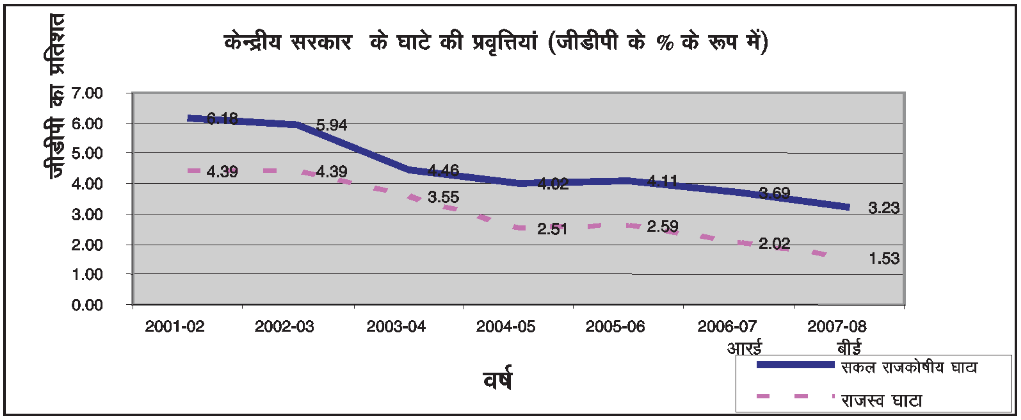

स्रोतः केन्द्रीय बजट दस्तावेज, आरबीआई-राज्य वित्त : बजटों का एक अध्ययन, विभिन्न मुद्दे

(v) राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय समेकन प्रयास और साथ ही बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) अवार्ड के कार्यान्वयन से कुल मिलाकर समग्र राज्य वित्त में काफी सुधार हुआ है। राज्यों के राजकोषीय घाटे में लौकिक ढंग से गिरावट आ रही है। राज्यों का राजकोषीय घाटा जोकि 2002-03 में जीडीपी का 4.06% था, वह 2006-07 (आरई) में घटकर 2.76% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे घटकर 2.32% रह गया है। राज्यों के राजस्व घाटे में भी जोकि 2002-03 में जीडीपी का 2.24% था वह 2006-07 (आरई) में घटकर 0.13% रह गया। राज्यों का राजस्व घाटा 2007-08 (बीई) तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह काम मुख्यतः उच्चतर कर संग्रह तथा राजस्व व्यय पर नियंत्रण के दोहरे उपाय द्वारा संभव हो पाएगा। राज्य सरकार के राजकोषीय और राजस्व घाटे की प्रवृत्ति निम्न ग्राफ में दर्शाई गई है।

(vi) केन्द्रीय सरकार की ब्याज अदायिगयों में गिरावट आई है जो 2002-03 में जीडीपी के 4.8% से कम होकर 2006-07 (आरई) में 3.5% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे गिरकर 3.4% हो गई। ब्याज अदायगियों में गिरावट कम ब्याज दर के कारण है, जो बाजार ताकतों द्वारा संचालित है। कम ब्याज दर और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभाव, राज्य वित्त के तहत ब्याज भार में अभी पूर्णतः परिलक्षित होना है। राज्यों द्वारा ब्याज अदायिगयों पर हुए खर्च में मामूली गिरावट आई है जो 2002-03 में जीडीपी के 2.9% से 2006-07 (आरई) में जीडीपी के 2.3% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे गिरकर 2.2% हो गया।

(vii) प्राप्ति पक्ष देखने पर यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार सकल कर राजस्व दसवीं योजना के दौरान 1.64 तक के उछाल पर रहा है। केन्द्र के कर-जीडीपी अनुपात में जोकि 2002-03 में 8.8% था उसमें 2006-07 (आरई) में भारी वृद्धि होकर वह 11.34% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे बढ़कर 11.73% हो गया। केन्द्र का करेतर राजस्व जोकि 2002-03 में 2.9% था वह 2006-07 (आरई) में घटकर 1.88% तथा 2007-08 (बीई) में मामूली सा और घटकर 1.77% रह गया। राज्य पक्ष में राज्य का अपना कर राजस्व जोकि 2002-03 में 5.8% था, वह 2006-07 (आरई) में बढ़कर 6.23% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे बढ़कर 6.29% तक पहुंच गया जबकि राज्यों का अपने करेतर राजस्व में जोकि 2002-03 में 1.5% था बराबर गिरावट आ रही है, 2006-07 (आरई) में वह 1.35% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे घटकर 1.27% रह गया। राजस्व व्यय जोकि 2002-03 में 13.7% था वह 2006-07 (आरई) में गिरकर 13.02% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे गिरकर 12.73% रह गया जिसका राज्यों के राजस्व घाटे में गिरावट में बड़ा योगदान रहा था।

(viii) केन्द्र के निवल कर जीडीपी अनुपात जोकि 2002-03 में 6.5% था, वह 2006-07 (आरई) में बढ़कर 8.4% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे घटकर 8.6% हो गया। दसवीं योजना के दौरान केन्द्र की करेतर राजस्व की वसूली

राज्य सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां (जीडीपी के % के रूप में)

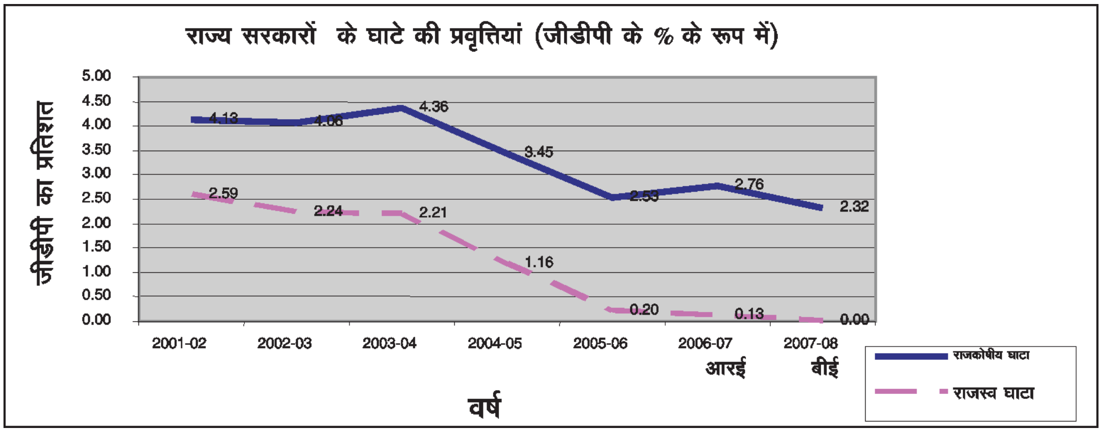

स्रोतः केन्द्रीय बजट दस्तावेज, आरबीआई-राज्य वित्त : बजटों का एक अध्ययन, विभिन्न मुद्दे

तालिका-6 : केन्द्र और राज्य सरकार के राजस्व की प्रवृत्तियां

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	कर राजस्व		करेतर राजस्व	
	केन्द्र का निवल कर	राज्य का अपना कर	केन्द्र	राज्य
2002-03	6.45	5.78	2.94	3.32
2003-04	6.76	5.78	2.78	3.24
2004-05	7.19	6.05	2.60	3.34
2005-06	7.58	5.95	2.16	3.50
2006-07 आरई	8.39	6.23	1.88	3.84
2007-08 (बीई)	8.64	6.29	1.77	3.78

स्रोतः केन्द्रीय बजट दस्तावेज, आरबीआई-राज्य वित्त : बजटों, विभिन्न मुद्दों का एक अध्ययन

योजना अवधि के दौरान अपेक्षतया न्यून रही। राज्य सरकार का अपना कर राजस्व जोकि 2002-03 में जीडीपी का 5.8% वह 2006-07 (आरई) में बढ़कर 6.2% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे बढ़कर 6.3% हो गया जबकि करेतर राजस्व जीडीपी के 3.3% से बढ़कर 3.8% हो गया और 2007-08 (बीई) के दौरान उसी स्तर पर बना रहा। जीडीपी के अनुपात में राज्यों की अपनी कर राजस्व वसूली योजना के लिए लक्षित औसत की तुलना में न्यून रही। दसवीं योजना के पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में तथा ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष (2007-08) में केन्द्र और राज्य सरकारों का राजस्व तालिका-6 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 : केन्द्रीय सरकार के कर राजस्व में वृद्धि

(% प्रति वर्ष)

वर्ष	सकल कर राजस्व	निगम कर	आय कर	सेवा शुल्क	सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क
2002-03	15.61	26.12	15.19	24.83	12.71
2003-04	17.61	37.66	12.26	91.44	9.63
2004-05	19.90	30.08	19.04	79.95	12.43
2005-06	20.07	22.49	29.15	62.36	12.48
2006-07 (आरई)	27.77	44.65	29.67	65.56	12.92
सीएजीआर दसवीं योजना	20.12	31.96	20.85	63.15	12.02
2007-08 (बीई)	17.16	14.95	19.71	31.52	15.03

स्रोतः केन्द्रीय बजट दस्तावेज, विभिन्न मुद्दे

(ix) दसवीं योजना के पांच वर्षो में से प्रत्येक वर्ष में तथा 2007-08 (बीई) में केन्द्रीय सरकार का घटक-वार कर राजस्व तालिका-7 में दर्शाया गया है। केन्द्रीय सरकार के कर राजस्व में वृद्धि अधिकांशतः सेवा शुल्क और निगम कर की प्राप्तियों में भारी वृद्धि से प्रभावित हुई है।

(x) केन्द्रीय सरकार की कुल बकाया देनदारी जोकि 2002-03 में जीडीपी का 63.4% थी, वह 2006-07 (आरई) में घटकर 61.5% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे घटकर 58.74% रह गई। इसी प्रकार सभी राज्यों की समग्र देनदारी जोकि 2002-03 में 32.00% थी, उसके 2006-07 (आरइ) में घटकर 30.8% तथा 2007-08 (बीई) में और आगे घटकर जीडीपी का 29.5% रह जाने की संभावना है। केन्द्र और राज्य सरकार की बकाया देनदारी तालिका-8 में दर्शाई गई है।

7. विदेशी क्षेत्रक

(i) भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्रक ने 2006-07 में अच्छा निष्पादन किया है जबकि 2006-07 में निर्यात बढ़कर 127 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया जोकि 20.86% की शानदार वृद्धि का परिचायक है। 2007-08 की पहली छमाही में 19.98% की वृद्धि दर सहित निर्यात ने किंचित संयत वृद्धि दर्ज की। चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में निर्यात का अनुपात 2005-06 में 13.12% था जो कि 2006-07 में बढ़कर 13.93% हो गया। अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान निर्यात का मूल्य 19.88% की वृद्धि दर्ज करते हुए 73.66 बिलियन अमरीकी डालर है जबकि अप्रैल-सितम्बर, 2006 कि दौरान यह राशि 61.45 बिलियन अमरीकी डालर थी और इस प्रकार 19.88% की वृद्धि दर्ज की गई।

(ii) निर्यातों की वृद्धि मुख्यतः इंजीनियरी माल जैसे कुछेक क्षेत्रकों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता और हाल के वर्षो में पेट्रोलियम उत्पादों के उच्च जिंस मूल्यों के कारण है जोकि 2006-07 में निर्यातों में कुल वृद्धि में से 61% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। परंपरागत मदों में से चाय, काफी, तंबाकू, मसाले और कोल्हू ने भारी वृद्धि दर्ज की जबकि अनाजों और समुद्री उत्पादों में गिरावट देखी गई। रत्नों और आभूषणों के निर्यात में; अमरीका, हांगकांग, सिंगापुर तथा बेल्जियम से मांग कम होने के कारण वर्ष के दौरान 0.3% की मामूली वृद्धि हुई जबकि 2005-06 में 13.0% की वृद्धि हुई थी। 2006-07 के दौरान जिन पांच प्रमुख देशों को भारतीय माल का निर्यात किया गया था, वे हैं: अमरीका, यूएई, चीन, सिंगापुर और यूके।

(iii) 2006-07 में 192 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया जबकि 2005-06 में 157 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया था जोकि 22.29% की वृद्धि का परिचायक था। 2006-07 के दौरान 57.1 बिलियन

तालिका-8 : केन्द्र और राज्य सरकार की बकाया देनदारी

(रुपए करोड में चालू मूल्यों पर)

वर्ष	केन्द्र	जीडीपी के % के रूप में	राज्य	जीडीपी के % के रूप में
2002-03	1559201	63.43	786427	31.99
2003-04	1736678	62.80	913376	33.03
2004-05	1994422	63.79	1029174	32.92
2005-06	2260145	63.36	1167866	32.74
2006-07 आरई	2536464	61.48	1268683	30.75
2007-08 (बीई)	2744442	58.74	1378663	29.51

स्रोतः हैंडबुक आफ स्टैटिस्टिक्स आन दि इंडियन इकानामी, आरबीआई, राज्य वित्त : बजटों, विभिन्न मुद्दों का अध्ययन

अमरीकी डालर का तेल आयात किया गया जोकि उच्च मूल्य और मात्राश्श्दोनों दृष्टियों से 29.8% वृद्धि का परिचायक था। अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान 31.4 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का तेल आयात किया गया जोकि पिछले वर्ष इसी अवधि में किए गए 29.6 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के तेल आयात की तुलना में 6.1% वृद्धि का परिचायक है। जीडीपी के प्रति आयात का अनुपात जो 2005-06 में 19.6% था वह 2006-07 में बढ़कर 21% हो गया। अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान 116.1 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया जबकि अप्रैल-सितम्बर, 2006 में 95.2 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया था जोकि 21.95% वृद्धि का परिचायक है। आयातों का गठन पूंजीगत माल में, जिनका 2006-07 के कुल गैस-तेल आयातों में 54% हिस्सा बैठता है, भारी वृद्धि का परिचायक है। आयात की प्रमुख मदें थीं : इलेक्ट्रानिक सामान, परिवहन उपकरण, सोना और चांदी, मशीनरी आदि। 2006-07 के दौरान रसायनों, वस्त्रघागा, मोती, कीमती तथा अर्द्ध-कीमती पत्थरों के आयात में गिरावट दर्ज की गई। भारत में आयात में जिन देशों का हिस्सा प्रमुख था, वे हैंः चीन, सऊदी अरब, जर्मनी, अमरीका, यूएई तथा स्विटजरलैंड।

(iv) निर्यात की तुलना में आयात की अधिकता के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया है। 2006-07 के दौरान पण्य व्यापार घाटा 64.9 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड को छू गया जबकि 2005-06 में 51.9 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा हुआ था। 2006-07 में अधिकांश व्यापार घाटा वर्ष में अंशतः सेवा निर्यात के आप्रवाह के कारण और निजी अंतरणों के कारण समाप्त हो गया। निश्चय ही अप्रकटों का विशाल आप्रवाह रहा है। 2006-07 के दौरान अप्रकटों का मूल्य 55.3 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया जबकि 2005-06 में इस आशय की राशि 42.7 बिलियन अमरीकी डालर थी। फलतः 2006-07 में चालू खाता घाटा 2005-06 के 9.2 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 9.6 बिलियन अमरीकी डालर पर नियंत्रित रखा गया है। चालू बाजार कीमतों पर जीडीपी की तुलना में चालू खाता घाटे में 2005-06 में 6.47% की वृद्धि के मुकाबले 2006-07 में 7.11% की वृद्धि हुई। अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान चालू खाता घाटे का मूल्य 42.40 बिलियन अमरीकी डालर है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 33.77 बिलियन अमरीकी डालर था। अप्रैल-सितम्बर, 2007 में अप्रकटों के आप्रवाह में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 26.05% की वृद्धि देखी गई। चालू बाजार कीमतों पर जीडीपी की तुलना में चालू खाता घाटे में 2005-06 में 1.15% की वृद्धि के मुकाबले 2006-07 में 1.05% की वृद्धि हुई। अप्रैल-सितम्बर, 2007 में चालू खाता घाटा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 10.34 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 10.71 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का हुआ।

दसवीं योजना अवधि के दौरान, आयात और चालू खाता शेष की प्रवृत्ति निम्नलिखित चार्ट में दर्शाई गई है।

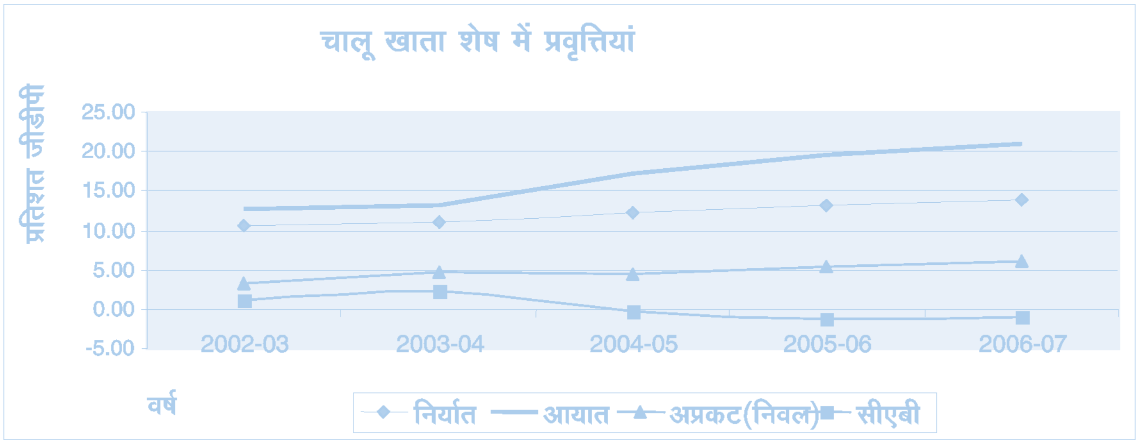

स्रोतः आरबीआई हैंडबुक - आफ स्टैटिस्टिक्स आन इंडियन इकानामी

(v) 20.4 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और 109.6 बिलियन अमरीकी डालर के पोर्टफोलियो निवेश के साथ 2006-07 के दौरान विदेशी निवेश आप्रवाहों में भारी वृद्धि हुई है। समग्रतः विदेशी निवेश का बाहिर्वाह 114.5 बिलियन अमरीकी डालर रहा है। इस प्रकार 2006-07 में निवल विदेशी निवेश 15.5 बिलियन अमरीकी डालर था। 2007-08 की पहली छमाही में निवल विदेशी निवेश 22.2 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2006-07 की पहली छमाही में 6.1 बिलियन अमरीकी डालर का निवल निवेश किया गया था।

(vi) 2006-07 में जीडीपी के अनुपात के रूप में चालू बाजार मूल्यों पर समग्र विदेशी निवेश 1.70% था जबकि 2005-06 में इस आशय का अनुपात 2.15% था। अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान 3.9 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा 18.33 बिलियन अमरीकी डालर के पोर्टफोलियों निवेश (निवल) सहित विदेशी निवेश का निवल आप्रवाह 22.1 बिलियन अमरीकी डालर का रहा था।

(vii) मार्च, 2007 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 170 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें 143.4 बिलियन अमरीकी डालर का दीर्घकालीन ऋण तथा 26.24 बिलियन अमरीकी डालर का अल्पकालीन ऋण शामिल था। इस प्रकार समग्र ऋण में अल्पकालीन ऋण का हिस्सा 15.43% था। कुल ऋण में बहुपक्षीय ऋण का हिस्सा 21% और द्विपक्षीय ऋण का हिस्सा 9.45% बैठता है। सितम्बर, 2007 के अंत में समग्र ऋण 190.5 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें 159.7 बिलियन अमरीकी डालर का दीर्घकालीन ऋण और 30.8 बिलियन अमरीकी डालर का अल्पकालीन ऋण शामिल था।

(viii) भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले समय से लगातार बढ़ रहा है और मार्च, 2007 के अंत तक यह 199.2 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया था। इसमें और आगे वृद्धि होती गई और 4 जनवरी, 2008 को 276.3 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया जिसमें 267.5 बिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, 8.3 बिलियन अमरीकी डालर का स्वर्ण भंडार तथा 3 मिलियन अमरीकी डालर की एसडीआर शामिल है।

8. मूल्य वृद्धि

(i) जैसाकि तालिका 9 से देखा जा सकता है दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07 के दौरान) थोक

तालिका-9 : मंहगाई दरों में प्रवृत्ति

वर्ष	डब्ल्यूपीआई	सीपीआईआईडब्ल्यू	सीपीआईएएल
2002-03	3.41	4.10	3.20
2003-04	5.46	3.70	3.80
2004-05	6.48	4.00	2.70
2005-06	4.43	4.20	3.80
2006-07	5.42	6.80	7.60
दसवीं योजना औसत	5.04	4.56	4.22
2007-08 (अप्रैल-नवंबर)	4.36	6.3	8.0

विस्तारित रूपः डब्ल्यूपीआई उ थोक मूल्य सूचकांक
सीपीआईआईडब्ल्यू उ औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआईएएल उ कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
स्रोतः उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तनों द्वारा मापित औसत मंहगाई दर 5.00 रही थी। योजना के तीसरे और चौथे वर्ष में तेल मूल्य में 40% प्रति वर्ष से अधिक की वृद्धि के बावजूद दसवीं योजना अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई में वृद्धि संयत रही थी। अप्रैल से नवम्बर, 2007 के दौरान डब्ल्यूपीआई के माध्यम से मापित मूल्यवृद्धि 4.36% रही है।

(ii) दसवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के सीपीआई द्वारा मापित मूल्य वृद्धि शहरी क्षेत्र में औद्योगिक कामगारों के सीपीआई द्वारा मापित मूल्य वृद्धि की तुलना में निम्नतर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि डब्ल्यूपीआई की तुलना में मंदी रही थी। तथापि हाल के महीनों में ग्रामीण मूल्यों पर दबाव दीख पड़ता है।

9. 2004-05 के लिए गरीबी के अनुमान

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 61वें चक्र (जुलाई, 2004 से जून, 2006 तक) के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुपात एकसमान प्रत्याह्वान अवधि (यूआरपी, जिसके अंतर्गत सभी मदों के संबंध में उपभोक्ता व्यय आंकड़े 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से एकत्र किए जाते हैं) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत तथा समूचे देश के लिए 27.5 प्रतिशत तथा मिश्रित प्रत्याह्वान अवधि (एमआरपी जिसके अंतर्गत पांच खाद्य-भिन्न मदों अर्थात कपड़े, जूते, उपभोज्य वस्तुएं, शिक्षा और संस्थानगत चिकितसीय व्यय के संबंध में उपभोक्ता व्यय आंकड़े 365 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से तथा शेष पांच मदों के संबंध में उपभोक्ता आंकड़े 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से एकत्र किए जाते हैं) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 21.8 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 21.7 प्रतिशत और समूचे देश के लिए 21.8 प्रतिशत अनुमानित है। यूआरपी खपत (27.5 प्रतिशत) पर आधारित 2004-05 में गरीबी के अनुमान 1993-94 के गरीबी अनुमानों के साथ तुलनीय हैं, जो 36 प्रतिशत थे। एमआरपी खपत (लगभग 21.8 प्रतिशत) पर आधारित 2004-05 में गरीबी के अनुमान मौटे तौर पर (कठोरतः नहीं), 1999-2000 के गरीबी अनुमानों के साथ तुलनीय हैं, जो 26.1 प्रतिशत हैं। यूआरपी उपभोग विभाजन तथा एमआरपी उपभोग पर आधारित तुलनीय गरीबी अनुमान क्रमशः **तालिका-10** और **तालिका-11** में प्रस्तुत है।

तालिका-10

एकसमान प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित गरीबी अनुमानों की तुलना

(प्रतिशत में)

	1993-94	2004-05
गामीण	37.3	28.3
शहरी	32.4	25.7
योग	36.0	27.5

तालिका-11

मिश्रित प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित गरीबी अनुमानों की तुलना

(प्रतिशत में)

	1999-2000	2004-05
ग्रामीण	27.1	21.8
शहरी	23.6	21.7
योग	26.1	21.8

(ii) तालिका-10 और तालिका-11 में दिए गए गरीबी अनुमान यूआरपी उपभोग विभाजन द्वारा अनुमानित 1993-94 तथा 2004-05 के बीच और एमआरपी उपभोग विभाजन के लिए 1999-2000 तथा 2004-05 के बीच तुलना की छूट देते हैं। दोनों ही तुलनाएं गिरावट का परिचय देती हैं और यह गिरावट दोनों अवधियों के दौरान एकसमान अर्थात-0.8 प्रतिशत बिंदु प्रति वर्ष है।

संलग्नक

1999-2000 के मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2001-02 से 2005-06 तक
1.	आंध्र प्रदेश	3.3	9.3	6.2	8.2	6.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	-3.9	10.6	12.2	4.2	5.8
3.	असम	7.1	6.0	5.3	5.9	6.1
4.	बिहार	11.8	-4.2	11.0	0.1	4.7
5.	झारखंड	3.3	7.5	26.9	6.7	11.1
6.	गोवा	7.1	7.5	10.2	6.4	7.8
7.	गुजरात	8.1	14.8	7.4	12.2	10.6
8.	हरियाणा	5.2	8.4	8.6	8.0	7.6
9.	हिमाचल प्रदेश	5.1	8.1	7.6	8.5	7.3
10.	जम्मू तथा कश्मीर	5.1	5.2	5.2	उपलब्ध नहीं	
11.	कर्नाटक	4.6	3.4	11.4	8.7	7.0
12.	केरल	7.2	6.2	8.0	7.3	7.2
13.	मध्य प्रदेश	-3.9	11.4	3.2	6.7	4.3
14.	छत्तीसगढ़	-1.2	16.8	8.7	12.3	9.2
15.	महाराष्ट्र	7.1	7.0	8.3	9.2	7.9
16.	मणिपुर	0.4	10.8	24.4	10.8	11.6
17.	मेघालय	3.1	7.3	6.5	5.4	5.6
18.	मिजोरम	10.4	3.2	4.2	उपलब्ध नहीं	5.9
19.	नागालैंड	8.2	10.2	6.6	उपलब्ध नहीं	8.3
20.	उड़ीसा	-0.1	14.7	12.6	उपलब्ध नहीं	9.1
21.	पंजाब	3.1	5.2	4.9	4.6	4.5
22.	राजस्थान	-9.9	28.7	-2.4	3.6	5.0
23.	सिक्किम	7.3	7.9	7.7	8.0	7.7
24.	तमिलनाडु	1.8	6.0	11.2	7.4	6.6
25.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	3.2	5.0	4.3	6.1	4.6
27.	उत्तरांचल	9.5	7.7	7.8	10.3	8.8
28.	पश्चिम बंगाल	3.8	5.7	6.6	8.1	6.1
29.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	6.2	11.3	-4.2	10.8	6.0
30.	चंडीगढ़	10.1	11.3	13.3	13.6	12.1
31.	दिल्ली	5.6	7.3	10.3	9.2	8.1
32.	पांडिचेरी	9.5	5.1	-10.7	6.2	2.5
	अखिल-भारतीय जीडीपी (99-00 आधार)	3.8	8.5	7.5	9.0	7.2

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

अध्याय 3

योजनाएं - 11वीं योजना 2007-12 तथा वार्षिक योजना 2007-08

11वीं योजना

1. भारत ने आर्थिक उन्नति के शानदार रिकार्ड सहित ग्यारहवी योजना अवधि में प्रवेश किया है। नौवीं योजना अवधि (1997-98 से 2001-02 तक) में एक संयत निष्पादन के बाद जबकि जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर मात्र 5.5% थी, अर्थव्यवस्था में दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) में तेजी आई और 7.6% की औसत वृद्धि दर दर्ज की गई जोकि अभी तक की किसी भी योजना अवधि की सर्वोच्च वृद्धि दर है। इसके अलावा दसवीं योजना अवधि के दौरान भी तेजी पाई गई और योजना के अंतिम चार वर्षों में वृद्धि दर औसतन 8.6% बनी रही और इस प्रकार भारत ने विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाले देश का स्थान ले लिया।

11वीं योजना के लिए परिकल्पना

2. ग्यारहवीं योजना की प्रमुख परिकल्पना अपनी क्षमताओं का लाभ उठाकर एक ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया को गति देना है जोकि गरीबों के, विशेष रूप से एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक सुधार सुनिश्चित करती हो। ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण का अनुमोदन करते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद ने समूचे देश के लिए जीडीपी में 9 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य मंजूर किया था। यह वृद्धि दर एक ऐसे वातावरण में प्राप्त की जानी है जबकि अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के भीतर कहीं अधिक समाकलित है, एक ऐसा समाकलन जिसने अनेक लाभों के साथ-साथ अनेक चुनौतियां भी ला खड़ी की हैं। यदि यह वृद्धि दर प्राप्त कर ली गई तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रति व्यक्ति जीडीपी में लगभग 7.5 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर होगी जोकि नौ वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तथापि, यह लक्ष्य मात्र तेज विकास का नहीं बल्कि समावेशी विकास का अर्थात एक ऐसी विकास प्रक्रिया का द्योतक है जो व्यापक लाभ उपलब्ध कराती है और सभी के लिए एकसमान अवसर सुनिश्चित करती है।

3. ग्यारहवीं योजना की इस विस्तृत परिकल्पना में अनेक परस्पर संबद्ध घटक शामिल हैं : तेज विकास जो गरीबी घटाता है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से गरीबों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा में अनिवार्य सेवाओं की सुलभता, शिक्षा और कौशल विकास के जरिए अधिकारिता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी द्वारा समर्थित रोजगार अवसर, महिलाओं की एजेंसी को मान्यता और उत्तम अभिशासन।

4. 11वीं योजना, एक नई परिकल्पना पर आधारित अधिक तेज, अधिक व्यापक और समावेशी विकास प्राप्त करने के निमित्त नीतियों की पुनर्रचना करने का अवसर प्रदान करती है। यह गरीबी कम करने और ऐसी विभिन्न विषमताओं को पाटने पर बल देने को तैयार की गई है जोकि हमारे समाज को विखंडित करती जा रही हैं। ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को योजना अवधि के अंत तक लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ संधारणीय विकास मार्ग पर लाना, पहले की तुलना में अधिक तेजी से उत्पादनशील रोजगार पैदा करना और 4% वार्षिक की दर से मजबूत कृषि विकास प्राप्त करना है। यह योजना सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं सुलभ कराने के अलावा, बुनियादी भौतिक आधारिक-तंत्र की सुलभता सुनिश्चित कराके क्षेत्रों और समुदायों के बीच विषमताओं को कम करने का लक्ष्य लेकर चली है। इसका उद्देश्य लैंगिक स्थिति को सभी क्षेत्रों के बीच एक साझा विषय के रूप में मान्यता प्रदान करना है और यह आम आदमी के अधिकारों के प्रति आदर भाव तथा उन्हें बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्ध है। इस दिशा में शुरूआती कदम 10वीं योजना के मध्यम में तब उठाए गए थे जबकि सरकार द्वार न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाया गया था। इन कदमों का और आगे सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए तथा 11वीं योजना के लिए एक कार्यनीति के रूप में उनका समेकन किया जाना चाहिए।

11वीं योजना की पृष्ठभूमि

5. 11वीं योजना, सभी मंत्रालयों/विभागों को योजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिए गए निम्नलिखित निर्देशों/मार्गनिर्देशों के आधार पर तैयार की गई थी :

(i) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपनी "कोर योजना" और क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं का, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में दी गई प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण करना चाहिए, जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक समझदारी और किफायती, सुचारु ढंग से उपयोग किया जा सके।

(ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सभी स्कीमों के संबंध में जेडबीबी पद्धति को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। निधियों की आवश्यकताओं और योजना आबंटनों के बीच बेमेलपन को रोकने के लिए और वित्तीय आबंटन की बजाय वांछित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देने के लिए यह आवश्यक है।

(iii) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोटि सुधारने के लिए वित्तीय परिव्ययों को परिणामों में बदलने पर बल दिया गया। मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के मध्यवर्ती परिणाम/उत्पादन का लक्ष्य तय किया जा सकता है तथा परिणाम बजट में दिए गए अनुसार मात्रात्मक रूप में प्रदान किए जाने योग्य के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन उपलब्ध कराया जा सकता है।

(iv) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने वार्षिक योजना प्रस्ताव में प्रस्तावित/संभावित ईएपी को सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं (ईएपी) और प्रत्यक्ष वित्तपोषित परियोजनाओं को (अर्थात् बजटीय प्रवाहों से बाहर) योजना प्रक्रिया और बजटीय संसाधनों के आबंटन के साथ एकीकृत किया जा सके।

(v) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पहल के अनुसरण में, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर के लिए विनिश्चित किया जाना था (विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर)।

(vi) सरकारी निधियों का लाभ उठाने के लिए, धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदान करने की कोटि सुधारने के लिए, विशेष रूप से सामाजिक सेवाएं, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और हवाईअड्डों के रूप में उत्तम परिवहन सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए अवस्थापना को प्रोत्साहित करने में सरकारी-निजी भागीदारी को उत्साहित करने की जरूरत है।

(vii) आईटी का इस्तेमाल करके प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए उच्च अधिकारप्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने योजना/योजनेतर का 2-3% प्रावधान आईटी अनुप्रयोग से संबंधित कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित पहलों के लिए अपने बजट (योजना और योजनेत्तर से) के 2-3% से अधिक का व्यय का प्रावधान करना है।

11वीं योजना की मुख्य चुनौतियां

6. 11वीं योजना में मुख्यतः निम्न चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया हैः

(i) कृषि संकटः कृषि गतिशीलता पुनः प्राप्त करना

(ii) बदलते रोजगार नमूने

(iii) गरीबों को अनिवार्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना

(iv) विनिर्माण प्रतियोगिता में वृद्धि करना

(v) मानव संसाधन विकसित करना

(vi) पर्यावरण की रक्षा करना

(vii) पुनर्वास और पुनर्स्थापना परिपाटियों में सुधार लाना

(viii) अभिशासन में सुधार लाना

सरकारी क्षेत्र संसाधनों/केन्द्र और राज्यों का आबंटन

7. 2006-07 के मूल्यों पर 11वीं योजना के लिए सरकारी क्षेत्र के संसाधनों का अनुमानित आकलन 36,44,718 करोड़ रुपए है जिसमें केन्द्र के हिस्से के रूप में 21,56,571 करोड़ रुपए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के रूप में 14,88,147 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। केन्द्रीय योजना के लिए संसाधनों में 2006-07 के मूल्यों पर 10,96,860 करोड़ रुपए का जीबीएस घटक और 10,59,711 करोड़ रुपए का आईईबीआर घटक शामिल है।

8. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 11वीं योजना के संसाधन 2006-07 के मूल्यों पर 14,88,147 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं जिसमें से राज्यों के अपने संसाधन 2006-07 के मूल्यों पर 11,63,296 और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 3,24,851 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता शामिल है। इन आबंटनों को राज्यों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। 11वीं योजना के लिए संसाधनों और सरकारी क्षेत्र संसाधनों का आबंटन तालिका-1 में दर्शाया गया है।

9. दसवीं योजना तथा ग्यारहवीं योजना में कुल जीबीएस के विभाजन की तुलना तालिका-2 में प्रस्तुत की गई है। दसवीं योजना की वसूली की तुलना में ग्यारहवीं योजना के लिए केन्द्र के अनुमानित जीबीएस में 125 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य क्षेत्रक कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दसवीं योजना के दौरान प्राप्त अनुदान घटक की तुलना में लगभग 85.6 प्रतिशत उच्चतर है। ग्यारहवीं योजना के लिए कुल जीबीएस में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अनुमानित अनुदान घटक के हिस्से में दसवीं योजना में प्राप्त हिस्से की तुलना में किंचित गिरावट आई है (26.4% से 22.8%) जिसका प्रमुख कारण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए किया गया कहीं उच्चतर आबंटन है। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए आबंटन जोकि दसवीं योजना के लिए जीडीपी का 1.40% था, वह बढ़कर ग्यारहवीं योजना में जीडीपी का 2.35% हो गया है।

तालिका-1

11वीं योजना के लिए सरकारी क्षेत्र आबंटन

(2006-07 के मूल्यों पर रुपए करोड़ों में)

	केन्द्र	
	वित्तपोषण के स्रोत	**आबंटन**
1.	बजटीय सहायता	10,96,860
2.	आईईबीआर	10,59,711
3.	योग-केन्द्र (1+2)	21,56,571
	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	
	वित्तपोषण के स्रोत	**आबंटन**
4.	राज्य के अपने संसाधन	11,63,296
5.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना को केन्द्रीय सहायता	3,24,851
6.	योग-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (4+5)	14,88,147
	कुल सरकारी क्षेत्र परिव्यय	
7.	सकल योग (3+6)	36,44,718

10. विभिन्न क्षेत्रकों, मंत्रालयों/विभागों को जीबीएस आबंटन तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना को सहायता के अनुमान ग्यारहवीं योजना के लिए अपनाए गए अधिक तेज, अधिक व्यापक और समावेशी विकासङ्ग दृष्टिकोण के अनुरूप रखे गए हैं। ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य कृषि में 4% प्रति वर्ष की जबरदस्त वृद्धि और पहले की तुलना में अधिक तेज गति से उत्पादनशील रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखकर अर्थव्यवस्था को, योजना अवधि के अंत तक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर सहित एक संधारणीय विकास पथ पर लाना है। ग्यारहवीं योजना गरीबी कम करने, क्षेत्रीय/सामाजिक/लैंगिक विषमताओं को पाटने को महत्व देते हुए बुनियादी भौतिक

तालिका-2

10वीं तथा 11वीं योजना में जीबीएस आबंटन

(2006-07 के मूल्यों पर रुपए करोड़ों में)

	दसवीं योजना प्राप्ति		ग्यारहवीं योजना अनुमान		
	राशि	% हिस्सा कुल जीबीएस	राशि	% हिस्सा कुल जीबीएस	10वीं योजना की तुलना में % वृद्धि
केन्द्रीय क्षेत्रक	4,86,798	73.6	10,96,860	77.2	125.3
राज्य योजना को सहायता*	1,75,021	26.4	3,24,851	22.8	85.6
योग	6,61,819	100	14,21,711	100	114.8

* केवल अनुदान घटक

आधारिक सुविधाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की सुलभता सुनिश्चित करने और समाज के सीमांत तथा कमजोर वर्गों की ओर ध्यान देने के प्रति केन्द्रित है। तदनुसार क्षेत्रकों के बीच समावेशन सुनिश्चित करने के लिए अभिज्ञात प्राथिमकतापूर्ण क्षेत्रों को और अधिक संसाधनों के आबंटन द्वारा एक प्रमुख संरचनात्मक बदलाव की पेशकश की गई है। संसाधनों के क्षेत्रीय आबंटन के अर्थों में संरचनात्मक बदलाव की एक स्थूल तसवीर तालिका-3 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका-3

क्षेत्रीय आबंटन : 10वीं योजना और 11वीं योजना

क्रम संख्या	क्षेत्रक	बीई#	योग के प्रति %	अनुमानित आबंटन	योग के प्रति %
1.	शिक्षा	62,461	7.68	2,74,228	19.29
2.	आरडी, एलआर तथा पीआर	87,041	10.70	1,90,330	13.39
3.	स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष	45,771	5.62	1,23,900	8.71
4.	कृषि और सिंचाई	50,639	4.47	90,273	6.35
5.	सामाजिक न्याय	36,381	4.47	90,273	6.35
6.	भौतिक आधारिक तंत्र	89,021	10.94	1,28,160	9.01
7.	वैज्ञानिक विकास	29,823	3.66	66,580	4.68
8.	ऊर्जा	47,226।	5.81	57,409	4.04
	कुल प्राथमिकता क्षेत्र	4,48,403	55.10	1,052,436	74.03
9.	अन्य	3,65,375	44.90	3,69,275	25.97
	योग	8,13,778	100.00	14,21,711	100.00

Xवीं योजना बीई तथा मूल Xवीं योजना अनुमान नहीं बल्कि 5 वर्षो के दौरान वास्तविक आबंटन परिलक्षित करती है।
* इसमें केवल एपीडीआरपी अनुदान घटक शामिल हैं।

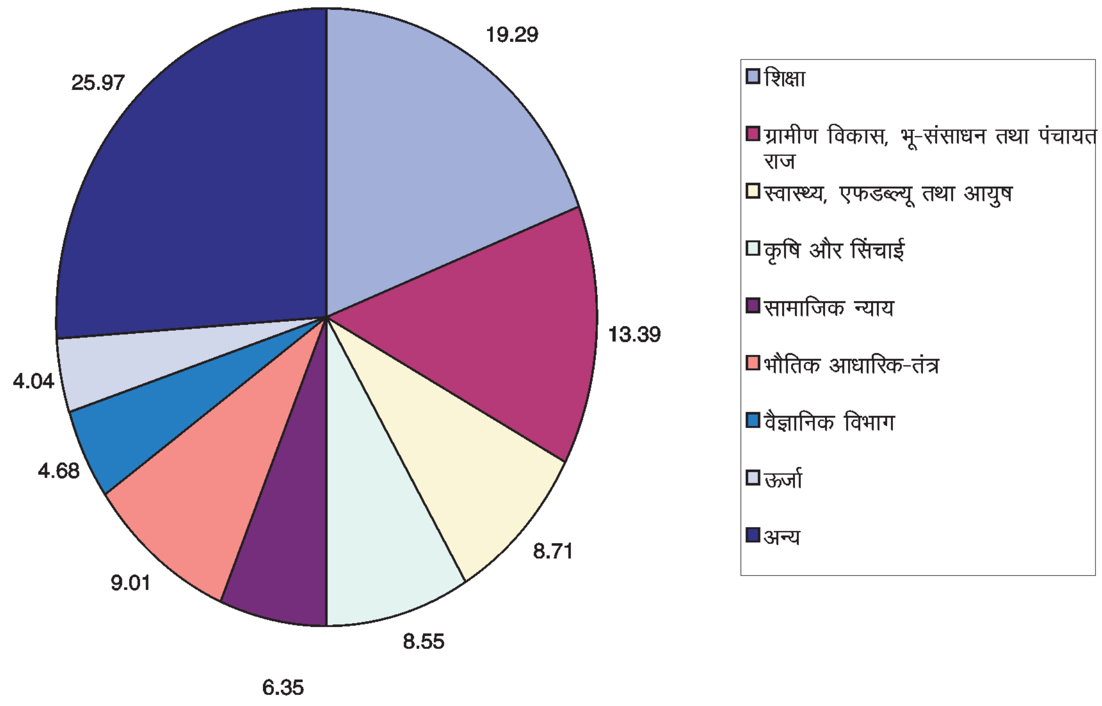

11. ग्यारहवीं योजना के लिए कुल केन्द्रीय आबंटन में से लगभग 74 प्रतिशत नीचे तालिका-3 में सूचीबद्ध प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के लिए अलग रख दिए गए हैं, दसवीं योजना में उनका हिस्सा केवल 55 प्रतिशत था। यह ध्यातव्य है कि जीबीएस आबंटन में आधारिक-तंत्र और ऊर्जा के हिस्से में इस तथ्य के बावजूद कि वे प्राथमिकतापूर्ण सूची में शामिल है, गिरावट आई है। यह स्थिति प्राथमिकता में कमी की नहीं बल्कि इन क्षेत्रकों में सरकारी क्षेत्र वित्तपोषण से हटकर संवर्द्धित आईईबीआर और सरकारी-निजी भागीदारी की कार्यनीति विषयक एक सोची-समझी नीति की परिचायक है।

ग्यारहवीं योजना के ध्यातव्य क्षेत्र

12. ग्यारहवीं योजना के लिए अभिज्ञात क्षेत्रक-वार ध्यातव्य क्षेत्र नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) **शिक्षाः** प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तात्मक स्तरोन्नयन, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, तकनीकी शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के स्तरोन्नयन पर अधिक बल, समूची शिक्षा प्रणाली के बीच आईसीटी।

(ii) **स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छताः** ग्रामीण स्वास्थ्य आधारिक-तंत्र का विशाल स्तरोन्नयन, चिकित्सीय शिक्षा, आईसीडीएस के माध्यम से बच्चों और गर्भवती तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषणिक सहायता, स्वास्थ्य बीमा आधारित शहरी स्वास्थ्य, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य देखभाल; सेवा स्तरों में संधारणीयता, सुधार प्राप्त करना तथा सुरक्षित और निर्मल पेयजल की सर्वसुलभता की दिशा में आगे बढ़ना।

(iii) **कृषि और सिंचाईः** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,

राज्य विशिष्ट कृषि कार्यनीति और कार्यक्रमों की सहायता करना, बेहतर बीज उत्पादन, केन्द्रित कृषि अनुसंधान, विस्तार, आधुनिक बाजारों का विकास।

(iv) **ग्रामीण विकास, भू-संसाधन तथा पंचायती राज:** एनआरईजीपी की कार्यक्रम आपूर्ति में सर्वसुलभीकरण और सुधार; भूजल स्तर के प्रबंध सहित एकीकृत जल-विभाजक प्रबंध।

(v) **सामाजिक न्याय और अधिकारिता:** मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, लड़कों/लड़कियों के लिए छात्रावास, आय और रोजगार सृजन के अवसरों, अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रकीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से एससी, एसटी तथा अल्पसंख्यकों और अन्य अपवर्जित समूहों की जरूरतों की तरफ विशेष ध्यान।

(vi) **भौतिक आधारिक-तंत्र:** निवेश में सरकारी-निजी भागीदारी पर बल, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में विश्व स्तरीय आधारिक-तंत्र का समयबद्ध सृजन सुनिश्चित करने के निमित्त नीतियों की शुरूआत, बेहतर रेल और सड़क आधारिक सुविधाओं के माध्यम से आंतरिक क्षेत्रीय संयोज्यता।

(vii) **ऊर्जा:** आरजीजीवीवाई के माध्यम से सभी गांवों का विद्युतीकरण और सभी 2.3 करोड़ बीपीएल परिवारों तक निःशुल्क घरेलू कनेक्शनों का विस्तार; नाभिकीय विद्युत विकास।

(viii) **वैज्ञानिक विभाग:** जीएसएलवी-एमके-III को उपग्रह लांच करने की क्षमताओं का विकास; नई ऊर्जा प्रणालियों का विकास जैसेकि उन्नत भारी जल रिएक्टर और नैनोप्रौद्योगिकी।

वार्षिक योजना 2007-08

13. 2007-08 का वार्षिक योजना परिव्यय (केन्द्रीय योजना) 3,19,992.01 करोड़ रुपए है जिसमें 1,54,939.32 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) तथा 1,65,052.69 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आईईबीआर) शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्रीय सहायता के रूप में 2,39,322.35 करोड़ रुपए की जीबीएस आबंटित की गई है। यह जीबीएस केन्द्रीय क्षेत्रक योजना तथा राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के बीच आबंटित की गई है और ऐसा करते समय इन दोनों के बीच योजना संसाधनों के प्रवाह को ध्यान में रखा गया है जिससे कि अग्रणी कार्यक्रमों सहित सभी महत्वपूर्ण एनसीएमपी कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

वार्षिक योजना 2007-08 की पृष्ठभूमि

14. वार्षिक योजना 2007-08, सभी मंत्रालयों/विभागों को योजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए दिए गए निम्नलिखित निर्देशों/मार्गनिर्देशों के आधार पर तैयार की गई थी :

(i) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपनी "कोर योजना" और क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं का, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में दी गई प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण करना चाहिए, जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक समझदारी और किफायती सुचारू ढंग से उपयोग किया जा सके।

(ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सभी स्कीमों के संबंध में जेडबीबी पद्धति को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। निधियों की आवश्यकताओं और योजना आबंटनों के बीच बेमेलपन को रोकने के लिए और वित्तीय आबंटन की बजाय वांछित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देने के लिए यह आवश्यक है।

(iii) चूंकि वार्षिक योजना 2007-08 दसवीं योजना का अंतिम वर्ष है इसलिए केवल उन्हीं नई स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जो जनहित में हों और जिन्हें अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त रूप से प्रभाव डाले बिना टाला नहीं जा

सकता, जिनके संबंध में कम से कम प्रारंभिक संभाव्यता अध्ययन पहले ही किया जा चुका है।

(iv) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोटि सुधारने के लिए वित्तीय परिव्ययों को परिणामों में बदलने पर बल दिया गया। मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के मध्यवर्ती परिणाम/उत्पादन का लक्ष्य तय किया जा सकता है तथा परिणाम बजट में दिए गए अनुसार मात्रात्मक रूप में प्रदान किए जाने योग्य के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन उपलब्ध कराया जा सकता है।

(v) अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकों से उभरी निविष्टियों (इनपुटों) और मात्रात्मक प्रदान की जाने योग्य उपलब्धियों का उनके लक्ष्यों की तुलना में गुणात्मक आकलन का वर्ष 2007-08 के लिए योजना आबंटन पर मजबूत प्रभाव पड़ेगा।

(vi) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने वार्षिक योजना प्रस्ताव में प्रस्तावित/संभावित ईएपी को सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं (ईएपी) और प्रत्यक्ष वित्तपोषित परियोजनाओं को (अर्थात् बजटीय प्रवाहों से बाहर) योजना प्रक्रिया और बजटीय संसाधनों के आबंटन के साथ एकीकृत किया जा सके।

(vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पहल के अनुसरण में, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट का कम से कम 10% पूर्वोत्तर के लिए विनिश्चित किया जाना था (विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर)।

(viii) सरकारी निधियों का लाभ उठाने के लिए, धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदान करने की कोटि सुधारने के लिए, विशेष रूप से सामाजिक सेवाएं, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और हवाईअड्डों के रूप में उत्तम परिवहन सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए अवस्थापना को प्रोत्साहित करने में सरकारी-निजी भागीदारी को उत्साहित करने की जरूरत है।

वार्षिक योजना 2007-08 के बजटीय आबंटन की विशेषताएं

15. वार्षिक योजना 2007-08 के लिए बजट आबंटन, सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वर्णित लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और विशेष रूप से केन्द्रीय योजना आबंटन निर्धारित करने में निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया :

- सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों (भारत निर्माण के सभी संघटकों सहित) का पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करना;
- वैज्ञानिक विभागों के निधियन के लिए प्राथमिकताएं प्रदान करना;
- कृषि (पशुपालन और जल संसाधन सहित), अवस्थापना (सड़क, परिवहन, नौवहन और रेलवे) और माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

16. शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण समताकारी सामाजिक बल है। जनसमूह के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा में निवेश आवश्यक है। तद्नुसार, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस), जो 2006-07 (आरई) में 17128 करोड़ थी, बढ़ाकर 2007-08 में 22191 करोड़ रुपए की गई जो 29.56% वृद्धि का द्योतक है। इसी प्रकार, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के लिए बजटीय आबंटन 2007-08 में बढ़ाकर 6483 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

17. हमारे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधारने में प्रगति की गति संतोषजनक नहीं है। लिंग संवेदी उपाय, जैसेकि आईएमआर और एमएमआर, पर्याप्त तेजी से नहीं गिर रहे हैं। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए परिव्यय बढ़ाकर 13875 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो मूलतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के लिए है। चूंकि पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता, स्वास्थ्य उपाय और कार्यनीति

के अनिवार्य घटक हैं, इसलिए पेयजल आपूर्ति विभाग के लिए बजटीय सहायता बढ़ाकर 7560 करोड़ रुपए कर दी गई है।

18. महिला और बाल विकास विभाग के लिए योजना परिव्यय बढ़ाकर 5973 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) विभाग की एक अग्रणी स्कीम है, जिसका उद्देश्य पूरक पोषाहार प्रदान करने, बच्चों का प्रतिरक्षण और गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।

19. स्वःरोजगार, मजदूरी रोजगार, ग्रामीण आवासन और ग्रामीण संयोजकता की अग्रणी स्कीमों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के वास्ते ग्रामीण विकास विभाग के लिए जीबीएस में (2006-07 के बजट अनुमान की तुलना में) 33.19% से अधिक की पर्याप्त वृद्धि की गई है।

20. कृषि और सहकारिता विभाग के बजटीय आबंटन में वृद्धि करके उसे 5520 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो मूलतः राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वर्णित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, लघु सिंचाई और शुष्क भूमि खेती के लिए है। पशुपालन, डेयरी उद्योग और मात्स्यिकी विभाग के लिए योजना आबंटन बढ़ाकर 910 करोड़ रुपए कर दिया गया है ताकि पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रक को पर्याप्त सहायता प्रदान की जा सके।

21. हमारे उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण आधारिक संरचना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आधारिक संरचना में सुधार करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण अनिवार्य है तथा भारत निर्माण का एक अभिन्न घटक है, जो सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है। तद्नुसार, विद्युत मंत्रालय की सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर 33153.26 करोड़ रुपए कर दी गई है।

22. रेल मंत्रालय के लिए जीबीएस बढ़ाकर 30275.31 करोड़ रुपए कर दी गई है। विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (एसआरएसएफ) पर विशेष बल दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के लिए विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (एसआरएसएफ) सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर 14589.32 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो मूलतः विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए है।

23. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि भारत ज्ञान युग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आर एंड डी कार्यकलापों के विकास गतिविधियों पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। तद्नुसार, जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान तथा समुद्र विकास विभाग का योजना व्यय बढ़ाकर क्रमशः 675 करोड़ रुपए, 3420 करोड़ रुपए, 1070 करोड़ रुपए और 1526 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

24. केन्द्र के संबंध में वार्षिक योजना 2007-08 के लिए बजट अनुमान, विकास शीर्ष-वार तालिका 3.1 और चित्र-II में संक्षेप में दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 2006-07 की समीक्षा

25. वार्षिक योजना 2006-07 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय के संबंध में संशोधित अनुमान 2,44,229.26 रुपए है, जो 2,54,041.50 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में .....% कम है। केन्द्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वार्षिक योजना 2006-07 के लिए संशोधित अनुमान, विकास शीर्षवार तालिका 3.2 में संक्षेप में दिए गए हैं।

तालिका-3.1

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 के बजट अनुमान

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष	केन्द्र			राज्य और यूटी परिव्यय	योग
		बजट सहायता	आईईबीआर	परिव्यय		
1	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	8389.36	168.71	8558.07	10811.99	19370.06 (3.46)
2	ग्रामीण विकास	16705.75	0.00	16705.75	15803.07	32508.82 (5.81)
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	507.00	0.00	507.00	38051.11	38558.11 (6.89)
4	ऊर्जा	8014.78	71143.67	79158.45	27116.97	106275.42 (19.00)
5	उद्योग और खनिज	6817.02	13617.40	20434.42	4568.35	25002.77 (4.47)
6	परिवहन	26015.66	45573.36	71589.02	30308.39	101897.41 (18.21)
7	संचार	589.66	25221.90	25812.00		25812.00 (4.61)
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	8816.01	0.00	8816.00	1562.03	10378.03 (1.85)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	3558.81	73.35	3632.00	8119.03	11751.03 (2.10)
10	सामाजिक सेवाएं	74696.39	9254.30	83950.69	89010.80	172961.49 (30.92)
11	सामान्य सेवाएं	828.88	0.00	829.00	6238.22	7067.22 (1.26)
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	7732.39	7732.39 (1.38)
	योग	154939.32	165052.69	319992.00	239322.36	559314.36

* कोष्ठकों में योग का प्रतिशत दिया गया है।

तालिका-3.2

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2006-07 के संशोधित अनुमान

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष	केन्द्र			राज्य और यूटी	योग
		बजट सहायता	आईईबीआर	परिव्यय	परिव्यय	
1	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	7279.27	112.38	7391.65	**9595.25**	16986.90 (3.93)
2	ग्रामीण विकास	15642.75	0.00	15642.75	**14814.90**	30457.65 (7.62)
3	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	461.75	0.00	461.75	**31658.02**	32119.77 (7.44)
4	ऊर्जा	6761.66	62063.63	68825.29	**19471.01**	88296.30 (20.47)
5	उद्योग और खनिज	5425.11	7162.66	12587.77	**4428.76**	17016.53 (3.94)
6	परिवहन	24808.62	25010.19	49818.81	**24806.40**	74625.21 (17.30)
7	संचार	537.71	17313.70	17851.41	**269.32**	18120.73 (4.20)
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	6773.95	0.00	6773.95	**484.31**	7258.26 (1.68)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	2565.51	0.00	2565.51	**6125.92**	8691.43 (2.01)
10	सामाजिक सेवाएं	55711.18	6056.95	61768.13	**65969.58**	127737.71 (29.62)
11	सामान्य सेवाएं	542.24	0.00	542.24	**3544.33**	4086.57 (0.94)
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	**5840.15**	5840.15 (1.35)
	योग	**126509.75**	**117719.51**	**244229.26**	**187007.94**	**431237.20 (100)**

अध्याय-4

योजना आयोग में प्रमुख कार्यकलाप

4.1 कृषि प्रभाग

1. कृषि प्रभाग योजना आयोग में एक ऐसा स्कंध है जो कृषि और केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कार्यान्वित संबद्ध क्षेत्रकों से संबंधित मुद्दों की देखभाल करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान प्रभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), व्यापक जिला कृषि योजना (सीडीएपी) पर तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी), गौण कृषि पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की देखभाल की और साथ ही ग्यारहवीं योजना की रूपरेखा तैयार की। इसके अलावा, प्रभाग ने पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं का मानीटरन कार्य जारी रखा तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत नई स्कीमों और प्रस्तावों के संबंध में योजना आयोग की ओर से अपने विचार व्यक्त किए।

2. क्योंकि कृषि देश में बृहद-आर्थिक व्यवहार का एक प्रमुख चालक है इसलिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में ऐसी परिकल्पना की गई थी कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए 9% वार्षिक वृद्धि की दर केवल तभी प्राप्त की जा सकती है यदि योजना अवधि के दौरान कृषि 4% प्रति वर्ष की वृद्धि दर दर्ज कर लेता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कृषि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति में कृषि मंत्रालय के परिव्यय में वार्षिक योजना 2004-05 से भारी वृद्धि शामिल रही है। कृषि मंत्रालय के लिए 2007-08 के वास्ते 8050 करोड़ रुपए का परिव्यय वर्ष 2006-07 के दौरान 6900 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 14.28% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। कृषि मंत्रालय के तीन विभागों अर्थात कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग (डीएएचडीएफ) तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेअर) के लिए 10वीं योजना अवधि के दौरान परिव्यय और व्यय की प्रगति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है।

3. 4 प्रतिशत विकास के उद्देश्य के साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए प्रभाग ने कृषि क्षेत्रक के समक्ष पेश आ रहे जटिल मुद्दों के संबंध में जांच करने और उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों के विभिन्न पहलुओं पर निम्नलिखित 12 कार्यदल गठित किए।

इन सभी कार्यदलों ने अपनी अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है, और इन सिफारिशों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों और नीतियों में कार्यरूप देने के प्रयोजनार्थ जांच की जा रही है।

4. कृषि प्रभाग ने, बारह कार्यदलों की तथा राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्टों में भी की गई सिफारिशों की जांच करने के बाद ग्यारहवीं योजना के लिए स्कीमों का सुझाव देने के लिए, जिनमें चालू कार्यक्रमों में विस्तार करना अथवा बंद करना शामिल है डॉ0 सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों पर 25.10.2006 को एक संचलन समिति गठित की। संचलन समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

5. योजना आयोग के दिनांक 25.8.2005 के आदेशानुसार, केन्द्रीय कृषि और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में गठित "कृषि और सम्बद्ध मुद्दों" पर एनडीसी की उप-समिति ने विशिष्ट मुद्दों पर निम्नलिखित 8 कार्यदल गठित किए:

i. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, लघु सिंचाई सहित सिंचाई पर कार्यदल।

ii. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी पर कार्यदल।

तालिका-4.1.1

कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएएचडीएफ) तथा कृषि अनुसंधान तथा शेक्षा विभाग (डीएआरई) का परिव्यय और व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या		डीएसी	डीएएचडीएफ	डेअर	योग
I	दसवीं योजना परिव्यय (2002-07)**	13200.00	2500.00	5368.00	21068.00
II	2002-03 (बीई)#	2167.00	300.00	775.00	3242.00
III	2002-03 (व्यय)#	1655.94	230.26	650.75	2536.95
IV	2003-04 (बीई)#	2167.00	300.00	775.00	3242.00
V	2003-04 (व्यय)#	2050.34	269.35	748.98	3068.67
VI	2004-05 (बीई)#	2650.00	500.00	1000.00	4150.00
VII	2004-05 के दौरान अतिरिक्त जीबीएस	440.00	100.00	-	540.00
VIII	2004-05 (आरई)#	2945.00	575.00	900.00	4420.00
IX	2004-05 (व्यय)#	2656.26	563.45	816.01	4035.72
X	2005-06 (व्यय)#	3817.46	589.16	1046.75	5453.37
XI	2006-07 (आरई)#	4860.00	750.00	1430.00	7040.00
XII	2007-08(बीई)#	5520.00	910.00	1620.00	8050.00

स्रोतः **दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07), योजना आयोग, भारत सरकार
केन्द्रीय व्यय बजट खंड I वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 2002-03 से 2007-08 तक

iii. पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विपणन सुधार, संविक्षा कृषि और कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्रक पर कार्यदल।

iv. उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय/फसल विशिष्ट उत्पादकता विश्लेषण और कृषि-जलवायु क्षेत्रों पर कार्यदल।

v. सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में ऋण और जोखिम प्रबंधन पर कार्यदल।

vi. गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, अवनत/परती भूमिका के पुनरुद्धार, जलविभाजक विकास कार्यक्रम सहित, शुष्क भूमि/वर्षापोषित कृषि पद्धति पर कार्यदल।

vii. डीजी, आईसीएआर, नई दिल्ली की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी पर कार्यदल।

viii. अध्यक्ष, सीएसीपी की अध्यक्षता के अधीन डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर कार्यदल।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के गठित कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों पर कार्यदलों की सूची

क्र.सं.	कार्यदल का नाम	अध्यक्ष/सदस्य-सचिव
1.	फसल उगाने, मांग और आपूर्ति पूर्वानुमान, कृषि निविष्टियां और कृषि सांख्यिकी पर कार्यदल	**अध्यक्ष-प्रोफेसर वी.एस. व्यास,** अध्यक्ष, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर (राजस्थान) **सदस्य-सचिव - डॉ0 राजीव मेहता,** सदस्य-सचिव, कृषि लागत और कीमत आयोग, नई दिल्ली
2.	कृषि विस्तार पर कार्यदल	**अध्यक्ष-श्री जे.एन.एल. श्रीवास्तव,** पूर्व सचिव, कृषि और सहकारिता **सदस्य-सचिव - श्री के. वी. सत्यनारायण,** महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद
3.	कृषि में जोखिम प्रबंधन पर कार्यदल	**अध्यक्ष-श्री आर.सी.ए. जैन,** पूर्व-सचिव, कृषि और सहकारिता मंत्रालय **सदस्य-सचिव - श्री एम. प्रसाद,** सीएमडी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि0
4.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध पर कार्यदल	**अध्यक्ष-प्रोफेसर आर.बी. सिंह,** सदस्य, राष्ट्रीय किसान आयोग **सदस्य-सचिव, श्री प्रेम नारायण,** संयुक्त सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग
5.	आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए आवश्यक विपणन संरचना तथा नीति पर कार्यदल	**अध्यक्ष-प्रोफेसर शब्द एस. आचार्य,** पूर्व अध्यक्ष, सीएसीपी, भारत सरकार तथा अवै. प्रोफेसर, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर **सदस्य-सचिव, डॉ0 ए. भटनागर,** महानिदेशक, एनआईएएम, जयपुर
6.	संस्थागत वित्त की आउटरीच तथा सहकारिता सुधार पर कार्यदल	**अध्यक्ष-श्री वाई.सी. नंदा,** पूर्व अध्यक्ष, नाबार्ड **सदस्य-सचिव-डॉ0 के.जी. कर्माकर,** प्रबंध-निदेशक, नाबार्ड
7.	कृषि में लैंगिक मुद्दे, लघु वित्त पंचायती राज संस्थान, नवोन्मेषी वित्त तथा सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर कार्यदल	**अध्यक्ष-डॉ0 इंदिरा हिर्वे,** निदेशक तथा अर्थशास्त्र प्रोफेसर, विकास विकल्प केन्द्र, इ-71, आकाश, मुख्य न्यायाधीन के बंगले के निकट, बोरकदेव, अहमदाबाद **सदस्य-सचिव-श्री एस.एस. आचार्य,** कार्यकारी निदेशक, नाबार्ड, मुम्बई
8.	पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास सहित कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना पर कार्यदल	**अध्यक्ष-डॉ0 पंजाब सिंह,** कुलपति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी **सदस्य-सचिव, डॉ0 एस.ए. पाटिल,** निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली

क्र.सं.	कार्यदल का नाम	अध्यक्ष/सदस्य-सचिव
9.	बागवानी, बागान फसलों और जैव कृषि पर कार्यदल	**अध्यक्ष-डॉ0 के.एल. चड्ढा** **सदस्य सचिव-डॉ0 एम.एल. चौधरी,** बागवानी आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग
10.	पशुपालन पर कार्यदल	**अध्यक्ष-डॉ0 एन.आर. भसीन,** उपाध्यक्ष, भारतीय डेयरी एसोसिएशन **सदस्य-सचिव-श्री अरविंद कौशल,** संयुक्त-सचिव, पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग
11.	मात्स्यिकी पर कार्यदल	**अध्यक्ष-डॉ0 एस.अय्यपन,** उप-महानिदेशक (मात्स्यिकी), आईसीएआर, नई दिल्ली **सदस्य-सचिव-डॉ0 के.के. वास,** निदेशक केन्द्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
12.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर कार्यदल	**अध्यक्ष-डॉ0 सी.आर. भाटिया,** पूर्व सचिव, बीएआरसी **सदस्य-सचिव-डॉ0 के.एस. खोखर,** एडीजी (पीआईएम), आईसीएआर

सभी कार्यदलों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं जिन पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा था।

6. राष्ट्रीय विकास परिषद

खाद्य और कृषि पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के 29.05.2007 को आयोजित विशेष सत्र में कृषि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार से संबंधित मुद्दों पर गहराई से विचार किया गया और केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां निर्धारित करते हुए एक संकल्प अपनाया गया। एनडीसी का 53वां संकल्प इस प्रकार हैः

एनडीसी का 53वां संकल्प

राष्ट्रीय विकास परिषद यह संकल्प करती है कि कृषि विकास कार्यनीतियों को किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिशा-अनुकूलित किया जाना जरूरी है और वह केन्द्रीय और राज्य सरकारों से कृषि के पुनरुद्धार के लिए कार्यनीति तैयार करने का आग्रह करती है। एनडीसी 11वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्रक में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह संकल्प करती है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निम्न उपाय किए जाएंगेः

केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां

1. एक केन्द्रीय स्कीम के रूप में गेहूं, चावल और दालों को कवर करने वाला एक खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करना जिसका उद्देश्य अगले चार वर्षों में आधार वर्ष (2006-07 को समाप्त होने वाला वर्षत्रय) की तुलना में अतिरिक्त रूप से 8 मिलियन टन गेहूं, 10 मिलियन टन चावल और 2 मिलियन टल दालों का उत्पादन करना होगा।

2. राज्यों को अपने कृषि क्षेत्रक के लिए कृषि-जलवायु स्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए तथा पशुधन, कुक्कुटपालन और मत्स्यपालन को और पूरी तरह समाकलित करते हुए अधिक व्यापक योजनाएं तैयार करने के निमित्त प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम शुरू करना। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा

संचालित राज्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की एक नई स्कीम जरूरी होगी जोकि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की मौजूदा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अलावा होगी ताकि भूमि सुधारों के लाभग्राहियों के लिए विशेष स्कीमों सहित राज्य-विशिष्ट कार्यनीतियों की पूर्ति की जा सके। नवगठित राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण, अनुरोध किए जाने पर वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए योजना तैयार करने में राज्यों की मदद करेगा।

3. बेहतर सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंध और कमानक्षेत्र विकास के अपनाए जाने से जुड़े आधुनिकीकरण के घटक सहित एआईबीपी के माध्यम से सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना।

4. कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कार्यनीतिक अनुसंधान निधि के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयास पर आईसीएआर के अलावा विश्वविद्यालयों, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं और निजी संस्थानों के वित्तपोषण के अनुरूप एक अभिशासन और कार्यान्वयन तंत्र सहित कार्यनीतिक बल देना। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय रूप से केन्द्रित अनुसंधान परियाजनाओं के अनुसमर्थन के लिए भी अतिरिक्त वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।

5. नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ वित्तपोषण की पुनर्रचना तथा वर्ष-दर-वर्ष निधि आबंटन की मौजूदा पद्धति के स्थान पर समूची 11वीं योजना अवधि के लिए राज्य-वार निर्देशक आबंटन लागू करना जोकि न्यून ग्रामीण ऋण-जमा अनुपात वाले राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखेगा। बागवानी, पशुधन, कुक्कुटपालन और मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों के लिए आधारिक-तंत्र सहित ऐसे विकास संभावित क्षेत्रों के वास्ते राज्य कृषि योजनाओं में अभिज्ञात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वित्तपोषण के लिए पात्र क्रियाकलापों की समीक्षा की जाएगी।

6. उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम और किसान को इसकी आपूर्ति की पुनर्रचना की दिशा में कार्रवाई शुरु करना और एक ऐसी प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ना जोकि मृदाओं के लिए प्रतिकूल प्रभावों के बिना संतुलित पादप पोषण उपलब्ध कराती है। मृदा-स्वास्थ्य संवर्द्धन के लिए जैव-उर्वरकों, कार्बनिक खाद और सूक्ष्म पोषकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

7. कृषि के आधुनिक तरीकों में किसानों के प्रशिक्षण और साथ ही कृषि-भिन्न क्रियाकलाप के लिए प्रासंगिक कौशल प्रदान करने सहित कृषक समुदाय के भीतर कौशल विकास सुधारने की दिशा में कई पहलें करना।

राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां

1. प्रत्येक जिले के लिए ऐसी जिला योजना तैयार करना जोकि जिला स्तर पर बीआरजीएफ और एनआरईजी जैसे स्कीमों के लिए उपलब्ध संसाधनों सहित, राज्य अथवा केन्द्रीय-सभी मौजूदा स्कीमों से उपलब्ध संसाधनों का भरपूर प्रयोग करती हो। जिला कृषि योजना में पशुधन और मत्स्यपालन शामिल होंगे और उसे लघु सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यों तथा जल संचय और संरक्षण के निमित्त अन्य स्कीमों के साथ समाकलित किया जाएगा।

2. प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकीय संभावनाओं के संधारणीय प्रबंध को ध्यान में रखते हुए, राज्य के कृषि विकास के लक्ष्य की पूर्ति करने के उद्देश्य से जिला योजनाओं पर आधारित एक राज्य कृषि योजना तैयार करना। प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कुल राज्य योजना व्यय में कृषि का कम से कम बेसलाइन हिस्सा बनाए रखा जाए और ऐसा किए जाने के बाद उसके लिए कृषि योजना पर बेसलाइन के बाद के खर्चे के वास्ते केन्द्रीय योगदान की पूर्ति के निमित्त नई एसीए प्राप्त करना संभव होगा।

3. एआईबीपी के अधीन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय और लागत का तनिक भी अतिक्रमण किए बिना पूरा करना तथा अपने कृषि उत्पादन लक्ष्यों के अनुरूप परियोजनाओं को प्राथमिकता

प्रदान करने की दिशा में सभी संभव प्रयास करना। बेहतर जल प्रबंध और जल प्रयोग प्रभाविता बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए राज्य पूरे प्रयास करेंगे।

4. बीज उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि संगत प्रमुख फसलों और चारे के लिए उत्तम बीज उचित मूल्य और सही समय पर उपलब्ध हो सकें। ऐसा करना बीज प्रतिस्थापन दरों में सुधार लाने के लिए जरूरी है जोकि उत्पादन अंतरालों को कम करने में सहायक होगा। प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए बीजों की उपयुक्त किस्मों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों अथवा आईसीएआर संस्थानों के बीच निकट संपर्क बना रहना चाहिए। उपजातीय विकास के लिए एसएयू, राज्य के संबंधित विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के बीच सरकारी-निजी भागीदारी पर विचार किया जाना चाहिए।

5. राज्य कृषि विस्तार प्रणालियों का बृहत विस्तार और उन्हें चुस्त बनाए जाने का काम हाथ में लेना। इसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयां और कृषि विज्ञान केन्द्रों को सहयोजित करना होगा; तथा प्रत्येक जिले में समर्थनकारी पशु संसाधन विकास, मृदा परीक्षण क्षमता का विस्तार तथा इन्पुट गुणवत्ता की जांच करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। जहां कहीं संभव हो सरकारी-निजी भागीदारी के माडल का प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने (यदि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है) में तेजी लाएं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मानीटरन-योग्य अंतिम तिथियां तय करें ताकि सहकारी ऋण तंत्र को चुस्त बनाया जा सके।

7. एपीएमसी अधिनियम के संशोधन की प्रक्रिया पूरी करके और तथा उसके अधीन नियम अधिसूचित करके आधुनिक बाजारों के विकास को प्रोत्साहित करें और साथ ही किसानों की सहकारिताओं, संविदा खेती तथा ऐसे अन्य साधनों सहित जिन्हें राज्यों द्वारा वरीयता दी गई हो, बहुविध प्रपत्रों के माध्यम से बाजारों के साथ तालमेल को बढ़ावा दें। संशोधित एपीएमसी कानून के अधीन नियम अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया 2007-08 के दौरान पूरी कर ली जानी चाहिए।

8. इन उपायों को कार्यरूप देने के प्रस्तावों के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारोंश्र्दोनों द्वारा यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

एनडीसी के 53वें संकल्प द्वारा राज्यों को कृषि-जलवायु स्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों और प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि क्षेत्रक के लिए योजनाएं और अधिक व्यापक रूप से तैयार करने तथा पशुधन, कुक्कुटपालन और मत्स्यपालन को और पूरी तरह समाकलित करने के निमित्त प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (एसीए) शुरू की गई। तदनुसार राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उच्चतर खर्च करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) शुरू की है जिसके तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। एसीए के लिए पात्र बनने के वास्ते राज्यों से, निवेश का एक न्यूनतम अवसीमा स्तर निर्धारित करने, जिला स्तर पर विशिष्ट समस्याएं अभिज्ञात करने और जिला कृषि योजना तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। जिला कृषि योजना, जोकि अंततः राज्य कृषि योजना के रूप में उभर कर आएगी क्षेत्र विशिष्ट बाधाओं से निपटने की ओर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करेगी। आरकेवीवाई जिसमें पांच वर्षों की अवधि के भीतर 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है 11वीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त हो जाएगी। चालू वर्ष में इस स्कीम के लिए परिव्यय 1500 करोड़ रुपए है।

8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

11वीं योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में गत्यावरोध के कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षा स्थितियां जोकि देश के भीतर समग्र कैलोरी उपभोग में अभी भी 65% का योगदान दे रही है, तात्कालिक प्राथमिकता बनी हुई हैं। हालांकि अनुमानों

के अनुसार खाद्यान्न की मांग वृद्धि की दर न्यूनतम रहती है तथापि उत्पादन में मौजूदा गत्यावरोध का अर्थ ग्यारहवीं योजना के अंत तक 20 मिलियन टन से अधिक आयात के रूप में होगा। विश्व के आपूर्ति-मांग संतुलन में, विशेष रूप से जैव-ईधन उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर अनाज के अधिक प्रयोग की चालू प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए घरेलू खाद्यान्न मूल्यों पर उच्च दबाव पड़ने की संभावना है।

इस स्थिति को तथा पूर्वी और केन्द्रीय भारत में उत्पादन अंतरालों से मौजूदा संभावना को ध्यान में रखते हुए, मिशन पद्धति में तत्काल एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम शुरू करना जरूरी महसूस किया गया ताकि ग्यारहवीं योजना के अंत तक खाद्यान्न के उत्पादन में कम से कम 20 मिलियन टन की वृद्धि की जा सके। कृषि और सहकारिता विभाग ने 4882 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित तीन फसलों अर्थात गेहूं, चावल और दालों को कवर करते हुए चावल, गेहूं और दालों के तहत क्रमशः 133, 138 और 168 जिलों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) शुरू किया है। चालू वार्षिक योजना के दौरान इस परिव्यय में से एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं तथा एनएफएसएम—दालों के लिए क्रमशः 138.11 करोड़ रुपए, 291.95 करोड़ रुपए और 96.91 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अभी तक राज्यों को 127 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। मिशन का यह लक्ष्य है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक अतिरिक्त रूप से 8 मिलियन गेहूं, 10 मिलियन टन चावल और 2 मिलियन टन दालों का उत्पादन किया जाए।

9. गौण कृषि पर तकनीकी सलाहकार समिति

कृषि उत्पादन में तेजी लाने और प्राथमिक उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन करने के प्रयोजन से उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के निमित्त प्रोफेसर डी.एस. वर्मा की अध्यक्षता में 29 मई, 2007 को ‟गौण कृषि को प्रोत्साहन" पर एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया गया है। तकनीकी सलाहकार समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में 15-19 सितम्बर, 2007 को आयोजित की गई थी। समिति की अगली बैठक 28 जनवरी, 2008 के लिए तय की गई है।

10. सरकार ने हाल ही में चार राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के 31 चुनिंदा जिलों में विपद्ग्रस्त किसानों के लिए 16,978.69 करोड़ रुपए का एक पुनर्स्थापना पैकेज मंजूर किया है। इस पैकेज में इन जिलों में संस्थानगत ऋण सहायता, सिंचाई विकास, सूक्ष्म-सिंचाई को प्रोत्साहन, जल-विभाजक विकास, विस्तार सेवाओं, बीज उत्पादन दर बढ़ाने, पशुधन और मत्स्यपालन विकास के सुदृढ़ीकरण के वास्ते प्रधानमंत्री राहत कोष में से राहत शामिल है। 2006-07 के दौरान 7461.63 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जबकि 30 नवम्बर, 2007 तक वस्तुतः 9297.76 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

11. ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों की प्रभाविता और व्यवहार्यता में सुधार लाने तथा उपयुक्त विनियामक तंत्र सुझाने के उद्देश्य से प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अगस्त, 2004 को एक कार्यदल का गठन किया गया। अपनी 4 फरवरी, 2005 की रिपोर्ट में इस कार्यदल ने ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के लिए 14839 करोड़ रुपए की लागत के एक पुनरुद्धार पैकेज का प्रस्ताव किया है जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और सहकारी ऋण संरचना (सीसीएस) यूनिटों के बीच हिस्सेदारी की पेशकश की गई थी। कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी ऋण तंत्र के पुनरुद्धार के वास्ते 14,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सहित एक पैकेज को अंतिम रूप दिया है। यह वित्तीय पैकेज राज्य सरकारों द्वारा सहकारिता सुधार और इस संबंध में एमओयू के निष्पादन के साथ जुड़ा हुआ है।

12. उत्तम बीजों के उत्पादन और वितरण से जुड़ी आधारिक सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण के वास्ते प्रभाग द्वारा दी गई पुनर्रचित स्कीमों की मंजूरी के शानदार परिणाम देखने में आए हैं। इस स्कीम के अधीन ध्यातव्य क्षेत्र में शामिल है : आधारी बीजों के वितरण में सहायता के लिए बीज-गांव कार्यक्रम, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन के लिए सहायता जिसके अधीन (25% की दर से) बैक-ऐण्डेड सब्सिडी दी जानी होती है, बीज कोष/राष्ट्रीय बीज ग्रिड की स्थापना और रखरखाव तथा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम। इस स्कीम के अधीन बुनियादी पक्ष हैं: कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी का प्रयोग और महत्व, संकर बीजों की वृद्धि तथा ऊतक

संवर्द्धन। 10वीं योजना के दौरान 148 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 2007-08 के दौरान इस स्कीम के लिए जीबीएस के रूप में 97.57 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने के अलावा इसी अवधि के दौरान 202.86 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय किया जा चुका है।

13. बीज अधिनियम, 1966 में संशोधनः सरकार ने अगस्त, 2004 में बीज विधेयक, 2004 को मंजूरी दे दी है और यह विधेयक राज्य सभा में दिसम्बर, 2004 में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष 17.2.2005, 21.6.2005, 18.7.2006 और 26.7.2006 को चार मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। संप्रति, यह विधेयक संसदीय स्थायी समिति के यहां भेजा हुआ है। समिति की सिफारिशों के आधार पर विधि मंत्रालय के परामर्श से मंत्रिमंडल टिप्पणी का एक मसौदा तैयार किया गया है। यह मंत्रिमंडल टिप्पणी शीघ्र ही मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की जाएगी।

14. वर्ष 2007-08 के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग ने 8 केन्द्र प्रायोजित स्कीमें और 14 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें कार्यान्वित की थी। वर्ष 2007-08 के लिए बीई के रूप में 910 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसमें पशुपालन के संबंध में चार राज्यों के 31 आत्महत्या संभावित जिलों के विशेष पैकेज के रूप में 170 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

15. विशेष रूप से जलकृषि के क्षेत्र में और अधिक रोजगार का सृजन करने में मत्स्यपालन क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर, 2006 में एक राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और जो मत्स्यपालन से उत्पादन और उत्पादकता इष्टतम बनाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित अनुसंधान और विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हुए अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य अभिग्रहण, संवर्द्धन, प्रसंस्करण और विपणन तथा मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास में अप्रयुक्त क्षमता को साकार करेगा।

16. योजना स्कीमों के निष्पादन का मानीटरन करने के वास्ते इस प्रभाग ने सदस्य स्तर पर कृषि और सहकरिता विभाग (डीएसी), पशुपालन और डेयरी तथा मत्स्यपालन और कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग की केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस) तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) की छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकों का आयोजन किया।

17. किसानों की समस्याएं हल करने के लिए अनुसंधान के प्रति एक नवाचारी अंत-से-अंत दृष्टिकोण निर्मित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक वित्तपोषित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना (एनएआईपी) शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य यह है कि सरकारी संगठनों द्वारा कृषक समूहों, निजी क्षेत्रकों तथा अन्य हितधारकों की भागीदारी से सहयोगात्मक विकास तथा कृषि नवाचारों के प्रयोग के माध्यम से भारतीय कृषि के गरीबी कम करने और आय सृजन के समर्थन में त्वरित तथा संधारणीय रूपांतरण को सुकर बनाया जाए। इस परियोजना की अवधि छः वर्ष है। कुल परियोजना लागत 250 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से विश्व बैंक का हिस्सा 200 मिलियन अमरीकी डालर और भारत सरकार का हिस्सा 50 मिलियन अमरीकी डालर होगा।

18. केन्द्रीय सरकार ने, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों में निष्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः

- आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 19 मई, 2005 को हुई बैठक में राष्ट्रीय बागवानी मिशन को मंजूरी दे दी है तथा इसने 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान पूर्णतः काम करना शुरू कर दिया है।

- सरकार ने एक केन्द्र प्रायोजित "लघु सिंचाई " कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया है, जिससे जल उपयोग कार्यकुशलता सुधारने में मदद मिलेगी।

- नवम्बर, 2006 में राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) का गठन कर लिया गया है।

- जूट प्रौद्योगिकी मिशन को जून, 2006 में मंजूरी दी गई।

- अंतरिक्ष कृषि-मौसम-विज्ञानीय और भू-आधारित प्रेक्षणों (एफएएसएएल) का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादन

का पूर्वानुमान, जिसकी परिकल्पना अंतरिक्ष विभाग और कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तथा अनुमोदन अगस्त, 2006 मास में किया गया था।

- एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम "बांस प्रौद्योगिकी तथा व्यापार विकास के संबंध में राष्ट्रीय मिशन" अक्तूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था।

- केन्द्रीय बागवानी संस्थान की आधारशिला मार्च, 2006 में दीनापुर, नागालैंड में रखी गई। यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी क्षेत्रक के विकास की जरूरतों को पूरा करेगा। इस स्कीम के लिए 2007-08 में 4 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

- "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता" नामक स्कीम के तहत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (एटीएमए) की स्थापना के लिए देश भर के भीतर 552 जिले अभिज्ञात किए गए हैं जिनमें से 30 सितम्बर, 2007 तक 459 जिलों में एटीएमए की स्थापना कर दी गई है। फार्म स्कूलों को बढ़ावा देकर उन्नतिशील किसानों के समाकलन द्वारा इस कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

- किसानों पर एक राष्ट्रीय आयोग का 2004 में गठन किया गया। इसकी प्रमुख सिफारिशों, मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के विचारों और सुझावों के आधार पर किसानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति, 2007 मंजूर कर दी गई है और इसके शीघ्र घोषित किए जाने की संभावना है।

19. वर्ष 2007-08 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के संबंध में राज्य वार्षिक योजनाओं पर कार्यदल की चर्चा पूरी कर ली गई है।

4.2 पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास

1. पिछड़ा वर्ग और जनजातीय कल्याण प्रभाग का कार्य प्रमुख रूप से, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की अधिकारिता के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में समग्र नीति और मार्गदर्शन प्रदान करना और साथ ही अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की समाजार्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए आयोजना के प्रभावी साधन के रूप में क्रमशः जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) तैयार और कार्यान्वित करने के वास्ते सलाह प्रदान करना है।

2. एक दीर्घावधिक प्रक्रिया के रूप में सशक्तिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित त्रि-आयामीय नीति अपनाई गईः (i) बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की सहज सुलभता प्रदान करने के अलावा, विषमताओं व अन्य समस्याओं जैसी विद्यमान व सतत असमानताओं को दूर करके सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक विकास के लिए एक प्रमुख कारक होने की वजह से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है; (ii) रोजगार-सह-आयसृजन कार्यकलाप प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सशक्तिकरण, जिसका अंतिम उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनाना है; और (iii) विधायी समर्थन, सकारात्मक कार्रवाई जागरूकता निर्माण/संवेदीकरण और लोगों की मानसिकता में अपेक्षित परितर्वन की मदद से, उनके विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय।

3. सभी अन्य संबंधित विकसित क्षेत्रों के समन्वय के साथ प्रभाग का कामकाज इस बुनियादी दृष्टिकोण पर केन्द्रित और मार्गदर्शित रहा है इन समूहां को, उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं द्वारा मार्गदर्शित उनके समाजार्थिक विकास वाले विशेष रूप से, इन समूहों को शिक्षा, स्वस्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सेवाएं, आर्थिक विकास के लिए नूतनता के साथ, सहज सुलभ कराने का कार्य पूरा करने के लिए, कार्यक्रमों को उचित भारांश प्रदान करते हुए, उनकी समाजार्थिक स्थिति में समग्र रूप से सुधारप्राप्त किया जाए।

4. आलोच्य अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली

11वीं पंचवर्षीय योजना नीतियां तैयार करने के संदर्भ में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जनजातियों की अधिकारिता संबंधी संचालन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

5. इस प्रभाग ने सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों जैसेकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की दिशा में पहले से चली आ रही नीतियों और कार्यक्रमों के दिशा-अनुकूलन/युक्तियुक्तकरण का काम जारी रखा ताकि उन्हें समाज के शेष हिस्से के बराबर लाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान इस प्रभाग द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) का विकास

6. विगत पांच वर्षों (2002-07) के दौरान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए 2001 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 1521.50 करोड़ रुपए और ओबीसी के लिए 177.50 करोड़ रुपए का आबंटन शामिल है (बाकी समाज कल्याण क्षेत्रक के लिए)। सामान्य आबादी और अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बीच गरीबी के अंतर को घटाने व कम करने तथा इन सामाजिक रूप से सुविधाविहीन समूहों को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

7. प्रभाग ने, इन सुविधाविहीन समूहों के कल्याण और विकास के उद्देश्यों वाली स्कीमों से संबंधित मंत्रिमंडल टिप्पणी/ईएफसी तथा सीओएस ज्ञापन की भी जांच की और टिप्पणियां प्रदान की। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक कल्याण मुद्दों से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव/परियोजनाओं की, समग्र नीतिगत मार्गनिर्देशों की दृष्टि से उनकी प्रासंगिकता तथा वित्तीय प्रभाव और परिणामों का विस्तार करने की दृष्टि से जांच की गई।

8. 27 जून, 2005 और 9 दिसम्बर, 2006 को आयोजित एनडीसी की 51वीं और 52वीं बैठकों में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्यों को अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) पर स्वतंत्र विकास दस्तावेज तैयार करने चाहिए और अपने-अपने राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में निधियां आबंटित करनी चाहिए। एससीएसपी और टीएसपी पर स्वतंत्र दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्यों को आग्रह करने के निमित्त प्रभाग के अधिकारियों ने राज्यों का दौरा भी किया। इस बात पर पुनः बल दिया गया कि एससीएसपी और टीएसपी कार्यनीतियां वार्षिक योजनाओं और साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग होनी चाहिए जिससे कि समाजार्थिक विकास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पूर्ण समावेशन किया जा सके।

अनुसूचित जनजाति विकास

9. वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान योजना आयोग ने, जनजातियों को सशक्त बनाने की दृष्टि से उनके समाजार्थिक विकास वाले विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित कार्रवाई के संबंध में जनजातीय मामले मंत्रालय के साथ निकट व सतत रूप से विचार-विमर्श किया। अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने वाले विभिन्न समाजार्थिक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 503 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से, प्रभाग ने लक्ष्य समूहों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उनके विकास मूल्यों और संगतता को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना और नीति तैयार और समन्वित की।

10. प्रभाग ने, विभिन्न पहलुओं, यथा वन-ग्रामों के विकास पर, जनजातीय तथा आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास के लिए आदिवासियों और रूढ़िवादी एवं विकास योजनाओं (सीसीडी) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान चर्चा करने के लिए जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा

आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लिया। 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 75 विनिर्धारित पीटीजी के विकास को वार्षिक योजना में प्राथमिकतापूर्ण महत्व दिया जाता रहा। प्रभाग ने, विभिन्न पीटीजी विशिष्ट विकास परियोजना प्रस्तावों की जांच करने और जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सिंचाई संबंधी आधारभूत ढांचा निर्मित करने के संबंध में जनजातीय मामले मंत्रालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उठाए जाने वाले प्रभावी और समुचित उपायों का सुझाव दिया, जिन्हें ऐसी परियोजनाएं आयोजित करने के लिए प्रायोजित किया गया है।

11. वर्ष के दौरान प्रभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अनेक मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी के लिए प्रस्तावों की जांच की और समुचित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

अल्पसंख्यक कल्याण

12. वार्षिक योजना 2007-08 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुसरण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए—मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और योग्यता-एवं-साधन आधारित स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के वास्ते छात्रवृत्ति स्कीमें तैयार कीं। प्रभाग ने स्कीमों के मसौदे पर टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। आलोच्य अवधि के दौरान स्कीमों के अनुमोदन के लिए एसएफसी/ईएफसी तथा मंत्रिमंडल/सीसीईए टिप्पणियों पर अभिमत व्यक्त किए गए।

13. भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक विभाजन के प्रभावों पर डॉ. भाल चंद्र मुंगेकर, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अंतःमंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्यबल ने 8 नवम्बर, 2007 को प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

अन्य विशेष समूह

14. सामाजिक कल्याण प्रभाग ने 10वीं योजना की आगे वर्णित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे- (i) विकलांग व्यक्तियों (लोको मोटर, दृष्टि, श्रवण, वाक् और मानसिक मंदताएं) का सशक्तिकरण; (ii) सामाजिक कुपथगामियों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों, मद्यपान करने वालों, भिखारियों आदि का सुधार; तथा (iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एम/एसजे तथा ई) तथा केन्द्र और राज्य सरकारों—दोनों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से अन्य सुविधाविहीनों जैसेकि वृद्धजनों की देखभाल जिससे कि इन लक्षित समूहों के कल्याण, विकास और अधिकारिता के प्रतिलक्षित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रभाग ने वार्षिक योजना दस्तावेज 2007-08 में समावेशन के लिए "अन्य विशेष समूह" पर एक विस्तृत अध्याय तैयार किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) तैयार करने की प्रक्रिया में इस प्रभाग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संबद्ध प्रभागों द्वारा आयोजित कार्यदलों की विभिन्न बैठकों में भाग लेने के अलावा संचालन समिति की बैठकों का आयोजन भी किया है।

15. वार्षिक योजना 2007-08 में स्वैच्छिक कार्रवाई के प्रभावी सहयोजन और संपूर्ति के माध्यम से इन सुविधाविहीन समूहों की विशेष समस्याओं और जरूरतों की ओर ध्यान देने के उद्देश्य से समन्वित प्रयासों और नवाचारी हस्तक्षेपणीय उपायों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के समेकन और सुदृढ़ीकरण की ओर प्रमुख ध्यान दिया जाता रहा है।

16. विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास और सशक्तिकरण विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 के अनुसार सरकार की एक सांविधिक जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने, यथासंभव अधिकाधिक विकलांगों को सामर्थ्यवान बनाने की पिछली प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम हाथ में लिए हैं जिससे कि ऐसे विकलांग व्यक्ति राष्ट्रीय और आर्थिक विकास में सक्रिय, आत्मनिर्भर और उत्पादनशील भागीदार बन सकें और इसके अलावा मंत्रालय पीडब्ल्यूडी अधिनियम को और अधिक विकलांग-अनुकूल बनाने के लिए इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहा है।

17. इस बात को स्वीकार करते हुए कि मद्यपान और नशीली दवाओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों जैसे सामाजिक कुपथगामी आदतन दुर्व्यसनी होने की बजाय हालात और परिस्थितिगत दबावों का शिकार होते हैं, वार्षिक

योजना 2007-08 वर्ष 1985-86 से मद्यनिषेध तथा दवाओं के दुरूपयोग के निवारण की स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करता रहा है। इस स्कीम के अधीन मंत्रालय नशामुक्ति तथा नशीली दवाओं का प्रयोग करने वालों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाने के वास्ते स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान कर रहा है। स्वैच्छिक संगठन सामाजिक कुपथगामियों को दंडात्मक वातावरण की बजाय मानवीय ढंग से सुधारने के मुख्य उद्देश्य से उपचार-एवं-परामर्श तथा जागरूकता केन्द्र संचालित कर रहे हैं।

18. इस प्रभाग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनेक व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/ स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) प्रस्तावों की परियोजना मूल्यांकन और प्रबंध प्रभाग (पीएएमडी) के निकट परामर्श से जांच की है। साथ ही इस प्रभाग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर जैसेकि आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए टिप्पणियों (सीसीईए) पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

19. विषय प्रभाग ने वर्ष 2007-08 के लिए सामाजिक कल्याण क्षेत्रक के तहत विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की छमाही निष्पादन की गहन समीक्षा की। निष्पादन समीक्षा बैठकें योजना आयोग के सदस्य डॉ. बी.सी. मुंगेकर की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि अपने ध्यातव्य क्षेत्रों की पहचान करने, भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तय करने तथा प्रगति का मानीटरन करने में राज्यों की मदद करने में मंत्रालय को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मंत्रालय को प्रत्येक स्कीम का निर्धारित प्रपत्रों में मानीटरन और मूल्यांकन करने के लिए एक ऐसा प्रभावी तंत्र तैयार करने की सलाह दी गई जिसका प्रयोग विशेष रूप से राज्य सरकारों/एनजीओ आदि से सुव्यवस्थित आधार पर डाटा प्राप्त करने के लिए किया जा सके। मंत्रालय के मानीटरन तंत्र का सुधार करने और वार्षिक कार्ययोजनाएं (मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजे जाने के लिए) जिनमें बजटीय (भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां) और बजट-भिन्न मदें (नीतियों संबंधी जानकारी) शामिल होगी तैयार करने की पिछली परिपाटी को पुनः चालू करने के लिए एक अन्य सुझाव दिया गया। सामाजिक कल्याण प्रभाग ने राज्य क्षेत्रक स्कीमों तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के छमाही निष्पादन की समीक्षा भी की।

20. वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में एसजे तथा ई मंत्रालय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। की गई प्रगति के साथ-साथ मंत्रालय के प्रस्तावों की समीक्षा की गई और योजना समन्वय प्रभाग को मंत्रालय के लिए परिव्यय को अंतिम रूप देने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से आवश्यकता-आधारित वित्तीय जरूरतों का आकलन किया गया। बाद में मंत्रालय के परामर्श से वार्षिक योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय के स्कीम-वार आबंटन भी तैयार किए गए। मंत्रालय को विभिन्न स्कीमों के वास्ते मानीटरन-योग्य वार्षिक और छमाही भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तय करने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई है और राज्य सरकारों को अपने वित्तीय और भौतिक—दोनों तरह के निष्पादन में सुधार लाने की सलाह दी गई।

21. विकलांगों और वृद्धजनों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण के लिए सलाहकार (एसजे) की अध्यक्षता में राज्य वार्षिक योजना (2007-08) कार्यदल बैठकें/चर्चाएं आयोजित की गईं जिनमें राज्य प्रतिनिधियों और एसजे तथा ई के नोडल मंत्रालय ने भाग लिया। विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा कार्यदलों ने प्रत्येक राज्य की वित्तीय जरूरतों का आकलन भी किया और क्षेत्रक के लिए संसाधनों के आबंटन की सिफारिश की तथा संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार की गईं जिन्होंने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए राज्य मुख्यमंत्रियों और उपाध्यक्ष, योजना आयोग के बीच बैठकों के लिए इन्पुट प्रदान किए।

22. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राज्यों की स्कीमों की छमाही निष्पादन समीक्षा की पुनरीक्षा करते समय प्रभाग ने मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के प्रभावी और सामयिक कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए निष्पादन-बजट प्रक्रिया को ध्यान में रखा। हालांकि सामाजिक कल्याण क्षेत्रक के तहत अधिकांश स्कीमों का कुल मिलाकर ऐसा कोई प्रत्यक्ष दृश्य और मापन-योग्य प्रभाव नहीं होता है जिसका परिमाणन किया जा सके तो भी मंत्रालय और राज्यों के साथ विभिन्न चर्चाओं के दौरान व्यय की प्रगति तथा भौतिक लक्ष्यों की प्रगति पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

23. साथ ही प्रभाग ने योजना आयोग से अनुदान मांगने

वाले शैक्षणिक संस्थानों और एनजीओ द्वारा सुविधाविहीन समूहों/अन्य विशेष समूहों के कल्याण और विकास के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं की जांच की और उनके संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। इसके अलावा प्रभाग ने संसद प्रश्नों, वीआईपी संदर्भों से संबंधित कार्य की देखभाल की और प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा विभिन्न मौकों पर दिए गए भाषणों के लिए इन्पुट उपलब्ध कराए। देश के विभिन्न भागों में पहले से चले आ रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों की प्रगति और उनके प्रभाव की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभाग के अधिकारियों ने अनेक क्षेत्रीय दौरे किए।

4.3 भारत निर्माण

(i) सदस्य-सचिव, योजना आयोग ने भारत निर्माण के घटकों जैसेकि सिंचाई, पेयजल, विद्युतीकरण तथा टेलीफोन संयोज्यता के संबंध में मई, 2007 के दौरान आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

(ii) योजना आयोग के सदस्य श्री बी. के. चतुर्वेदी ने अगस्त, 2007 के दौरान भारत निर्माण के घटकों जैसेकि सड़कों, पेयजल और विद्युतीकरण की प्रगति की समीक्षा की।

(iii) एक सदस्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने सड़क क्षेत्रक के तहत उन्नति में तेजी लाने और भारत निर्माण लक्ष्यों को 2009 तक पूरा किए जाने के संबंध में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया।

(iv) भारत निर्माण घटकों के लिए परिव्यय में बजट 2007-08 में 2006-07 में परिव्ययों की तुलना में 31.6ऽ की वृद्धि की गई है। अलग-अलग घटकों के लिए आबंटन 24ऽ से लेकर 52ऽ तक बढ़ा दिया गया है।

(v) नाबार्ड के माध्यम से भारत निर्माण के सड़क घटक के लिए सहायता की विशेष खिड़की वित्तीय वर्ष 2007-08 के पूर्वार्द्ध में चालू कर दी गई।

(vi) भारत निर्माण के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना अध्याय तैयार किया गया और उसे अंतिम रूप दिया गया। साथ ही भारत निर्माण के वार्षिक योजना 2007-08 अध्याय को भी अंतिम रूप दिया गया।

(vii) क्योंकि भारत निर्माण सरकार के अग्रणी कार्यक्रम का एक अंग है इसलिए योजना आयोग द्वारा छमाही प्रगति समीक्षा के एक अंग के रूप में और साथ ही वार्षिक योजना के निर्माण के लिए कार्यदल चर्चा के दौरान अलग-अलग राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

(viii) भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है।

4.4 संचार और सूचना

1. संचार और सूचना प्रभाग मुख्य रूप से, दूरसंचार, डाक, सूचना और प्रसार तथा अर्थव्यवस्था के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रकों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा निष्पादित किए गए कार्य की प्रमुख मदों में विभिन्न नीतिगत मुद्दों की जांच करना, क्षेत्रकों की निष्पादन समीक्षा और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) तथा साथ ही 2007-08 की वार्षिक योजना तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने से संबंधित प्रारंभिक कार्य सम्मिलित था। उपर्युक्त के अलावा यह प्रभाग योजना आयोग की वेबसाइट और साथ ही सूचना द्वार के प्रबंध की देखभाल करता है। योजना आयोग में दो आईटी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी देखभाल भी सी तथा आई प्रभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, आरटीआई प्रकोष्ठ भी प्रभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा है तथा श्री एस.के. मंडल, उप-सलाहकार (सी तथा आई), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

2. सी तथा आई प्रभाग ने उन विभागों/मंत्रालय के लिए जोकि इस प्रभाग के कार्यक्षेत्र के अधीन आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) को तैयार करने के लिए गठित सी तथा आई संबंधी संचालन समिति के संबंध में विभिन्न

भारत निर्माण की संचयी भौतिक उपलब्धियां-अप्रैल, 2005 से अक्तूबर, 2007 तक
(रुपए करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	कुल भारत निर्माण लक्ष्य	कुल उपलब्धि अक्तूबर, 2007 तक	प्रतिशत उपलब्धि	पूरा किया जाने वाला बकाया	अक्तूबर, 2007 तक प्रदान की गई कुल राशि
1	**सिंचाई** (मिलियन हेक्टेयर में)	10	3.138 (3/07 तक)	31.3	6.862	7168.53
2	**पेयजल** बस्तियों की संख्या (क) कवर न की गई (ख) पिछड़ गई (ग) गुणवत्ता प्रभावित योग	55067 3.32 लाख 2.17 लाख **6.04 लाख**	28048 192144 12198 232390	50.9 172.6 5.6	27019 139460 204770 371249	9395.6
3	**सड़कें** (क) कवर की गई बस्तियां (संख्या में) (ख) नई संयोज्यता (किलोमीटर में)	66802 146185.34	16715 49117	25.0 33.6	50087 97068.34	16968.85
	(ग) सड़क स्तरोन्नयन (किलोमीटर में)	194130.68	62424	32.2	131706.68	
4	**आवास#** निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या	60 लाख मकान	32.72	54.5	27.28	7531.02
5	**विद्युतीकरण** (क) बिना बिजली के ऐसे गांव जिन्हें बिजली से जोड़ा जाना है	1,25,000	44211	35.4	80789	6214.66
	(ख) ऐसे बीपीएल परिवार जिनके घरों का विद्युतीकरण किया जाना है	230 लाख	(12/07 तक) 17.17 लाख	7.5	212.83 लाख	
6	**टेलीफोन संयोज्यता जोड़े जाने वाले** गांवों की संख्या*	66822	43225	64.7	23597	88.57

बैठकों/संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय किया।

3. इस प्रभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) तैयार करने के लिए आईटी, डाक, दूरसंचार तथा आई एवं बी संबंधी कार्यदलों और उनके विभिन्न उप-समूहों का समन्वय किया और उन्हें इन्पुट प्रदान किए। 11वीं पंचवर्षीय योजना को दिसम्बर, 2007 में आयोजित एनडीसी की 54वीं बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

1. दूरसंचार

4. भारतीय दूरसंचार नेटवर्क, 264.77 मिलियन कनेक्शन (31.11.2007 की स्थिति के अनुसार) के साथ, संसार में पांचवां सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। यह क्षेत्रक एक प्रमुख समर्थनकारी सेवा क्षेत्रक है, जो तीव्र वृद्धि तथा देश के विभिन्न अन्य क्षेत्रकों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में विशाल वृद्धि से दूरसंचार क्षेत्रक के विकास को और बढ़ावा मिला है और इस प्रकार इसने वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की है। इस क्षेत्रक ने, जो वर्ष 2002-03 तक 20 से 25% के बीच वृद्धि कर रहा था, पिछले दो वर्षों के दौरान 40 से 45% की औसत दर से ऊंची गति से प्रगति पर है। यह तीव्र वृद्धि सरकार द्वारा लिए गए समय पर विभिन्न सक्रियातापूर्ण तथा सकारात्मक निर्णयों और साथ ही, सरकारी क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक के योगदान के फलस्वरूप भी संभव हुई है। प्राप्त की गई दूर-सघनता (30.11.2007 तक) 23.21% थी जिसमें से शहरी दूर-सघनता 60.07% और ग्रामीण दूर-सघनता 7.89% है।

5. नेटवर्क विस्तार के क्षेत्र में इस क्षेत्रक की प्रगति को यह तुलना करके देखा जा सकता है कि नवम्बर, 2006 तक टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 183 मिलियन थी। इस संख्या की तुलना में नवम्बर, 2007 तक टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 264.77 मिलियन है जोकि 44.68% वृद्धि की परिचायक है। बेतार उपभोक्ताओं की संख्या स्थिर लाइन उपभोक्ताओं से बढ़ गई है। मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 225.46 मिलियन से अधिक हो गई है जबकि स्थिर लाइन कनेक्शनों की संख्या मात्र लगभग 39.31 मिलियन है।

6. वर्ष के दौरान दूरसंचार क्षेत्रक में जिन प्रमुख नीतिगत मुद्दों/टिप्पणियों/स्कीमों/परियोजनाओं की जांच की गई उनके संबंध में संक्षेप में नीचे बताया गया है:

i. दूरसंचार विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों के आबंटन के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों को अंतिम रूप देना और योजना एनडीसी द्वारा मंजूर की गई।

ii. दूरसंचार विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 को अंतिम रूप देना, निधियों का आबंटन।

iii. रक्षा और सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए समर्पित और पूर्णतः सुरक्षित संचार नेटवर्क।

iv. स्पर मार्ग (यूएमए तथा एन) के माध्यम से मुख्य भूमि और अंडमान तथा निकोबार (ए तथा एन) द्वीपसमूहों के बीच समुद्रतलीय केबल।

v. विभिन्न स्थानों में छः दूरसंचार उत्कृष्टता केन्द्रों (सीआईई) की स्थापना।

vi. दूरसंचार के संबंध में जम्मू तथा कश्मीर के विकास संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट।

vii. स्पेक्ट्रम के चार्जिंग और आबंटन से संबंधित विभिन्न मुद्दे।

viii. सर्वव्यापी सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से जिन विभिन्न नई पहलों का शुरू किए जाने का प्रस्ताव है वे इस प्रकार हैं : जैसेकि (i) ग्रामीण क्षेत्रों को मोबाइल सेवाओं के लिए साझे आधारिक सहयोग की स्कीम का दूसरा चरण; (ii) ग्रामीण तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा मिनिकाय द्वीपसमूह और जम्मू तथा कश्मीर के लेह/लद्दाख क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं/ब्राडबैंड संयोज्यता के प्रावधान के लिए आधारिक-तंत्र का निर्माण तथा (iii) गांवों को चरणबद्ध रूप में ब्राडबैंड संयोज्यता का प्रावधान; (iv) ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में मार्गदर्शी

परियोजना के रूप में नए प्रौद्योगिकीय विकास पर आधारित उत्पादों/सेवाओं की स्थापना; (v) सामान्य ग्रामीण आधारिक आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क संवर्द्धन के सुदृढ़ीकरण में यूएसओएफ पहलें; (vi) ग्रामीण दूरसंचार में गैर-परंपरागत सर्वेक्षण के प्रयोग के लिए यूएसओएफ से वित्तीय सहायता।

ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था

7. सर्वव्यापी सेवा दायित्व नीति 1 अप्रैल, 2002 से लागू हो गई। ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) को "भारत निर्माण" के तहत लाया गया है ताकि कवर न हुए 66,822 गांवों को कवर किया जा सके, जिनमें उपग्रह मीडिया के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले 14,183 गांव शामिल हैं, कवर न हुए 66,822 गांवों में वीपीटी की व्यवस्था करने के लिए एक संकेन्द्रित कार्यक्रम शुरू किया गया है। इनमें से 51973 गांवों में नवम्बर, 2007 तक वीपीटी की व्यवस्था कर दी गई थी। शेष 14849 गांवों को जून, 2008 तक कवर कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए निधियों का उपयोग यूएसओ निधि से किया जा रहा है जिसे विशेष रूप से ग्राम टेलीफोन अवस्थापना के लिए निश्चित किया गया है।

II. डाक क्षेत्रक

8. भारतीय डाक प्रणाली, डाकघरों की संख्या में विश्व की विशालतम प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत 1.55 लाख डाकघरों से अधिक का नेटवर्क मौजूद है जिसमें से 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। डाक प्रणाली लगभग 5.4 लाख कर्मचारियों की सहायता से चलाई जा रही है। 11वीं योजना में अपने ग्राहकों को वहनीय मूल्यों पर विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने के वास्ते मानव संसाधन विकास सहित प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है।

9. 2005-06 के दौरान कुल राजस्व 50,234.88 मिलियन रुपए था जबकि निवल कार्यकारी व्यय 62,333.72 मिलियन रुपए था जिस कारण 12098.84 मिलियन का अंतराल रह गया। डाक राजस्व में 13.35% तक की वृद्धि हुई जबकि बजटीय घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में 12.44% की कमी आई।

10. वर्ष 2007-08 के दौरान (दिसम्बर, 2007 तक) डाक विभाग से संबंधित निम्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं/स्कीमें/नीतिगत मुद्दों की इस प्रभाग में जांच की गई:

(1) डाक विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों के आबंटन के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया तथा योजना को एनडीसी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

(2) डाक विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों के आबंटन के संबंध में वार्षिक योजना 2007-08 को अंतिम रूप दिया गया।

(3) "बड़े शहरों के लिए डाक ले जाने के वास्ते चालक दल सहित हवाई जहाज पट्टे पर लेने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन - पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाक के त्वरित परिवहन के लिए विभाग ने पट्टे पर एक भारवाही जहाज पहले ही पट्टे पर ले लिया है (जोकि केवल अगस्त, 2007 से चालू हो सका है) जिससे कि पूर्वोत्तर में उसी स्तर की डाक सेवा उपलब्ध कराई जा सकी जैसेकि शेष भारत में उपलब्ध कराई जाती है। भारत के प्रमुख शहरों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए चालक दल सहित तीन और हवाई जहाज पट्टे पर लेने के लिए एक अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(4) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2007 पर मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी के संबंध में विभिन्न मुद्दों की जांच की गई जिससे कि एक अग्रगामी कानून द्वारा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में संशोधन किए जा सके हैं। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल में सक्रिय रूप से विचाराधीन है जिससे कि डाक सेवाओं का विस्तार विश्वस्तरीय सेवा के समतुल्य नई डाक अवधारणा के अनुसार किया जा सके और ग्राहक को वहनीय मूल्य पर सेवा प्रदान की जा सके।

(5) एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) जोकि डाक

संपदाओं के इष्टतम विकास और प्रबंध के लिए सीमित दायित्व सहित एक पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी होगा, स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी।

(6) राष्ट्रीय डाटा केन्द्र - राष्ट्रीय डाटा केन्द्र से संबंधित कार्य भी पूर्ति की उन्नत अवस्था में है और आशा है कि वह वर्ष के दौरान काम करना आरंभ कर देगा। यह डाटा केन्द्र एक प्रभावी एमआईएस विकसित करके कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्क निर्माण के माध्यम से उपलब्ध डाटा का प्रयोग करेगा। यह डाटाबेस नीति आयोजना, निर्णय लेने और साथ ही ग्राहकों को जोकि वित्तीय सेवा सहित आईटी समर्थित सेवाओं की मांग करते हैं मूल्य-संवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक मूल्यवान स्रोत के रूप में काम करेगा।

III. सूचना प्रौद्योगिकी

11. विश्व एक प्रौद्योगिकी क्रांति के दौर से गुजर रहा है और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के इर्द-गिर्द केन्द्रित है। विगत कुछ वर्षों के दौरान अनेक उपायों से, विकासात्मक लक्ष्यों की दिशा में जैसेकि निर्धनता उपमशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक संवर्धित सुलभता, और लैंगिक असमानताएं, कार्य करने में आईसीटी के प्रयोग की क्षमता प्रदर्शित करने में मदद मिली है।

12. निर्धनता उपशमन कार्यक्रमों से आईसीटी को मजदूरी रोजगार और लघु उद्यमशीलता के लिए अवसर बढ़ाने में मदद मिली है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से मात्रा बढ़ाने में और संगत जानकारी की समय पर उपलब्धता (जैसे कि किसानों के लिए सर्वाधिक प्रचलित कीमतों, मछेरों के लिए मत्स्य स्थलों का लगाने, मौसम रिपोर्ट आदि का विवरण) के जरिए लघु उत्पादकों को उनके द्वारा अर्जित प्रतिफल की दुर्बलता को घटाने में भी मदद मिली है। आईसीटी, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को सीधे ही लाभान्वित करके तथा महिलाओं के लिए सेवाएं प्रदान करने में सुधार करके भी लैंगिक विषमताओं को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों की तुलना में भारतीय आईटी-आईटीईएस क्षेत्रक में महिला कर्मचारियों के अपेक्षाकृत उच्च अनुपात में भी परिलक्षित हैं।

13. वर्ष 2006-07 ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पुनर्वैधीकरण देखा - भारत की भूमिका की परिपक्व स्वीकृति द्वारा प्रेरित कारोबार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (आईटी-बीपीओ) विकास कथा और वैश्विक सेवा व्यापार में बढ़ता हुआ महत्व। उद्योग निष्पादन में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा आईटी समर्थित सेवाओं की निरंतर उन्नति छाई रही और वर्ष 2006-07 में भी उसमें शानदार उन्नति हुई। 2006-07 में भारतीय इलेक्ट्रानिक्स और आईटी उद्योग का उत्पादन अनुमानतः 245,600 करोड़ रुपए का होगा और इस प्रकार 29.1% की वृद्धि दर्ज की जाएगी जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 5% से उच्चतर वृद्धि दर का परिचायक है। 2006-07 के दौरान इलेक्ट्रानिक्स तथा आईटी का निर्यात अनुमानतः 153,300 करोड़ रुपए का होगा जबकि 2005-06 में 113,725 करोड़ रुपए का हुआ था और इस प्रकार लगभग 35% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भारत से साफ्टवेयर और आईटीईएस निर्यात जोकि वर्ष 2003-04 में 12.9 बिलियन अमरीकी डालर का था वह 2005-06 में बढ़कर 23.6 बिलियन अमरीकी डालर का हो गया।

14. जीडीपी में आईटी उद्योग का अनुपात जोकि 2005-06 में 4.8% था, वह 2006-07 में बढ़ कर 5.4% हो गया। भारत में मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार आईटी तथा आईटीईएस क्षेत्रक में लगे हुए व्यावसायिकों की संख्या अनुमानतः 1.63 मिलियन है।

15. सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने आगे वर्णित क्षेत्रों में कतिपय केन्द्रित पहलें की हैंः अभिशासन, दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा, भाषा प्रौद्योगिकी विकास, जैव सूचना विज्ञान, नैनो-प्रौद्योगिकी, जम्मू तथा कश्मीर में सामुदायिक सूचना केन्द्रों की स्थापना; जन साधारण के लिए कम लागत के आईसीटी साधनों का प्रसार, आईटी सुरक्षा, साइबर शिक्षा, उच्च निष्पादन कंप्यूटरीकरण तथा विशाल पैमाने के एकीकृत परिपथ डिजाइन के क्षेत्र में जनशक्ति विकसित करना।

16. दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष के दौरान जिन प्रमुख नीतिगत मुद्दों/टिप्पणियों/स्कीमों/परियोजनाओं की जांच की गई उनका संक्षेप में वर्णन नीचे किया गया हैः

(1) आईटी विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों के आबंटन के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया और एनडीसी द्वारा योजना मंजूर कर दी गई है।

(2) आईटी विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 को अंतिम रूप देना, निधियों का आबंटन।

(3) मेगाफेब की स्थापना से संबंधित नीतिगत लेख।

(4) राज्य डाटा केन्द्र के संबंध में मंत्रिमंडल टिप्पणी का प्रारूप।

(5) एनईजीपी के लिए क्षमता निर्माण परियोजना पर ईएफसी ज्ञापन।

(6) योजना आयोग की दो परियोजनाओं की समीक्षा अर्थात 600 जिलों का बहुस्तरीय जीआईएस मानचित्रण तथा 6 शहरों (अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद) से संबंधित कंप्यूटर सहाय्यित डिजिटल मानचित्रण परियोजना एनआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(7) योजना भवन में वीडियोवाल की स्थापना।

(8) राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क पर ईएफसी प्रस्ताव।

(9) पीपीपी पद्धति में 20 आईआईटी स्थापित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव।

(10) ई-अभिशासन के संबंध में 2007-08 के लिए एसीए प्रावधान पर कार्रवाई।

(11) स्कूलों में आईसीटी के लिए प्रस्ताव।

(12) राष्ट्रीय मानचित्र नीति पर प्रस्ताव।

(13) यूआईडी परियोजना पर प्रासेस समिति की विभिन्न बैठकों का समन्वय।

17. इस प्रभाग ने निम्न की जांच की हैः वार्षिक योजना 2007-08 के प्रस्ताव, वार्षिक योजना 2006-07 की निष्पादन समीक्षा रिपोर्टें, छमाही (अप्रैल-सितम्बर, 2007) निष्पादन समीक्षा रिपोर्टें तथा सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के वार्षिक योजना 2007-08 प्रस्ताव।

18. सी तथा आई प्रभाग ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की और एनकेसी की सिफारिशों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक टिप्पणी तैयार की।

IV. सूचना और प्रसारण

19. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तीन स्थूल वर्गीकृत क्षेत्रक हैंः सूचना, फिल्म और आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के दोहरे स्कंधों सहित प्रसारण। सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के नवीन प्रयोग की अनिवार्य जरूरत ने प्रतिस्पर्धा की भावना सहित सूचित करने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने को लेकर विभिन्न मीडिया यूनिटों के बीच कठोर प्रतियोगिता का रूप ले लिया है। पीएसयू और सरकार के सामने न्यूनतम लागत पर हितकारी मनोरंजन के माध्यम से समाजार्थिक विकासात्मक जानकारी प्रदान करने का अत्यंत कठिन काम आ पड़ा है। परंपरागत मीडिया यूनिटों और प्रसारण स्कंधों की भूमिका इस तथ्य के चलते बहुत दूरगामी है कि वे दोनों मिलकर सेवाओं की एक ऐसी विशाल स्टोकरी- उपलब्ध कराते हैं जोकि जनता को उसकी पसंदीदा सेवाएं उपलब्ध कराके, उनके विचारों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करके और विभिन्न मीडिया यूनिटों के माध्यम से उन्हें सूचना उपलब्ध कराके जनता को सामर्थ्यवान बनाते हैं। वर्ष 2007-08 11वीं योजना का शुरू का वर्ष है। 11वीं पंचवर्षीय योजना सूचना, प्रसारण और साथ ही फिल्म क्षेत्रक को एक आधुनिक, प्रभावी और संवेदनशील निकाय के रूप में बदलने का लक्ष्य लेकर चलेगी। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपणीय उपाय लागू करने के अलावा मनोरंजन और मीडिया उद्योग में जिसकी अगुवाई निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही है, निवेश के बाधक तत्वों की ओर प्रभावी रूप से ध्यान दिया जाना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना में अधिकांश स्कीमें परंपरागत प्रणाली और प्रौद्योगिकी को नई सर्वाधिक प्रभावी डिजिटल प्रौद्योगिकी में बदलने के लिए

लाई गई हैं। वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 475 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता का आबंटन किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तीन स्थूल क्षेत्रक स्थितियां नीचे प्रस्तुत हैं।

सूचना क्षेत्रक

20. सूचना क्षेत्रक को 42.55 करोड़ रुपए प्रदान किए गए जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पीआईबी को 10.13 करोड़ रुपए; संगीत और नाटक प्रभाग को 4.00 करोड़ रुपए; डीएवीपी को 26.01 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। आधुनिक आईसीटी आधारित निष्पादन लागू करने के माध्यम से सूचना मीडिया परंपरागत प्रणाली को चुस्त बना दिया गया है जिससे कि लोगों को सामाजिक मुद्दों के बारे में और अधिक जागरूक बनाया जा सके। 2007-08 के दौरान जन सूचना अभियान के माध्यम से सरकारी अग्रणी कार्यक्रमों के बारे में विकासात्मक जानकारी और इस प्रकार सामाजिक मुद्दों संबंधी जागरूकता में सुधार लाने पर केन्द्रित ध्यान दिया गया। संगीत और नाटक प्रभाग का "जीवंत मीडिया" लोक और परंपरागत निष्पादन रहे हैं और समाज के विभिन्न अथवा उप-खंडों को समीचीन रूप से बांधने के लिए उनका प्रभावी प्रयोग किया गया है जिसके फलस्वरूप सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों के साथ देश के बाकी हिस्से की सांस्कृतिक एकता बनी रही है।

फिल्म क्षेत्रक:

21. फिल्म क्षेत्रक, दृश्य मीडिया के जरिए सूचना, शिक्षा और अभिप्रेरण प्रदान करने के लिए अपनी पहलों के माध्यम से एक अग्रणी भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकियों के उभरने के फलस्वरूप मनोरंजन उद्योगों में समूचे विश्व के भीतर भारी उछाल आया है और सरकार के एकाधिकार में जबरदस्त कटौती हुई है। सरकार की भूमिका मुख्यतः अनुकूल नीतिगत मुद्दे, सरकारी-निजी भागीदारी व्यवस्था आदि लागू करने के एक सुसाध्यकारी निकाय के रूप में रही है। विभिन्न फिल्म यूनिटों ने इसी दिशा में विभिन्न स्कीमें हाथ में ली है। इस क्षेत्रक को 41.98 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा फिल्म प्रभाग को 9.64 करोड़ रुपए; डीएफएफ को 7.23 करोड़ रुपए; सीएफएसआई को 2.71 करोड़ रुपए; सीबीएफसी को 2.01 करोड़ रुपए; एनएफडीसी को 3.10 करोड़ रुपए; एफटीआईआई, पुणे को 6.21 करोड़ रुपए तथा एसआरएफटीआई, कोलकाता को 7.77 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। फिल्मोत्सव निदेशालय ने अपना ध्यान इन बातों की ओर केन्द्रित रखाः फिल्म शो का आयोजन, आंतरिक रूप से निर्मित फिल्मों का विपणन और वितरण, इसके द्वारा आयोजित फिल्म महोत्सवों के जरिए विदेशी फिल्में। भारतीय बाल चलचित्र सोसायटी (सीएफएसआई) लघु फिल्में, फीचर फिल्में निर्मित करती है और उन्हें बच्चों के बीच वितरित करती हैं ताकि उन्हें अवांछित वाणिज्यिक फिल्मों से बचाकर रखा जाए। विशेष दृश्य प्रभावों, खेलों और एनीमेशन फिल्मों में डिजिटल सामग्री की लागत न्यूनतम रखने में विकसित देशों के बीच बढ़ती हुई प्रतियोगिता के फलस्वरूप सरकार ने 11वीं पचवर्षीय योजना में एनीमेशन और गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की है। इस दिशा में सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रसारण:

22. प्रसार भारती के दो स्कंधों को अपनी विभिन्न स्कीमों के लिए अर्थात आल इंडिया रेडियो को 78.20 करोड़ रुपए और दूरदर्शन 306.54 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

- जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दूरदर्शन तथा रेडिया प्रसारण के विकास पर, द्विपक्षीय क्षेत्रों सहित, इन राज्यों के लिए विकसित पैकेजों के जरिए, प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर विशेष पैकेजों के पहले चरण की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। स्थलीय और उपग्रह पारेषण कवरेज के मिश्रण पर अमल किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में कु-बेंड पारेषण परियोजना के फलस्वरूप क्षेत्र और आबादी दोनों दृष्टि से पहुंच और कवरेज का व्यापक प्रसार हुआ है। इन दोनों विशेष पैकेजों ने अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। इस चरण में, परियोजनाओं का उद्देश्य कवरेज में और अधिक विस्तार करना तथा लोगों की जीवन-शैली को प्रभावित करना है। जम्मू तथा कश्मीर चरण-II के लिए 300.00 करोड़ रुपए की लागत का विशेष पैकेज मुख्यतः साफ्टवेयर के विकास के लिए लाया गया है ताकि इसकी

अंतर्वस्तु को और अधिक मनोरंजनात्मक बनाया जा सके। 400.17 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 10वीं योजना स्कीम के रूप में मंजूर किए गए चरण-II एनई पैकेज में कुछेक पार्थिव स्कीमों की बजाय डीटीएच स्कीमों के माध्यम से कवरेज शामिल है। एआईआर स्कीमों की संशोधित लागत 143.32 करोड़ रुपए और दूरदर्शन की स्कीमों की संशोधित लागत 256.85 करोड़ रुपए है।

- डिजिटल सामग्री का सृजन करने, डिजिटल पारेषण सुनिश्चित करने तथा जल्द से जल्द सदृश ट्रान्समीटरों को चालू करने के लिए भावी मार्ग तय करके आकाशवाणी और दूरदर्शन जल्दी से जल्दी 2017 तक शीघ्र ही डिजिटल पद्धति अपनाने की योजना बना रहे हैं।

- पुणे में अक्तूबर, 2008 में आयोजित किए जाने वाले युवा राष्ट्रमंडल खेल और दिल्ली में 2010 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली को 2010 तक डिजिटल पद्धति में बदलकर खेलों को उच्च परिभाषाओं वाले टीवी फोरमैट में कवर करने के लिए काम युद्ध स्तर की गति से आगे बढ़ रहा है। एसडीटीवी से एचडीटीवी पद्धति में बदलने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती डिजिटल सामग्री के उत्पादन और वितरण तथा संप्रेषण के लिए तैयारी कर रहा है।

जनसेवा प्रसारण में उत्कृष्टता तथा वाणिज्यिक क्षमता सुनिश्चित करने की दिशा में सरकारी-निजी भागीदारी एक कारगर माडल है। निजी क्षेत्रक भागीदारी के माध्यम से एफएम प्रसारण के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस माडल के तहत, सरकार और निजी फर्मों को विद्यमान आकाशवाणी टावरों का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई थी। इसका उद्देश्य, 60% जनता को उच्च कोटि के रेडियो प्रसारण के साथ, कवर करने का सार्वजनिक सेवा प्रसारक का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 90 स्टेशनों के माध्यम से 300 चैनल (लगभग) उपलब्ध कराए जाएंगे।

23. वर्ष के दौरान सूचना और प्रसारण क्षेत्र के जिन प्रमुख नीतिगत मुद्दों/टिप्पणियों/स्कीमों/परियोजनाओं की जांच की गई, उनका संक्षेप में वर्णन नीचे किया गया हैः

- मंत्रालय के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के वास्ते परिव्ययों का निर्माण और उन्हें अंतिम रूप देना, वार्षिक योजना 2007-08 के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम था।

- पुणे में (2008-09) तथा दिल्ली में (2010) आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की सैद्धांतिक मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

- सभी उप-क्षेत्रकों की विभिन्न स्कीमों के सैद्धांतिक अनुमोदन/एसएफसी/ईएफसी प्रासेसिंग की जाती है। उनमें से कुछेक इस प्रकार हैंः मीडिया आउटरीच कार्यक्रम, विशेष प्रचार कार्यक्रम तथा पीआईबी का आईसीटी कार्यक्रम, विकासात्मक प्रचार कार्यक्रमः डीएवीपी का अवधारणा प्रसार, संगीत और नाटक प्रभाग के ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला और संस्कृति, सूचना भवन का निर्माण (चरण-ज), एनएफएआई की अभिलेख फिल्मों का अभिग्रहण और प्रदर्शनी, फिल्म निर्माण, डिजिटीकरण तथा सीएफएसआई की वेब कास्टिंग स्कीमें, एफटीआईआई पुणे और एसआरएफटीआई कोलकाता के लिए सहायता अनुदान, ट्रांसमीटरों, स्टुडियो का डिजिटीकरण, संयोज्यता तथा डीटीएच चैनल, एआईआर के डिजिटल द्वारा विदेशी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसमीटरों तथा दूरदर्शन के एचडीटीवी का डिजिटीकरण, विकास पहलों का आर्थिक विश्लेषण तथा मुख्य सचिवालय (प्रसारण) के लिए सामुदायिक रेडियो के वास्ते आईएफसी क्रियाकलाप।

V. सी तथा आई प्रभाग के अन्य कार्यकलाप सूचना द्वारा अथवा साइबर कैफे

24. प्रभाग, "सूचना द्वार" अथवा "साइबर कैफे" के प्रबंधन से भी सम्बद्ध है। इस सुविधा से भ्रमणकारी मीडिया व्यक्तियों को विकास सूचना हेतु इंटरनेट का ब्राउज (पढ़ने) करने में समर्थता प्राप्त होती है। यह आम जनता को सूचना और प्रकाशन भी उपलब्ध कराता है।

आंतरिक सूचना सेवा

25. यह एक और सेवा है जो इस प्रभाग को सौंपी गई है। इसके अंतर्गत चुनिंदा समाचार मदों का एक कंप्यूटरीकृत दैनिक डाइजेस्ट प्रकाशित करना तथा योजना से सम्बद्ध मदों की समाचार-पत्र कतरने उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री व आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों कि दैनिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

योजना आयोग की वेबसाइट

26. यह प्रभाग योजना आयोग की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाता है। वेब पर योजना आयोग के नवीनतम प्रकाशन रखकर साइट को अद्यतन बनाने और साथ ही अन्य संबंधित पक्षों पर कार्रवाई करने जैसेकि आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों और साथ ही बाहरी व्यक्तियों और योजना आयोग के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

4.5 विकास नीति प्रभाग

विकास नीति प्रभाग मुख्यतः अर्थव्यवस्था के वृहद्-आर्थिक प्राचलों के मानीटरन, हित वाले क्षेत्रों में अनुसंधान कराने और नीतिगत सुधार सुझाने से संबंधित हैं। प्रभाग, कृषि लागत और कीमत समिति (सीएसीपी) से प्राप्त होने वाली विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों (एमएसपी) के संबंध में सिफारिशों की भी जांच करता है। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित स्कीमों की भी इस प्रभाग द्वारा जांच की जाती है क्योंकि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित सभी मामलों के लिए यह प्रभाग एक नोडल प्रभाग है।

(2) वर्ष 2007-08 के दौरान (दिसम्बर, 2007 तक) निम्न क्रियाकलाप किए गए:

(i) 11वीं पचवर्षीय योजना 2007-12 दस्तावेज में शामिल किए जाने के लिए प्रभाग में निम्न अध्याय तैयार किए गए:
   (i) नीतिगत मुद्दे और सुधार कार्यक्रम।
   (ii) अभिशासन।

(ii) वार्षिक योजना 2007-08 दस्तावेज में शामिल किए जाने के लिए प्रभाग में निम्न अध्याय तैयार किए गए:
   i. नीतिगत मुद्दे और सुधार कार्यक्रम
   ii. बृहत-आर्थिक विहंगावलोकन
   iii. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(3) प्रभाग ने खाद्यान्नों (खरीफ और रबी), तिलहनों, गन्ने, गरी तथा पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की कृषि मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर जांच की।

(4) प्रभाग ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रस्तावों पर वार्षिक योजना 2007-08 चर्चा का आयोजन किया।

(5) श्री अनवारुल हुदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में सेवा क्षेत्र पर एक उच्चस्तरीय समूह (एचएलजी) का गठन किया गया। यह एचएलजी सेवा क्षेत्र के निष्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न पक्षों की जांच करने और आने वाले वर्षों में इसकी प्रतियोगात्मकता में सुधार लाने और उसे बनाए रखने के वास्ते अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया था।

(6) सूक्ष्म-वित्त और निर्धनता उपशमन संबंधी संचालन समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। समिति ने मई, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

4.6 शिक्षा प्रभाग

1. शिक्षा प्रभाग, शिक्षा, कला, संस्कृति, खेल-कूद और युवा मामलों के क्षेत्र में विकास आयोजना के सभी पहलुओं से संबंधित हैं। तथापि, यह कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा और चिकित्सीय देखभाल से सम्बद्ध शिक्षा से संबंधित नहीं है।

2. शिक्षा प्रभाग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं : (1) शिक्षा के विभिन्न स्तर, जैसे कि पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा और साथ ही (2) विशेष क्षेत्र भी, जैसे कि लड़कियों; अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा तथा अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। प्रमुख

विकास कार्यक्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं : प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायीकरण, अध्यापक शिक्षक, विज्ञान शिक्षा, शैक्षिक आयोजना, शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद, छात्रवृत्तियां, मापा विकास, पुस्तक प्रोन्नयन, पुस्तकालय, युवा सेवा स्कीमें, सांस्कृतिक संस्थान और कार्यकलाप आदि।

3. वर्ष 2007-08 प्रमुख क्रियाकलाप 11वी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रारंभिक कार्य था। शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद तथा युवा कार्य मत्रालयों/विभागों से संबंधित शिक्षा प्रभाग समूह के अधीन विभिन्न क्षेत्रकों की संचालन समितियों/कार्यदलों की बैठकें आयोजित की गई। संचालन समितियों और कार्यदलों की बैठकों, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों ने भी भाग लिया था उनके निष्कर्षों के आधार पर ञ्र्वीं योजना दस्तावेज संबंधी कार्रवाई/उसे अंतिम रूप दिए जाने की कार्रवाई की गई।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, कार्यकलाप योजना स्कीमों को जारी रखने से संबंधित थे, यथा, "सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करना और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन), खेल और युवा मामले मंत्रालय, तथा संस्कृति विभाग की स्कीमों के संबंध मं एसएफसी/सीसीईए प्रस्तावों की जांच करना, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जारी रहे। मध्याह्न भोजन स्कीम जो सितम्बर, 2004 में प्राथमिक स्तर पर सर्वसुलभ बना दी गई थी उसका विस्तार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी 3429 जिलों में कर दिया गया। चालू वर्ष 2007-08 के दौरान इन विभागों के व्यय की गति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (शिक्षा) की अध्यक्षता में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकें आयोजित की गई। इन एचपीआर ने प्रगति की गहराई से जांच की, स्कीमों को कार्यान्वित करने में पेश आने वाली समस्या की पहचान की और निधियों के बेहतर लक्ष्य निर्धारण/उपयोग के लिए उपयुक्त सुझाव की पेशकश की।

5. वर्ष के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (नीपा), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) तथा एसएसए के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा में भाग लिया।

6. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के संबंध में, शिक्षा, युवा मामले और खेल तथा संस्कृति के क्षेत्रकों के अंतर्गत आबंटन भी किए गए। इस संदर्भ में, अधिकारियों ने राज्यों के वार्षिक योजना 2006-07 प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यदल की अनेक बैठकों में भाग लिया। प्रभाग ने ग्यारहवीं योजना निर्माण पर चर्चा करने के लिए युवा मामलों और खेलों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों की बैठक आयोजित की तथा मंत्रालय को ग्यारहवीं योजना के लिए कार्यदल रिपोर्ट प्रस्तावों के मसौदे पर प्रस्तुतीकरणों के लिए आमंत्रित किया गया।

7. शिक्षा प्रभाग ने वर्ष के दौरान नीतिगत मुद्दों के संबंध में अनेक पहलें की, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- प्रभाग ने, अग्रणी स्कीम-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रूपांतरण लागत (पकाने की लागत) के लिए केन्द्रीय सहायता की पुनरीक्षा करने की जांच की।

- पूर्वोत्तर राज्यों को अग्रणी कार्यक्रम - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत वित्तपोषण के उनके हिस्से की पूर्ति करने के लिए विशेष संवितरण पर प्रभाग द्वारा विचार-विमर्श किया गया, जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्य अपने हिस्से के 10% का अंशदान अपने राज्य बजट से तथा शेष 15% का अंशदान संसाधनों के अ-व्यपगत केन्द्रीय समूह (एनएलसीपीआर) से करते हैं।

- प्रभाग ने स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा - प्रत्येक पर एक-एक नीतिगत लेख तैयार किया और प्रधानमंत्री को प्रस्तुति की।

- प्रभाग ने ध्यातव्य क्षेत्रों, नई स्कीमों/पहलों और उन्हें कार्यान्वित करने की प्रविधियों पर चर्चा करने के वास्ते सितम्बर, 2007 में एमएचआरडी तथा पीएमओ के परामर्श से ग्यारहवीं योजना में शिक्षा क्षेत्रक की बाबत पूर्ण योजना आयोग की अभी तक की पहली बैठक आयोजित की।

- प्रभाग ने 19 दिसम्बर, 2007 को आयोजित एनडीसी की बैठक में विचार किए जाने के लिए

शिक्षा पर 11वीं योजना दस्तावेज (शिक्षा, युवा कार्य और संस्कृति) तैयार किया।

- आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन की प्रविधियों को अंतिम रूप देने के लिए अनेक अंतःमंत्रालयी बैठकें आयोजित की गई।

- मोहाली में एक ज्ञान शहर स्थापित करने के लिए, जिसमें प्रस्तावित एनआईएनटी, एनएबीआई, आईआईएसईआर तथा एक शीर्षस्थ प्रबंध संस्थान स्थित होंगे, पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए प्रभाग ने अनेक बैठकों का आयोजन किया।

- प्रभाग ने पुणे में 2008 में और नई दिल्ली में 2010 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए वित्तपोषण तथा अन्य प्रविधियों की जांच भी की।

- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा पालीटेक्निक शिक्षा पर कौशल विकास मिशन पर दस्तावेज तैयार करने में योगदान दिया।

- प्रभाग ने नेटवर्क निर्माण पर एनकेसी की सिफारिशों, शिक्षा, पुस्तकालयों और अनुवाद पर आईसीटी मिशन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रस्तुति की।

- प्रभाग को उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में शिक्षण संकाय की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के आयोजन के संबंध में सुधार दस्तावेज तैयार करने में सहयोजित किया गया।

- प्रभाग ने एमएचआरडी की नई स्कीमों जैसेकि तमिल भाषा का विकास तथा केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की जांच की।

युवा मामले और खेलकूद

8. शिक्षा प्रभाग, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय की समग्र आयोजना और नीति की भी देखभाल करता है। युवा मामले और खेलकूद क्षेत्रक (वाईए तथा एस) से संबंधित 11वीं पंचवर्षीय योजना के वास्ते दृष्टिकोण/नीति/कार्यनीति तैयार करने के प्रयोजन से वरिष्ठ सलाहकार (वाईए तथा एस/एचयूडी) की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के युवा मामले और खेलकूद सचिवों के साथ 13.12.2006 को एक बैठक आयोजित की गई। युवकों के समक्ष पेश आ रही रोजगार, सामाजिक/मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़े मुद्दों की देखभाल करने के लिए एक स्वतंत्र कार्यदल/उप-दल का गठन किया गया है।

9. खेलकूद को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रासरूट स्तर तक व्यापक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से पीवाईकेकेए नामक एक स्कीम को 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की गई। योजना आयोग द्वारा सुझाई गई जेडबीबी पद्धति का अनुसरण करते हुए युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय ने अपनी कुछ स्कीमों/कार्यक्रमों की पुनर्रचना/विलयन/संशोधन किया। सीजी-2010 आयोजित करने तथा खेलकूद आधारिक-तंत्र की सामयिक पूर्ति के उद्देश्य से इससे संबंधित ईएफसी प्रस्तावों की जांच की गई। इसके अलावा पुणे में आयोजित किए जाने वाले सीवाईजी-2008 के वास्ते महाराष्ट्र सरकार द्वारा 110 करोड़ रुपए की एसीए की मांग करने वाले प्रस्तावों की जांच की गई। एक 'व्यापक राष्ट्रीय खेलकूद नीति' लागू करने संबंधी मंत्रिमंडल टिप्पणी के एक प्रारूप की भी जांच की गई।

कला और संस्कृति

10. शिक्षा प्रभाग, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये, संस्कृति विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम होते हैं, जिसके मुख्य कार्यकलापों में सम्मिलित हैं : पुरातत्वीय खुदाई, दृश्य तथा साहित्यिक कलाओं का प्रोन्नयन, सामग्री और सामग्री-भिन्न विरासत का परिरक्षण, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और संस्थानों का विकास। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, योजना आयोग अनेक अन्य मंत्रालयों/विभागों के तालमेल से जैसेकि पर्यटन,

शिक्षा, कपड़ा और विदेश कार्य, राष्ट्रीय अभिज्ञान से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करता है।

11. आईजीएनसीए भवन परिसर के निर्माण क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की निधियां प्रदान की हैं। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार दो भवनों अर्थात (i) कला निधि, कला कोष और साझे संसाधन "A" तथा (ii) सूत्रधार और भूमिगत पार्किंग "बी" की पूर्ति के लिए 133.76 करोड़ रुपए (जिसमें पहले ही खर्च किए गए 100.88 करोड़ रुपए की राशि शामिल है) के संशोधित लागत अनुमानों की मंजूरी ईएफसी को प्रस्तुत की गई।

12. आलोच्य अवधि के दौरान, वित्तीय योजना स्कीमों को ग्यारहवी योजना में जारी रखने के लिए, एसएफसी और ईएफसी प्रस्तावों और मंत्रिमंडल टिप्पणियों के जरिए उनकी जांच की गई।

4.7 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

1. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसका गठन निम्न प्रकार है, 3.1.2005 से कार्य कर रही है।

डॉ0 सी. रंगराजन, **पूर्व राज्यपाल, आंध्र प्रदेश**	अंशकालिक अध्यक्ष, मंत्रिमंडल मंत्री की हैसियत से
प्राफेसर जी.के. चड्ढा, **पूर्व कुलपति, ज.ने.वि.**	अंशकालिक सदस्य राज्यमंत्री की हैसियत से
डॉ0 सुमित्रा चौधरी, **आर्थिक सलाहकार, आईसीआरए**	- तदैव -
डॉ0 सतीश सी. झा, **पूर्व अर्थशास्त्री, एडीबी**	- तदैव -
डॉ0 एम. गोविन्द राव, **निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान**	- तदैव -
प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, **प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय**	- तदैव -

2. आर्थिक सलाहकार परिषद के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

प्रधानमंत्री द्वारा इसे भेजे गए किसी मुद्दे का, आर्थिक अथवा अन्यथा, विश्लेषण करना तथा उस पर सलाह देना।

वृहद आर्थिक महत्व के मुद्दों पर विचार करना तथा उनके संबंध में अपनी राय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना।

यह स्वमेव हो सकता है अथवा प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य द्वारा भेजा गया कोई संदर्भ।

आर्थिक नीति के लिए निहितार्थों वाले मुद्दे और वृहद आर्थिक घटनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना;

कोई अन्य कार्य करना जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर इच्छा जाहिर की जाए।

3. प्रशासकीय प्रबंध और बजट

योजना आयोग, ईएसी के लिए प्रशासकीय, संभारतंत्रीय, आयोजना तथा बजटीय प्रयोजनार्थ, नोडल एजेंसी है।

ईएसी के लिए वर्ष 2006-07 के लिए योजना मंत्रालय के अधीन एक अलग बजट आबंटित किया गा है।

ईएसी ने अपना कार्यालय विज्ञान भवन एनेक्सी के हॉल "ई" में स्थापित किया है। यह अत्यंत अल्प स्टाफ के साथ कार्य कर रहा है। अधिकारी स्तर पर इसका एक पूर्णकालिक सचिव (सरकार के सचिव के दर्जे का), निदेशक के दर्जे का एक अधिकारी तथा एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी है।

किए गए कार्य

4. इसके विचारार्थ विषयों के अनुसार, ईएसी ने प्रधानमंत्री को अनेक मुद्दों पर सलाह दी है जो इसे

प्रधानमंत्री/प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजे गए थे। ईएसी द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दिया गया वे हैं : आईआईएफसीएल की संरचना और अधिदेश, उर्वरक सब्सिडी की पुनर्रचना, राष्ट्रीय राजमार्गों की आपूर्ति की पद्धति, गैस मूल्य निर्धारण, कोयला मूल्य निर्धारण, उप-मुख्य संकट तथा भारत पर इसका प्रभाव, निर्यातों के लिए कर राहत तथा रुपए मूल्य संवर्द्धन। ईएसी ने एक आर्थिक दृष्टिकोण, 2007-08 प्रस्तुत किया है जिसने प्रगति की संभावनाओं का एक स्वतंत्र आकलन प्रस्तुत किया। बाद में "अर्थव्यवस्था 2007-08 की समीक्षा" शीर्षक के तहत इस दृष्टिकोण की एक समीक्षा प्रस्तुत की गई जिसमें पुनः आने वाले राजकोषीय वर्ष अर्थात 2008-09 में उभरने वाली संभावित स्थिति के बारे में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

5. टिप्पणियों के जरिए औपचारिक सलाह के अलावा, परिषद के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को समय-समय पर महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर अनौपचारिक रूप से भी सलाह प्रदान की।

6. परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित के सदस्य हैं : ऊर्जा समन्वयन समिति, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, कृषि समन्वय समिति, अवस्थापना संबंधी समिति, विनिर्माण संबंधी समिति, शिक्षा के अधिकार संबंधी समिति तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी समितिश्इन सभी समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं।

7. ईएसी की, आर्थिक नीति को मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सलाह के बारे में अपने विचारों में सर्वसम्मति कायम करने के लिए पूरे वर्ष नियमित रूप से बैठकें हुई।

4.8 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

1. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) का गठन 13 जून, 2005 को, 2 अक्तूबर, 2005 से 2 अक्तूबर, 2008 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, नीतिगत तथा प्रत्यक्ष सुधारों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का काम सौंपा गया है। ज्ञान तक सहज सुलभता, ज्ञान पद्धतियों का सृजन और परिरक्षण तथा बेहतर ज्ञान सेवाएं आयोग के प्रमुख विचारार्थ विषय हैं।

विचारार्थ विषय

2. दिनांक 13 जून, 2005 की राजकीय अधिसूचना के अनुसार, रा.ज्ञा.आ. के विचारार्थ विषय निम्नांकित हैं :

- 21वीं शताब्दी में ज्ञान चुनौतियों का सामना करने और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में वृद्धि करने के लिए शैक्षिक पद्धति में उत्कृष्टता का निर्माण करना;
- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित करना;
- बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगे संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करना;
- कृषि और उद्योगों में ज्ञान अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना;
- सरकार को नागरिकों के लिए एक कारगर, पारदर्शी तथा जवाबदेह सेवा प्रदाता बनाने में ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा सार्वजनिक हित को अधिकतम बनाने के लिए ज्ञान की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना।

उद्देश्य

3. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रमुख उद्देश्य एक स्पंदनशील ज्ञान आधारित सोसायटी के विकास को समर्थ बनाना है। इसके अंतर्गत विज्ञान पद्धतियों में आमूल सुधार करना और ज्ञान के नए स्वरूप पैदा करने के लिए अवसरों का सृजन करना, दोनों शामिल हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में समाज के सभी वर्गों के बीच अधिकाधिक भागीदारी तथा ज्ञान तक और अधिक समतापूर्ण सुलभता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. उपरोक्त को देखते हुए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य निम्नलिखित हेतु उपयुक्त संस्थानगत तंत्र विकसित करना है :

- शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करना, स्वदेशी अनुसंधान

और नूतनता को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रकों में ज्ञान के अनुप्रयोग को सुकर बनाना।

- अभिशासन में वर्धन करके तथा संयोजकता सुधारने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।

- विश्व क्षेत्र में ज्ञान पद्धतियों के बीच आदान-प्रदान और अन्योन्यक्रिया हेतु पद्धतियां विकसित करना।

गठन

5. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सहित, छः सदस्य हैं। सभी सदस्य अपने कार्य अंशकालिक आधार पर निष्पादित करते हैं और उसके लिए किसी पारिश्रमिक का दावा नहीं करते हैं। सदस्य हैंः डॉ0 सैम पित्रोदा (अध्यक्ष), प्रोफेसर पी.एम. भार्गव (उपाध्यक्ष), डॉ0 अशोक गांगुली, डॉ0 जयति घोष, डॉ0 दीपक नैय्यर और श्री नंदन निलेकानी।

6. थोड़ा-सा तकनीकी सहायक स्टाफ, जिसके प्रधान कार्यकारी निदेशक हैं, जिनकी सेवाएं सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सौंपी गई हैं सदस्यों की उनके कामकाज में सहायता करता है। अपने कार्यों के प्रबंधन में सहायता प्राप्त करने के लिए आयोग विशेषज्ञों को सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र है।

7. आयोजना तथा बजट संबंधी प्रयोजनों और साथ ही संसद सम्बद्ध प्रत्युत्तरों पर कार्रवाई करने के लिए भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हेतु योजना आयोग नोडल एजेंसी है।

कार्य करने की विधि

8. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा पालन की जाने वाली क्रियाविधि निम्न प्रकार है :

1. प्रमुख प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों का विनिर्धारण करना,

2. विविध पणधारियों का विनिर्धारण करना तथा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों को समझना,

3. विशेषज्ञों और विद्वानों के कार्यदलों का गठन; कार्यशालाओं का आयोजन करना, संबंधित इकाइयों और पणधारियों के साथ व्यापक औपचारिक और अनौपचारिक परामर्श आयोजित करना,

4. प्रशासनिक मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ परामर्श करना,

5. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री को लिखे जाने वाले पत्र के रूप में, सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में चर्चा आयोजित करना।

6. सिफारिशों, प्राथमिक उपायों, वित्तीय प्रभावों आदि को सम्मिलित करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना।

7. राज्य सरकारों, सिविल सोसायटी व अन्य पणधारियों के बीच, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइट का भी उपयोग करके, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों का व्यापक प्रसार,

8. प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्वावधान में सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू करना,

9. पणधारियों द्वारा प्रदत्त सलाह के आधार पर सिफारिशों को अंतिम रूप देना तथा प्रस्तावों के कार्यान्वयन में समन्वयन/अनुवर्ती कार्रवाई करना।

प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

ज्ञान तक पहुंच

9. एक ज्ञानवान समाज में सुलभता एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चाहे विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और प्रयोगशालाएं कितनी ही बड़ी मात्रा में ज्ञान का सृजन करें, वह बहुत कम उपयोग की होगी यदि अधिकांश लोगों के पास उस ज्ञान को प्राप्त करने, खपाने और संप्रेषित करने के लिए वास्तव में साधन अपर्याप्त हों। प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं : साक्षरता, पुस्तकालय, अनुवाद, नेटवर्क, पोर्टल तथा सकारात्मक कार्रवाई।

ज्ञान अवधारणाएं

10. ज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग में उन्नति मानव प्रयासों के परिणाम हैं, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बड़ी युवा जनता की दक्षताओं और बौद्धिक क्षमताओं को पुष्ट करें जिससे कि एक ऐसा मानव पूंजी का दृढ़ आधार निर्मित हो सके जो भारत को एक मजबूत ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदल सके। अत्यंत ध्यान देने वाले क्षेत्रों में सम्मिलित हैं : साक्षरता, भाषा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पेशेवर शिक्षा और दूरवर्ती शिक्षा।

ज्ञान सृजन

11. यद्यपि भारत के पास विदेशों से नया ज्ञान खरीदने अथवा उधार लेने का विकल्प है तथापि, स्वदेशी अनुसंधान को विशेष रूप से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भरता कायम की जानी महत्वपूर्ण है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अन्य समानांतर ज्ञान उद्देश्यों की प्रक्रियाओं को तेज करने की योग्यता है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास और सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में सम्मिलित हैं : विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, नूतनता और बौद्धिक संपदा अधिकार।

ज्ञान अनुप्रयोग

12. ज्ञान का सृजन दिशारहित नहीं हो सकता। अपनी बौद्धिक परिसंपत्तियों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, जहां उत्पादकता का वर्धन हो सकता है। ज्ञान अनुप्रयोग अपने आप में एक लक्ष्य और महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में प्रगति का सुविधाप्रदानकर्ता है। प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में सम्मिलित हैं : शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रक और एसएमई तथा पारंपरिक ज्ञान।

ज्ञान सेवाएं

13. ज्ञान सेवाओं में निवेश के आम आदमी के लिए अत्यंत लाभ होंगे। प्रौद्योगिकी में राजकीय सेवाओं और कामकाज को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और ई-कुशल बनाने की क्षमता है। ई-अधिकशासन उस मार्ग को बदल सकता है, जिसके अनुसार भारत के नागरिक सोच सकते हैं और सरकार के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं।

सिफारिशें

14. 26 दिसम्बर, 2006 तक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं : ई-अधिशासन, अनुवाद, भाषा नीति, शिक्षा का अधिकार विधेयक, राष्ट्रीय विज्ञान तथा समाज विज्ञान प्रतिष्ठान, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय और ज्ञान नेटवर्क।

4.9 पर्यावरण तथा वन प्रभाग

1. ग्यारहवीं योजना तैयार करने के लिए संचालन समिति, 5 कार्यदलों और 7 कार्यबलों ने अपना काम पूरा कर लिया है और ग्यारहवीं योजना के लिए पर्यावरण और वन क्षेत्र के वास्ते उनके इन्पुटों पर विचार कर लिया गया है। इस अध्याय में अब जलवायु परिवर्तन के मानीटरन करने और साथ ही मानवीय कारणों से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपशमन प्रयासों के संभावित अनुकूलन के लिए कार्यनीति विकसित करने के वास्ते अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए जलवायु परिवर्तन पर एक अंश शामिल है। मंत्रालय की सभी स्कीमों को कठोर शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया से गुजारा गया है जिसके फलस्वरूप अनेक स्कीमें कम हो गई हैं।

2. प्रभाग ने अप्रैल-सितम्बर, 2007 अवधि के लिए छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकें आयोजित की। संबंधित सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में प्लान योजनाओं में मंत्रालय के वित्तीय/भौतिक निष्पादन, पहलें और ग्यारहवीं योजना में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई और उनके कार्यवृत्त तैयार किए गए। इन मदों के संबंध में मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

3. प्रभाग के अन्य क्रियाकलापों में निम्न शामिल हैं:

(क) संसदीय प्रश्नों के लिए अन्य प्रभागों/मंत्रालयों को

उत्तरों का मसौदा तैयार करना। निविष्टियां प्रस्तुत करना।

(ख) निम्न विषयों पर मंत्रिमंडल टिप्पणियों के मसौदों/सीसीईए/मंत्रिमंडल टिप्पणियों की जांचः राष्ट्रीय जैव-डीजल मिशन (निदर्शन चरण) भारत सरकार तथा मोरक्को सरकार के बीच पर्यावरणात्मक सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करना, राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति का मसौदा, बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन के लिए वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन तथा वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो, प्रतिपूरक वानिकीकरण निधि प्रबंध और आयोजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के सृजन के लिए प्रस्ताव, सीएएमपीए के अधीन हरित भारत कार्यक्रम और एक-तिहाई क्षेत्र को वृक्ष कवर के अधीन लाने (एमओईएफ) के लिए कार्यनीति तथा संबंधित एजेंसियों को टिप्पणियां भेजना।

(ग) संखिया संबंधी कार्यबल की बैठकों में, पर्यावरणात्मक प्रबंध सेवाओं विषय पर एस्केप संगोष्ठी, ईएफसी (परियोजना बाघ) आदि में भाग लेना।

(घ) पर्यावरण/आर्द्र भूमि समिति पर आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लेना, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना में पर्यावरण अनापत्ति क्रियाविधियों पर लेक्चर देना आदि।

4.10 वित्तीय संसाधन प्रभाग

1. राज्यों और केन्द्र के वित्तीय संसाधनों की योजना आकलन के लिए वित्तीय संसाधन योजना निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। योजना तैयार करते समय, संसाधनों की उपलब्धता का बारीकी से आकलन किया जाता है, संस्थागत पद्धति का अध्ययन करने के अलावा, संसाधन जुटाने में पिछली प्रवृत्ति पर भी विचार किया जाता है। केन्द्र और राज्यों-दोनों की वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना के आकार के संबंध में निर्णय लेते समय उसकी खपाने की क्षमता का अध्ययन करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

2. केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के ठीक-ठीक वित्तीय संसाधनों का आकलन करने में, सकल बजटीय समर्थन के स्तर पर कामकाज करना और सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) का मूल्यांकन करना शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना के कुल संसाधनों के अंतर्गत राज्यों के अपने संसाधन (जिनमें उधार शामिल है) तथा केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। वित्तीय संसाधन प्रभाग केन्द्रीय योजना के लिए और साथ ही राज्य संघशासित योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

3. आलोच्य अवधि के दौरान, प्रभाग ने केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2007-08 के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन कार्य किया। 2007-08 के लिए वार्षिक योजना तैयार करने समय 2006-07 के लिए वार्षिक योजना के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है।

वार्षिक योजना 2007-08 : केन्द्र

4. केन्द्र के लिए 2007-08 के संबंध में वार्षिक योजना परिव्यय 3,19,992 करोड़ रुपए तय किया गया। केन्द्रीय योजना की वित्तपोषण पद्धति नीचे तालिका में प्रस्तुत की गई हैः

वार्षिक योजना 2007-08 : राज्य

5. राज्यों और विधानमंडलों वाले संघ राज्यों की वार्षिक योजना 2007-08 के लिए कुल संसाधन 236973.22 करोड़ रुपए थे। योजना के वित्तपोषण की प्रणाली नीचे तालिका-2 में दी गई हैः

वार्षिक योजना 2008-09

6. 2008-09 11वीं पचवर्षीय योजना की अवधि 2007-12 का दूसरा वर्ष है। योजना आयोग ने योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने के लिए तीन कार्यदल गठित किए हैं। एक दल केन्द्रीय संसाधनों का आकलन करने के लिए, एक राज्य संसाधनों का आकलन

तालिका-1

केन्द्र की वार्षिक योजना के लिए जीबीएस वित्तपोषण की स्कीम

(करोड़ रुपए में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अनंतिम	बजट अनुमान
चालू राजस्व से सशेष	18961	24221	25742	58819
विदेशी अनुदान	2616	2469	2530	2135
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से शेष	2465	-6288	-1033	-6802
राजकोषीय घाटा	148686	152328	142793	150948
योजना के लिए सकल बजट सहायता	172728	172730	170032	205100
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सहायता	41443	46200	46786	50161
कुल जीबीएस में प्रतिशत हिस्सा	24	26.8	27.5	24.5
केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता (4-5)	131285	126510	123246	154939
कुल जीबीएस में प्रतिशत हिस्सा	76	73.2	72.5	75.5
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन	122757	117719	उपलब्ध नहीं	165053
केन्द्र का योजना परिव्यय	254042	244229	उपलब्ध नहीं	319992

तालिका-2

वार्षिक योजना : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल संसाधन 2005-06

करोड़ रुपए में

संसाधन	2006-07$		2007-08
	वार्षिक योजना	संशोधित अनुमान	वार्षिक योजना
राज्यों के अपने संसाधन*	113835.46	134715.56	186745.96
प्रतिशत हिस्सा	61.4	70.6	78.8
केन्द्रीय सहायता	71445.45	56130.02	50227.26
प्रतिशत हिस्सा	38.6	29.4	21.2
कुल संसाधन	185280.91	190845.58	236973.22

*पीएसई और स्थानीय निकायों के आईईबीआर सहित; $केन्द्रीय सहायता में सांकेतिक ऋण अंश शामिल है।

करने के लिए तथा तीसरा दल पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय बचतों का आकलन करने के लिए। सभी कार्यदलों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। सदस्य (एफआर) की अध्यक्षता में 11वीं योजना के लिए संचालन समिति ने तीन कार्यदलों की रिपोर्टों पर विचार किया और 11वीं योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों को अंतिम रूप दिया गया।

7. 2008-09 के लिए राज्यों के वार्षिक योजना अनुमानों पर चर्चा शुरू की जा चुकी है और अधिकांश राज्य कवर किए जा चुके हैं।

रिपोर्टों, समीक्षा टिप्पणियां व अन्य कार्यकलाप

- बजट-पूर्व चर्चाओं में योजना आयोग की सहभागिता के क्रियाकलाप का समन्वय।

- केन्द्रीय बजट 2008-09 में शामिल किए जाने के लिए केन्द्र, राज्यों और संध राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2008-09 के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को अंतिम रूप दिया गया।

- प्रभाग ने, वार्षिक योजना 2008-09 के लिए योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच अनेक बैठकों में राज्यों के वित्त तथा योजना वित्तपोषण के संबंध में टिप्पणियां तैयार की।

- वित्तीय क्षेत्रक के निर्माण के लिए एक व्यापक कार्यसूची तैयार करने के वास्ते प्रो. रघुराम जी. राजन की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

  (i) आने वाले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के संबंध में उभरने वाली चुनौतियों का पता लगाना और ऐसे वास्तविक क्षेत्रक सुधार तय करना जोकि वित्तीय क्षेत्रक द्वारा इन जरूरतों को अधिक आसानी से पूरा किए जाने की अनुमति देंगे।

  (ii) वित्तीय क्षेत्रक के विभिन्न खंडों के निष्पादन की जांच करना और ऐसे बदलाव अभिज्ञात करना जोकि वास्तविक क्षेत्रक की जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देंगे।

  (iii) विनियामक और पर्यवेक्षक आधारिक-तंत्र में उन बदलावों की पहचान करना जोकि वित्तीय क्षेत्रक को यह सुनिश्चित करते हुए कि जोखिमों पर काबू बना रहेगा, अपनी भूमिका का निर्वाह करने की बेहतर अनुमति देंगे; तथा

  (iv) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में जिनमें मौद्रिक और राजकोषीय नीति के संचलन शामिल है तथा कानूनी और शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलावों का पता लगाना जोकि वित्तीय क्षेत्रक को और अधिक प्रभावी रूप से काम करने में मदद करेंगे।

4.11 स्वास्थ्य, आयुष, परिवार कल्याण और पोषण

1. किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य विकास का एक अनिवार्य घटक होता है, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति और आंतरिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनसाधारण के लिए स्वास्थ्य देखभाल का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है।

2. स्वास्थ्य मानकों जैसेकि जीवन संभाव्यता, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में सुधार लाने के हमारे प्रयासों में पिछले छः दशकों में उल्लेखनीय उपलब्धियां की गई हैं। चेचक, गिनी-कृमि का उन्मूलन किया जा चुका है और आशा है कि निकट भविष्य में पोलियो पर भी काबू पा लिया जाएगा। इसके बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं। कुपोषण बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को प्रभावित करता है। मौजूदा, पहले से चले आ रहे और अब प्रस्तुत नए खतरों के अलावा उभरने वाले नए रोगों के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग कष्ट पा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। गर्भावस्था और शिशु के जन्म से संबंधित जटिलताओं ने भी कष्ट और मृत्यु दर में अपना योगदान दिया है।

3. देश को स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती हुई लागतों और लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं से निपटना है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती को तात्कालिक आधार पर पूरा किया जाना है। समस्या के परिमाण को देखते हुए हमें सरकारी स्वास्थ्य देखभाल को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक जवाबदेह, सुलभ और उत्तम सेवाओं की वहनीय प्रणाली के रूप में बदलना है।

4. इस प्रभाग पर निम्नलिखित की जिम्मेदारी हैः

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) नामक अग्रणी कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष तथा पोषण से संबंधित नीति और कार्यनीति मार्गनिर्देश तैयार करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्रक में अर्थात जानपदिकरोगवैज्ञानिक, जनांकिकीय, सामाजिक और प्रबंधकीय चुनौतियों में बदलती प्रवृत्तियों का मानीटरन।
- राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रक-दोनों में चालू नीतियों, कार्यनीतियों और कार्यक्रमों की जांच करना और उपयुक्त फेर-बदलों और मध्य मार्ग में किए जाने वाले संशोधनों के सुझाव देना।
- सेवाओं की कार्यकुशलता और गुणवत्ता में सुधार के तरीकों के सुझाव देना। बुनियादी, नैदानिक और संचालनात्मक अनुसंधान जोकि जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने और त्वरित जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए जरूरी हों, के लिए ऐसी प्राथमिकताएं तैयार करना।
- अंतर्क्षेत्रकीय मुद्दों की जांच करना और सेवाओं के अभिसरण के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करना ताकि जनता इस समय चालू कार्यक्रमों से इष्टतम लाभ उठा सके।
- इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक के लिए अल्पकालिक, मध्यावधिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और लक्ष्य तय करना।

यह प्रभाग निम्न में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता हैः

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न समितियां।

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित ईएफसी/एसएफसी।

(iii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया आदि के वैज्ञानिक सलाहकार दल आदि।

- स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषणश्संसाधनों जिनमें अपेक्षित जनशक्ति और सामग्री, शुरू किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्माण और उपकरण के मानक तथा चिकित्सीय अनुसंधान का विकास आदि शामिल है, से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के संबंध में योजना आयोग को सलाह देने के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ पैनलों का गठन किया जाता है।

राज्यों के साथ कार्यदल चर्चाएं

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और साथ ही केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी वार्षिक योजना 2007-08 के संबंध में विस्तृत (कार्यदल) चर्चाएं आयोजित की। स्वास्थ्य, आयुष, परिवार कल्याण और पोषाहार क्षेत्रकों में पेश आई समस्याओं, नई पहलों और निष्पादन पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए परिव्यय को जीडीपी के 2-3% बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जैसाकि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निर्धारित किया गया है, वर्ष 2007-08 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वार्षिक योजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई। राज्यों को भी, आम आदमी को स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2007-08 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्रक के

संबंध में अपने परिव्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

6. एक कार्यकलाप, जो पूरे समीक्षाधीन वर्ष में जारी रहा, योजना स्कीमों को जारी रखने से सम्बद्ध था, यथा "सिद्धांततः" अनुमोदन प्रदान करना और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग की स्कीमों के संबंध में एसएफसी/ईएफसी/सीसीईए प्रस्तावों की जांच करना।

7. योजना आयोग द्वारा निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

सिद्धांत रूप में अनुमोदन

- हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा स्थापित करना
- गोरखपुर में विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित करना
- ज्वरों/मस्तिष्क शोथ से संबंधित ऐरबो-वाइरसों तथा एंट्रोवाइरसों के लिए अल्लापुजा, केरल में विषाणु विज्ञान क्षेत्र केन्द्र का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना
- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मधुमेह, हृदवाहिकामय रोगों और आघात (एनपीडीसीएस) के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में राष्ट्रीय अर्द्ध-चिकित्सीय विज्ञान संस्थान की स्थापना
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (2007-12) के लिए 11वीं योजना प्रस्ताव
- चिकित्सीय कालेजों में भौतिक चिकित्सा और पुनर्स्थापना विभाग ने सुविधाओं का स्तरोन्नयन

एसएफसी

- आयुष पाठ्यपुस्तक और पाण्डुलिपियों के अभिग्रहण, सूची बनाने, डिजिटीकरण तथा प्रकाशन की स्कीम।
- दिशा-अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम और सतत चिकित्सीय शिक्षा तथा आयुष के परिचयात्मक कार्यक्रमों की स्कीम।
- दिल्ली और एनसीआर से बाहर के शहरों में सीजीएचएस औषधालयों और सीजीएचएस कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण।
- जम्मू में सीजीएचएस सुविधाओं का विस्तार।
- जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी में सभागार के निर्माण के लिए संशोधित लागत अनुमान।
- एनईसी की 11वीं योजना के दौरान श्री शंकर देव नंत्रालय (एसएसएन) गुवाहाटी के स्तरोन्नयन के लिए एसएफसी प्रस्ताव।
- अर्बुदविज्ञान नेटवर्क की स्थापना।
- एनईआर में पीपीपी पद्धति के अनुसार नर्सिंग कालेज की स्थापना।

ईएफसी

- गुवाहाटी मेडिकल कालेज-उच्च विशेषज्ञता अस्पताल।
- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का स्तरोन्नयन।
- अंधता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- एएचएच तथा पीएच कलकत्ता का दूसरा परिसर।
- एलएचएमसी तथा नई दिल्ली में इसके संबद्ध अस्पतालों में केन्द्रीय शिक्षा अधिनियम लागू करना।
- रुधिर-आधान चिकित्सा में उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में चार महानगर रक्त कोषों की स्थापना।
- राष्ट्रीय रोगवाहक प्रेरित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी परियोजनाएं।
- 11वीं योजना में कार्यान्यवन के लिए उपचर्या सेवा (एचआर-नर्से) के विकास की स्कीम।
- ओवरसाइट समिति की सिफारिशों के अनुसार शिक्षण ब्लाक, 400 बिस्तरों वाला महिला और बाल अस्पताल, नए छात्रावास परिसर की स्थापना और जेआईपीएमईआर में विशेषज्ञताओं का संवर्द्धन।
- 11वीं योजना अवधि के दौरान आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) के विकास और स्तरोन्नयन के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमें।
- आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी (आयुष) दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम।
- "रुधिर-आधान चिकित्सा में उत्कृष्टता के केन्द्र" के रूप में चार (4) आधुनिक रुधिर कोषों की स्थापना।
- नैदानिक अनुसंधान/औषधि मानक/लोक चिकित्सा में प्रवृत्त आयुष संगठनों/संस्थानों को सहायता।
- पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान (एनईआईएफएम),

पासी घाट, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना।
- आयुष में एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान और स्वर्णिम त्रिकोण परियोजना की स्कीम।
- औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंध की स्कीम1
- आयुष संकुलों के विकास की स्कीम।
- आयुष में सूचना, शिक्षा/संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्कीम।
- औषधीय पौधों को संसाधित करने वाले क्षेत्रों और उनकी खेती/संसाधित करने तथा उनके विपणन की स्कीम।
- एक महानगर रुधिर कोष में एक प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन केन्द्र स्थापित करना।

सीसीईए

- हेपाटाइटिस बी टीके का विस्तार
- औषधि और प्रसाधन विधेयक 2005 में संशोधन
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर आघात देखभाल
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव चरण-III (2007-12)
- चिकित्सा की नई प्रणाली की मान्यता नामक विधेयक को कानून बनाना
- छः राज्यों में संशोधित आरएनटीसीपी
- पीएमएसएसवाई के तहत राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रांची का स्तरोन्नयन
- सीजीएचएस बीमा स्कीम
- जीएफएटीएम दौर 6 का प्रस्ताव - छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के राज्यों में अनुदान सहाय्यित संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) तथा 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2012 तक आईएमए द्वारा छः राज्यों में पीपीएम परियोजना।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 में तथा स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 में संशोधन।
- 2007-08 के दौरान किशोर लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम को मार्गदर्शी आधार पर जारी रखना।
- फरीदाबाद, हरियाणा में स्थानांतरीय स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई) की स्थापना।
- 11वीं योजना के 550 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित आयुष संस्थानों के विकास और स्तरोन्नयन की संशोधित स्कीम।
- 11वीं योजना के दौरान आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू तथा एच) के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्कीम।
- लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई-एलजीबी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम का स्तरोन्नयन।
- सरिता विहार, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए)।

8. उपर्युक्त के अलावा योजना आयोग में स्वास्थ्य क्षेत्रक के संबंध में अनेक बैठकें और प्रस्तुतियां की गईं जो निम्नानुसार हैः

बैठकें

स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों के संबंध में दूसरी बैठक 5 अप्रैल, 2007 को आयोजित की गई। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सुधीर आनंद, भारत के महापंजीयक के कार्यालय, एनसीएईआर, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़ तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

विशेष रूप से एम्स जैसे 6 संस्थानों के लिए तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के संबंध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 11 मई, 2007 को एक बैठक आयोजित की गई। सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) ने भी इस बैठक में भाग लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में सरकारी-निजी भागीदारी पर एक प्रस्तुति की गई।

डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) योजना आयोग की अध्यक्षता में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों के संबंध में 5 नवम्बर, 2007 को एक बैठक आयोजित की गई। आयुष विभाग के XIवीं योजना प्रस्तावों, 2008-09 पर

विचार करने के लिए डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) योजना आयोग की अध्यक्षता में 11.12.2007 को एक बैठक आयोजित की गई।

स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों के संबंध में 28 अक्तूबर, 2007 को एक बैठक आयोजित की गई। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सुधीर आनंद, सलाहकार यूनिसेफ, भारत के अपर पंजीयक, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत के उप-महापंजीयक (सी तथा टी), संयुक्त निदेशक, भारतीय महापंजीयक का कार्यालय, सहफेलो, एनसीएईआर तथा योजना आयोग के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

प्रस्तुतियां

भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एचएमआईएस प्रयासों की सहायता के विषय पर डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) योजना आयोग की अध्यक्षता में डॉ. संदीप सहाय, प्रोफेसर सूचना विज्ञान संस्थान, ओस्लो विश्वविद्यालय, नार्वे ने 9 अप्रैल, 2007 को एक प्रस्तुति की।

'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग में ऐलोपेथी के अनुभवी डाक्टरों के समावेशन' पर डॉ. सईदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 11.7.2007 को एक सिविल समाज विन्दो प्रस्तुति की गई।

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने उसके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों की बाबत 23 जुलाई, 2007 से 27 जुलाई के दौरान अनेक प्रस्तुतियां कीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा योजना आयोग के अधिकारियों ने इन प्रस्तुतियों में भाग लिया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 9 और 10 अगस्त, 2007 को योजना आयोग के समक्ष इन विषयों पर प्रस्तुतियां की : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संबंध में 10वीं योजना की उपलब्धियां तथा 11वीं योजना के लिए प्रस्ताव, XIवीं योजना के दौरान सरकारी/दन्त्य कालेजों का सुदृढ़ीकरण तथा भारत सरकार के अग्रणी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी विभिन्न पक्ष।

डॉ. अभय बांग द्वारा "भारत में गृह-आधारित नवजात और शिशु देखभाल अपनाकर आईएमआर में किस तरह तेजी से कमी लाई जा सकती है" विषय पर उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में 24.8.2007 को एक प्रस्तुति की गई।

भारत में वृद्धजनों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण सहायता तथा अन्य कार्यक्रमों के संबंध में डॉ. सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) योजना आयोग की अध्यक्षता में 3 अक्तूबर, 2007 को डा. पाल क्वैन्टाक, कार्यकारी निदेशक तथा सह-संकायाध्यक्ष, दि ग्रेजुएट स्कूल सलीवान विश्वविद्यालय यूरेशिया ने एक प्रस्तुति की।

'मिशन दिल्ली, 2010 दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में समय का महत्व' विषय पर डॉ. बलराम भार्गव, प्रोफेसर, हृदयरोग विज्ञान विभाग, सीटी केन्द्र, एम्स, नई दिल्ली द्वारा डॉ. सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) योजना आयोग की अध्यक्षता में 17 दिसम्बर, 2007 को एक प्रस्तुत की।

11वीं पंचवर्षीय योजना

9. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, अधिक तेज, व्यापक और समावेशी विकास पर आधारित एक नई परिकल्पना को साकार करने के लिए नीतियों की पुनर्रचना करने का एक अवसर प्रदान करेगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से गरीब और सुविधाविहीनों के लिए उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है जिसमें वैयक्तिक स्वास्थ्य देखभाल, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, खाद्य की सुलभता और स्वच्छता तथा खिलाने की परिपाटियों की जानकारी सम्मिलित होगी। यह योजना सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं जोकि लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति अनुक्रियाशील हैं उनके अभिसरण और विकास को सुविधापूर्ण बनाएगी। वहनीय स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता सुनिश्चित करके क्षेत्रों और समुदायों के बीच स्वास्थ्य में विषमताओं को घटाने पर बल दिया जाएगा।

10. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर समेकित व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी होगी जिससे कि सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए उसका सुदृढ़ीकरण किया जा सके। साथ

ही यह योजना एचआईवी/एड्स जैसे गंभीर क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आबंटन का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित करेगी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार के साथ भागीदारी सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) समुदाय और सिविल समाज समूहों के सहयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में उत्तम अभिशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य सभी नागरिकों का एक अधिकार है और यह योजना इस लक्ष्य की ओर प्रयासशील रहेगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना (स्वास्थ्य क्षेत्रक) के लिए समयबद्ध लक्ष्य

- मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे 1 तक लाना।
- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों के पीछे 28 तक लाना।
- समग्र जनन क्षमता दर घटाकर 2.1 तक लाना।
- 2009 तक सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और इसमें किसी भी तरह का पिछड़ापन न होने देना सुनिश्चित करना।
- 0-3 आयुवर्ग के बच्चों के बीच कुपोषण की दर मौजूदा स्तर से घटाकर आधी करना।
- महिलाओं और लड़कियों के बीच अरक्तता में 50 प्रतिशत की कमी लाना।
- 0-6 आयुवर्ग के लिए लैंगिक अनुपात 2011-12 तक बढ़ाकर 935 और 2016-17 तक 950 तक लाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

11. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बीच विषमताओं और समस्याओं की ओर ध्यान देने और स्वास्थ्य प्रणाली में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य ऐसी एकसमान, वहनीय और उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सर्वसुलभ बनाना है जोकि जवाबदेह हो और साथ ही लोगों की जरूरतों के प्रति अनुक्रियाशील हो। आशा है कि यह मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के अधीन तय किए गए लक्ष्यों की पूर्ति कर लेगा।

12. इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए एनआरएचएम बेहतर सुलभता और सभी के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को सुविधापूर्ण बनाता है, केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच भागीदारी स्थापित करता है, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आधारिक-तंत्र के प्रबंध में पीआरआई और समुदाय को सहयोजित करने के लिए एक मंच स्थापित करता है और समानता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है। एनआएचएम राज्यों और समुदाय को स्थानीय पहलों को बढ़ावा देने तथा प्रोन्नायक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंतःक्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निमित्त नमनशीलता प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।

13. दसवीं योजना के अंत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा से यह पता चलता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपूर्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि इस स्थिति में ग्रासरूट स्तर पर एक त्वरित पद्धति से बदलाव लाया जाए। 1 नवम्बर, 2007 को स्थिति इस प्रकार हैः

क. 1.80 लाख ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों (वीएचएससी) के लक्ष्य की तुलना में 2007 तक 1,60,808 समितियां स्थापित की गई हैं।

ख. 2007 तक 3 लाख पूर्णतः प्रशिक्षित प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्मिकों (आशा) के लक्ष्य के संदर्भ में प्रशिक्षण (पहला माड्यूल) के विभिन्न चरण आगे बताए अनुसार पूरे कर लिए गए हैंः (पहला माड्यूल) 334664 को, (दूसरा माड्यूल) 58822 को, (तीसरा माड्यूल) 36527 को और (चौथा माड्यूल) 31629 आशा को। संप्रति, औषधि किटों के साथ एक 1,06,660 आशा मौजूद हैं।

ग. 2007 तक दो एएनएम सहित 52500 उप-केन्द्रों (एससी) में से 10143 में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है।

घ. आशा है कि 2007 तक तीन स्टाफ नर्सों सहित 9000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) काम करना शुरू कर देंगे। यह उपलब्धि 2753 पीएचसी तक हो सकी है।

ड. जिन जिलों में एनआरएचएम के अधीन 2006-07 के लिए वार्षिक एकीकृत कार्ययोजना तैयार की गई है उनकी संख्या 337 है।

आयुष

14. घरेलू और वैश्विकश्र्दोनों स्तरों पर आयुष के व्यापक प्रयोग के लिए सामरिक हस्तक्षेपणीय उपाय तैयार करके आयुष को मुख्यधारा का अंग बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यातव्य क्षेत्र इस प्रकार हैः व्यावसायिक शिक्षा, सामरिक अनुसंधान कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण, सर्वोत्तम नैदानिक परिपाटियों को प्रोत्साहन, उद्योग में प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य फार्माकोपियल मानकों का निर्धारण, औषधीय पेड़-पौधों जीव-जंतुओं, धातुओं और खनिज पदार्थों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष के मानव संसाधनों का प्रयोग जिससे कि अंततः आयुष स्वास्थ्य देखभाल का आउटरीच एक सुलभ, स्वीकार्य, वहनीय और गुणवत्तात्मक तरीके से संवर्द्धित किया जा सके।

किशोर लड़कियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

15. किशोर लड़कियों के लिए एक पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) 2002-02 में प्रायोगिक आधार पर 51 जिलों में शुरू किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2005-06 और 2007-08 के दौरान भी यह कार्यक्रम डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

16. एकीकृत बाल विकास स्कीम जोकि तीन दशकों से भी अधिक समय से मौजूद रही है उसका उद्देश्य बाल और मातृ कुपोषण की समस्या की ओर ध्यान देना था लेकिन निश्चय ही इसका प्रभाव सीमित रहा है। बाल कुपोषण में एक दशक के भीतर तनिक भी गिरावट नहीं आई है और असलियत यह है कि महिलाओं और बच्चों के बीच अरक्तता बढ़ी है तथा 1990 के दशक के अंत में और साथ ही 2005-06 में भी सभी वयस्क महिलाओं में से एक-तिहाई महिलाएं अल्प-पोषित थीं। इसका कवरेज भी सीमित रहा है। इसलिए इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार हैः त्वरित सर्वसुलभीकरण सुनिश्चित करने के लिए कवरेज को बढ़ाना; डिजाइन में बदलाव लाना तथा कार्यान्वयन की योजना इतने विस्तृत ब्यौरों सहित बनाना कि कार्यान्वयन के डिजाइन द्वारा लक्ष्य पराजित न हो जाएं। इसके अलावा, इसकी सभी छः मूल सेवाओं की आपूर्ति पूरी तरह की जानी चाहिए जिससे कि कार्यक्रम प्रभावी बन सके; पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, रेफरल सेवाएं और स्कूल-पूर्व शिक्षा।

4.12 आवास और शहरी विकास प्रभाग

1. शहरीकरण आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इसे समग्र विकास के एक सकारात्मक तत्व के रूप में देखे जाने की जरूरत है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है इसके कस्बे और शहर आकार और मात्रा में विस्तारित होते हैं तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शहरी क्षेत्र का हिस्सा जोकि 1950-51 में 29% था वह क्रमिक रूप से बढ़कर 1980-81 में 47% हो गया। संप्रति, शहरी क्षेत्र जीडीपी में लगभग 62%-63% का योगदान देता है और इसके 2021 तक 75% तक हो जाने की संभावना है।

2. भारत में हाल के दशकों में शहरीकरण की प्रवृत्तियां निम्न प्रमुख विशेषताओं की परिचायक हैंः

(i) भारत में शहरीकरण की गति विश्व में न्यूनतम है। जबकि कुल जनसंख्या में से लगभग 27.8% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं भारत, एशिया के अनेक देशों जैसेकि चीन (32%), इंडोनेशिया (37%), जापान (78%), दक्षिण कोरिया (83%) और पाकिस्तान (35%) की तुलना में कम शहरीकृत है।

(ii) शहरी आबादी का बड़े नगरों और मौजूदा नगर समुदायों में बराबर जमाव (1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी-I के शहर शहरी जनसंख्या के 68.9% हिस्से का निर्माण करते हैं और यह अनुपात बढ़ता जा रहा है। ऐसी ग्रामीण बस्तियों का विकास जोकि शहरी विशेषताएं प्राप्त कर रही हैं

बहुत धीमा है और ग्रामीण बस्तियों को एक कस्बे के रूप में अधिसूचित करने में राज्यों की ओर से आनाकानी बनी हुई है); तथा

(iii) बड़े नगरों में जनसंख्या के जमाव की पद्धति रोजगार अवसरों के स्थानितक ध्रुवीकरण को परिलक्षित करती है। इस स्थिति के फलस्वरूप नागरिक आधारिक-तंत्र पर जैसेकि जल आपूर्ति, मल व्यवस्था तथा जल निकासी, असंचित ठोस अपशिष्ट, पार्कों, शहर के खुले स्थलों, परिवहन आदि पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। साथ ही इसके फलस्वरूप शहरी पर्यावरण के स्तर में भी गिरावट आई है। अनेक शहरों में यातायात के जमाव, प्रदूषण, गरीबी, अपर्याप्त आवास, अपराध और सामाजिक तनाव जैसी समस्याएं खतरनाक स्थितियों का रूप ले रही हैं।

(iv) शहरी समुदायों और कस्बों की संख्या जो 1991 में 3768 थी वह 2001 में बढ़कर 5161 हो गई है। इसके अलावा इस शहरीकरण की विशेषता हैः निर्वाचित निकायों को कार्यों का अधूरा प्रत्यायोजन, समुचित वित्तीय संसाधनों की कमी, नगर स्वायत्तता की ओर बढ़ने की अनिच्छा, संपत्ति कराधान के मामले में पुरानी पद्धतियों का अनुपालन, उपभोक्ता प्रभार लगाने में हिचकिचाहट, बुनियादी सेवाओं जैसेकि जल आपूर्ति और स्वच्छता आदि के प्रावधान में परोक्षतः नियंत्रित निकायों की असंतोषपूर्ण भूमिका। इसके अलावा जिला आयोजना समितियों और महानगर आयोजना समितियों के संबंध में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अधीन अभिशासन अपेक्षाएं अनेक राज्यों में पूरी नहीं की गई हैं।

3. आवास और शहरी विकास (एचयूडी) प्रभाग के ऊपर शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), आवास और शहरी निर्धनता उपशमन (एचयूपीए), गृह मंत्रालय (एमएचए) तथा न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों/कार्यक्रमों की आयोजना, समन्वय, निर्माण, प्रासेसिंग, जांच, विश्लेषण और मानीटरन आदि की जिम्मेदारी है। विस्तृत क्षेत्रक में ये शामिल हैंः सामाजिक आवास, शहरी विकास, शहरी परिवहन, शहरी निर्धनता उपशमन, मलिन बस्तियों का स्तरोन्नयन, उच्च न्यायालय और नगर न्यायालय भवनों का प्रावधान, न्यायाधीशों के लिए रिहाशीय आवास, न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, पुलिस आवास, अपराध/आपराधिक खोज नेटवर्क और प्रणालियां, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध आदि।

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

4. मौजूदा सरकार की नीतियों के अनुसरण में भारत के प्रधानमंत्री ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की शुरूआत की थी जिसका उद्देश्य शहरी निर्धन वर्ग को आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क नेटवर्क, शहरी परिवहन, भीतरी (पुराने) नगर क्षेत्रों के विकास आदि सहित बुनियादी सेवाओं के प्रावधान पर बल देते हुए 63 चुनिंदा शहरों में शहरी आधारिक-तंत्र और सेवाओं के एकीकृत विकास की ओर केन्द्रित ध्यान देना था। मिशन की 7 वर्ष की अवधि जिसकी शुरूआत 2005-06 से होती है उसके लिए सुधार संबंधी केन्द्रीय सहायता के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय सहायता का प्रावधान मिशन अवधि के दौरान राज्य और यूएलबी/परोक्षतः नियंत्रित निकायों के स्तरों पर कतिपय अनिवार्य और साथ ही वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के साथ जुड़ा हुआ है। 2006-07 के लिए 4900 करोड़ रुपए के आबंटन में से 3906 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 2007-08 में 5500 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया जिसे अब 7250 करोड़ रुपए के रूप में संशोधित कर दिया गया है।

5. भारत के समाजार्थिक रूपांतरण में शहरों और कस्बों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तथापि, अधिकांश शहर और कस्बे आधारिक-तंत्र और बुनियादी सेवाओं के मामले में गंभीर दबाव झेल रहे हैं। 2001 में 50.3% शहरी परिवारों के पास अपने परिसरों के भीतर नलके का पानी उपलब्ध नहीं था और उनमें से 44% के पास स्वच्छता सुविधाएं नहीं थीं। 2004-05 में देश की 25% शहरी जनसंख्या निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिता रही थी। 2001 की जनगणना के अनुसार 14.12% शहरी आबादी मलिन बस्तियों में रहती है जिनमें से एक बहुत बड़े अनुपात को बुनियादी सेवाएं सुलभ नहीं है।

जेएनएनयूआरएम की कार्यनीति

6. यह कार्यनीति इस अभिधारणा पर आधारित है कि शहर भारत की आर्थिक उन्नति और निर्धनता कम करने में एक सार्थक योगदान दे रहे हैं। यह कार्यक्रम सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को पूरा करने का प्रयास करता है और ऐसी कल्पना की गई है कि यह कार्यक्रम शहरी आधारिक-तंत्र में निवेश को सुकर बनाकर मिशन पद्धति से संचालित किया जाएगा। यह मिशन 63 मिशन शहरों जिनमें से प्रत्येक शहर को अपनी शहर विकास योजना (सीडीपी) तैयार करनी है के एकीकृत विकास के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करता है और ऐसा करते समय शहर के लिए एक दीर्घकालीन परिकल्पना प्रस्तुत करता है और आधारिक-तंत्र परियोजना द्वारा इसके प्रयासों को सहायता उपलब्ध कराता है। मिशन की एक अनिवार्य अपेक्षा मिशन अवधि के भीतर शहरी सुधारों का कार्यान्वयन है। साथ ही इसका उद्देश्य जहां कहीं संभव हो सरकारी-निजी (पीपीपी) भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं के विकास, प्रबंध, कार्यान्वयन और वित्तपोषण में निजी क्षेत्र का लाभ उठाना और उनकी दक्षताओं को समाहित करना है।

जेएनएनयूआरएम के कार्यान्वयन की स्थिति

एचयूडी प्रभाग के अधिकारी संबंधित मंत्रालयों/समीक्षा बैठकों की केन्द्रीय मंजूरी और मानीटरन समित की बैठकों में भाग लेते रहे हैं। उप-मिशन ख् के अधीन शहरी विकास मंत्रालय ने 31 दिसम्बर, 2007 को 2662.46 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की है। उप-मिशन ख्ख् के तहत आवास और शहरी निर्धनता उपशमन मंत्रालय ने 15 नवम्बर, 2007 को 1484.57 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की है।

जेएनएनयूआरएम की अपेक्षित उपलब्धियां

(i) बेहतर अभिशासन और सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रूप से संधारणीय शहर।
(ii) शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की सर्वसुलभता।
(iii) अभिशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही।
(iv) आधुनिक पारदर्शी बजट निर्माण, लेखांकन और वित्तीय प्रबंध प्रणालियां अपनाना।

संचित वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ)

7. सरकार ने एक संचित वित्त विकास निधि स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ताकि शहरी स्थानीय निकायों को राज्य स्तरीय वित्तीय तंत्र के माध्यम से, उनकी ऋण विश्वसनीयता के आधार पर बाजार से ऋण उठाने की सुविधा द्वारा उन्हें ऋण संवर्द्धन उपलब्ध कराया जा सके। पीएफडीएफ के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैः

(i) उपयुक्त क्षमता निर्माण उपायों और परियोजनाओं की वित्तीय रचना के माध्यम से बैंक योग्य शहरी आधारिक-तंत्र परियोजनाओं के विकास को सुविधापूर्ण बनाना।

(ii) शहरी आधारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक या एक से अधिक अभिज्ञात यूएलबी की ओर से संचित वित्तपोषी बंध-पत्रों के माध्यम से पूंजी बाजारों का लाभ उठाने के उद्देश्य से राज्य संचित वित्त निकायों (एसपीएफई) को ऋण संवर्द्धन अनुदान प्रदान करके महत्वपूर्ण नगर आधारिक-तंत्र में निवेश के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पूंजी बाजार सुलभ कराना सुविधापूर्ण बनाना।

(iii) उपयुक्त ऋण संवर्द्धन उपायों और मौजूदा महंगे ऋणों की पुनर्रचना के माध्यम से स्थानीय निकायों के लिए ऋण उठाने की लागत कम करना।

(iv) नगर बंध-पत्र बाजार के विकास को सुविधापूर्ण बनाना।

2007-08 के लिए 100 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। तमिलनाडु के लिए पीएफडीएफ की पहली बैठक अगस्त, 2007 में चेन्नई में आयोजित की गई और बंध-पत्रों के माध्यम से उनकी निधियां जुटाने के उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

नगरपालिकाओं में ई-अभिशासन

8. नगरपालिकाओं में ई-अभिशासन पर राष्ट्रीय मिशन पद्धति परियोजना 423 श्रेणी I शहरों में कार्यान्वित किए

जाने का प्रस्ताव है ताकि नागरिकों को एकल खिड़की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें जिससे कि यूएलबी की प्रभाविता और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 787 करोड़ रुपए है जिसमें केन्द्रीय हिस्सा 676 करोड़ रुपए का है। इस स्कीम पर पूर्ण योजना आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

उपग्रह कस्बों/काउंटर-मैग्नेट शहरों का विकास

9. महानगरों और मेगा शहरों जोकि व्यापार और वाणिज्य का केन्द्र बन चुके हैं उन्हें छोटे और मझोले कस्बों तथा विशाल ग्रामीण भीतरी प्रदेश से अक्षुण्ण अंतःप्रवसन की समस्या से जूझना पड़ता है। इनकी आयोजना नगर सीमाओं से बढ़कर की जानी होती है और एकीकृत परिवहन तथा संचार आयोजना को समुचित महत्व दिए जाने की जरूरत है। शहरी विकास मंत्रालय ने 11वीं योजना में उपग्रह कस्बों/काउंटर-मैग्नेट शहरों के विकास के लिए एक नई स्कीम की पेशकश की है। इस स्कीम को मंजूरी देने के लिए इसका अध्ययन किया जा रहा है।

राष्ट्रमंडल खेल

10. आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए खेलगांव, खेलकूद प्रतियोगिताओं जैसे कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश तथा बिलियड्र्स और स्नूकर्स आदि के लिए प्रतियोगिता स्थलों के विकास की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को सौंपी गई है। दिल्ली में खेल परिसरों में अपेक्षित सुविधाएं विकसित करने के प्रयोजन से शहरी विकास मंत्रालय के वास्ते 2007-08 के लिए 80 करोड़ रुपए का और समूची 11वीं योजना के लिए 335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्य के संशोधित कार्यक्षेत्र के कारण इस लागत में वृद्धि होने की संभावना है।

शहरी निर्धनता उपशमन और मलिन बस्ती विकास

11. भारत में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाली आबादी का प्रतिशत जोकि 1993-94 में 32.3% था वह 2004-05 (एकसमान प्रत्यावाहन अवधि पर आधारित) में घटकर 25.7% हो गया है। एनएसएसओ का 61वां दौर यह दर्शाता है कि जहां शहरी निर्धनता में प्रतिशत के अर्थों में गिरावट आई है, इसी अवधि के दौरान वास्तविक संख्या की दृष्टि से इसमें 4.4 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि हुई है।

मलिन बस्तियां और मलिन बस्तियों की पुनर्स्थापना

12. अनुमानों के अनुसार 2001 में मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी 61.82 मिलियन थी जिसमें से 640 कस्बों और 50000 या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में सूचित मलिन बस्तियों में रहने वालों की संख्या 42.58 मिलियन थी। इन 640 कस्बों की कुल शहरी आबादी 184.35 मिलियन है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

13. 1997 में शुरू की गई इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य शहरी बेरोजगार/अल्प-रोजगार (शहरी निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाले) व्यक्तियों को निम्न के माध्यम से लाभकारी रोजगार प्रदान करना था: स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देकर; तथा मजदूरी रोजगार की व्यवस्था।

एसजेएसआरवाई के स्व-रोजगार घटक के अधीन सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 10.80 लाख शहरी गरीबों को सहायता प्रदान की गई है, 107.77 लाख व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, शहरी क्षेत्रों में 59528 महिलाओं और बाल विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) समूहों का गठन किया जा चुका है और 208898 बचत तथा ऋण सोसायटियां स्थापित की जा चुकी हैं। एसजेएसआरवाई के समुदाय संरचना घटक के अधीन कवर किए गए लाभग्राहियों की संख्या 351.45 लाख है तथा एसजेएसआरवाई के मजदूरी रोजगार घटक के अधीन सृजित कार्य के श्रम दिवसों की संख्या 654.45 लाख है।

14. एसजेएसआरवाई की निम्न विशेषताओं के अर्थों में उसका संशोधन किया जा रहा है:

(i) स्कीम का स्व-रोजगार घटक बाजार सर्वेक्षणों के अर्थों में और अधिक बाजार-चालित बनाया जाएगा

जोकि सूक्ष्म उद्यमकर्ताओं को आला खंडों का पता लगाने में सहायता करेगा जहां उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए संभावित मांग मौजूद है।

(ii) परंपरागत कौशलों के संबंध में स्थानीयकरण के तत्वों को ध्यान में रखते हुए और निर्धारित उत्पादों के लिए विख्यात कस्बों के अर्थों में सूक्ष्म उत्पादन यूनिटों के संकुल विकसित किए जाएंगे।

(iii) साझा सुविधा केन्द्रों, साझा प्रयोग के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण मशीनरी/उपकरण उपलब्ध कराने और इसके साथ-साथ उचित मूल्यों पर उत्तम स्तर के कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अर्थों में चुनिंदा संकुलों के प्रौद्योगिकीय आधार का सुदृढ़ीकरण करने के लिए समुचित अथवा मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी इन्पुटों का प्रयोग किया जाएगा। ये साझा सुविधा केन्द्र चुनिंदा आर्थिक क्रियाकलाप के संबंध में सूक्ष्म उद्यमकर्ता के संघों द्वारा स्वयं चलाए जाएंगे।

(iv) सूक्ष्म उद्यमकर्ताओं को उच्च स्तरीय लघु उद्यम सलाहकार सेवाएं (एसईएएस) उपलब्ध कराई जाएंगी।

(v) प्रमाणन सहित स्तरोन्नत तकनीकी कौशल उपलब्ध कराने के लिए समूचे देश के भीतर संसाधन संस्थानों का चयन किया जाएगा।

(vi) समुदाय स्तर पर बचत और ऋण सोसायटियों को प्रोत्साहित करके स्व-रोजगार प्रयासों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

(vii) सूक्ष्म उद्यमकर्ताओं को व्यापार-आधारित संगठन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(viii) एसजेएसआरवाई के अधीन उपयुक्त अनुप्रयोग के खातिर केरल के कुदुंब श्री माडल का मिशन दृष्टिकोण तथा देश के विभिन्न भागों में अन्य सर्वोत्तम परिपाटियां अपनाई जाएंगी।

(ix) सचल बिक्री केन्द्रों के विकास के लिए आईआईटी तथा अन्य संस्थानों से डिजाइन और विकास सेवाएं प्राप्त की जाएंगी।

(x) किसी नामित संस्थान और एक विशिष्ट कार्यबल के तत्वावधान में पश्चगामी तथा अग्रगामी संबंधों की ओर विशेष ध्यान देते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

15. मजदूरी रोजगार घटकः

(i) तकनीकी सेवाओं में दक्षता में लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जिसके संबंध में विशिष्ट वृत्तियों के लिए प्रमुख संस्थानों द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए जाएंगे।

(ii) बहुविध वृत्तियों जैसेकि निर्माण, ब्यूटीशियन और त्वचा देखभाल, केश विन्यास, आतिथ्य सत्कार, पर्यटक गाइड, सुरक्षा, परिवहन और सचिवालयी वृत्तियों में स्थानन सेवाओं के साथ प्रशिक्षण प्रोत्साहित किया जाएगा।

(iii) स्थानीय समुदायों के सशक्त सहयोजन और भागीदारी के साथ कम आय वाले निकटवर्ती स्थानों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा।

16. संरचनात्मक तथा संगठनात्मक घटकः

(i) राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंध यूनिटों (पीएमयू) तथा यूएलबी स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के क्षमता स्तर और आउटरीच में सुधार लाकर आपूर्ति तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

(ii) शहरी निर्धनों के लिए नगर निगम बजटों में 25ऽ आबंटित किए जाने की जरूरत है।

(iii) स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के विशेष संदर्भ में शहरी निर्धनों के लिए सेवाओं के अभिसरण की जरूरत है।

(iv) संशोधित एसजेएसआरवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सांख्यिकीय और मानीटरन इन्पुट उपलब्ध कराने के वास्ते राष्ट्रीय भवन संगठन (एनबीओ) का सुदृढ़ीकरण किए जाने की जरूरत है।

(v) क्षमता निर्माण तथा नवाचारी और प्रायोगिक मार्गदर्शी परियोजनाओं पर केन्द्रित बल दिए जाने के लिए शहरी निर्धन परियोजना के लिए और साथ ही यूएन तथा अन्य बहुपक्षीय/द्विपक्षीय परियोजनाओं के लिए यूएनडीपी-वित्तपोषित राष्ट्रीय कार्यनीति के साथ उपयुक्त नेटवर्क निर्माण की जरूरत है।

शहरी आवासन

17. आवासन जहां शहरी निवासियों के लिए एक अत्यंत बुनियादी जरूरत है, वह विकास की गति में तेजी लाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी अन्य उद्योग की भांति आवासन में निवेश का आय और रोजगार पर एक तीव्रकारी प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि आवासन/विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में समग्र रोजगार सृजन प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में आठ गुना होता है। विनिर्माण क्षेत्रक रोजगार में 7% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। आवासन गृह-आधारित आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। साथ ही आवासन का इस्पात, सीमेंट, संगमरमर/सिरेमिक टाइलों, विद्युत वायरिंग, पीवीसी पाइपों और विभिन्न प्रकार के फिटिंग पर, उद्योगों जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक योगदान रहता है सीधा प्रभाव पड़ता है।

शहरी परिवहन

18. शहरीकरण के फलस्वरूप परिवहन की मांग में तदनुरूपी वृद्धि हुई है। परिवहन आधारिक-तंत्र में वृद्धि बढ़ी हुई मांग के अनुरूप नहीं रह पाई है और सरकारी परिवहन वाहनों की हिस्सेदारी घटी है। भीड़भाड़ की समस्या और इसके प्रभाव शहरी क्षेत्रों की संधारणीयता के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं।

19. राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 जिसने "वाहनों को नहीं लोगों को लेकर चलें" की जरूरत पर बल दिया था उसके द्वारा सरकारी परिवहन और गैर-मोटरचालित माध्यमों के प्रयोग को प्रोत्साहित करके उक्त नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में शहरी विस्तार को संभालना महत्वपूर्ण तत्व है। नीति कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता, नवाचारी वित्तपोषी तंत्रों, भूमि प्रयोग और परिवहन आयोजना के बेहतर एकीकरण को बढ़ावा देकर यात्रा मांग में कमी लाने का सुझाव देती है।

20. 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसे शहरों की संख्या 35 से अधिक है जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली को छोड़कर किसी भी मेगा शहर में विशाल त्वरित संचरण प्रणाली (एमआरटीएस) नहीं है। दिल्ली मेट्रो परियोजना समय-सूची के अनुसार प्रगति कर रही है और चरण-रु पूरी तरह प्रचालनात्मक हो गया है। अन्य महानगर भी मेट्रो रेल प्रणाली के लिए डीपीआर तैयार करने की तैयारी में है।

एमआरटीएस

21. एचयूडी प्रभाग ने निम्न मेट्रो परियोजनाओं की जांच की है:

(i) मुंबई मेट्रो (अंधेरी-वर्सोवा, घाटकोपर कारीडोर); (ii) कोलकाता मेट्रो (पूर्वी-पश्चिमी कारीडोर); (iii) दिल्ली मेट्रो (नई दिल्ली-आईजीआई हवाई अड्डा एक्सप्रेस लिंक, केन्द्रीय सचिवालय-बदरपुर कारीडोर) (दिल्ली मेट्रो का नोएडा और गुड़गांव तक विस्तार) (द्वारका सेक्टर-9 से द्वारका सेक्टर-21 तक) (एक्सप्रेस मेट्रो लिंक का आईजीआई एयरपोर्ट से द्वारका तक विस्तार) (कीर्तिनगर-मुंडका)

अन्य क्रियाकलाप

22. एचयूडी प्रभाग ने विभिन्न नए प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों, ईजीओएम टिप्पणियों, सीसीईए टिप्पणियों, जेएनएनयूआरएम के मार्गनिर्देशों के संशोधन से संबंधित ईएफसी प्रस्तावों, मेट्रो रेलवे अधिनियम के संशोधन, एमआरटीएस/मेट्रो रेल संयोज्यता, बीआरआईएमएसटी ओडब्ल्यूएडी, सीपीडब्ल्यूडी प्रस्तावों, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, पीएफडीएफ, एनयूआईएफ, एनसीआरपीबी, राष्ट्रीय शहरी आवास और हैबीटेट नीति, शहरी पटरी विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति, सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007, शिकायतों पर कार्रवाई करने की प्रबंध प्रणाली, दिल्ली पुलिस के प्रस्तावों, उत्तम अभिशासन के राष्ट्रीय केन्द्र, उत्कृष्टता केन्द्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, संचार आधारिक-तंत्र के स्तरोन्नयन और विस्तार, अवैध व्यापार विरोधी यूनिटों, पुलिस आवास, पुलिस आधुनिकीकरण, ग्राम न्याय विधेयक 2007, नगरपालिकाओं में ई-अभिशासन की गहराई से जांच की और मंत्रालयों/विभागों को अपनी टिप्पणियां भेजीं।

23. प्रभाग ने 11वीं योजना के संदर्भ में मलिन बस्तियों पर बल देते हुए शहरी विकास संबंधी संचालन समिति (शहरी

परिवहन, शहरी आवास तथा शहरी निर्धनता सहित) की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

24. साथ ही इस प्रभाग ने 11वीं योजना दस्तावेज के लिए शहरी आधारिक-तंत्र, आवासन, बुनियादी सेवाओं और निर्धनता उपशमन पर अध्याय तैयार किया।

गृह मंत्रालय और न्याय विभाग

25. वर्ष 2007-08 के दौरान इस प्रभाग ने न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न स्कीमों के अधीन यथा न्यायपालिका के लिए आधारिक सुविधाओं के निर्माण के लिए, जिसमें उच्च न्यायालय भवनों का निर्माण, नगर न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण शामिल है प्रगति की जांच की। साथ ही इस प्रभाग ने न्याय विभाग के इस आशय के प्रस्ताव की भी जांच की कि न्यायपालिका के लिए आधारिक सुविधाओं और क्षमता निर्माण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के तहत राज्यों को जरूरत आधारित आबंटन किया जाना चाहिए। क्योंकि एक परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार ऐसा करना पिछले सूत्र-आधारित आबंटन की तुलना में एक अधिक युक्तियुक्त मानदंड होगा इसलिए इससे राज्यों के बीच समानता प्राप्त करने में और पिछड़े हुए राज्यों को अन्य राज्यों के बराबर लाने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार आयोजना के मूल लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी।

26. प्रभाग ने गृह मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों की भी जांच की और इस बात पर बल दिया कि गृह मंत्रालय की प्लान स्कीम का बल (क) पुलिस आवास से हटकर अपराध और आपराधिक खोज प्रणालियों के स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण पर होना चाहिए, (ख) क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी समावेशन के माध्यम से कार्मिकों की संख्या से हटकर उनकी गुणवत्ता पर होना चाहिए तथा (ग) बड़ी संख्या में छितरी हुई स्कीमों से हटकर कम संख्या में उच्च प्रभाव वाली एकीकृत स्कीमों पर रहना चाहिए। साथ ही इस प्रभाग ने सचिवों की समिति, मंत्रिमंडल टिप्पणियों से संबंधित विषयों पर गृह मंत्रालय के विभिन्न सुझावों की भी जांच की और योजना आयोग के विचार प्रेषित किए।

4.13 उद्योग प्रभाग

उद्योग प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों का नोडल प्रभाग है :

- औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग
- कपड़ा मंत्रालय
- उर्वरक मंत्रालय
- रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग
- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
- उपभोक्ता कार्य विभाग
- इस्पात मंत्रालय

- उपरोक्त के अलावा, यह प्रभाग निम्नलिखित विभागों के संबंध में उद्योग घटक के कार्य की भी देखभाल करता है :

- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
- परमाणु ऊर्जा विभाग
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
- नौवहन विभाग
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

उपर्युक्त मंत्रालय/विभागों के साथ वार्षिक योजना चर्चाएं स्कीम-वार परिव्ययों को अंतिम रूप देने में परिणाम में परिवर्तित हुई। उद्योग प्रभाग द्वारा कवर किए गए मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वार्षिक योजना 2007-08 के लिए गहन चर्चाएं और सदस्य स्तरीय चर्चाओं की व्यवस्था की गई।

1. चर्म क्षेत्रक में निर्यात की वृद्धि से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

2. उद्योग क्षेत्रक के लिए 11वीं योजना सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति द्वारा तैयार की गई जिसमें 9 कार्यदल रिपोर्टों और 2 संचालन समितियों के इन्पुट शामिल किए गए थे।

3. विभिन्न स्कीमों की प्रगति और संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (उद्योग प्रभाग से संबंधित) के संबंध में अर्द्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकें आयोजित की गईं।

4. उद्योग प्रभाग ने, निवेश परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न निर्णय लेने/अनुमोदन में भाग लिया।

5. उपभोक्ता मामले विभाग को प्रचार अभियान के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि के वास्ते विभिन्न स्कीमें तैयार करने के प्रयोजन से कार्यबिंदु तैयार करने के योग्य बनाने के लिए विशिष्ट पहलें की गईं। उपभोक्ता मंच का एकीकृत निर्माण, माप और तौल आधारिक-तंत्र का सुदृढ़ीकरण आदि। वार्षिक योजना परिव्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के माध्यम से विशिष्ट सहायता उपलब्ध कराई गई।

6. भारत सरकार की इक्विटी के अंश के मंदन से संबंधित मामलों की जांच की गई और सीओएस, सीसीईए, जीओएम बैठकों के लिए टिप्पणियां दी गईं।

7. ईएफसी/पीआईबी के लिए निवेश प्रस्तावों की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच-पड़ताल की गई तथा मूल्यांकन टिप्पणी में शामिल किए जाने हेतु टिप्पणियां दी गईं।

8. उद्योग प्रभाग को फार्मास्यूटिकल, पेट्रो रसायन, इस्पात और पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश (एनईआईआईपी) जैसे क्षेत्रकों के लिए नीतियों के निर्माण में सहयोजित किया गया। प्रतिस्पर्धा आयोग के गठन और नई कंपनी विधि के संशोधन की भी जांच की गई।

9. उद्योग क्षेत्रक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के तत्वावधान में सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों का पुनरुद्धार तथा पुनर्रचना प्रस्ताव की, जैसाकि बीआरपीएसई ने सिफारिश की थी, संवीक्षा/जांच की गई तथा सीओएस/सीसीईए के विचारार्थ टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

10. मंत्रिमंडल/सीसीईए/सीसीडी/सीओएस के लिए टिप्पणियों की जांच की गई।

11. विभिन्न राज्यों के वार्षिक योजना, एचपीआर तथा राज्य विकास रिपोर्टों जैसे दस्तावेजों से संबंधित विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

12. 2007-08 के दौरान उद्योग क्षेत्रक के अधिकार-क्षेत्र के अधीन अग्रणी कार्यक्रम परिव्यय सहित।

एनएटीआरआईपी-आटोमोबाइल में परीक्षण सुविधा : 200 करोड़ रुपए।

- पीएसई का पुनर्गठन : 98.31 करोड़ रुपए।
- औद्योगिक संकुल स्कम का उन्नयन : 180.00 करोड़ रुपए।
- भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम : 78.00 करोड़ रुपए।
- एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम : 425 करोड़ रुपए।
- कपास प्रौद्योगिकी मिशन : 50 करोड़ रुपए।
- पटसन प्रौद्योगिकी मिशन : 72 करोड़ रुपए।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (वस्त्र) : 911 करोड़ रुपए।
- उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता : 122 करोड़ रुपए।
- परमाणु ऊर्जा आयोग : 516 करोड़ रुपए।

खनिज पदार्थ

खनिज क्षेत्रक के संबंध में वार्षिक योजना अध्याय 2007-08 तैयार किया गया।

(i) 11वीं पंचवर्षीय योजना-दस्तावेज के लिए खनिजों पर अध्याय तैयार किया गया।

(ii) सदस्य (उद्योग), योजना आयोग द्वारा आयोजित खान मंत्रालय की बैठक में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) के लिए सामग्री का संकलन किया गया। बैठक का कार्यवृत्त मंत्रालयों/संगठनों/पीएसयू के बीच परिचालित किया गया।

(iii) खान मंत्रालय की प्लान स्कीमों के लिए शून्य आधारित बजट निर्माण पद्धति अपनाई गई। शून्य आधारित बजट निर्माण के अनुसार खान मंत्रालय की स्कीमों का मूल्यांकन करने के लिए प्रधान सलाहकार (उद्योग और खनिज) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और उसके कार्यवृत्त परिचालित किए गए।

(iv) खान मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए निवेश प्रस्तावों का योजना आयोग की "सैद्धांतिक मंजूरी" प्रदान किए जाने के लिए मूल्यांकन किया गया।

(v) खान मंत्रालय के लिए तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, मृदा विज्ञान मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के खनिज क्षेत्रकों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के प्रस्तावों पर चर्चा की जा चुकी है।

(vi) विभिन्न भू-वैज्ञानिक तथा अन्य संबद्ध संगठनों द्वारा किए गए कार्य की बारीकी से जांच करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान आयोजित केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

4.14 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग

1. अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग भारत के विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन से संबंधित मुद्दों और आयोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में विदेशी निवेश से संबंधित मुद्दों के भी अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी सहयोग, जिसमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन शामिल हैं, से संबंधित कार्य और क्षेत्रीय प्रबंधों, जैसेकि एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और क्षेत्रीय सहयोग के लिए पेसिफिक और दक्षिण एशियाई एसोसिएशन से संबंधित कार्य भी संभालता है। इस संदर्भ में, प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों और मुद्दों का विश्लेषण करने में लगा हुआ है। अन्य कार्यों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत भूटान में बहुत बड़ी परियोजना के लिए योजना आबंटन को भी संभालता है।

2. ऊपर वर्णित कार्यकलापों के अलावा, वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनागत स्कीमों से संबंधित योजनाएं, जिन्हें पहले उद्योग प्रभाग द्वारा संभाला जाता था, आजकल आईई विभाग द्वारा संभाला जाता है। वाणिज्य विभाग से संबंधित कार्य के अंतर्गत विभिन्न किस्म की योजनागत स्कीमें सम्मिलित हैं, जैसे कि निर्यात अवसंरचनात्मक विकास के लिए सहायता (एएसआईडीई), एपीइडीए, एमपीईडीए, ईसीजीसी, एमएआई, एनईआईए, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ व अन्य स्कीमें। एमईए और डीओसी के संबंध में अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्ष बैठकें आयोजित की गई। यह प्रभाग डीओसी के वार्षिक योजना प्रस्तावों, विभिन्न प्लान स्कीमों की छमाही निष्पादन समीक्षा और प्रत्येक स्कीम के निष्पादन/परिणाम के आधार पर उनके परिव्ययों को अंतिम रूप दिए जाने जैसे विषयों पर भी कार्रवाई करता है।

3. वर्ष के दौरान अनेक उच्च-अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिमंडलों ने माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्य योजना मंत्री और सदस्य-सचिव, योजना आयोग के साथ भेंट की।

4. इस प्रभाग ने विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के परामर्श से एमईए और डीओसी के लिए 2007-08 के वास्ते वार्षिक योजना परिव्यय प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया।

5. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग द्वारा ईजीओएम, मंत्रिमंडल बैठकों तथा सचिवों की समिति की बैठकों जैसी उच्चस्तरीय बैठकों से संबंधित विभिन्न कागजात पर कार्रवाई की गई।

6. **व्यापार और आर्थिक संबंध समिति** की बैठकों से संबंधित कार्यसूची टिप्पणियों की जांच की गई और प्रस्तुत की गई। मोटे तौर पर कार्यसूची टिप्पणियां निम्न से संबंधित थीं:

- अधिमान्य व्यापार करार (पीटीए)
- देशों और संघों के साथ व्यापार सुविधाकरण करार
- जापान के साथ ईपीए/सीईपीए पर बातचीत करने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन
- न्यूनतम विकासशील देशों के लिए एकपक्षीय टैरिफ अधिमान्यता
- संयुक्त अध्ययन समूह
- आसियान/भारत एफटीए बातचीत में प्रगति
- आसियान के साथ मुक्त आकाश करार आदि

7. **सचिवों की समिति (सीओएस)**: सचिवों की समिति की बैठकों में जिन मुद्दों और चर्चा लेखों पर विचार-विमर्श किया जाना है उन्हें लेकर निम्न के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं:

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से भारत की सुरक्षा को संभावित खतरा;
- लक्ष्य संवर्द्धित स्कीम का दुरूपयोग/दिल्ली के उच्च न्यायालय में भारत-अफगान चैंबर आफ कामर्स द्वारा दायर वाणिज्य विभाग के बीच के मतभेद;
- नई दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित जोकि भारत की यात्रा करते हैं विदेशी राष्ट्रिकों के लिए विभिन्न सेवाओं के संबंध में लगाए गए प्रभारों की नीति की समीक्षा;
- डीजीएस तथा डी के कार्यकरण की समीक्षा।

8. सीसीईए और मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों के लिए निम्न मसौदों की जांच की गई और आयोग की टिप्पणियां

प्रस्तुत की गईं;

- विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों के खुदरा व्यापार में एफडीआई;
- विनिर्माण विकास परियोजना में एफडीआई के विशिष्ट संदर्भ में पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अधीन एफडीआई;
- मौजूदा शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) स्कीम का तीन वर्षों तक विस्तार;
- बंद चाय बागान के लिए पुनर्स्थापना पैकेज;
- मारीशस के साथ व्यापक आर्थिक सहायता और भागीदारी करार;
- एफडीआई संबंधी नीति की समीक्षा;
- जर्मनी में स्थापित किए जा रहे प्रोटोन-रोधी और आयन अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और प्रयोग में भारतीय सहभागिता पर मंत्रिमंडल टिप्पणी;
- भारतीय विकास सहयोग एजेंसी (आईडीसीए) के लिए प्रस्ताव;
- चाय, रबड़, तंबाकू और मसालों के लिए फसल बीमा स्कीम।

9. निम्न विषयों पर मंत्रालयों के अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) की बैठकों के लिए कार्यसूची टिप्पणियां:

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार करना;

10. आईई प्रभाग ने निम्न बैठकों में भाग लिया:

- नई दिल्ली में मार्च, 2007 में भारत, भूटान सहयोग वार्ता;
- वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एमएआई की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें;
- एमएआई की उप-समिति की बैठकें;
- एसईजेड से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए योजना आयोग के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता में बैठकें;
- नई दिल्ली में विशेष विकास पर कार्यदल की दूसरी आईबीएसए बैठक;
- एशिया विशिष्ट क्षेत्र में आधारिक वित्तपोषण और विकास में सरकारी-निजी भागीदारी के लिए संकल्पों के मसौदे और क्षेत्रीय तंत्र पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य राज्य मंत्री द्वारा ली गई बैठकें;
- गेडू में अप्रैल, 2007 में आयोजित टीएचपीए की 24वीं बैठक;
- सीरियाई अरब गणराज्य के उप-प्रधानमंत्री डॉ. अबदुल्ला गरदारी तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच प्रस्तावित बैठक में चर्चा के लिए अंतःमंत्रालयी बैठक;
- सचिव, वाणिज्य की अध्यक्षता में वाणिज्य विभाग की विभिन्न प्लान स्कीमों के लिए ईएफसी बैठकें;
- सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में वाणिज्य विभाग की विभिन्न प्लान स्कीमों के लिए ईएफसी बैठकें;
- सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में एमईए की विभिन्न प्लान स्कीमों के लिए ईएफसी बैठकें;
- आईबीएसए की नई दिल्ली में जुलाई, 2007 में आयोजित त्रिपक्षीय आयोग बैठकें;
- जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में तीसरी आईबीएसए कार्यदल बैठक;
- एमईए तथा भारतीय ओवरसीज अफेयर्स मंत्रालय के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सीएनई बैठकें;
- जेनेवा में मई, 2007 में आयोजित व्यापार नीति समीक्षा।

11. वाणिज्य विभाग तथा एमईए से प्राप्त निम्न प्रस्तावों के संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी के लिए विचार किए जाने के वास्ते आईई प्रभाग द्वारा निम्न प्रस्तावों की जांच की गई:

- एमपीईडीए की नई प्लान योजना - शीतित मत्स्य निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के वास्ते वित्तीय सहायता।
- रायबरेली, यूपी में स्थित फुटवियर डिजाइन तथा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफजीडीडीआइ) की शाखा के स्तरोन्नयन के लिए प्रस्ताव।
- निर्यात प्रोत्साहन गुणवत्ता नियंत्रण तथा भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद का स्तरोन्नयन।
- एमपीईडीए द्वारा आरजीसीए नींव की स्थापना।

12. वाणिज्य विभाग और एमईए से प्राप्त निम्न ईएफसी प्रस्तावों की, उन्हें जारी रखने/सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने की दृष्टि से जांच की गई:

- विशेष पुष्प कृषि पुनर्वास निधि का सृजन।
- रबड़ बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमें - प्राकृतिक रबड़ का प्रसंस्करण तथा

गुणवत्ता स्तरोन्नयन तथा उत्पाद विकास; रबड़ पौधा रोपण विकास स्कीम; पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ विकास।
- टी-बोर्ड की 11वीं प्लान स्कीम अर्थात चाय बागान विकास स्कीम, मानव संसाधन विकास स्कीम, बाजार प्रोत्साहन स्कीम, चाय गुणवत्ता स्तरोन्नयन और उत्पाद वैविध्यकरण स्कीम, अनुसंधान और विकास स्कीम।
- काफी बोर्ड की 11वीं प्लान स्कीम।
- आधारिक-तंत्र, परिवहन सहायता, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास से संबंधित एपीईडीए स्कीमें।
- चाय, रबड़, तंबाकू और मसालों के लिए फसल बीमा स्कीम।

13. वाणिज्य विभाग और एमईए से प्राप्त निम्न प्रस्तावों के संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने के लिए विचार करने के प्रयोजन से आईई प्रभाग द्वारा उनकी जांच की गईः

- एमपीईडीए की नई प्लान योजना - शीतित मत्स्य निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के वास्ते वित्तीय सहायता।
- रायबरेली, यूपी में स्थित फुटवियर डिजाइन तथा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफजीडीडीआइ) की शाखा के स्तरोन्नयन के लिए प्रस्ताव।
- निर्यात प्रोत्साहन गुणवत्ता नियंत्रण तथा भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद का स्तरोन्नयन।
- एमपीईडीए द्वारा आरजीसीए नींव की स्थापना।

14. निम्न अनुसंधान अध्ययन प्रस्तावों की जांच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईंः

- व्यापारों में संगठित खुदरा पर अनुसंधान अध्ययन प्रस्ताव : इसके लाभ और हानियां।
- भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सामरिक निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए अमरीका में भारत के राजदूत से प्राप्त प्रस्ताव।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के विधेयक के मसौदे की जांच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

15. हितधारकों के सक्रिय परामर्श से आईई प्रभाग द्वारा निम्न **सहमति ज्ञापन** तैयार किए गएः

- भारत के योजना आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग के बीच सहयोग के संबंध में एमओयू।
- भारत के गणराज्य की सरकार तथा ब्राजील के संघीय गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य की सरकार के बीच सामाजिक मुद्दों के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति ज्ञापन।

16. प्रभाग द्वारा निम्न मंत्रिमंडल टिप्पणियां तैयार की गईंः

- भारत के योजना आयोग और चीन के राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग के बीच सहयोग के संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी मांगने के संबंध में मंत्रिमंडल टिप्पणी।

17. वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय, भारतीय ओवरसीज अफेयर्स मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय से संबंधित मंत्रिमंडल टिप्पणियों के लिए सार। विषय श्रृंखला की शुरूआत व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) दोहरे कराधान से बचाव के लिए करार और आयकर के संबंध में राजकोषीय वंचना के निवारण, वीसा अपेक्षाओं से छूट संबंधी करार, प्रत्यावर्तन संधि, भारतीय विश्व कार्य परिषद अधिनियम, 2001 के संशोधन का प्रस्ताव, द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण करार, दोहा कार्य कार्यक्रम के अधीन डब्ल्यूटीए बातचीत आदि।

4.15 श्रम रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

1. श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग ने रोजगार संबंधी कार्यनीति, रोजगार की नीतियों और मुद्दों, श्रमिक कल्याण और श्रमिक नीतियों तथा कार्यक्रमों, कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और जनशक्ति के आयोजन से संबंधित मामलों के बारे में कार्रवाई करना जारी रखा।

2. देश में श्रम बल, कार्यबल, रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान लगाना, आयोजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आईईएम प्रभाग में यह प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए की जाती है। इस तरह के अनुमान एनएसएसओ सर्वेक्षणों के आधार पर लगाए जाते हैं तथा उनके आधार पर रोजगार अनुमान लगाए जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए देश में रोजगार और बेरोजगारी के आकलन की जिम्मेदारी आईईए प्रभाग के ऊपर है। साथ ही यह प्रभाग रोजगार कार्यनीति, रोजगार नीति तथा अन्य

संबद्ध मुद्दों पर भी कार्रवाई करता है।

3. यह प्रभाग संप्रति, राज्य स्तर पर रोजगार और बेरोजगारी के डाटा के विश्लेषण में प्रवृत्त है जोकि देश में श्रम शक्ति, कार्यबल और बेरोजगारी के अखिल भारतीय स्तर के अनुमानों के साथ मेल खाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 61वां दौर यह दर्शाता है कि 1999-2000 से 2004-05 के बीच रोजगार की वृद्धि में तेजी आई है। इस अवधि (1999-2000 से 2004-05) के दौरान रोजगार में वृद्धि सीडीएस आधार पर 2.62% प्रति वर्ष अनुमानित की गई है।

4. 1999-2000 के दौरान रोजगार की समग्र वृद्धि दर में कमी मुख्यतः कृषि में रोजगार में प्रायः गत्यावरोध के कारण हुई थी। फलतः समग्र रोजगार में कृषि का हिस्सा जोकि 1993-94 में 61.03% था वह 1999-2000 में घटकर 56.64% रह गया। समग्र रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2004-05 में और आगे घटकर 52.06% रह गया। दूसरी तरफ सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं को छोड़कर सेवाओं के भीतर सभी उपक्षेत्रकों में रोजगार की वृद्धि दर 5% प्रति वर्ष से अधिक की रही है। इस अवधि के दौरान रोजगार में योगदान देने वाले जो प्रमुख क्षेत्रक पाए गए थे वे हैं : सेवाएं, विनिर्माण, परिवहन, भंडारण तथा संचार और विनिर्माण क्षेत्रक।

ग्यारहवीं योजना प्रक्रिया

5. इस प्रभाग ने ग्यारहवीं योजना के लिए श्रम और रोजगार अनुमानों पर संचालन समिति रिपोर्ट और कार्यदल रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने का कार्य पूरा किया।

6. संचालन समिति रिपोर्ट और कार्यदल रिपोर्टों के आधार पर ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में समावेशन के प्रयोजन से निम्न तीन अध्यायों अर्थात (i) रोजगार परिप्रेक्ष्य और श्रम नीति, (ii) कौशल विकास और प्रशिक्षण, तथा (iii) सामाजिक सुरक्षा को अंतिम रूप दे दिया गया है।

ग्यारहवीं योजना में रोजगार के लिए कार्यनीति

7. भविष्य में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन मुख्यतः सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों में होगा और इसकी सहायता के लिए नीतिगत पहलों की जरूरत होगी। ग्यारहवीं योजना में विशेष रूप से श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों जैसेकि खाद्य प्रसंस्करण, चर्म उत्पादों, जूतों और वस्त्रों तथा पर्यटन और विनिर्माण जैसे सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाने की जरूरत होगी। पर्यटन-घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह का पर्यटन होटल, खानपान, मनोरंजन और यात्रा क्षेत्रकों में रोजगार सृजन की विशाल संभावनाएं प्रस्तुत करता है और साथ ही अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए हथकरघों और हस्तशिल्प के लिए भी बाजार उपलब्ध कराता है। मकान निर्मित करने और आधारिक-तंत्र का विस्तार करने की जरूरत के कारण भारी मात्रा में रोजगार का भी सृजन होगा।

8. साथ ही रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संगठित क्षेत्र में रोजगार की जबरदस्त वृद्धि जरूरी है।

कौशल विकास और प्रशिक्षण

9. देश में कुशल कार्मिकों की कमी को ध्यान में रखते हुए और प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2004 को की गई घोषणा के अनुसरण में योजना आयोग ने डॉ. तरुण दास, मुख्यमंत्री, सीआईआई की अध्यक्षता में कौशल विकास पर एक कार्यबल का गठन किया। नोडल प्रभाग होने के नाते एलईएम प्रभाग ने बैठक के आयोजन, कार्यवृत्त तैयार करने और अनुवर्ती कार्रवाई आदि से संबंधित कार्य किया। कार्यबल ने मई, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

10. कार्यबल रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एलईएम प्रभाग ने विनिर्माण क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न उद्योग संगठनों, आईटी, निर्माण सेवाओं और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों, राज्य सरकारों, कौशल विकास से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर अनेक बैठकों का आयोजन किया। बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल का एक ऐसा पूल उपलब्ध कराया जाए जोकि एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हो और साथ ही जिसमें अन्य जर्जर अर्थव्यवस्थाओं में कौशल अभाव की पूर्ति के लिए अधिशेष उपलब्ध हो, एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का गठन किए जाने की जरूरत है। एलईएम प्रभाग ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन स्थापित किए जाने के लिए मंत्रिमंडल

टिप्पणी तथा सचिवों की समिति के लिए टिप्पणी का प्रारूप तैयार किया।

श्रम कल्याण

11. इस प्रभाग में श्रम नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में प्रभाग ने संगठित और असंगठित-दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा, मौजूदा श्रमिक कानूनों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी आदि जैसे मुद्दों की जांच की। श्रम मंत्रालय की योजना में शामिल किए जाने के लिए जिन मुख्य स्कीमों को सैद्धांतिक मंजूरी/ईएफसी/पूर्ण योजना आयोग की मंजूरी/मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई वे हैं (i) पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम में नए आईटीआई की स्थापना और जम्मू तथा कश्मीर राज्य में आईटीआई का आधुनिकीकरण, (ii) पीपीपी के माध्यम से कौशल विकास पहल, (iii) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार और बेहतरी के लिए विदेशी सहाय्यित परियोजना, (iv) सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्मय से 1396 सरकारी आईटीआई का स्तरोन्नयन।

12. सदस्य (एलईएम), योजना आयोग ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2006-07 की प्लान स्कीमों के छमाही निष्पादन की समीक्षा की।

13. प्रभाग के प्रतिनिधि ने निम्न महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लियाः

(i) सामाजिक विकास के लिए यूएन आयोग का 45वां अधिवेशन।

(ii) नई दिल्ली में 27 अप्रैल, 2007 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन का 41वां अधिवेशन।

(iii) नई दिल्ली में 13 दिसम्बर, 2007 को आयोजित स्थायी श्रम समिति का 42वां अधिवेशन।

(iv) एनएसएसओ द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर स्वतंत्र सर्वेक्षणों के संबंध में कलकत्ता में आयोजित बैठक।

(v) आईएसएस परिवीक्षाधीनों के समक्ष रोजगार, आयोजना तथा अन्य मुद्दों पर लेक्चर प्रदान किए गए।

14. कार्यदल बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना (2007-08) तथा 11वीं योजना प्रस्तावों (2007-12) पर चर्चा के दौरान उनके भीतर श्रम और रोजगार की स्थिति की समीक्षा की गई।

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर)

15. यह प्रभाग, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान नामक स्वायत्त निकाय, जोकि प्रशिक्षण और अनुसंधान क्रियाकलापों में प्रवृत्त है के प्रशासनिक नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए योजना आयोग में एक नोडल प्रभाग के रूप में काम करता है। साथ ही यह प्रभाग आगे वर्णित निकायों में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है (क) महापरिषद, (ख) कार्यकारी परिषद, तथा (ग) संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों संबंधी स्थायी समिति। यह संस्थान योजना आयोग द्वारा सहायता अनुदान से चलता है।

16. इस संस्थान ने मानव संसाधन आयोजना और विकास जिसमें अनुसंधान, परामर्श, सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन शामिल हैं के क्षेत्र में शैक्षणिक क्रियाकलापों की एक श्रृंखला की परिकल्पना, अवधारणा और निर्माण किया। यह संस्थान जनशक्ति रूपरेखा भारत अब्दकोश निकालता है जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) की सहायता से तकनीकी जनशक्ति संबंधी सूचना का संकलन शामिल रहता है।

17. अर्थव्यवस्था की जरूरतों और योजना आयोग की जिम्मेदारियों में बदलावों को ध्यान में रखते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया। एलईएम प्रभाग ने इस समिति को सचिवालयी और तकनीकी सहायता प्रदान की। समिति ने अगस्त, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

4.16 बहु-स्तरीय योजना (एमएलपी) प्रभाग

1. एमएलपी प्रभाग का संबंध विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, अर्थात (1) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जिसमें पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम शामिल है), (2) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), तथा (3) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीओजीएफ) से है।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पश्चिमी घाट क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी पश्चिमी घाट क्षेत्र के 171 तालुकों में, जिनमें महाराष्ट्र (63 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), तमिलनाडु (33 तालुक), केरल (32 तालुक) और गोवा (3 तालुक) के भाग शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के बीच और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कवर हुए, तालुकों के बीच 60 : 40 के अनुपात में बांटी जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जैव-विविधता के परिरक्षण और पर्वतीय-पारिस्थितिकी के कायाकल्प पर बल देते हुए पारिस्थितिकी का परिरक्षण किया जाए और उसकी बहाली की जाए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उप-योजना पद्धति अपनाई गई है। संबंधित राज्य सरकारें, राज्य योजना से मिलने वाले धन और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता को जोड़कर समूची योजना तैयार करती है। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के मामले में स्कीम-वार पद्धति अपनाई गई है, क्योंकि सीमांकन का यूनिट तालुक है, जिसके संबंध में राज्य योजना से दी जाने वाली धनराशि की मात्रा निर्धारित करना कठिन है।

3. श्री वी.के. अग्रवाल, प्रधान सचिव (योजना), महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता में, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यकम (एचएडीपी)/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूजीडीपी) के अंतर्गत कवर हुए क्षेत्रों में पर्वतीय बस्तियों की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए, योजना आयोग द्वारा एक कार्यदल गठित किया गया है। इस कार्यदल की रिपोर्ट का उपयोग ग्यारहवीं योजना में कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाएगा। कार्यबल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और वह शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

4. वर्ष 2007-08 के दौरान कार्यक्रम के लिए 250.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित आबंटन में से राज्य सरकारों को अब तक एससीए की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 134.66 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत सत्रह राज्य, नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता अनुमोदित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाती हैं।

6. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट स्थित दूर-दराज के क्षेत्रों और अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2004 से सीमा प्रबंध विभाग, गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। वार्षिक योजना 2007-08 में 520.00 करोड़ रुपए के आबंटन के संदर्भ में बीएडीपी राज्यों को अभी तक 302.90 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

7. अगले 3-4 वर्षों के दौरान सीमा क्षेत्रों के व्यापक विकास के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते श्री बी. एन. युगंधार, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है और इस कार्यबल ने प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)

8. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएम) का अनुमोदन मानक कार्यक्रमों की तुलना में अधिक वृहद रूप से पिछड़ेपन के कारणों का समाधान करने के लिए वित्त वर्ष 2006-07 के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य अभिसरण में मदद करना तथा भारत निर्माण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों का, जो स्पष्ट रूप से ग्रामीण आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं किन्तु जिन्हें महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए पूरकता की जरूरत हो सकती है, मूल्य-संवर्द्धन करना है। बीआरजीएफ के अंतर्गत, जनभागीदारी

के माध्यम से चुने गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के जरिए विनिर्धारित पिछड़ा जिलों का संकेन्द्रित विकास करना है। गांव से लेकर जिला स्तर तक, पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई), संविधान के अनुच्छेद 243 जी की भावना के अनुरूप योजना तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण होंगी।

9. बीआरजीएफ के दो घटक हैं नामतः (1) जिला घटक और (2) (क) बिहार तथा (ख) उड़ीसा के बीके जिलों के लिए विशेष योजनाएं।

जिला घटक

10. बीआरजीएफ के जिला घटक के अंतर्गत 250 जिले शामिल हैं, जिनमें सभी 200 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी/ जिले (पूर्व राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत शामिल सभी 147 जिले), पूर्व काम के बदले राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 150 जिले और कतिपय समाजार्थिक परिवर्तनशीलों के आधार पर पिछड़े के रूप में, योजना आयोग द्वारा अगस्त, 2004 में बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के संबंध में अंतर मंत्रालय कार्य दल (आईएमटीजी) द्वारा विनिर्धारित 170 जिले शामिल हैं।

11. 2007-08 के दौरान, आरएसवीवाई के पिछड़ा जिला पहल घटक द्वारा कवर किए गए जिले बीआरजीएफ के लिए किए गए प्रावधानों में से आरएसवीवाई मानदंडों के अनुसार निधियां प्राप्त कर रहे हैं। बीआरजीएफ द्वारा कवर किए गए गैर-आरएसवीवाई जिले बीआरजीएफ की वित्तपोषण पद्धति के अनुसार निधियां प्राप्त कर रहे हैं। 2007-08 के दौरान 29.2.2008 तक 4670 करोड़ रुपए के समग्र प्रावधान में से 3294.85 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

बिहार के लिए विशेष योजना

12. बिहार सरकार के प्रतिनिधियों और राज्य के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ किए गए व्यापक परामर्श के आधार पर विद्युत, सड़कों के संयोजन, बागवानी, वानिकी और जल-संभर (वाटरशेड) विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस घटक के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आबंटन किया जा रहा है। 2007-08 के दौरान अभी तक 857.21 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। स्कीम की शुरूआत से लेकर 3087.36 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना

13. उड़ीसा के केबीके क्षेत्र में कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट के अविभाजित जिले शामिल हैं, जिनका अब आठ जिलों के रूप में पुनर्गठन किया गया है, नामतः कालाहांडी, नौपाड़ा, बोलनगीर, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी और रायगडा। योजना आयोग 1989-90 से इस क्षेत्र को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैय्या करता रहा है। योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि परियोजना आधारित पद्धति और नूतन सुपुर्दगी तथा मानीटरिंग की नवीन प्रणाली का उपयोग करके एक विशेष योजना तैयार की जाए। राज्य सरकार, तदनुसार, 2002-03 से केबीके जिलों के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है। विशेष योजना में सूखे से बचना, जीविका सहायता, संयोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मुख्य समस्याओं को सुलझाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है। दसवीं योजना अवधि के दौरान इस घटक के लिए 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आबंटन किया जा रहा है। 2007-08 में विशेष योजना के लिए 130 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। तथापि, 250 करोड़ रुपए के समग्र आबंटन को बचाए रखा जाएगा और बाकी की राशि बीआरजीएफ के जिला घटक के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी।

14. तथापि, 8 केबीके जिलों को बीआरजीएफ के जिला घटक के अधीन बीआरजीएफ मानदंडों के अनुसार निधियां मिलती रहेगी। बाकी आबंटन विशेष योजना के अधीन किया जाएगा।

15. 2006-07 के दौरान 14.12.2007 तक 86.66 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। स्कीम की शुरूआत से 1286.66 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

पंचायती राज

16. आयोजना और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों की आयोजना, निष्पादन और मानीटरन में समुदाय का सहयोजन जरूरी है। जो क्षेत्र रोजमर्रा की जिंदगी का अतिक्रमण करते हैं उनमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन-सहभागिता बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। पंचायती राज संस्थान विकासात्मक कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता के लिए एक महत्वपूर्ण वाहन के रूप में उभरे हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और देश के शासन में उनकी भूमिका का स्पष्टतः प्रतिपादन किया। राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे पंचायती राज तंत्र के प्रत्येक स्तर के लिए आबंटित कार्यों के अनुरूप उपयुक्त कार्य, कार्मिक और वित्तीय संसाधन निर्मित करके पंचायती राज संस्थानों को सामर्थ्यवान बनाएंगी।

17. पीआरआई को सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित पंचायती राज मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को, उनके क्रियाकलाप के कार्यक्षेत्र में पंचायतों की महत्वपूर्ण स्थिति स्वीकार करने और अपने कार्यक्रमों में पीआरआई को स्थान उपलब्ध कराने में संवेदीकृत करने में एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप पीआरआई को कार्यों का प्रत्यायोजन करने की दिशा में मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं।

18. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्कीम का संबंध पंचायती राज कार्मिकों और पंचायती राज तंत्र में कार्यरत सरकारी कार्मिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ है।

19. निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, पंचायतों को पुरस्कारों, सूचना और संचार के वास्ते वार्षिक योजना 2007-08 के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के एक अंग के रूप में वार्षिक योजना 2007-08 में 250 करोड़ रुपए की क्षमता निर्माण निधि स्थापित की गई है। इस निधि का प्रयोग आयोजना, कार्यान्वयन, मानीटरन लेखांकन में क्षमता निर्मित करने तथा जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा।

4.17.1 योजना समन्वय प्रभाग

1. यह प्रभाग योजना आयोग के सभी प्रभागों की कार्रवाइयों को समन्वित करता है। विशेष रूप से इस पर पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के काम को समन्वित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना के क्षेत्रकीय आबंटन, योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और संसदीय कार्य के समन्वय की विशिष्ट जिम्मेदारी भी शामिल है। योजना आयोग की आंतरिक बैठकों, संपूर्ण योजना आयोग की बैठकों और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का आयोजन और समन्वय भी समन्वय योजना प्रभाग द्वारा किया जाता है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों की केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए 11वीं योजना के वास्ते अप्रैल-जून, 2007 में गहन जेडबीबी कार्रवाई की गई। जेडबीबी बैठकें ग्यारहवीं योजना प्रक्रिया से जुड़े 3 प्रमुख मुद्दों अर्थात (क) विभाग के योजना क्रियाकलापों और स्कीमों के लिए शून्य आधारित बजट निर्माण ताकि उन्हें और अधिक केन्द्रित और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें युक्तियुक्त बनाया जा सके, (ख) ग्यारहवीं योजना और वार्षिक योजना (2008-09) के दौरान ऐसे क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) की जरूरतों का अनुमान लगाना तथा (ग) ऐसा अंतःमंत्रालयी मुद्दा यदि कोई हो तो जिसमें योजना आयोग का हस्तक्षेप जरूरी है, पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी।

3. 9 दिसम्बर, 2006 को आयोजित एनडीसी की 52वीं बैठक में लिए गए एक निर्णय के अनुसार योजना आयोग को नितांततः खाद्य और कृषि से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए 2007-08 के बजट अवकाश के दौरान एनडीसी की एक विशेष बैठक आयोजित करने के निदेश दिए गए थे। इस संबंध में खाद्यान्न का उत्पादन 2 से 4% तक बढ़ाए जाने के लिए खाद्य और कृषि पर 14 मई, 2007 को पूर्ण योजना आयोग की एक बैठक आयोजित की गई।

4. खाद्य और कृषि से संबंधित मुद्दों पर विचार करने

के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 मई, 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई।

5. राष्ट्रीय विकास परिषद यह संकल्प करती है कि कृषि विकास कार्यनीतियों को किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए अवश्य ही दिशा-अनुकूलित किए जाने की जरूरत है और परिषद केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से कृषि में नए प्राण फूंकने का आग्रह करती है। एनडीसी 11वीं योजना में कृषि क्षेत्रक में 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है।

6. क्योंकि ग्यारहवीं योजना में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है इसलिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 13 सितम्बर, 2006 को पूर्ण योजना आयोग की एक बैठक आयोजित की गई।

7. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) को 19 दिसम्बर, 2007 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन से उसे अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता 8 नवम्बर, 2007 को पूर्ण योजना आयोग की एक बैठक आयोजित की गई। 11वीं योजना दस्तावेज को तैयार करते समय विभिन्न संचालन समितियों और कार्यदलों की सिफारिशों का प्रयोग इन्पुटों के रूप में किया गया। सदस्य-मंत्रियों के सुझाव नोट किए गए और 11वीं योजना दस्तावेज में शामिल किए गए। प्रधानमंत्री ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि दस्तावेज का आकार समुचित रूप से छोटा बनाया जाना चाहिए।

8. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 19 दिसम्बर, 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई।

9. विचार-विमर्श और चर्चाओं के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)** को मंजूरी प्रदान कर दी।

10. वर्ष के दौरान निम्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमें पूर्ण योजना आयोग द्वारा परिचालन के जरिए मंजूर कर दी गईः

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए योग्यता-एवं-साधन आधारित छात्रवृत्ति।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।

(iii) सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई का स्तरोन्नयन।

(iv) आईएफएडी सहाय्यित ग्रामीण महिला सशक्तीकरण और आजीविका परियोजना।

(v) उत्तर प्रदेश और बिहार में (प्रियदर्शिनी)।

(vi) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(vii) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।

11. वार्षिक योजना 2008-09 के लिए कार्रवाई, जिसमें अपने योजना प्रस्ताव तैयार करते समय केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले दिशानिर्देश तैयार करना शामिल था, केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित करके समयानुसार अक्तूबर, 2007 में कर ली गई। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए वार्षिक योजना 2008-09 चर्चाएं, जोकि सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2007 में शुरू की गई थी, जनवरी, 2008 के आरंभ में पूरी कर ली गई। केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के क्षेत्रकीय आबंटन के लिए योजना आयोग की सिफारिशें वित्त मंत्रालय को सूचित की जाएंगी ताकि उन्हें केन्द्रीय बजट में शामिल किया जा सके।

12. प्रभाग ने वार्षिक योजना दस्तावेज 2007-08 तैयार करने के वास्ते अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के संबंध में जानकारी और सामग्री का संकलन और समेकन किया।

13. योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष लोक सभा के पटल पर रखना अनिवार्य है। 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट 20.3.2007 को सदन में प्रस्तुत कर दी गई। वार्षिक रिपोर्ट 2007-08 के लिए सामग्री संकलित और संपादित की गई। दोनों भाषाओं (अंग्रेजी तथा हिंदी) में छपवाने के बाद इसे, अनुदानों की मांगे विभागीय रूप से संबद्ध स्थायी समितियों को भेजे जाने से पहले संसद सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी प्रतियां समुचित संख्या में संसद के दोनों सचिवालयों को भेजी जाएंगी ताकि उन्हें संसद के दोनों सदनों में रखा जा सके।

14. योजना आयोग के वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अनुदानों की मांगों के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई गई। लोक सभा के लाभकारी पदों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा मांगी गई जानकारी भी लोक सभा सचिवालय को उपलब्ध कराई गई।

15. योजना आयोग की 'आयोजना के लिए 50वें वर्ष की पहलें' नामक जो केन्द्रीय क्षेत्रक योजना स्कीम वार्षिक योजना 2000-01 से शुरू की गई थी, वह 2007-08 के दौरान, जोकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था, जारी रखी गई।

इस योजनागत स्कीम में राष्ट्र के विकास को प्रदर्शित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के संबंध में एक व्यापक और संपूर्ण डाटा बैंक का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है ।

16. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए, कम से कम पांच वर्षों में एक बार राज्य विकास रिपोर्ट तैयार करने का काम, जिनमें उस राज्य के विकास की स्थिति, उपलब्धियों और संभावनाओं को उजागर किया गया हो, वर्ष 2000-2001 में शुरू किया गया था; यह कार्य रिपोर्टाधीन अवधि में जारी रहा । इन रिपोर्टों को तैयार करने का उद्देश्य विकास की रूपरेखा के बारे में एक उत्तम संदर्भ दस्तावेज उपलब्ध करना और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विकास-दरों में तेजी लाने की कार्यनीति तैयार करना है । आंतरिक योजना आयोग द्वारा वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य विकास रिपोर्टें तैयार करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । तदनुसार, राज्य योजना प्रभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को कोर समिति की सिफारिशों पर स्कीमों की संस्वीकृति समिति के अनुमोदन के बाद अगली किस्त जारी करने के लिए जांच की गई । असम, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की एसडीआर योजना आयोग द्वारा तैयार और जारी कर दी गई है । केरल, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों की एसडीआर जारी होने की प्रतीक्षा में है तथा सिक्किम और केरल की एसडीआर छप रही है ।

17. केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम "आयोजना के लिए 50वें वर्ष की पहलें" के दायरे का विस्तार कर दिया गया ताकि उसमें "योजना आयोग की परियोजना तैयारी की सुविधा" (पीसीपीपीएफ) नामक स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को शामिल किया जाए, जिसका उद्देश्य यह था कि राज्यों और संघ राज्य सरकारों की, विशिष्ट रूप से उन परियोजनाओं के लिए, जिन्हें विदेशी और संस्थात्मक स्रोतों से वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है, वर्ष 2001-02 से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं को काम पर लगाने में मदद की जाए । वर्ष के दौरान "लोकतक झील और मणिपुर नदी बेसिन को एकीकृत करने वाली सम्बद्ध नम भूमियों" के संबंध में अध्ययन को अंतिम रूप दिया गया और स्कीम के मार्गनिर्देशानुसार इसे तैयार करने के लिए सहायता जारी की गई । डीपीआर तैयार करने की मानीटरिंग का उत्तरदायित्व राज्य सरकार के संबंधित योजना विभाग व प्रशासन विभाग पर है, योजना आयोग को प्रगति से अवगत कराया जाता रहेगा ।

18. योजना आयोग ने आलोच्य अवधि के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित करना जारी रखा । इन समीक्षाओं से समय और लागत में बढोतरी को कम से कम करके स्कीमों और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है ।

4.17.2 संसद अनुभाग

1. संसद अनुभाग, योजना समन्वय प्रभाग के एक भाग के रूप में कार्य करता है और निम्नलिखित के संबंध में डील करता है : संसद प्रश्न, ध्यानाकर्षण नोटिस, आधे घंटे की चर्चा, संकल्प, निजी सदस्यों के बिल, "कोई भी दिन तय नहीं" प्रस्ताव, राज्य सभा में विशेष उल्लेख के रूप में और नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में उठाए गए मामले, संसदीय आश्वासन, संसदीय समितियों की बैठकें, संसद के दोनों सदनों में कागजात और रिपोर्टें रखना, योजना आयोग के अधिकारियों के लिए सत्र-वार सामान्य और अधिकारिक गैलरी पासों की व्यवस्था करना, तथा संसद से संबंधित योजना आयोग के अन्य कार्य, जिसमें संसद में संभावित रूप से उठाए जाने वाले मुद्दे और बजट दस्तावेज, रेल बजट,

आर्थिक सर्वेक्षण तथा दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रतियां, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों के बीच वितरित करनी होती हैं, मंगाना शामिल है ।

2. आलोच्य अवधि के दौरान वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई । निर्माण उद्योग विकास परिषद की वार्षिक रिपोर्ट 2006-07, आर्थिक विकास संस्थान (विकास योजना केन्द्र) की वार्षिक रिपोर्ट 2007-07 तथा आईएएमआर की वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के संबंध में दृष्टिकोण पत्र, प्रकाशन काउंटर के माध्यम से दोनों सदनों के सांसदों के बीच परिचालित की गई । इस अवधि के दौरान संसद अनुभाग के माध्यम से लोकसभा में दिए गए आठ आश्वासन और राज्यसभा में छः आश्वासन पूरे किए गए। अनुभाग ने, लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए आठ मामलों और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाए गए पांच मामलों के उतर भेजने के कार्य का भी समन्वय किया ।

4.18 विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

1. विद्युत और ऊर्जा प्रभाग के अंतर्गत विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम यूनिट शामिल हैं । प्रभाग तथा क्षेत्रकीय यूनिटों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों का निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है ।

(1) प्रभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) तैयार करने से सम्बद्ध कार्य शुरू किया । ऊर्जा क्षेत्रक में, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा और आर एंड डी के संबंध में कार्यदलों का गठन किया गया ।

(2) प्रभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए विभिन्न कार्य दलों के साथ उनकी ग्यारहवीं योजना पूरा करने सम्बद्ध कार्य का समन्वय किया।

(3) सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में ऊर्जा के संबंध में एक संचालन समिति गठित की गई। संचालन समिति ने, ग्यारहवीं योजना तैयार करने के लिए ऊर्जा क्षेत्रक के संबंध में रिपोर्ट तैयार की।

(4) प्रभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के लिए ऊर्जा संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दिया ।

(5) प्रभाग ने, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित "ऊर्जा समन्वय समिति" की बैठक में भाग लिया ।

(6) प्रभाग ने, एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की ।

(7) विभाग ने, भारत में निम्न कार्बन वृद्धि के लिए कार्यनीति के संबंध में अध्ययन हेतु विश्व बैंक मिशन के लिए एक नोडल कार्यालय के रूप में कार्य किया ।

(8) प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) ने जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर राजकीय बैठकों और जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय की बैठकों में भाग लिया ।

(9) प्रभाग ने, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की वार्षिक योजनाएं 2008-09 तैयार करने से संबंधित कार्य शुरू किया है ।

(10) प्रभाग ने, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा नई और नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के अध्याय तैयार करने की प्रक्रिया में है ।

2. विद्युत यूनिट

(1) देश में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र व अन्य हिमालयाई राज्यों में पनविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पन विद्युत नीति के संबंध में, मंत्रिमंडल के विचारार्थ, विद्युत मंत्रालय को इनपुट उपलब्ध कराए गए ।

(2) विद्युत मंत्रालय द्वारा, मंत्रियों के एक अधिकारप्राप्त समूह के विचारार्थ प्रचालित बहुत से एजेंडों के संबंध में सार तैयार किए गए । कुछेक प्रस्ताव, आधुनिकतम बृहद विद्युत परियोजना, सीपीएसयू के आईपीओ मुद्दों, वित्तीय मुद्दों के संबंध में उपसमिति, पन विद्युत परियोजना विकास कार्यदल आदि के विषय में थे ।

(3) यूनिट ने, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एपीडीआरपी-II की पुनर्संरचना के संबंध में, ईएफसी के विचारार्थ विद्युत मंत्रालय को सामग्री सुझाई और उपलब्ध कराई।

(4) यूनिट ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के संबंध में आरजीजीवीवाई-I का मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन यूनिट की सहायता की । यूनिट ने ग्यारहवीं योजना अवधि में आरजीजीवीवाई-II को जारी रखने संबंधी विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव के संबंध में भी इनपुट उपलब्ध कराए । मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि राज्य सरकार आरजीजीवीवाई नेटवर्क में प्रतिदिन 5-8 घंटे की आपूर्ति की गारंटी को जारी रखेगी।

(5) प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) ने अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में विद्युत के संबंध में 16-17 जनवरी, 2007 को आयोजित प्रथम एनईसी क्षेत्रकीय शिखर बैठक में भाग लिया और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत के विकास के लिए एक स्पष्ट, तालमेलपूर्ण और नियंत्रित नीति के संबंध में अनेक सुझाव दिए ।

(6) यूनिट के अधिकारियों ने, क्षेत्रक की निष्पादन समीक्षा और सहमति ज्ञापन बैठकों में भाग लिया। यूनिट ने चल रही बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की तथा योजना आयोग के विचार संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित किए ।

(7) यूनिट के अधिकारियों ने कार्यदल की बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया।

3. कोयला यूनिट

(1) यूनिट ने, कोयला क्षेत्रक की व्यापक रूप से समीक्षा करने तथा मानव व मशीनरी की उत्पादकता सुधारने, आधुनिकतम (कटिंग एज) प्रौद्योगिकी लागू करने, सीआईएल की पुनर्संरचना, अल्पावधि, मध्यावधि व दीर्घावधि में मांग-पूर्ति अंतर को पूरा करने और कोयले में ट्रेडिंग की अनुमति देने के गुणावगुणों की जांच करने, वर्तमान कैप्टिव कोयला खनन नीति आदि के संबंध में सिफारिशें करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के कार्य में भाग लिया । समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(2) कोयला कीमत-पद्धति में मार्गदर्शी सिद्धांतों की सिफारिशें करने के लिए प्रधान सलाहकार (ऊर्जा) की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपना विचार-विमर्श किया ।

(3) यूनिट ने सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकों के लिए डाटा का संकलन किया और विश्लेषण किया ।

(4) यूनिट ने चल रही प्रमुख कोयला और लिग्नाइट परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की और सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय में आयोजित त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकों में विचारार्थ मुद्दे प्रस्तुत किए।

(5) यूनिट ने क्षेत्रक के विकास से सम्बद्ध विभिन्न वीआईपी संदर्भों/संसद प्रश्नों/संसदीय आश्वासनों व अन्य अंतर-क्षेत्रकीय नीतिगत मुद्दों की जांच की ।

(6) कोयला खनन परियोजना व कोयला क्षेत्रक से सम्बद्ध अन्य नीतिगत मुद्दों व सीसीईए/पीआईबी/सिद्धांततः अनुमोदन प्रस्तावों की जांच की गई तथा योजना आयोग के विचार संबंधितों को प्रेषित किए गए ।

(7) यूनिट के अधिकारियों ने, ताप विद्युत संयंत्रों के

लिए स्थायी संयोजन समिति, सीममेंट संयंत्र और स्पंज लौह : अंतर-मंत्रालयीय समूह आदि की बैठकों में भाग लिया और निवेश निर्णय लेने आदि के संबंध में योजना आयोग के विचार संप्रेषित किए।

(8) यूनिट ने, भरतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद और हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएस से एक अनुसंधान समूह के सहयोग से कोयला तथा कोयला आधारित विद्युत क्षेत्रक के लिए प्रौद्योगिकी रूपरेखा के संबंध में सेमिनार के आयोजन का समन्वय किया ।

(9) यूनिट के अधिकारियों ने क्षेत्र दौरे किए तथा अंतर-राजकीय संयुक्त कार्य दलों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया ।

4. पेट्रोलियम यूनिट

(1) यूनिट ने बहत-सी टिप्पणियों की जांच की, जैसे कि संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत पद्धति, डीजीएच के लिए पृथक संवर्ग का सृजन, विलयन, अधिग्रहण और नीतिगत गठबंधन संबंधी प्रस्ताव, विभिन्न तेल और गैस पीएसयू को नवरत्न दर्जे की समीक्षा, समुद्रपारीय परियोजनाएं आदि तथा योजना आयोग के विचार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संप्रेषित किए गए ।

(2) यूनिट ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए समय-सीमा को अंतिम रूप देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ बैठकें आयोजित की । यूनिट ने उपरोक्त मुद्दों के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में भी भाग लिया ।

(3) यूनिट ने, प्राकृतिक गैस कीमत पद्धति मुद्दों के संबंध में एक नोट पर भी विचार प्रस्तुत किए, जिस पर अधिकारप्राप्त मंत्रियों के समूह ने चर्चा की थी।

(4) यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस शिखर/सम्मेलनों में भी भाग लिया ।

(5) यूनिट के अधिकारियों ने क्षेत्रक की निष्पादन समीक्षा और एमओयू बैठकों में भाग लिया । यूनिट ने प्रमुख चल रही परियोजनाओं की स्थिति की जांच की और योजना आयोग के विचार संबंधित मंत्रालयों को संप्रेषित किए ।

4.19 परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी)

कार्य

1. भारत सरकार में परियोजना मूल्यांकन की पद्धति को संस्थागत बनाने के लिए योजना आयोग में परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के कार्य इस प्रकार से हैं :

+ परियोजना और कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उनके तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करना और फार्मेट विकसित करना ।
+ परियोजना और कार्यक्रमों को आंकने के लिए कार्य प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से अनुसंधान अध्ययन हाथ में लेना ।
+ सरकारी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का काम हाथ में लेना ।
+ परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्टें तैयार करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित करने में केन्द्रीय मंत्रालयों की सहायता करना ।

मूल्यांकन कार्य

2. तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के भाग के रूप में, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग 25 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली योजना स्कीमों और परियोजनाओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करता है । वित्त मंत्रालय द्वारा अब इसे बढ़ाकर 17.11.2007 से 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा योजना आयोग के विषय प्रभागों

के परामर्श से मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार करता है। पीएएमडी द्वारा मूल्यांकन टिप्पणी जारी करने के लिए निश्चित समय-सीमा, ईएफसी/पीआईबी में ज्ञापन प्राप्ति की तारीख से छः सप्ताह है । पीएएमडी द्वारा आकलन किए जाने से, प्रस्तावों के आकार और प्रकृति के आधार पर, सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड समिति सीपीआईबी द्वारा विचार किए जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होती है । प्रभाग ने रेल मंत्रालय के 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन करना भी शुरू किया है, जिन पर विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाना है । संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्तावों का भी इस प्रभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि लागत और समय में वृद्धि के कारकों का विश्लेषण किया जा सके ।

3. वित्त मत्रालय द्वारा दिनांक 15.11.2007 के का.ज्ञा. संख्या 1(3)/पीएफ II/2001 के तहत जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन फोरमों और अनुमोदन प्राधिकरण की वित्तीय सीमाएं निम्न प्रकार संशोधित कर दी गई हैं :

मूल्यांकन फोरम (सीमा-करोड़ रुपए में

< **15.0** सामान्य रूप से मंत्रालय

≥ **15.0** और < - स्थायी वित्त समिति (एसएफसी)

≥ **50.00** और < **150.00** - व्यय वित्त समिति (ईएफसी) - प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में

≥ **150.00** सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी/व्यय वित्त समिति (ईएफसी) - सचिव (व्यय) की अध्यक्षता; जहां, वित्तीय प्रतिफल की मात्रा तय हो सकती है । उन परियोजनाओं/स्कीमों पर पीआईबी द्वारा व अन्यों पर ईएफसी द्वारा विचार किया जाएगा ।

अनुमोदन फोम की सीमा (करोड़ रुपए)

< **15.0** - प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव

≥ **15.00** और < **75.00** - मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री

≥ **75.00** और < **150.00** - मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री/वित्तमंत्री

> **150.00** मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)

टिप्पणी : उपरोक्त वित्तीय सीमाएं परियोजना/योजना के कुल आकार की दृष्टि से हैं, जिसमें बजटीय सहायता, आंतरिक संसाधन, विदेशी सहायता, ऋण आदि शामिल हो सकते हैं ।

विशेषताएं

- 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान - 159222.58 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों के संबंध में 208 मूल्यांकन टिप्पणियां जारी की गई ।
- पीएएमडी ने 14 एसएफसी प्रस्तावों की जांच की तथा विषय प्रभागों को अपनी टिप्पणियां भेजी।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 अवधि के दौरान पीएएमडी में सिद्धांततः अनुमोदन के 78 मामलों की जांच की गई ।
- पीएएमडी द्वारा एक सीसीईए टिप्पणी की जांच की गई।
- अधिक समय और लागत बढ़ने के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए 22 मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थायी समिति, गठित की गईं । पीएएमडी के अधिकारी ने स्थायी समितियों की बैठकों में एक सदस्य के रूप में भाग लिया तथा 10 रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 अवधि के दौरान स्थायी समिति के लिए 10 प्रस्तावों की जांच की गई ।
- अप्रैल-दिसम्बर, 2007 के दौरान ईएफसी/पीआईबी की 96 बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें सलाहकार (पीएएमडी) अथवा पीएएमडी के मनोनीत अधिकारियों ने भाग लिया ।

सिद्धांततः प्रस्तावों की जांच-पड़ताल

4. मंत्रालय/विभाग की योजना में शामिल किए जाने हेतु परियोजना/स्कीम को समर्थ बनाने के वास्ते प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्तावों को (यदि लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक है, तो व्यवहार्यता रिपोर्ट), योजना आयोग में विषय प्रभाग को "सिद्धांततः" अनुमोदन (सचिव से) हेतु सभी नई केन्द्रीय क्षेत्रक तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को, उनमें अंतर्निहित परिव्यय पर ध्यान दिए बिना, भेजना होता है ।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 5 सितम्बर, 2005 के अ.शा. पत्र सं.एम.12043/10/2005-पीसी के अनुसार विद्युत और कोयला परियोजनाओं के संबंध में योजना आयोग के "सिद्धांततः" अनुमोदन की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है ।

5. पीएएमडी ने "सिद्धांततः" अनुमोदन पद्धति की समीक्षा की थी तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से नई योजना स्कीमों को शामिल करने के लिए विद्यमान "सिद्धांततः" अनुमोदन में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे योजना आयोग के अध्यक्ष ने अनुमोदित कर दिया था । योजना आयोग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को दिनांक 29 अगस्त, 2006 के यूओ नोट सं. एन-11016/4/2006 के द्वारा संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए हैं । संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि स्कीम/परियोजनाएं योजना दस्तावेज में उल्लिखित हैं और परियोजना/स्कीम के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ण रूप में व्यवस्था कर दी गई है तो उसके संबंध में योजना आयोग के सिद्धांततः अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी । किन्तु, यदि किसी स्कीम/परियोजना को किसी विद्यमान स्कीम में अतिरिक्त संघटक को पर्याप्त प्रावधान के साथ पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका तो उसके संबध में मंत्रालय/विभाग द्वारा स्कीम/परियोजना को योजना में शामिल करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने से पहले योजना आयोग का सिद्धांततः अनुमोदन आवश्यक होगा।

6. पीएएमडी ने योजना आयोग में प्रभागाध्यक्षों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें दिनांक 22 नवम्बर, 2007 के यू.ओ. संख्या ओ-14015/1/2006-पीएएएमडी के अनुसार सिद्धांततः अनुमोदन के संबंध में प्रस्तावों की जांच करने के लिए प्रक्रियाएं दी गई हैं । मार्गनिर्देशों में व्यवस्था है कि योजना आयोग का विषय प्रभाग, मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव की योजना आयोग के अन्य सम्बद्ध विषय प्रभाग के साथ परामर्श करके, सचिव, योजना आयोग का "सिद्धांततः" अनुमोदन मांगे जाने से पहले, जांच करेगा, जिसमें पीएएमडी अनिवार्य रूप से शामिल होगा । ग्यारहवीं योजना प्रलेख में जो परियोजनाएं/स्कीमें सम्मिलित नहीं हैं, उनके संबंध में "सिद्धांततः" अनुमोदन आवश्यक है । "सिद्धांततः" अनुमोदन के लिए समय-सीमा **चार सप्ताह** है ।

ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की जांच

7. योजना आयोग ने, परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में विलंब होने को कम करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागों/मंत्रालयों से पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन के प्राप्त होने के बाद 6 सप्ताहों में पीआईबी/ईएफसी का फैसला हो जाए, पीएएमडी ने दिनांक 22.11.2007 के यू.ओ.नं.ओ-14015/1/2006-पीएएमडी के अनुसार योजना आयोग में ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया जारी की । संशोधित प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

क) परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग, ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन प्राप्त होने के बाद पीआईबी, ईएफसी के प्रबंध सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और पीआईबी/ ईएफसी ज्ञापन में शामिल सूचना व प्राप्त अन्य सूचना के आधार पर, यह मूल्यांकन पूरा कर लेगा और पीआईबी/ईएफसी को प्रबंधन संबंधी सलाह देगा ।

ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएएमडी द्वारा किया गया मूल्यांकन व्यापक और सार्थक हो, परियोजना प्राधिकारियों/प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करें जो हर पहलू से पूरे हैं, तथापि जहां ईएफसी/पीआईबी ज्ञापन में संगत सूचना नहीं दी गई है तो पीएएमडी ऐसी कमियों का विनिर्धारण करेगा और मंत्रालय/विभाग से ऐसी सूचना मंगाएगा।

ग) पीएएमडी द्वारा प्रबंधन सलाह देने के लिए अधिकतम सीमा पीआईबी/ईएफसी प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह तय की गई है । यदि पीएएमडी निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्ताव का मूल्यांकन करने में असफल रहता है तो पीआईबी/ईएफसी की बैठक तय की जा सकती है और उनके विचार बैठक में प्राप्त किए जा सकते हैं ।

8. वर्ष 2006-07 के दौरान प्रभाग में कुल 74694 करोड़ रुपए की लागत वाले 114 ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया । वर्ष 2007-08 (1.4.07 से

31.12.2007 तक) में 159223 करोड़ रुपए की लागत वाले 208 ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें नए और संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) वाले प्रस्ताव भी शामिल थे ।

2007-08 के संबंध में **तथ्य और आंकड़े**
(1.4.2007 से 31.12.2007)

क.	मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की संख्या,	208
ख.	पूंजीगत लागत :	159223 करोड़ रुपए
ग.	निम्न क्षेत्रकों की मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या- कृषि	10(4.8%)
	- ऊर्जा और परिवहन	42(20.2%)
	- उद्योग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	54(26.0%)
	- सामाजिक क्षेत्र	55(26.4%)
	- अन्य	47(22.6%)
	कुल	**208(100.0%)**

मूल्यांकन प्राचलों की समीक्षा

9. योजना स्कीमों/परियोजनाओं की नोडल मूल्यांकन एजेंसी होने के नाते पीएएमडी, समय-समय पर, मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों की समीक्षा भी करता है । "भारत में परियोजना मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों के अनुमान " के संबंध में एक अध्ययन मूल्यांकन प्राचलों, जैसे कि सामाजिक बट्टा दर, वित्तीय तथा आर्थिक आईआरआर, विदेशी मुद्रा पर सामाजिक प्रीमियम, छाया मजदूरी आदि का पुनः अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय से कराया गया था । रिपोर्ट के मसौदे के संबंध में पीएएमडी द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में उभरे मुद्दों के आधार पर आ.वि.सं. ने पुनः विचार किया तथा अपनी सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्ययन रिपोर्ट में यथा सिफरिश किए गए संशोधित प्राचलों पर आंतरिक योजना आयोग की बैठक में विचार किया जाएगा तथा अनुमोदन के पश्चात अंतिम सिफारिशें सरकार के अनुमोदनार्थ वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी ।

10. **वार्षिक योजना तैयार करना :** पीएएमडी, समग्र आयोजना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्मिक/लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करने के कार्य में लगा है । पीएएमडी ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए मंत्रालय के वार्षिक योजना परिव्ययों की जांच की और उन्हें अंतिम रूप दिया ।

11. पीएएमडी के अधिकारियों को राज्यों के अधिकारियों को परियोजना मूल्यांकन पद्धति में प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते, सांख्यिकी और कार्यक्रम, कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा देहरादून (उत्तराखंड) और जम्मू (जम्मू और कश्मीर) भेजा गया ।

12. वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया (अप्रैल-दिसम्बर, 2007) उनका क्षेत्रकीय विभाजन संलग्न तालिका में दर्शाया गया है । प्रमुख क्षेत्रक समूहों से संबंधित जानकारी संक्षेप में नीचे दी गई है :

क्र.सं.	क्षेत्र	2005-06				2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006)			
		सं.	लागत (करोड़ रुपए)	%	%	सं.	लागत (करोड़ रुपए)	%	%
1	कृषि	8	975.56	1.3	10	9848.9	6.2	8	975.56
2	ऊर्जा	14	15590.07	20.9	13	16220.31	10.2	14	15590.07
3	परिवहन	28	9513.33	12.7	29	19705.86	12.4	28	9513.33
4	उद्योग	9	4999.83	6.7	38	37633.87	23.6	9	4999.83
5	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	3	155.08	0.2	16	2106.75	1.3	3	155.08
6	सामाजिक सेवाएं	29	34695.76	46.5	55	54755.58	34.4	29	34695.76
7	संचार #	1	76.52	0.1	5	1860.35	1.2	1	76.52
8	अन्य @	22	8687.87	11.6	42	17090.99	10.7	22	8687.87
	जोड़	**114**	**74694.02**	100.0	**208**	**159222.61**	100.0	**114**	**74694.02**

इसमें डाक, सूचना और प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है ।
@इसमें गृह मामले और कार्मिक, पर्यटन, वाणिज्य, पर्यावरण एवं वन, न्याय, जल संसाधन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उपभोक्ता मामले, वित्त, रक्षा, प्रशासनिक सुधार और अल्पसंख्यक मामले विभाग सम्मिलित हैं।

संलग्नक

पीएएमडी मूल्यांकित में ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की क्षेत्रक-वार संख्या और लागतें (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्रक	2006-07		2007-08 (दिसम्बर 2007 तक)	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	**कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रक**	**8**	**975.56**	**10**	**9848.90**
	ऊर्जा	**14**	**15590.07**	**13**	**16220.31**
2	विद्युत और कोयला	13	14729.07	13	16220.31
3	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	1	861	0	0
	परिवहन	**28**	**9513.33**	**29**	**19705.86**
4	रेलवे	15	7779.55	5	14106.33
5	सतही परिवहन	6	359.55	9	791.31
6	नागर विमानन	1	274.63	1	121.39
7	नौवहन	6	1099.6	14	4686.83
	उद्योग	**9**	**4999.83**	**38**	**37633.87**
8	उद्योग व एसएसआई	4	4199.42	15	18479.68
9	इस्पात व खान	2	629	0	0
10	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	0	0	2	1203
11	इलेक्ट्रोनिक	0	0	0	0
12	कपड़ा	4	171.41	18	17407.06
13	खाद्य प्रसंस्करण	0	0	3	544.13
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	**3**	**155.08**	**16**	**2106.75**
14	बायो टेक्नोलॉजी	1	98	3	693.75
15	विज्ञान व प्रोद्योगिकी	0	0	0	0
16	वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान	1	27.08	12	493
17	महासागर विकास	0	0	0	0
18	भू विज्ञान	1	30	1	920
	सामाजिक सेवाएं	**29**	**34695.76**	**55**	**54755.58**
19	मानव संसाधन विकास/संस्कृति	6	4081.26	9	16985.42
20	युवा मामले व खेल	3	2233.41	1	6188.11
21	स्वास्थ्य	6	1799.37	15	6532.98
22	महिला व बाल विकास	2	492.41	3	4085.11
23	श्रम	1	555	2	5211.17
24	सामाजिक न्याय	3	2148.05	16	7097.24
25	शहरी विकास	6	4982.26	4	3238.05
26	ग्रामीण विकास	2	18404	5	5417.5
	संचार	**1**	**76.52**	**5**	**1860.35**
27	सूचना एवं प्रसारण	1	76.52	4	176.5
28	डाक	0	0	0	0
29	सूचना प्रौद्योगिकी	0	0	1	1683.85
30	संचार	0	0	0	0
	अन्य	**22**	**8687.87**	**42**	**17090.99**
31	गृह कार्य एवं कामिक विभाग	0	0	0	0
32	पर्यटन	0	0	0	0
33	वाणिज्य	1	4761	22	3660.76
34	पर्यावरण एवं वन	2	614.26	1	600
35	विधि और न्याय	1	854	0	0
36	जल संसाधन	1	36.3	8	3342.34
37	पूर्वोत्तर क्षेत्र	14	876.41	3	197.33
38	उपभोक्ता मामले	0	0	2	508.6
39	वित्त/कंपनी मामले	0	0	1	211
40	रक्षा	0	0	0	0
41	प्रशासनिक सुधार	1	456.5	0	0
42	अल्पसंख्यक आयोग	0	0	5	8570.96
	कुल जोड़	**114**	**214694**	**208**	**159222.61**

4.20 भावी योजना प्रभाग

भावी योजना प्रभाग में प्रमुख गतिविधियां

1. भावी योजना प्रभाग के कार्य का संबंध योजना को समूचे रूप रूप से वृहद्-आर्थिक ढांचे में एकीकृत करना है, जिसमें संभावनाओं और बाधाओं की रूपरेखा दी गई हो और संभाव्यताओं, बाधाओं और महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में विकास का दीर्घकालिक दृश्य प्रस्तुत किया जाए।

2. यह प्रभाग, आयोग को योजना और नीति संबंधी मुद्दों में सहायता देता है, जो अर्थव्यवस्था के बहुविध क्षेत्रकों, जैसे कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, वित्तीय संसाधन, भुगतान संतुलन, सामाजिक सेवाएं, जनांकिकी, गरीबी और रोजगार से संबंधित हैं। योजनाओं में अंतर्क्षेत्रकीय संगति लाने के लिए योजना माडलों, उप-माडलों और सामग्री संतुलन की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। प्रभाग में किए जाने वाले प्रयास से उपभोग, निवेश, आयात, निर्यात तथा साथ ही सामाजिक विकास संकेतकों, राजकीय वित्त आदि को प्रस्तुत करने संबंधी समग्र वृहद आर्थिक रूपरेखा (मैक्रो फ्रेमवर्क) तैयार करने में सहायता मिलती है।

3. प्रभाग अपनी नियमित कार्रवाइयों के एक अंग के रूप में :

(i) विकास की उपयुक्त कार्यनीति के लिए दीर्घकालिक उद्देश्यों के निहितार्थों का विश्लेषण करने के जरिए मध्यावधिक और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए एक समग्र ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार करता है।

(ii) अंतर्कालिक (इंटर टेम्पोरल), अन्तर्क्षेत्रीय और अंतक्षेत्रकीय संदर्भ में चालू नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करता है।

(iii) योजना के उद्देश्यों और योजना आबंटन के बीच संगति, विकास की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के क्षेत्रीय वितरण की अनुरूपता, विभिन्न आय समूहों के लोगों के उपभोग के स्तर पर कीमतों की वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव, अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और संवृद्धि की प्रवृत्तियों, लोक निवेश के लिए अर्थव्यवस्था की बहुविध घटनाओं का अध्ययन करता है।

(iv) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों का उपयोग करके राज्यवार गरीबी अनुपातों का अनुमान लगाना और गरीबी के सूचकांकों में हुए परिवतनों का विश्लेषण करना।

(v) भारत व अन्य विकासशील देशों के हित को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूटीओ में बातचीत के लिए कार्यनीति के संबंध में सलाह देता है।

(vi) आयोजन की प्रक्रिया, सरकारी क्षेत्रक के कार्यक्रम को सरकारी व्यय के योजना-भिन्न पक्ष से योजना पक्ष में अथवा विपर्ययेन अंतरित करने से संबंधित तकनीकी मुद्दों के बारे में योजना आयोग को अपने विचार बनाने में सहायता देता है।

(vii) संसद, अर्थशास्त्रियों के मंच, राज्यों में आर्थिक आयोजन अभिकरणों, अन्य देशों से आए राष्ट्रीय योजना आयोगों के प्रतिनिधियों और सरकार के संबंधित नोडल मंत्रालयों के माध्यम से अन्य देशों एवं बहुराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा “आयोजन की प्रक्रिया” के बारे में उठाए गए मुद्दों के संबंध में योजना आयोग के प्रत्युत्तर में योगदान करता है।

(viii) सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के योजना प्रस्तावों के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग।

4. प्रभाग, निम्नलिखित में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है :

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद।

(ii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की शासी परिषद।

(iii) नेशनल अकाउंट्स आफ सीएसओ की सलाहकार समिति ।

(iv) राष्ट्रीय सांख्यिकी सलाहकार बोर्ड ।
(v) आर्थिक विकास संस्थान में ृविकास योजना केन्द्र॰ की शासी परिषद ।
(vi) योजना और नीति अनुसंधान यूनिट (पीपीआरयू) भारतीय सांख्यिकी संस्थान की सलाहकार समिति, दिल्ली केन्द्र ।
(vii) संयुक्त राष्ट्र संघ के समाज विकास आयोग से संबंधित कार्य के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग ।
(viii) डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी करार के विषय में बातचीत हेतु वाणिज्य मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयीय समिति ।
(ix) विश्व बैंक सहाय्यित ृ भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना॰ के राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो को सुदृढ़ करने की विशिष्ट आवश्यकता का घटक विनिर्धारण करने के लिए कार्य दल।
(x) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित सहस्राब्दि विकास संकेतकों के संकलन और रिपोर्ट करने के संबंध में रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयीय विशेषज्ञ समिति।

5. प्रभाग के अधिकारीगण निम्नलिखित कार्यकलापों से जुड़े रहे हैं :

(I) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए इन्पुट प्रदान किएः

(i) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक बृहद आर्थिक संगति रूपरेखा के भीतर लक्षित वृद्धि दर के बृहद आर्थिक और साथ ही क्षेत्रकीय प्राचलों का विकास।
(ii) राष्ट्रीय उन्नति लक्ष्यों को राज्यवार उन्नति लक्ष्यों में पृथक्कृत करना और उनका क्षेत्रकीय वितरण।
(iii) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यातों, आयातों में वृद्धि, चालू खाता सन्तुलन और विदेशी निवेशों सहित विदेशी क्षेत्रक आयामों के लिए अनुमान।
(iv) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता अनुपात को राज्य स्तर पर पृथक्कृत करना।
(v) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों का आकलन।
(vi) योजनागत व्यय के राजस्व-पूंजी योग मिश्रण पर तकनीकी टिप्पणी तैयार की।
(vii) योजना आयोग द्वारा गठित गरीबी का अनुमान लगाने के लिए समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समूह के लिए सेवा प्रभाग ।
(viii) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए नोडल प्रभाग ।

(II) भावी आयोजना प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कार्यकारी समूहों/उपसमूहों को तकनीकी इन्पुट उपलब्ध कराए।
(i) बचत सम्बन्धी कार्यकारी समूह।
(ii) न्यायसंगत विकास पर विशेषज्ञ समूह।
(iii) जनसंख्या स्थिरीकरण पर कार्यकारी समूह।

(III) अन्य समितियों की सदस्यता
(i) व्यापार सूचकांकों के लिए आधार वर्ष संशोधित करने सम्बन्धी तकनीकी समिति।
(ii) डब्ल्यूटीओ बातचीत के कृषि विषयक समझौते पर अंतर्मंत्रालयी समिति।
(ii) डब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के लिए व्यापार नीति की समीक्षा

6. संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण

प्रभाग के अधिकारियों ने निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लिया :

(i) श्री अरविन्दर एस. सचदेव, निदेशक, को भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में उपयोगार्थ सामान्य संतुलन माडल और दीर्घावधि में सामान्य रूप से नीतिगत माडल के विकास के संबंध में चर्चा करने हेतु 23 से 30 अप्रैल, 2007 तक विश्व खाद्य अध्ययन केन्द्र, विरज़े यूनिवर्सिटेट, अमस्टरडम, दि नीदरलैंड्स भेजा गया ।

(ii) डॉ0 अर्चना एस. माथुर ने डीजीसीआई एंड एस, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की

तकनीकी समिति की 3 और 4 जनवरी, 2008 को कोलकाता में बैठक में भाग लिया ।

4.21 ग्रामीण विकास प्रभाग

ग्रामीण विकास प्रभाग, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सृजन, परती भूमि तथा अवक्रमित भूमि के विकास से सम्बन्धित मामलों पर योजना आयोग में एक नोडल प्रभाग है। यह प्रभाग सम्बन्धित विकासात्मक मुद्दों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग और भू-संसाधन विभाग) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करता है ।

2. ग्यारहवीं योजना के निर्माण के लिए स्थापित विभिन्न कार्य दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में निर्धनता उन्मूलन और स्थानीय क्षेत्र विकास के विषय में संचालन समिति का गठन किया गया । समिति की सेवा के लिए ग्रामीण विकास प्रभाग नोडल प्रभाग था ।

3. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, 2007-12, योजना आयोग के लिए "त्वरित निर्धनता कटौती, ग्रामीण आजीविकाएं सुनिश्चित करना तथा खाद्य और पोषाहार सुरक्षा" पर अध्याय, ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा तैयार किया गया ।

4. वार्षिक योजना प्रलेख, 2007-08, योजना आयोग के लिए "ग्रामीण भारत में निर्धनता उन्मूलन - कार्यनीतियां और कार्यक्रम तथा परती भूमि व अवनत भूमि का विकास" अध्याय, ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा तैयार किया गया।

5. वार्षिक योजना प्रस्तावों और वार्षिक योजना 2007-08 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के संशोधित अनुमानों की ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा विस्तारपूर्वक जांच की गई। इसके अलावा, वार्षिक योजना 2008-09 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई।

6. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम शुरू किया गया। ग्रामीण विकास प्रभाग ने ग्यारहवीं योजना तैयार करने के लिए निम्नानुसार छः कार्यकारी दल और दो एक विशेषज्ञ दलों का गठन किया :

- निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों सम्बन्धी कार्यकारी दल
- ग्रामीण आवासन संबंधी कार्य दल
- भूमि सम्बन्ध संबंधी कार्य दल
- वर्षापूरित क्षेत्र संबंधी कार्य दल
- सामाजिक सुरक्षा नीति संबंधी कार्य दल
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज संस्थान संबंधी कार्य दल
- असंतोष, अशांति और उग्रवाद के कारणों से निपटने के लिए विकासात्मक मुद्दों से सम्बन्धित विशेषज्ञ दल।
- साम्य विकास संबंधी विशेषज्ञ दल ।

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमों के लिए त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर)/ अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकों का आयोजन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा किया गया।

8. ग्रामीण विकास विभाग, राज्य स्तर पर एशियाई विकास बैंक के भाग-ख्र्ख्र में सहभागी निर्धनता मूल्यांकन के संबंध में भारत को तकनीकी सहायता के विषय में भी एक कार्यकारी एजेंसी है।

9. प्रभाग संसद प्रश्न, संसदीय मामलों, वीआईपी संदर्भों व प्राप्त अन्य अभ्यावेदनों से संबंधित कार्य की भी देखभाल करता है।

10. सलाहकार (आरडी) ने अनेक समितियों में प्रतिनिधित्व किया, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सदस्य, शासी बोर्ड, मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली (ii) सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने संबंधी (पीयूआरए), संचालन समिति, (iii) सदस्य, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अधीन केन्द्रीय स्तर समन्वय समिति, (iv) सदस्य, एसजीएसवाई, विशेष परियोजनाओं हेतु परियोजना अनुमोदन समिति ।

11. निदेशक (आरडी) निम्नलिखित समितियों के सदस्य हैं (i) परियोजना समीक्षा समिति, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), विशेष परियोजना, (ii) स्थायी समिति, समुदाय-आधारित गरीबोन्मुखी पहल कार्यक्रम, (iii) पंचायतों को सीधे ही निधियां प्रदान करने के लिए

स्कीमें तैयार करने हेतु समिति, (iv) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) की मांगों को पूरा करने के लिए स्थानीय खाद्यान्न प्राप्ति के संबंध में अंतर-मंत्रालयीय कार्य दल।

4.22 विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

1. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रभाग के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार थे : केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/ अभिकरणों, नामतः अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई-आर एंड डी) विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग (डीएसटी), वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनसंधान परिषद (सीएसआईआर) सहित, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भू-विज्ञान के विभाग के कार्यकलापों की योजना व समन्वय ।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्न से सम्बन्धित हैं : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक से संबंधित केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों/ एजेंसियों तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के एस तथा टी कार्यक्रमों-दोनों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से सम्बन्धित पंचवर्षीय और वार्षिक योजना प्रस्तावों/आदि की जांच तथा संगत संसद प्रश्न, मंत्रिमंडल पत्र आदि ।

3. वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित प्रमुख कार्यकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं : विभिन्न एस एंड टी मंत्रालयों/ विभागों की सभी स्कीमों की शून्य आधारित बजट पद्धति, उनके वार्षिक योजना (2008-09) प्रस्तावों की जांच और वार्षिक योजना चर्चा के लिए सदस्य/सचिव स्तर बैठकों के लिए सार/पृष्ठभूमि पत्र तैयार करना । इसके अलावा, एस एंड टी क्षेत्रक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना प्रस्तावों की भी जांच की गई तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित सरकारों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

4. वार्षिक योजना (2007-08) चर्चाओं के दौरान एस एंड टी क्षेत्रक के अंतर्गत निम्नलिखित पर बल दिया गयाः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों का प्रोन्नयन, औद्योगिक आर एंड डी की उन्नति, नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में आत्म-संधारणीयता प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास, एक मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता का निर्माण, जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रोन्नयन, महासागर संसाधनों का सर्वेक्षण और खोज आदि । विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामाजिक लाभों के लिए दोहन, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के पोषण, युवा विज्ञानियों को आजीविका के रूप में विज्ञान के प्रति आकर्षित करने, उद्योगों और अनुसंधान संगठनों/ प्रयोगशालाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने और स्वच्छ व पारि-अनुकूल प्रौद्योगिकीयां विकसित करने आदि के लिए भी उपयोग किया जाना चाहिए । इसके अलावा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) और वार्षिक योजना (2007-08) प्रलेखों के लिए एस एंड टी अध्याय तैयार किए गए। एस एंड टी मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजे गए ईएफसी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल पत्रों और विधेयकों के मसौदों आदि की भी जांच की गई और उन्हें टिप्पणियां प्रेषित की गईं । परियोजना मूल्यांकन और प्रबंध प्रभाग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ईएफसी की बैठकों में भी भाग लिया ।

5. एस एंड टी क्षेत्रक से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना चर्चाओं के अंतर्गत मार्गनिर्देश उपलब्ध कराने और चालू कार्यक्रमों के मानीटरन आदि के संबंध में राज्य एस एंड टी परिषदों की बैठकों के आयोजन और केन्द्रीय वैज्ञानिक विभागों के साथ सहयोग से राज्य के समग्र विकास के लिए स्थान विशिष्ट कार्यक्रमों/परियोजनाओं के विनिर्धारण की दिशा में विशेष बल दिया गया ।

4.23 अवस्थापना संबंधी समिति (सीओआई) के लिए सचिवालय

1. हाल ही के वर्षों में अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास से भौतिक अवस्थापना पर अधिक दबाव पड़ा है, जैसे कि बिजली, रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सिंचाई और शहरी तथा ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता, जो क्षमताओं की दृष्टि से और साथ ही महत्वपूर्ण आधारभूत सेवाएं प्रदान करने में कार्यकुशलता की दृष्टि से भी पहले से ही दबाव में हैं । प्रतिवर्ष औसतन 9% प्रतिवर्ष की जीडपीपी वृद्धि के साथ, ग्यारहवीं योजना के लिए पूर्वानुमानित अर्थव्यवस्था की समावेशी वृद्धि केवल तभी प्राप्त की जा सकती है यदि इस आधारभूत कमी पर काबू पा लिया जाए और उच्च विकास की सहायतार्थ पर्याप्त रूप से निवेश किया जाए तथा शहरी और ग्रामीण सभी समुदायों के लिए जीवन स्तर में सुधार हो ।

2. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2004 को गठित अवस्थापना संबंधी समिति (सीओआई) की 17 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें से 7 बैठकें 2007-08 के दौरान (14 जनवरी, 2008 तक) आयोजित हुई । सीओआई का उद्देश्य ऐसी नीतियां ओर कार्यनीतियां शुरू करना है जिनसे सु-समन्वित, विश्व श्रेणी के ढांचे का समयबद्ध सृजन सुनिश्चित हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं प्रदान की जाएं, ऐसी संरचना का विकास हो, जिससे सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका अधिकतम हो और प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति का मानीटरन हो।

3. सीओआई के कामकाज को सुकर बनाने के लिए सीओआई की एक अधिकार-प्राप्त उप-समिति भी, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में 16 मई, 2005 को गठित की गई थी । अधिकार प्राप्त उप-समिति की 14 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें से 5 बैठकें 2007-08 में (14 जनवरी, 2008 तक) आयोजित हुई । संबंधित विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक उप-समूह के माध्यम से पणधारियों के साथ परामर्श को अंतर-मंत्रालयीय परामर्श से समर्थन प्राप्त होता है । सामंजस्यपूर्ण परिणाम प्रोत्साहित करने के लिए अंतर-विषयक संवाद पर अधिक निर्भरता के साथ तथा एक सहमत समय-सीमा के अंदर हितों के संघर्षों का समाधान करने के लिए इस प्रकार परामर्श पद्धति अब संस्थागत बन गई है ।

4. सीओआई और अधिकार-प्राप्त उपसमिति की सेवा, सीओआई के लिए सचिवालय के माध्यम से की जाती है, जिसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(1) सीओआई की बैठकों की सेवा करना तथा उनमें लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के संबंध में, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से सीओआई की अधिकार-प्राप्त उपसमिति के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

(2) सीओआई द्वारा अपेक्षित, विशेष रूप से अवस्थापना क्षेत्रक में पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित (स्वतंत्र विशेषज्ञों और पणधारियों की सहायता सहित), नीतिगत पत्र तैयार करना, अनुसंधान आयोजित करना, परामर्श प्रारंभ करना और सेमिनार आयोजित करना।

सीओआई द्वारा पहल

5. एक ऐसा समर्थनकारी माहौल तैयार करने के उद्देश्य से, जिससे अनुमानों में सुधार होगा तथा पीपीपी के संबंध में जोखिमों का और अधिक इष्टतम आबंटन प्राप्त होगा तथा कारोबारी लागत व प्रसंस्करण समय में कमी आएगी, सरकार नीति और विनियामक संरचना में सुधार कर रही है तथा उचित संस्थागत पद्धतियां विकसित कर रही है। ऐसी पहलें, सीओआई के लिए सचिवालय की रिपोर्टों में वर्णित की गई हैं, जिन्हें सीओआई के विचार और अनुमोदन के बाद प्रकाशित किया जाता है, जिनकी सूची नीचे दी गई है :

(1) सड़क सुरक्षा और यातयात प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञ समिति, जनवरी, 2008 ।

(2) बड़े बंदरगाहों में पीपीपी के लिए टैरिफ निर्धारण और बोली प्रतिमानों के संबंध में कार्यबल, अगस्त, 2007 ।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पुनर्गठन के संबंध में अंतर-मंत्रालयीय समूह, जुलाई, 2007 ।

(4) बंदरगाहों के लिए वित्तपोषण योजना संबंधी कार्यबल, जून, 2007 ।

(5) एयर कार्गो और एयरपोर्टों में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण संबंधी अंतर-मंत्रालयीय समूह, जनवरी, 2007 ।

6. ये रिपोर्टें पिछले वर्षों में प्रकाशित रिपोर्टों की पूरक हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(1) हवाई अड्डों के लिए योजना के वित्तपोषण के संबंध में कार्यबल, जून, 2006 ।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के वित्तपोषण संबंधी कोर समूह, अप्रैल, 2006 ।

(3) कंटेनर भाड़ा स्टेशनों और बंदरगाहों के कामकाज और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के संबंध में अंतर-मंत्रालयीय समूह, फरवरी, 2006 ।

(4) दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली-हावड़ा फ्रेट कारीडरों के संबंध में कार्यबल, फरवरी, 2006 ।

(5) बड़े बंदरगाहों की सड़क-रेल संयोजकता संबंधी सचिवों की समिति, फरवरी, 2006 ।

(6) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के माध्यम से अवस्थापना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए स्कीम, जनवरी, 2006 ।

7. पीपीपी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, कनसेशन प्रलेखों और बोली प्रक्रिया के संबंध में मानकीकृत व्यवस्था को सर्वोत्तम विकल्प समझा जाता है, जिससे संभाव्यता बढ़ती है और सरकारी तथा निजी पूंजी के संबंध में जोखिम कम होता है । इनसे अनुमोदन प्रक्रियाओं में कमी के अलावा, निर्णय-निर्माण में भी सरलता व तेजी आती है। सीओआई ने, माडल दस्तावेजों को अपनाना, जिसमें माडल कंसेशन करार (एमसीए) शामिल है, अनिवार्य बना दिया है। इसके अनुसरण में सीओआई के तत्वावधान में अंतिम रूप दिए गए मार्गनिर्देश और निम्नलिखित एमसीए वर्ष 2007-08 में प्रकाशित किए गए :

(1) बोलीदाताओं की पूर्व-अर्हता के संबंध में मार्गनिर्देश, पीपीपी परियोजनाओं के लिए अर्हता हेतु माडल अनुरोध (आरएफक्यू) सहित, 5 दिसम्बर, 2007 ।

(2) वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के संबंध में मार्गनिर्देश, पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव हेतु माडल अनुरोध (आरएफपी) सहित, 30 नवम्बर, 2007 ।

(3) विनिर्देशों और मानकों का मैनुअल : पीपीपी के माध्यम से राजमार्गों को दो लेन वाला बनाना, 20 मई, 2007 ।

8. पहले प्रकाशित में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) बंदरगाहों में पीपीपी के लिए एमसीए, अक्तूबर, 2006 ।

(2) राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण में पीपीपी के लिए एमसीए अक्तूबर, 2006 ।

(3) राज्य राजमार्गों में पीपीपी के लिए एमसीए अक्तूबर, 2006 ।

(4) राष्ट्रीय राजमार्गों में पीपीपी के लिए एमसीए, सितम्बर, 2006 ।

(5) कंटेनर ट्रेन प्रचालनों के लिए एमसीए, जनवरी, 2007 ।

(6) अवस्थापना में पीपीपी के लिए वित्तीय सहायता हेतु मार्गनिर्देश, जनवरी, 2006 ।

(7) पीपीपी के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के संबंध में मार्गनिर्देश, जनवरी, 2006।

9. "अवस्थापना के विनियमन के प्रति दृष्टिकोण : मुद्दे और विकल्प " तैयार और अगस्त, 2006 में सीओआई की वेबसाइट www.infrastructure.gov.in पर प्रस्तुत किया गया ताकि इसे अंतिम रूप देने से पहले पणधारियों की टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किए जा सकें । इस पत्र में भारत में विनियामक कानून और नीति तथा सम्बद्ध संस्थागत संरचना की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया है । देखा गया कि अर्थव्यवस्था के बीच और इसके अंदर इस समय कुछ अव्यवस्थित और असमान दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अपर्याप्त और खर्चीले सुधार हो रहे हैं । इसके अंतर्गत विनियामक संस्थानों के साथ उनकी भूमिका तथा कार्यक्षेत्र और सरकार के विधायी और कार्यपालिका स्कंधों और साथ ही आम जनता के साथ भी उनके संबंधों का भी वर्णन किया गया है । इस परामर्श पत्र पर 25 सितम्बर, 2006 को एक गोलमेज आयोजित की गई तथा लिखित टिप्पणियों और साथ ही विभिन्न मंत्रालयों व उपभोक्ता निकायों से भी प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर पत्र को अद्यतन बनाया जा रहा है ।

10. सचिवों की समिति द्वारा अप्रैल, 2007 में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में, संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति द्वारा विनियामक के मानीटरन और उस पर नजर रखने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से मार्गनिर्देश तैयार किए जा रहे हैं । देश में विनियमों के संबंध में एक संभव सामान्य, सर्वोपरि दृष्टिकोण के संबंध में भी विनियामक मुद्दों, जैसे कि विनियामक हेतु चयन प्रक्रिया पात्रता, क्षतिपूर्ति पैकेज, बजट और उपकर, को तथा सरकार के साथ संबंध को ध्यान में रखे बगैर नीति निर्माणाधीन है ।

11. योजना आयोग द्वारा "पीपीपी के संबंध में मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन" 21 जुलाई, 2007 को आयोजित किया गया, जिससे केन्द्र और राज्यों में नीति निर्माताओं के लिए, अवस्थापना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई नीतियों पर एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श व हिस्सेदारी करने का एक मंच उपलब्ध हुआ । यह, पीपीपी व सम्बद्ध मुद्दों पर विगत में आयोजित अन्य सम्मेलनों का अनुसरण भी था। "राज्य राजमार्गों में पीपीपी के संबंध में एक सम्मेलन" भी 25 मई, 2007 को आयोजित किया गया, जिसमें यह नोट किया गया कि कुछ राज्यों ने पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में बड़े कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए हैं तथा अन्य राज्य प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर हैं। परियोजना निर्माण और अवार्ड करने की गति को और चुस्त बनाने व उसमें तेजी लाने की तत्काल जरूरत महसूस की गई क्योंकि इन परियोजनाओं से सड़क उपयोगकर्ताओं को, सरकार से कम से कम लागत पर, लाभ होगा । सफल पीपीपी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर क्षमताओं का निर्माण करने के वास्ते अवस्थापना में पीपीपी के संबंध में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय व राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए पहले ही आयोजित किए गए हैं । राज्यों में चुनिंदा, पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता-अनुकूल संरचना विकसित करने के लिए भी योजना आयोग वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है ।

12. सीओआई के महत्वपूर्ण अवस्थापना क्षेत्रक-विशिष्ट निर्णय और उनके कार्यान्वयन के बारे में नीचे "क्षेत्रक-वार पहलों" पर उप-खंड में बताया गया है :

अवस्थापना निवेश

13. सीओआई के लिए सचिवालय द्वारा एक परामर्श पत्र 22 अक्तूबर, 2007 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें ग्यारहवीं योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान 9 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने के लिए दस बड़े भौतिक अवस्थापना क्षेत्रकों के लिए अपेक्षित निवेश का उसका आकलन दिया गया है । दृष्टिकोण में क्षेत्रकवार पाइपलाइन परियोजना योजनाओं का सहारा लिया गया जिसमें प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया गया और जिसमें ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में बाजार कीमतों पर जीडीपी के 9 प्रतिशत के लक्षित सकल पूंजी निर्माण के साथ तालमेल बिठाया गया था । पत्र को, उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा भारत और अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से 28 अक्तूबर, 2007 को मुम्बई में आयोजित अमरीका-भारत अवस्थापना वित्त सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था । आकलन को, एनडीसी द्वारा दिसम्बर, 2007 में अनुमोदित अवस्थापना परिसंपत्तियों और सेवाओं के संबंध में भौतिक लक्ष्यों के आधार पर, संशोधित किया गया, जिससे ग्यारहवीं योजना के दौरान अवस्थापना में कुल 20,60,193 करोड़ रुपए अथवा 515.05 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 सतत कीमतों पर, 40/- रुपए अमरीकी डालर की विनिमय दर पर) के पूर्वानुमानित निवेश का पता चला । इसमें से 4,39,392 करोड़ रुपए की राशि (कुल का 21 प्रतिशत अथवा सरकारी निवेश का 30.5 प्रतिशत) अन्नय रूप से ग्रामीण अवस्थापना में सुधार करने के लिए खर्च की जाएगी ।

14. दसवीं योजना में प्राप्त होने वाले 8,71,445 करोड़ रुपए अथवा 217.86 बिलियन अमरीकी डालर के प्रत्याशित निवेश स्तर की पृष्ठभूमि में ग्यारहवीं योजना में पूर्वानुमानित अवस्थापना निवेश दसवीं योजना की तुलना में 2.36 गुणा होगा । केन्द्र द्वारा 7,65,622 करोड़ रुपए और राज्यों द्वारा 6,74,979 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सरकारी क्षेत्रक एक प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा । निजी क्षेत्रक द्वारा निवेश, जिसमें पीपीपी परियोजनाएं सम्मिलित हैं, शेष 6,19,591 करोड़ रुपए की पूर्ति करेगा जो ग्यारहवीं योजना के दौरान अपेक्षित कुल निवेश का 30 प्रतिशत है (दसवीं योजना के दौरान प्राप्त प्रत्याशित 20 प्रतिशत के विरुद्ध) ।

15. इतने निवेशों के लिए सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों द्वारा,

विशेष रूप से वाणिज्यिक शर्तों पर कर्ज लेने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे । सरकारी और निजी क्षेत्रकों द्वारा कर्ज की कुल आवश्यकता 9,96,291 करोड़ रुपए संभावित है । तथापि, ग्यारहवीं योजना के दौरान अवस्थापना के लिए कर्ज वित्तपोषण की उपलब्धता 8,25,539 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिससे 1,70,752 करोड़ रुपए अथवा 42.69 बिलियन अमीरीकी डालर का अंतर रह जाएगा । अवस्थापना में अपेक्षित निवेश केवल तभी संभव होगा यदि आंतरिक सृजन और सरकारी क्षेत्रक के संसाधनों में पर्याप्त रूप से वृद्धि हो, के एक समर्थनकारी नीति और विनियामक परिवेश में वाणिज्यिक आधारों पर संरचित बड़ी अवस्थापना परियोजनाओं के साथ निजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि के अलावा होगा।

सरकारी-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) और पीपीपी मूल्यांकन यूनिट (पीपीपीएयू)

16. वाणिज्यिक क्षमता वाली, जैसे कि राजमार्ग हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे और शहरी विकास, अवस्थापना सेवाओं के प्रचालन और परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पीपीपी एक बढ़ती हुई महतवपूर्ण विधि है, यद्यपि यह सभी क्षेत्रकों में, विशेष रूप से सिंचाई में, व्यवहार्य नहीं हो सकता। सरकारी अवस्थापना के सृजन के लिए निजी पूंजी आकर्षित करने के अलावा, सरकारी अधिकारियों, रियायतप्राप्तकर्ताओं और वित्तदाताओं के बीच पीपीपी से मालिकाना प्रौद्योगिकी, उत्तम सेवा कोटि और उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं प्रदान करने में अधिक कार्यकुशलता भी प्राप्त होती है । योजना आयोग द्वारा 7 अक्तूबर, 2006 को आयोजित "अवस्थापना का निर्माण : अवसर और चुनौतियां" पर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सरकारी पीपीपी और कभी कभी, अनन्य रूप से निजी निवेश के जरिए, जहां संभव हो, निवेशों में वृद्धि करने पर बल दिया था । पीपीपी के जरिए निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए नीति और विनियामक संरचना में स्पष्टता, कार्यकुशलता के उचित स्तर पर निवेशों पर उचित प्रतिफल और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण आवश्यक है । अपील तंत्र के साथ स्वतंत्र विनियामक एजेंसियों की स्थापना करके टैरिफ और सेवा कोटि को विनियंत्रित करने व उपभोक्ताओं की सुलभता को संरक्षण प्रदान करने की जरूरत होगी । संविदाओं के जरिए विनियमन के तहत सभी पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का उल्लेख करना होगा तथा रियायतें प्रदान करने के लिए, संभव सीमा तक मानक रियायत करारों के साथ, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली पर निर्भर रहना होगा ।

17. यद्यपि इन भागीदारियों की अनेक विधियों का अनुमान लगाया गया है, जैसे कि "डिजाइन-निर्माण - वित्तपोषण-प्रचालन", "डिजाइन-निर्माण - अनुरक्षण-वित्तपोषण" और "निर्माण - प्रचालन-हस्तांतरण; रियायत, पट्टा/अनुरक्षण, सार्वजनिक सेवाएं, ठेके पर देने और संयुक्त उद्यमों के बहुत से मिश्रणों के साथ, तथापि परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन से एक स्वतंत्र उद्यम के रूप में प्रचालन करने के लिए हस्तांतरण सुचारू होना चाहिए ।

18. भारत में पीपीपीके माध्यम से निवेश में प्रमुख बाधाओं में सम्मिलित हैं : परियोजना विकास की ऊंची प्रारंभिक लागत, दीर्घावधिक ऋण का, कठोर और देशज दोनों मुद्राओं में अभाव, मुख्य रूप से गरीबों को सेवाएं प्रदान करने के लिए लक्षित परियोजनाओं के लिए सब्सिडियों की जरूरत तथा अपर्याप्त समर्थनकारी परिवेश । इसके अलावा, परियोजनाओं का विकास करने, करारों के संबंध में बातचीत करने और पीपीपी को इस प्रकार से विनियंत्रित करने के लिए सरकारी क्षमता को मजबूत बनाने की जरूरत होगी कि एक ओर निवेशकों के अधिकारों और उपचारों के विरुद्ध प्रभुसत्तापूर्ण नियंत्रण में संतुलन बना रहे और दूसरी ओर पूंजी पर उचित प्रतिफल के विरुद्ध अवस्थापना तक सार्वजनिक पहुंच की संभावनाएं हों ।

19. आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 27 अक्तूबर, 2005 को, पीपीपी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन में उचित बुद्धिमानी के साथ एक कठोर मूल्यांकन पद्धति का अनुमोदन कर दिया था । तदनुसार, केन्द्रीय सरकार की सभी पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक चुस्त, सुपरिभाषित, अनवरत और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 12 जनवरी, 2006 को एक पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) स्थापित की गई । सचिव, योजना आयोग, व्यय और विधिक मामले विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग, इसके संघटक सदस्य हैं । संबंधित मंत्रालयों से 1200 करोड़ रुपए और इससे अधिक निवेश वाले पीपीपी परियोजना प्रस्तावों पर पीपीपीएसी द्वारा विचार किया जाता है तथा 100 करोड़ रुपए से कम निवेश वाले प्रस्तावें पर विद्यमान व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) प्रणाली द्वारा विचार किया जाता है । यथापूर्वक अनुमोदित एमसीए

पर आधारित परियोजनाओं के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने से पहले पीपीपीएसी से "सिद्धांततः" स्वीकृति की जरूरत नहीं है

20 पूरकता के रूप में, आर्थिक प्रतिफल की दृष्टि से न्यायोचित किन्तु वित्तीय प्रतिफल की मानक सीमाओं पर खरी न उतरने वाली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली अवस्थापना परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य वाली सरकारी-निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायतार्थ स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पीपीपी परियोजनाओं के सभी पहलुओं का आकलन करने के लिए सीओआई के लिए सचिवालय के अंदर एक पीपीपी आकलन यूनिट (पीपीपीएयू) स्थपित किया गया है। 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक परिकल्पित वीजीएफ वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से पीपीपी परियोजनाओं पर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता वाली अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा विचार और अनुमोदित किया जाता है, तथा अन्यों पर अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता वाले अधिकार-प्राप्त संस्थान द्वारा विचार और अनुमोदित किया जाता है । वीजीएफ स्कीम के तहत परियोजना पूंजी लागतों के 20% तक की अनुदान सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रायोजक मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है ।

पीपीपीएसी द्वारा प्राप्त पीपीपी परियोजनाएं

21. वर्ष 2006-07 में 14258.21 करोड़ रुपए के परिकल्पित निवेश के साथ 32 पीपीपी परियोजनाएं पीपीपीएसी को प्राप्त हुई और उनका आकलन किया गाय। इसके साथ ही, वर्ष 2007-08 के दौरान (14 जनवरी, 2008 तक), सड़कों, बंदरगाहों और विद्युत में 21,606,24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 24 परियोजनाएं, वीजीएफ अनुदान के लिए सीओआई के लिए सचिवालय में प्राप्त हुई और उनका मूल्यांकन किया गया । क्षेत्रकवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश
सड़कें	18	17,490.86
बंदरगाह	5	2,475.38
विद्युत	1	1,640.00
जोड़	**24**	**21,606.24**

वीजीएफ मंजूर करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति। अधिकार-प्राप्त संस्थान द्वारा प्राप्त पीपीपी परियोजनाएं

22. वर्ष 2006-07 के दौरान, वीजीएफ से अनुदान के लिए 26,426.97 करोड़ रुपए के परिकल्पित निवेश के साथ 30 पीपीपी परियोजनाएं प्राप्त हुई और उनका मूल्यांकन किया गया । इसी क्रम में वर्ष 2007-08 के दौरान (14 जनवरी, 2008 तक), सड़कों और शहरी अवस्थापना में 20,018.2 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 16 पीपीपी परियोजनाएं वीजीएफ से अनुदान के लिए प्राप्त हुई और उनका मूल्यांकन किया गया, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	सड़क क्षेत्रक		शहरी अवस्थापना		सभी परियोजनाएं	
	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश	परियोजनाओं की संख्या	परिकल्पित निवेश
आंध्र प्रदेश	1	511.6	1	8,760.0	2	9,271.6
गुजरात	3	2,545.8	-	-	3	2,545.8
कर्नाटक	4	1,593.3	-	-	4	1,593.3
मध्य प्रदेश	6	1,072.5	-	-	6	1,072.5
महाराष्ट्र	1	5,535.0	-	-	1	5,535.0
सभी राज्य	**15**	**11,258.2**	**1**	**8,760.0**	**16**	**20,018.2**

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि0 (आईआईएफसीएल)

23. अवस्थापना के लिए पूंजी की एक संधारणीय आपूर्ति सृजित करने के लिए देशज पूंजी बाजार का विकास मूलभूत है । स्थिर राजस्व धाराएं तथा अवस्थापना परिसंपत्तियों की एक मजबूत अंततः वसूली कीमत से क्रमिक रूप से लम्बी ऋण अवधियों को समर्थन मिलेगा और इस प्रकार कर्ज की अवधि और अवस्थापना परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि के बीच बेमेलपन को दूर करने में मदद मिलेगी । विदेशी पूंजी स्थानीय मुद्रा कर्ज को पूरक बना सकती है किन्तु इसके लिए संरचनात्मक संवृद्धियों की जरूरत होगी जैसे कि अपतटीय रिजर्व और बहु-पक्षीय जोखिम गारंटियां।

24. क्योंकि आधरभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवश्यक लम्बी अवधि के ऋण देशज पूंजी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं इसलिए सरकार ने एक पूर्णतः स्वामित्व वाली एसपीवी "इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड" (आईआईएफसीएल) की स्थापना की ताकि भारत सरकार की गारंटियों के विरुद्ध देशज और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से दीर्घावधिक निधियां जुटाई जा सकें । सदस्य-सचिव, योजना आयोग इसके बोर्ड में एक निदेशक हैं तथा सीओआई के लिए सचिवालय, आईआईएफसीएल के साथ सम्बद्ध उनके कार्यों का निपटान करने में मदद करता है । आईआईएफसीएल, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की पूंजीगत लागतों के 20% तक का उधार सीधे ही प्रदान कर सकता है । यह दस वर्ष से अधिक अवधि के ऋणों के लिए वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त भी प्रदान कर सकती है । आईआईएफसीएल द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से चुनी गई परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है । वर्ष 2007-08 के दौरान (14 जनवरी, 2008 तक) आईआईएफसीएल ने 25 पात्र परियोजनाओं के लिए 7,571 करोड़ रुपए तक की राशि की वित्तीय सहायता मंजूर की ।

क्षेत्रकवार पहल

राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)

25. एक कुशल सड़क नेटवर्क का निर्माण करने के लिए 13 जनवरी, 2005 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में सीओआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क के क्रमिक विकास के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की थी। इसके अनुसरण में, 2005-2012 अवधि के दौरान 2,36,247 करोड़ रुपए अथवा 59 बिलियन अमरीकी डालर (40 रुपए/डालर) के निवेश के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) की स्थापना की गई है । इसके मुख्य घटक निम्नांकित हैं :

स्वर्ण चतुर्भुज और एनएस-ईडब्ल्यू गलियारों को चार लेन वाला बनाना (एनएचडीपी-1 और 2)

26. 66,590 कि.मी. कुल लम्बाई के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) देश भर में सहायक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है । एनएचडीपी-1 के अंतर्गत 7,494 कि.मी. के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 7069 कि.मी. का कार्य पूरा हो गया है । एनएचडीपी-2 के अंतर्गत 6647 कि.मी. के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 5415 कि.मी. का कार्य पूरा हो गया है । इन दो चरणों के अंतर्गत उल्लेखनीय परियोजनाओं में सम्मिलित हैं : चार महानगरों, नगरों अर्थात् दिल्ली-मुम्बई-चुन्नई-कोलकाता को जोड़ने वाले 5846 कि.मी. लम्बे स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) को चार लेनों वाला बनाना, 7300 कि.मी.उत्तर-दक्षिण (श्रीनगर से कन्याकुमारी, कोच्ची-सेलम भाग सहित), पूर्व-पश्चिम सिल्चर से पोरबंदर) अथवा एनएस-ईडब्ल्यू गलियारों को चार लेनों वाला बनाना, जो बंदरगाह संयोजकता और कुछ अन्य एनएच परियोजनाओं के अलावा है । जीक्यू का लगभग 96 प्रतिशत पूरा हो गया है। एनएस-ईडब्ल्यू गलियारों के लगभग 20% को चार लेनों वाला बना दिया गया है तथा परिकल्पना है कि परियोजना दिसम्बर, 2009 तक पूरी हो जाएगी ।

12,109 कि.मी. को चार लेनों वाला बनाना (एनएचडीपी-III)

27. बीओटी (चुंगी) विधि के जरिए एनएचडीपी-III के अंतर्गत, एनएचडीपी-I और एनएचडीपी-II नेटवर्क के साथ राज्य राजधानियों को जोड़ने वाले उच्च ट्रैफिक घनत्व वाले खंडों के 12,109 कि.मी. को चार लेनों वाला बनाने और आर्थिक, वाणिज्यिक तथा पर्यटन महत्व के स्थानों के लिए संयोजकता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है । 4815

कि.मी. को कवर करते हुए इसका पहला घटक दिसम्बर, 2009 तक पूरा होना है ।

20,000 कि.मी. को दो लेनों वाला बनाना (एनएचडीपी-4)

28. एनएच के संबंध में न्यूनतम बैंचमार्क को पूरा करते हुए क्षमता, गति और सुरक्षा के साथ, एनएच के सुधरे नेटवर्क का समतापूर्वक वितरण प्रदान करने के उद्देश्य से एनएचडीपी-4 के अंतर्गत चुनिंदा वर्गों के 20,000 कि.मी. को 27,800 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ, दो लेन वाला बनाने की परिकल्पना की गई है । सीओआई ने, पांच-पांच हजार कि.मी. के चार घटकों के क्रमिक विकास की परिकल्पना के साथ, इसकी वित्तपोषण योजना को अनुमोदित कर दिया है । बीओटी (चुंगी) आधार पर 4000 कि.मी. और बीओटी (चुंगी)/वार्षिकी आधार पर 1000 कि.मी. के साथ 5000 कि.मी. का पहला घटक शीघ्र ही अनुमोदित किए जाने की संभावना है ।

6,500 कि.मी. को 6 लेन वाला बनाना (एनएचडीपी-5)

29. एनएचडीपी-5 के अंतर्गत, बीओटी आधार पर पीपीपी के माध्यम से जीक्यू और कुछ उच्च घनत्व वाले खंडों को 6 लेन वाला बनाने की परिकल्पना गई है । सीओआई ने जी क्यू के 5,700 कि.मी. को 6 लेन वाला बनाने का अनुमोदन कर दिया है तथा शेष 800 कि.मी. का चयन अनुमोदित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। अप्रैल, 2007 में सीओआई ने, 19648 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ एनएचडीपी-5 के अंतर्गत 2995 कि.मी. के संबंध में कंसेशन प्रदान करने के लिए संघटक-वार और तिमाही-वार लक्ष्य भी अनुमोदित कर दिए हैं । 148 कि.मी. के लिए करार अवार्ड कर दिए गए हैं।

एक्सप्रैसवेज के 1,000 कि.मी. का विकास (एनएचडीपी-6)

30. कतिपय शहरी केन्द्रों, विशेष रूप से एक-दूसरे से कुछेक सौ कि.मी. के अंदर स्थित केन्द्रों, के बढ़ते महत्व को देखते हुए एक्सप्रैसवेज व्यवहार्य और उपयोगी होंगे । सीसीईए ने 16,680 करोड़ रुपए की संकेतात्मक लागत के साथ बीओटी आधार पर 1000 कि.मी. एक्सप्रैसवेज का विकास अनुमोदित कर दिया है ।

अन्य राजमार्ग परियोजनाएं (एनएचडीपी-7)

31. राजमार्ग क्षमता के पूर्ण उपयोग और संवर्धित सुरक्षा व कार्यकुशलता का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए, रिंग रोडों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटरों और सेवा सडकों का 16,680 करोड़ रुपए की लागत से, विकास को सीओआई ने अनुमोदित कर दिया है ।

पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

32. पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर में सभी राज्य राजधानियों और जिला मुख्यालयों को संयोजकता प्रदान करना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले एन पर अन्य खंडों और राज्य राजमार्गों को उन्नत बनाना है । कार्यक्रम के अंतर्गत, एनएच के 3846 कि.मी. और 4891 कि.मी. राज्य सड़कों के साथ 8,737 कि.मी. सड़कों का सुधार करने की परिकल्पना की गई है ।

संस्थागत पहल

33. वर्ष 2005 में लिए गए सीओआई के एक निर्णय के अनुसरण में, जिसके अंतर्गत यह अपेक्षा की गई थी कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की सांस्थानिक क्षमता को तैयार किया जाना चाहिए एनएचएआई के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण का अनुमोदन सरकार ने जुलाई 2007 में कर दिया। पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण आदि में देरियों के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए प्रणालियां कायम की गई हैं । प्रस्तावित सुरक्षा और यातायात प्रबंधन निदेशालय के माध्यम से यातायात प्रबंधन और सुरक्षा सम्बद्ध मुद्दों पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

34. अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और उचित व परामर्शी नियमों के आधार पर एक सामान्य विनियामक संरचना की व्यवस्था करने के वास्ते, विनिर्देश और मानक मैनुअल, राजमार्गों के चुंगीकरण के लिए नीति, प्रचालन और अनुरक्षण

के संबंध में एमसीए, बीओटी (वार्षिकी) के लिए एमसीए तथा छः लेन वाले राजमार्गों के लिए एमसीए को अंतिम रूप दिया जा रहा है । जिन दस्तावेजों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनके साथ इन पहलों से परियोजनाएं अवार्ड करने की गति में वृद्धि होने, जोखिमों और पुरस्कारों का इष्टतम संतुलन सुनिश्चित होने तथा देशभर में एक कार्यकुशल व सुरक्षित राजमार्ग नेटवर्क उपलब्ध होने की उम्मीद है ।

हवाई अड्डे

35. सीओआई ने, भारत में विश्व श्रेणी के हवाई अड्डों के समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अनेक नीतिगत उपाय प्रारंभ किए हैं । एक व्यापक राष्ट्रीय सिविल विमानन नीति तैयार की जा रही है, जिसका मसौदा मई, 2007 से मंत्रियों के एक समूह के विचाराधीन है । एक स्वतंत्र आर्थिक विनियमन हेतु हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) विधेयक सितम्बर, 2007 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है।

36. बंगलौर और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों का अनुमोदन कर दिया गया है तथा इनके 2008 में चालू हो जाने की उम्मीद है । पीपीपी के माध्यम से दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम एक प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर अवार्ड कर दिया गया है । अप्रैल, 2007 में, सीओआई ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा चेन्नई और कोलकाता के आधुनिकीकरण और विस्तार के संबंध में कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक अंतर-मंत्रालयीय समूह गठित किया है। संतुलित हवाई अड्डा विकास सुनिश्चित करने के लिए 35 मेट्रो-भिन्न हवाई अड्डों के विकास के लिए एक विस्तृत वित्तपोषण योजना सीओआई ने जून, 2006 में अनुमोदित की थी, जिसके तहत 10 मेट्रो-भिन्न हवाई अड्डों का परियोजना कार्य मार्च, 2008 तक, दस और का मार्च, 2009 तक और शेष 15 का मार्च, 2010 तक पूरा होना है । पूर्वोत्तर में, 11 प्रचालनात्मक हवाई अड्डों के उन्नयन का काम शुरू किया जा रहा है तथा 3 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का निर्माण किया जाएगा ।

37. मानकीकरण के लिए विद्यमान व्यवस्थाओं के संबंध में निर्माण हेतु, मेट्रो-भिन्न हवाई अड्डों के नागर-पक्ष विकास हेतु एक एमसीए तैयार किया जा रहा है तथा इसे 2007-08 में अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है । उम्मीद है कि एएआई के पुनर्गठन को शीघ्र ही अनुमोदित कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) सेवाओं का उन्नयन शामिल है । निजी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए मार्गनिर्देश और लाइसेंसिंग शर्तों के विषय में सीओआई द्वारा अप्रैल, 2007 में सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन गठित अंतर-मंत्रालयीय समूह की रिपोर्ट इसके विचाराधीन है । पृथक अंतर-मंत्रालयीय समूह भी गठित किए गए हैं, जो दोनों ही सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के अधीन हैं - एक नव निर्मित टर्मिनलों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार करने और चुनिंदा मेट्रो-भिन्न हवाई अड्डों पर एएआई की सहायक कंपनियां स्थापित करने के वास्ते तथा एक अन्य हवाई अड्डों पर ठहरने के समय में कमी लाने के लिए ।

38. अंतर-मंत्रालयीय और केन्द्र-राज्यों के मुद्दों का ऐसे ढंग से समाधान करने के लिए, जिससे हवाई अड्डा उपयोग की कार्यकुशलता में वृद्धि हो, जैसे कि सीमा शुल्क, आप्रवास और सुरक्षा, अनाधिकृत कब्जे, भू-अधिग्रहण, निष्पादन स्तर, एक्सप्रैसवेज और/अथवा मेट्रो के माध्यम से नगर संयोजकता और पर्यावरणीय मंजूरियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सुविधा समिति स्थापित की गई है । संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके 10 चुनिंदा हवाई अड्डों की नगर संयोजकता के लिए एक योजना को अंतिम रूप देने के वास्ते सीओआई द्वारा एक कार्य बल भी गठित किया गया है ।

रेलवे

39. क्षमता का निर्माण करने और सेवाओं की कोटि सुधारने के उद्देश्य से, पश्चिमी और पूर्वी उच्च घनत्व वाले मार्गों पर 28,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से "डेडिकेटिड रेलवे फ्रेट कोरिडोर प्रोजेक्ट्स" का निर्माण कार्य किया जा रहा है । 1469 कि.मी. का पश्चिमी कोरिडोर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को उत्तर में दादरी और तुगलकाबाद को जोड़ेगा । 1232 कि.मी. का पूर्वी कोरिडोर

लुधियाना को दादरी और खुर्जा के जरिए सोमनगर से जोड़ेगा । इस प्रकार एक कोरीडोर से दूसरे कोरीडोर में हस्तांतरण सुकर होगा । पूर्वी कोरिडोर का क्षेत्र में प्रस्तावित गहरे-समुद्र बंदरगाह से जोड़ने के लिए, कोलाकाता तक और विस्तार किया जाएगा। इन दो कोरिडोरों में संभावित सहायता के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है तथा प्रारंभिक इंजीनियरी सर्वेक्षण "राइट्स" द्वारा किया गया है । एक एसपीवी, "डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 की, आधारभूत ढांचे की योजना तैयार करने, निर्माण और अनुरक्षण तथा रेलगाड़ियों के प्रचालन हेतु, 30 अक्तूबर, 2006 को स्थापना की गई । उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, पूर्व-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण मार्गों पर डीएफसी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी किए गए हैं । अपेक्षित सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट प्रगति पर हैं ।

40. कार्गो के बढ़ते कंटेरीकरण को देखते हुए, योजना आयोग के परामर्श से रेलवे मंत्रालय ने, कंटेनर ट्रैफिक के संचलन में "कानकोर" के अलावा, निजी प्रचालकों को अनुमति देने की एक स्कीम घोषित की है । भारतीय रेलवे ने, कंटेनर रेलगाड़ियां चलाने के लिए 15 प्रचालकों के साथ पहले ही कंसेशन करार निष्पादित किए हैं ।

41. ट्रैफिक को युक्तिसंगत बनाने तथा प्रभावी लागत आबंटन पद्धति भी विकसित की जा रही है। इसके अंतर्गत लाइन-हॉल लागतों के अनुरूप भाड़ा संरचना की इंडेक्सिंग के लिए एक क्रियाविधि सम्मिलित है, जिसके संबंध में एक अध्ययन भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सौंपा गया है । सितम्बर, 2008 तक वाणिज्यिक लेखा पद्धति और सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की गई है तथा एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है ।

42. नई दिल्ली सहित, 21 चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और आधुनिकीकरण को पीपीपी मार्ग के जरिए जून, 2007 में अनुमोदित कर दिया गया था । नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते वास्तुविद की नियुक्ति कर दी गई है तथा पटना रेलवे स्टेशन के लिए निविदाओं का काम शुरू किया गया है । सीओआई को प्रस्तुत करने के वास्ते एमसीए की जांच करने व उसे अंतिम रूप देने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समूह गठित किया गया है । मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकारप्राप्त समिति, समय-समय पर उठने वाले मुद्दों का समाधान करने तथा कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटरन करने के वास्ते गठित की गई है ।

बंदरगाह

43. भारत में बड़े बंदरगाहों पर पीपीपी के माध्यम से बर्थों के प्रचालन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, कार्यक्रम का विस्तार करने तथा जून, 2005 के बाद निर्मित होने वाली नई बर्थों को, पीपीपी मार्ग के माध्यम से आबंटित करने का निर्णय लिया गया है । नौवहन विभाग ने 2006-12 अवधि के दौरान 52 बर्थ अवार्ड करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 18 को 2007-08 के दौरान अवार्ड किया जाना है । विद्यमान कंटेनर बर्थों को क्रमिक ढंग से पीपीपी विधि के जरिए हस्तांतरित करने के प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाएगा ।

44. सरकार ने 12 बड़े बंदरगाहों को विश्व श्रेणी के मानक प्राप्त करने में समर्थ बनाने का भी निर्णय लिया है। प्रत्येक बंदरगाह ने 20 वर्ष के लिए एक भावी योजना और सात वर्ष के लिए एक व्यवसाय योजना तैयार की है, जिन पर सीओआई की अधिकार-प्राप्त उप-समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

45. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नौवहन उद्योग बड़े पोतों की दिशा में बढ़ रहा है, बड़े बंदरगाहों की कैपीटल ड्रेजिंग के संबंध में भी एक योजना कार्यान्वयन हेतु प्रारंभ की गई है । एक उच्च स्तरीय समिति ने, तीन वर्ष की अवधि के अंदर बड़े बंदरगाहों की रेल-सड़क संयोजकता सुधारने के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया है । पर्यावरणीय मंजूरियों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाना है । इसके अलावा, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि ठहरने के समय और कारोबारी लागतों को कम किया जा सके । बंदरगाहों पर ठहरने के समय में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कमी लाने के लिए सचिव, नौवहन विभाग के अधीन अंतर-मंत्रालयीय समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा सीओआई द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । बंदरगाहों और सीमा-शुल्क के नियंत्रण

से बाहर कार्यकलापों से संबंधित ठहरने समय में कमी लाने के लिए, सीओआई ने वित्त सचिव के अधीन एक अंतर-मंत्रालयीय समूह का गठन किया है ।

46. सरकार ने संबंधित बंदरगाह न्यासों को शक्तियों भी सौंप दी हैं, जिससे कि शीघ्र निर्णय निर्माण और कार्यान्वयन सुकर हो सके । सुरक्षा और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल और चुस्त बनाने के लिए भी अनेक उपाय प्रारंभ किए गए हैं । सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के कामकाज को चुस्त बनाने के लिए, सीओआई द्वारा स्थापित सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयीय समूह की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तथा विचाराधीन है ।

47. बंदरगाहों के विकास के लिए वित्तपोषण योजना तैयार कर ली गई है और टैरिफ निर्धारण प्रणाली और बोली प्राचलों के संबंध में कार्यबल की रिपोर्ट को सीओआई की अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । उसके अंतर्गत परिकल्पित भारतीय बंदरगाह अवस्थापना के पैमाने और कोटि में सुधारों से, एक बढ़ते वैश्वीकृत विश्व में भारत के प्रति स्पर्धात्मक लाभ में पर्याप्त सुधार होने की उम्मीद है ।

4.24 समाजार्थिक अनुसंधान

1. समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान अध्ययन करने और संगोष्ठियों, सम्मेलनों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान की स्कीम से संबंधित है, जो योजना आयोग के कार्यक्रमों और नीतियों के लिए संगत हों।

2. वर्ष 2006-07 के दौरान जारी किए गए 147.89 लाख रुपये के सहायता अनुदान में 98.82 लाख रुपये अध्ययनों के लिए और 49.07 लाख रुपये संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए थे। वर्ष 2006-07 के लिए सं.आ. की राशि 150.00 लाख रुपए थी ।

जीओए (सलाहकारों के दल) द्वारा 17 अध्ययनों तथा 21 संगोष्ठियों/सहायता अनुदान के प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए। वर्ष 2006-07 के दौरान 14 चल रहे अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हुईं । जिनकी सूची संलग्न 4.24.1 में दी गई है ।

3. वर्ष 2007-08 के दौरान (31 दिसम्बर, 2007 तक) 151.12 लाख रुपए का सहायता-अनुदान जारी किया गया, जिनमें 130.93 लाख रुपए अध्ययनों के लिए तथा 20.19 लाख रुपए सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए थे ।

(लाख रुपये में)

सहायता-अनुदान (2007-08)	अनुमोदित (बजट अनुमान)	जारी की गई राशि
कुल	200.00	151.12
अध्ययन		130.93
संगोष्ठियां		20.19

संलग्नक 4.24.1

योजना आयोग की एसईआर स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन पूरे हो गए

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	लघु वित्त तथा अनुसूचित जाति महिलाओं का सशक्तिकरण : उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एसएचजी का एक प्रभाव अध्ययन (2002)	बी.एल. विकास अनुसंधान और कार्रवाई केन्द्र, 5/857, विकास नगर, लखनऊ-226022
2.	सामान्य निस्सारी उपचार संयंत्रों का भारत में उनकी पर्याप्तता और कार्यकुशलता व प्रबंधन प्रथाओं की दृष्टि से मूल्यांकन (2005)	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नेहरू मार्ग, नागपुर-440020
3.	सामाजिक ऑडिट, ग्राम सभा और पंचायती राज	विजन फाउंडेशन फार डेवलपमेंट मैनेजमेंट, नई दिल्ली
4.	पंचायती राज संस्थानों द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाना तथा प्रबंधन	हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी
5.	जनजातीय हस्तशिल्प-अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका का एक विकल्प	समाजार्थिक तथा शैक्षिक विकास सोसायटी (सीड्स), नई दिल्ली
6.	सोशल एकाउंटिंग मैट्रिक्स ऑफ इंडिया : 2003-04 (जून, 2006)	भारतीय विकास फाउंडेशन, गुडगांव
7.	ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्कूलों में अधबीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की सीमा तथा कारण	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे
8.	आपूर्ति श्रृंखला के दौरान भारतीय उद्योग के लिए एचआईवी/एड्स उपाय	ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान (टेरी), नई दिल्ली
9.	बिहार में पीआरआई के माध्यम से चुने हुए अनुसूचित जाति सदस्यों का सशक्तिकरण	सुलभ विकास अध्ययन संस्थान, पटना (बिहार)
10.	खाद्यान्नों और खाद्य उत्पादों की मांग और पूर्ति की पिछली प्रवृत्तियां तथा पूर्वानुमान (पीएमओ द्वारा रेफर किया गया)	डॉ0 सुरभि मित्तल, फैलो, आईसीआरआईइआर, नई दिल्ली
11.	नियोजित विकास हेतु हेतु कर राज्य-भिन्न स्रोतों के सुधार के जरिए संसाधन जुटाना	लोक अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
12.	उत्तरी भारत - उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में एसजीएसवाई तथा नाबार्ड समर्थित एसएचजी उपायों का एक तुलनात्मक अध्ययन	एशियाई उद्यमशीलता शिक्षा और विकास सोसायटी, नई दिल्ली
13.	ग्राम स्तर पंचायतों के निर्माण में चुनी हुई महिलाओं की क्षमता का सुदृढ़ीकरण	सिंगम्मा श्रीनिवासन फाउंडेशन, बंगलौर
14.	एक सामाजिक सुरक्षा कड़ी के रूप में अनिवार्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली	गोविंद बल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

संलग्नक 4.24.2

वर्ष 2007-08 के दौरान* निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन अनुमोदित किए

(लाख रुपए)

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता	अनुमोदित राशि
1.	बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, कोसी नदी पद्धति के विशेष संदर्भ में, मत्स्य पालन का अर्थशास्त्र	चाणक्य शैक्षिक न्यास (अंगा योजना और कार्रवाई अनुसंधान संस्थान), भागलपुर, बिहार	4.70
2.	उत्तराखंड में त्वरित सिंचाई लाभार्थी कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत सिंचाइ और लघु सिंचाई कार्यक्रम का प्रभाव	वैकल्पिक नीतियां विकास कन्द्र, नई दिल्ली	5.50
3.	भारत में प्रमुख फसलों के संबंध में कारक उत्पादकता और बाजार अधिशेष	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद	4.23
4.	भारत में एसएचजी की सफलता और असफलता : बाधाएं तथा सफलता के प्रतिमान	समुदाय तथा पर्यावरण में स्वैच्छिक प्रचालन (वायस), नई दिल्ली	9.94
5.	अन्य पिछड़े वर्गों के मुसलमानों के बीच समाजार्थिक अयोग्यता और बेरोजगारी समस्याएं	वैश्विक परिवेश और कल्याण सोसायटी, नई दिल्ली	5.54
6.	कुडुमवासरी परियोजना के निषादन, प्रभाव और अनुकरणीयता का अध्ययनः केरल में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम	केरल विकास सोसायटी, नई दिल्ली	8.61
7.	मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति : दिल्ली राज्य	"मानस " फाउंडेशन, नई दिल्ली	9.09
8.	उड़ीसा में मातृ मृत्यु-दर : एक महामारीय अध्ययन	मार्च आफ यूथ फार फार हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्शन फार रूरल ट्रस्ट (माई-हार्ट), भुवनेश्वर	14.46
9.	बिहार में युवा शिल्पकारों की स्थिति : बड़े पैमाने पर स्वः रोजगार का सृजन करने के लिए शिल्पीय क्षेत्रक की क्षमता का आकलन	बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना	4.65
10.	ग्रामीण उत्तराखंड में बसे लोगों के ग्रामीण आवासन कार्यक्रमों का प्रभाव	जी.बी. पंत समाज विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	5.02
11.	भारत में अक्षमताओं वाले व्यक्तियों का सरकारी क्षेत्रकों में रोजगार-उभरते मुद्दे और प्रवृत्तियां : विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के विशेष संदर्भ में एक मूल्यांकन अध्ययन	विकलांगता और अयोग्यता अध्ययन, सोसायटी, नई दिल्ली	10.61
12.	बिहार में कृषि संबंधी भावी आयोजना	तकनीकी-आर्थिक अनुसंधान संस्थान (टेरी), नई दिल्ली	5.656

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता	अनुमोदित राशि
13.	"फ्रीडम फ्राम हंगर-लेक्चर्स " नामक पुस्तक का प्रकाशन	पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा केन्द्र, नई दिल्ली	0.50
14.	"मजदूर वाणी " का प्रसारण - 52 एपिसोड	बंधुआ श्रमिक मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली	3.12
15.	स्थानीय बजट पद्धति तथा जन योजनाः राजस्थान और केरल में पीआरआई का एक अध्ययन	बजट और राजकीय जवाबदेही केन्द्र, नई दिल्ली	7.23
16.	"रिसर्च स्टडीज एट ए ग्लांस - 2006-07" नामक एक खंड में प्रकाशनार्थ योजना आयोग की एसईआर स्कीम के अंतर्गत 2006-07 के दौरान आयोजित 13 भिन्न-भिन्न अध्ययन रिपोर्टों का विषय-वस्तु विश्लेषण	श्री मुश्ताक अहमद मार्फत हरियाली ग्रामीण विकास केन्द्र, नई दिल्ली	2.00
17.	जिला योजना के संबंध में रिपोर्ट : स्थिति और भावी मार्ग	श्री अनिवाश चन्द्र, मालवीय नगर, नई दिल्ली	2.00
18.	बिहार में युवा शिल्पकारों की स्थिति : बड़े पैमाने पर स्वः रोजगार सृजन हेतु शिल्पकार क्षेत्रक की क्षमता का आकलन	बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना	4.65
19.	मेडिकल दवाइयों और सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च - दो विशेष राज्यों - उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक मामला अध्ययन	आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली	12.61
	जोड़ 120.12		

*31 दिसम्बर, 2007 तक

4. वर्ष 2007-08 के लिए 12 अध्ययनों और 15 सेमिनारों के लिए सहायता-अनुदानों के प्रस्ताव जीओए (सलाहकारों का दल) द्वारा अनुमोदित किए गए । इनकी सूची संलग्नक 4.24.2 और संलग्नक 4.24.3 में दी गई है । सूचना 31 दिसम्बर, 2007 तक की है ।

संलग्नक 4.24.3

वर्ष 2007-08 के दौरान* निम्नलिखित सेमिनार/कार्यशालाएं अनुमोदित की गई

(लाख रुपए)

क्र.सं.	सेमिनार/कार्यशाला का शीर्षक	संस्थान/संगठन	अनुमोदित राशि
1.	उड़ीसा में निवेश अवसरों की खोज : उड़ीसा औद्योगिक नीति संकल्प - 2007 के विशेष संदर्भ में	एसोसिएशन फार डेवलपमेंट इनीशिएटिव, नई दिल्ली	1.00
2.	बीटी कपास का किसानों पर वैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव	ऋतानदउन्द वाल्ड्‌ एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली	1.00
3.	भारत में लैंगिक बजट पद्धति तथा महिला सशक्तिकरण	ट्रांसफोर्मेशन इंस्टीट्यूट फार मैनेजीरिअल एक्सीलेंस, मंगलौर	1.00
4.	लघु ऋण और सामुदायिक विकास पश्चिम बंगाल	विवेकानंद सेवा केन्द्र, ओ-शिशुध्यन,	1.50
5.	विकास तथा क्षेत्रीय विकास के इंजन के रूप में वीएसई क्षेत्रक की क्षमता	भारतीय लघु उद्योग परिषद, कोलकाता	1.00
6.	एनजीओ/एनपीओ क्षेत्रक में कैसा अधिशासन	भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान, गांधीनगर	1.50
7.	अभी तक परिचर्या	सेंटर फार केटेलाइजिंग कम्यूनिटी, भुवनेश्वर	1.50
8.	जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशी उत्पादन में प्रौद्योगिकी उन्नयन	एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-आर्गनिक रिसच एंड स्टडीज, नोएडा	1.00
9	भारतीय हिमालय के लिए प्रबंधन कार्य नीतियां - विकास तथा संरक्षण	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)	2.00
10	29वीं वार्षिक भारतीय भूगोल कांग्रेस : विकास तथा संसाधन प्रबंधन	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1.50
11	भारत में आपदा प्रबंधन और संधारणीय विकास	सोसायटी फार सोशल एम्पावरमेंट, नई दिल्ली	1.50
12	विकास कार्यक्रम के लिए परिणाम आधारित मानीटरन और मूल्यांकन पद्धति का निर्माण करने में चुनौतियां	महात्मा गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद	1.50
13	बच्चों को बचाओ : स्तनपान हेतु महिलाओं की सहायता	ब्रेस्ट फीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2.00
14.	डॉ0 डी.टी. लाकड़वाला स्मारक व्याख्यान	समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1.00
15.	कृषि अनुसंधान और विकास में समाज विज्ञान परिप्रेक्ष्य	वालंट्री एक्शन फार रिसर्च डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग (वरदान), नई दिलली	1.00
		जोड़	**20.00**

* 31 दिसम्बर, 2007 तक

5. वर्ष 2007-08 के दौरान (31 दिसम्बर, 2007 तक) 17 चल रहे अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हुई। इनकी सूची संलग्नक 4.24.4 में दी गई है ।

संलग्नक 4.24.4

वर्ष 2007-08 के दौरान* निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए गए

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	संघ राज्य क्षेत्रों में योजना परियोजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की भूमिका	समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	किशोर लड़कियों की समाजार्थिक स्थितियां	आर्थिक और सामाजिक संसाधन विकास हेतु मथुरा कृष्णा फाउंडेशन, बिहार
3.	भारत में परियोजना आकलन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों का अनुमान	आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
4.	उड़ीसा में वैचारिक, संस्थागत और सहभागी मुद्दों में जेएफएम को वन संरक्षण की दिशा में कार्यशील बनाना	नवकृष्ण चौधरी विकास अध्ययन केन्द्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा
5.	विदेशी व्यापार खंड में प्रतिस्पर्धात्मकता की डब्ल्यूटीओ निर्माण पूरकताओं में भारत और चीन	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
6.	कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश में कृषि और सम्बद्ध कार्यक्रमों के विकास और परिवेश पर प्रभाव अध्ययन	ग्रामीण विकास और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली
7.	ग्रेटर मुम्बई में वैश्वीकरण-पश्चात युग में रोजगार सृजन	ईएफआई सामाजिक और श्रम अनुसंधान फाउंडेशन, मुम्बई
8.	महिलाओं और बच्चों पर आतंकी हिंसक कार्यकलापों का मनःसामाजिक प्रभाव	एस.पी. मेमोरियल शिक्षा समिति, जिला एन.सी. हिल्स, असम
9.	उड़ीसा में कुछ वैचारिक, संस्थागत और सहभागी मुद्दों में जेएफएम को वन संरक्षण की दिशा में कार्यशील बनाना	नवकृष्ण चौधरी विकास अध्ययन केन्द्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा
10.	भारत में एससी व्यक्तियों के लिए उद्यमशीलता चुनौतियां	एकीकृत महिला और बाल विकास हेतु भारतीय सोसायटी, नई दिल्ली
11.	भारत में स्वःशक्ति और स्वयंसिद्ध परियोजनाओं का कार्यकरण और निष्पादन	सोलिडरिटी ऑफ दि नेशन सोसायटी, गोंडा (उत्तर प्रदेश)
12.	उच्च अध्ययन संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों का आजीविका बोध	सेंटर फार रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन, नई दिल्ली

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
13.	महिलाओं के साक्षरता विकास के लिए निम्न साक्षरता पॉकेटों में शैक्षिक परिसर स्थापित करने की स्कीम	"संकल्प" : एकीकृत सहभागी विकास हेतु एक अखिल भारतीय संगठन, नई दिल्ली
14.	संघ राज्य क्षेत्रों में योजना परियोजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की भूमिका	समाज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
15.	मध्य प्रदेश के चुनिंदा ब्लॉकों में एसजीएसवाई का मूल्यांकन	"एकत्र" सोसायटी फार डेवलपमेंट आल्टर्नेटिव्ज फार वीमेन, नई दिल्ली
16.	भारत में प्रमुख सूखा प्रवण राज्य में सूखे का बहु-प्रभाव और सूखा नीति का आकलन-गुजरात का एक आनुभाविक अध्ययन	विकास विकल्प केन्द्र, अहमदाबाद
17.	आजीविका विकल्प, विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) स्कीमों और कार्यक्रमों में से परिसंपत्ति सृजन तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर इसका प्रभाव	समाजार्थिक और शैक्षिक विकास सोसायटी, नई दिल्ली

* 31 दिसम्बर, 2007 तक

6. अनुसंधान और योजना विकास में व्यापक उपयोग हेतु अभी तक योजना आयोग की वेबसाइट पर कुल 139 अध्ययन रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं ।

7. योजना आयोग में अध्ययन रिपोर्टें हार्ड प्रतियों में और साथ ही सीडी/फ्लॉपियों पर भी प्राप्त होती हैं । सहज सुलभता, बेहतर उपयोग और विचारों के आदान-प्रदान हेतु इन रिपोर्टों को योजना आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाता है । रिपोर्टों की प्रतियां केन्द्र और राज्यों में संबंधित विभागों/मंत्रालयों और योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भी परिचालित की जाती हैं । योजना आयोग में सम्बद्ध प्रभाग अध्ययन रिपोर्टों की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए उनकी प्रासंगिकता की दृष्टि से जांच-पड़ताल करते हैं ।

4.25 राज्य योजना प्रभाग

1. योजना आयोग में राज्य योजना प्रभाग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के निर्माण से संबंधित सभी कार्यकलापों का समन्वय करता है, जैसेकि मार्गनिर्देश जारी करना, योजना का आकार तय करने के लिए उपाध्यक्ष और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/ राज्यपालों/ उप-राज्यपालों के बीच बैठकों का आयोजन और साथ ही राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रकीय परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकारी दल की बैठकों का आयोजन करना। यह प्रभाग विशिष्ट स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर करने से संबंधित मामलों और विदेश सहाय्यित परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों, योजना आयोग की परियोजना निर्माण सुविधा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संशोधित परिव्ययों से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करता है। अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा योजना के बारे में भेजे गए अंतर-राज्यीय और केन्द्र-राज्य से संबंधित मामलों, प्राकृतिक आपदाओं और वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी इस प्रभाग में कार्रवाई की जाती है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्ययों और व्यय से संबंधित विस्तृत सूचना का एक संग्रह स्थल है।

2. वर्ष 2007-08 के दौरान, उपरोक्त कार्य करने के अलावा प्रभाग ने वीआईपी संदर्भों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित संसद प्रश्नों, वार्षिक योजना परिव्ययों, संशोधित परिव्ययों, व्यय, विदेशी सहायता प्राप्त परियाजनाओं इत्यादि से संबंधित कार्य भी किया।

वार्षिक योजना 2007-08

3. वर्ष 2006-07 के दौरान, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उपाध्यक्ष के साथ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, ताकि अनुमोदित योजना, 2007-08 के लिए राज्यों के बजटों को सामयिक और उपयोगी इन्पुट प्रदान कर सके।

4. वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमानों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 50160.68 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे जिसमें से 15408.02 करोड़ रुपये सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में, 3690.00 करोड़ रुपये विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में तथा शेष 31062.66 करोड़ रुपये विशेष कार्यक्रमों, जैसे, पिछड़े जिले/ क्षेत्रीय निधि कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आदि के लिए थे।

5. योजना उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रकों में निवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनिंदा स्कीमों/ परियोजनाओं के अंतर्गत परिव्ययों के विनिश्चयन की प्रथा को जारी रखा गया और किशोरियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत परिव्ययों, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रदत्त निधियों, त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विशिष्ट स्कीमों के लिए दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का भी विनिश्चयन किया गया।

छमाही निष्पादन समीक्षा (एचपीआर)

6. राज्यों द्वारा योजना स्कीमों का तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और निधियों के उपयोग में सुधार करने के उद्देश्य से राज्यों के योजना निष्पादनों की समीक्षा करने की एक पद्धति, दसवीं योजना की पहलों के एक भाग के रूप में, प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत, योजना स्कीमों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु आवश्यक मध्यावधिक समायोजन के संबंध में सुझाव देने का एक मंच उपलब्ध होता है। वार्षिक योजना 2007-08 के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की छमाही निष्पादन समीक्षा बैठकें संबंधित सदस्यों/ राज्य योजना सलाहकार द्वारा ली गई थी।

मानव विकास हेतु राज्य योजनाओं का सुदृढ़ीकरण (एसएसपीएचडी)

7. योजना आयोग (राज्य योजना प्रभाग) ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से ऱ्मानव विकास हेतु राज्य योजनाओं का सुदृढ़ीकरण- नामक एक परियोजना जुलाई, 2004 में शुरू की थी । यह परियोजना उन राज्य मानव विकास रिपोर्टों (एसएचडीआर) की अनुवर्ती कार्रवाई है जो कि कई राज्यों द्वारा योजना आयोग-यूएनडीपी परियोजना के तहत तैयार की गई थी। योजना आयोग निष्पादन एजेंसी है जबकि राज्य सरकारें परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। यह परियोजना आठ राज्यों के साथ शुरू की गई थी जिसका विस्तार ऐसे और सात राज्यों में कर दिया गया जिन्होंने अपनी एसएचडीआर पूरी कर ली थी। इसकी अवधि दिसम्बर, 2007 से बढ़ाकर दिसम्बर, 2009 कर दी गई है ।

8. परियोजना के अधीन प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

(क) तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य योजना प्रभागों/बोर्डों का क्षमता निर्माण।

(ख) मानव विकास वित्तपोषण के लिए कार्यनीतिक विकल्पों की पहचान करना।

(ग) उपयुक्त क्षमता पहलों के जरिए राज्य/जिला सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करना।

(घ) एचडी संदेशों के प्रसार के लिए समर्थन प्रयासों को मजबूत करना ।

(ड.) मानव विकास कार्यक्रमों और स्कीमों का मानीटरन और मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों हेतु राज्य स्तर पर क्षमता आकलन और क्षमता विकास ।

(च) कार्यक्रमों का डिजाइन, कार्यान्वयन और मानीटरन करने के लिए योजनाकारों और नीति-निर्माताओं का क्षमता विकास, जिससे कि महिलाओं और पुरुषों के

बीच संसाधनों और लाभों की समतापूर्ण सुलभता हो सके ।

9. आशा है कि इस परियोजना से मानव विकास के सन्दर्भ में अधीनस्थ विभागों सहित सभी स्तरों पर जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों की समझ का सुदृढ़ीकरण होगा। इसका उद्देश्य डाटा प्रणाली की सीमा की ओर ध्यान देना तथा मानव विकास के लिए वित्तपोषण के संधारणीय स्रोतों का संवर्धन करना है। यह एचडी अवधारणाओं और मुद्दों का सभी स्तरों पर प्रसार करेगी जिसके फलस्वरूप एचडी आधारित राज्य और जिला आयोजना होगी तथा साथ ही आयोजना तंत्र के भीतर लैंगिक चिन्ताओं के संवर्धित समावेशन के लिए समर्थनकारी वातावरण भी तैयार होगा ।

योजना आयोग की परियोजना निर्माण सुविधा (पीसीपीपीएफ)

10. विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी तथा संस्थागत वित्तपोषण आकर्षित करने के उद्देश्य से परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को मदद देने के वास्ते, योजना आयोग की परियोजना निर्माण सुविधा (पीसीपीपीएफ) कार्यान्वित की जा रही है। जिन राज्यों को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये से कम की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी, वे पीसीपीपीएफ के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र हैं। 25 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि राज्य सरकारें रिपोर्ट तैयार करने के लिए व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त कर सकें।

11. वर्ष 2007-08 के दौरान, लोकतक झील और मणिपुर नदी बेसिन को एकीकृत करते हुए संरक्षण व प्रबंधन के संबंध में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते पीसीपीपीएफ के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई ।

राज्य विकास रिपोर्ट (एसडीआर)

12. विकास रूपरेखा पर एक गुणवत्ता सन्दर्भ दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा राज्यों की वृद्धि दर में तेजी लाने के वास्ते कार्यनीतियां निर्धारित करने के प्रयोजन से योजना आयोग, राज्य सरकारों तथा स्वतंत्र संस्थानों और विशेषज्ञों के समन्वय से राज्य विकास रिपोर्टें तैयार कर रहा है। फरवरी, 2008 तक आठ राज्यों यथा असम, पंजाब, उड़ीसा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की एसडीआर जारी कर दी गई । केरल, सिक्किम, लक्षद्वीप और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह की एसडीआर मार्च, 2008 तक जारी कर दी जाएगी।

द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए)

13. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण और उपाध्यक्ष योजना आयोग की अध्यक्षता में इसकी स्थायी समिति के सचिवालय के रूप में द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ कार्य करता है। द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण द्वीपसमूहों के पर्यावरणीय संरक्षण के सभी पहलुओं और उनकी तकनीकी व वैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों और लक्षद्वीप के एकीकृत विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेता है और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की प्रगति की समीक्षा करता है।

14. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आईडीए की ग्यारहवीं बैठक 15 जून, 2007 को हुई । इस बैठक में अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यावरण, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और नागर विमानन क्षेत्रों में हुई प्रगति पर चर्चा की गई ।

आपदा प्रबंध तथा प्राकृतिक विपत्ति राहत

15. राज्य योजना प्रभाग के अधिकारी उस अंतर-मंत्रालयीय केन्द्रीय दल में शामिल थे, जिसे विपत्ति के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों का दौरा करने के लिए गठित किया गया था। वर्ष के दौरान केन्द्रीय दलों ने आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और सिक्किम राज्यों का दौरा किया । वर्ष के दौरान राज्य योजना प्रभाग ने 2005 के दौरान प्राकृतिक विपत्ति के कारण क्षतिग्रस्त आधारिक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा तमिलनाडु के वास्ते राज्य सरकारों के सहायता मांगने संबंधी प्रस्तावों की जांच की तथा गृह मंत्रालय और प्राकृतिक आपदा प्रबंध प्राधिकरण (एनडीएमए) को योजना आयोग की रिपोर्ट भेजी गई । यह प्रभाग आपदा प्रबंध के संबंध में गृह मंत्रालय नीति

प्रस्तावों की विकास परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से भी जांच और संवीक्षा करता है ।

4.26 राज्य योजना प्रभाग - पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

1. एक समग्र राज्योन्मुखी दृष्टिकोण के भीतर राज्यों के आर-पार तथा राज्यों के भीतर कतिपय क्षेत्र ऐतिहासिक तथा विशेष कारणों से एक केन्द्रित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हैं। यह एक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विगत में बहुत-सी नीतिगत पहल विकसित की गई हैं, जिनमें राजकोषीय प्रोत्साहन तथा लक्षित कार्यक्रम शामिल हैं । इस संबंध में योजना आयोग की कार्यनीति पूंजीगत निवेशों के लिए निधियों सहित ऐसे सुविधावंचित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने की रही है।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। विकासात्मक प्रयोजनों के लिए सिक्किम को भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक अंग के रूप में शामिल कर लिया गया है। दुष्कर भौगोलिक स्थिति, परिवहन कठिनाइयों, प्राकृतिक आपदाओं आदि ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की उन्नति बाधित कर दी है। पिछली योजना अवधियों में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास पर विशेष बल दिया गया था और आधारतंत्रीय कठिनाइयां दूर करने, बुनियादी न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निजी निवेश के लिए एक समग्र माहौल तैयार करने के लिए कार्यनीतियां अपनाई गई। भारत सरकार के विकासात्मक प्रयासों को समन्वित करने तथा उन्हें गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है।

3. पूर्वोत्तर के विशेष श्रेणी राज्यों को उदार शर्तों पर केन्द्रीय सहायता योजना की एक विशेषता रही है । इसके अलावा, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए अनेक विशेष व्यवस्थाएं और पहले की गई हैं । क्षेत्रीय प्राथमिकताओं वाली परियोजनाएं शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए 1972 में स्थापित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) एक क्षेत्रीय योजना निकाय है । पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) की भूमिका सहक्रिया उत्पन्न करने और केन्द्रीय एजेंसियों तथा राज्य सरकारों, दोनों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करके तथा परियोजनाओं की पूर्ति के लिए अंतिम मील तक की संसाधन जरूरतों की पूर्ति करके कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करने की है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मंत्रालय को एक प्रेरक के रूप में कार्य करना है ।

4. नीचे दी गई तालिका में पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वर्ष 2006-07 और 2007-08 के वार्षिक योजना परिव्यय हेतु सम्मत परिव्यय दर्शाया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 2006-07 ओर 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	वा.यो. 2006-07	वा.यो. 2007-08
अरुणाचल प्रदेश	1056.00	1320.00
असम	3798.00	3800.00
मणिपुर	1160.00	1374.31
मेघालय	900.00	1120.00
मिजोरम	758.00	850.00
नागालैंड	760.00	900.00
सिक्किम	550.00	691.14
त्रिपुरा	950.00	1220.00
जोड़	**9932.00**	**11275.45**

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ग्यारहवीं योजना पूर्वानुमानित परिव्यय

क्र.सं.	राज्य	(करोड़ रुपए)
1	अरुणाचल प्रदेश	7901.00
2	असम	23954.00
3	मणिपुर	8154.00
4	मेघालय	9185.00
5	मिजोरम	5534.00
6	नागालैंड	5978.00
7	सिक्किम	4720.00
8	त्रिपुरा	8852.00
	जोड़	**74278.00**

5. राज्यों को उनकी योजनाओं के अधीन दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में ऐसे कार्यक्रमों के लिए निधियां शामिल हैं जैसे कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) झूम खेती, त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), शहरी नवीकरण मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), मध्याह्न भोजन (एमडीएम), सड़कें और सेतु, शहरी आधारिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पहलें (आईएसयूआई) अनुच्छेद 275(1) के अधीन सहायता अनुदान आदि विदेश सहाय्यित परियोजनाएं (ईएपी) । विशिष्ट परियोजनाओं के लिए भी विशेष योजना सहायता (एसपीए) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान की जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

	क. केन्द्रीय स्कीमें	**2006-07**	**2007-08**
212	एनईडीएफआई	31.48	60.00
213	समर्थन	6.00	6.50
214	क्षमता निर्माण	10.00	13.49
215	एसएमसी	2.51	-
216	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	0.01	0.01
	उप-जोड़ (केन्द्रीय स्कीम)	**50.00**	**80.00**
	ख. केन्द्रीय सहायता (राज्य योजना)		
1	एनईसी	600.00	600.00
2	एनएलसीपीआर	700.00	600.00
3	बीटीसी (विशेष पैकेज)	-	100.00
	उप-जोड (राज्य योजना)	**1300.00**	**1300.00**
	कुल जोड (क+ख)	**1350.00**	**1380.00**

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की केन्द्रीय स्कीमों में समर्थन, क्षमता निर्माण, एनईडीएफआई और सिक्किम खनन निगम, ईएपी और राज्य क्षेत्रक स्कीमों में (राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता) के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के योजना कार्यक्रम तथा संसाधनों के अ-व्यपगत केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर) के तहत परियोजना वित्तपोषण सम्मिलित है ।

4.27 परिवहन प्रभाग

1. परिवहन प्रभाग, मुख्य रूप से देश में बढ़ती यातायात मांग को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्रक के संबंध में आयोजना और विकास की प्रक्रिया में शामिल है। यह परिवहन नेटवर्क में उचित अंतर - माडल मिश्रण प्राप्त करने के लिए परिवहन को भिन्न-भिन्न माध्यमों के संबंध में समग्र बजटीय आयोजना से भी संबंधित है। शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(1) यात्री और माल यातायात की परिवहन सेवाओं के संबंध में मांग आकलन।

(2) विभिन्न माध्यमों की विद्यमान क्षमता का मूल्यांकन तथा योजना के लिए संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान।

(3) सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में आधारभूत और परिवहन सेवाओं में निजी क्षेत्रक निवेश की भूमिका का विनिर्धारण।

(4) देश में परिवहन क्षेत्रक की समग्र आयोजना।

(5) परिवहन के विभिन्न माध्यमों के संबंध में वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप देना।

(6) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संसाधनों को आंकना।

(7) प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा।

2. वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

1. ग्यारहवीं योजना दस्तावेज के लिए परिवहन संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दिया गया ।

2. वार्षिक योजना 2007-08 दस्तावेज के लिए परिवहन क्षेत्रक संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दिया गया।

3. वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 38 राज्य सड़क परिवहन निगमों के संसाधनों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों की वार्षिक योजना में सृजित संसाधनों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ उपक्रमों द्वारा यात्री और माल सेवा प्रचालन के भौतिक और वित्तीय प्राचल सम्मिलित हैं। चर्चाओं के दौरान उपक्रमों को अपना कार्य-निष्पादन सुधारने और वर्षानुवर्ष बढ़ती हानियों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की भी सलाह दी गई।

4. वार्षिक योजना 2008-09 के लिए कुछेक राज्यों के बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गई।

5. राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2008-09 प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गई।

6. केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजना 2008-09 के प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गईं।

7. रेलवे, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, नौवहन और नागर विमानन के केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) तथा रेलवे के विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किए जाने से पहले, उनकी परियोजना मूल्यांकन तथा प्रबंधन प्रभाग के सहयोग से जांच की गई।

8. विभिन्न योजना स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मानीटरन पद्धति के रूप में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचवाईपीआर) बैठकों की एक पद्धति प्रारंभ की गई है। विभिन्न क्षेत्रक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न परिवहन क्षेत्रक मंत्रालयों की एचवाईपीआर बैठकें आयोजित की गईं।

9. रेलवे, सड़कों, पत्तनों तथा हवाई अड्डों से संबंधित आधारिक तंत्र विषयक समिति की बैठकों में भाग लिया तथा महत्वपूर्ण योगदान दिया ताकि ऐसी नीतियों की शुरूआत की जाए जिनसे विश्वस्तरीय आधारिक सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित हो सके, ऐसी संरचनाएं तैयार की जा सकें जिससे कि सरकारी-निजी भागीदारी की भूमिका अधिकतम हो और आधारभूत परियोजनाओं का मानीटरन किया जाए।

10. निर्माण उद्योग विकास परिषद के शासी बोर्ड की बैठकों में भाग लिया।

11. विभिन्न समितियों/समूहों की बैठकों में भाग लिया, जिनमें पीएमओ द्वारा भारत निर्माण के संबंध में स्थापित ग्रामीण आधारिक तंत्र विषयक समिति तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित पीएमजीएसवाई संबंधी अधिकारप्राप्त समिति सम्मिलित है।

12. वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बोर्ड की कई बैठकें आयोजित की गई। कार्यसूची मदें जिनमें ठेका प्रदान करने के लिए एनएचडीपी के विभिन्न खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें शामिल थी, जांच के लिए प्राप्त हुई तथा एनएचएआई बोर्ड बैठकों में निर्णय लेने के लिए टिप्पणियां इन्पुट के रूप में प्रस्तुत की गई।

13. परिवहन के विभिन्न उपक्षेत्रों के लिए व्यापक शून्य आधारित बजट प्रक्रिया आयोजित की जिससे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किए जाने से पहले स्कीमों की कुल संख्या का युक्तियुक्तकरण किया जा सके। फलतः कई स्कीमों का विलयन कर दिया गया, कुछ की छंटाई कर दी गई तथा कुछ स्कीमें योजनेतर अथवा अन्य संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों को अंतरित कर दी गई।

14. देश के भीतर एक इष्टतम, प्रभावी, लचीली, पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित संभारतंत्रीय प्रणाली

तैयार करने के लिए संभारतंत्र संबंधी एक कार्यकारी दल का गठन किया। कार्य दल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया ।

15. 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सदस्य (एएच) की अध्यक्षता में परिवहन पर एक संचालन समिति का गठन किया। प्रत्येक कार्यकारी दल द्वारा किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा करने, परिवहन क्षेत्र के लिए गठित विभिन्न कार्यकारी दलों की अंतिम रिपोर्टों पर विचार करने के लिए बैठकें आयोजित की गईं ताकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक व्यापक परिवहन कार्यनीति की पेशकश की जा सके। आठ कार्यकारी समूहों को अंतिम रूप दिया गया । निर्माण के अलावा, इनके अंतर्गत रेलवे, सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सड़क परिवहन, बंदरगाह, नौवहन, नागर विमानन के विभिन्न उप-क्षेत्रक सम्मिलित थे ।

16. 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र में पूर्वोत्तर में परिवहन संयोज्यता सहित परिवहन संबंधी खंड तैयार किया। पूर्वोत्तर में परिवहन संयोज्यता पर एक लेख तैयार किया और पीएमओ में अंतर्मंत्रालयी बैठक में उसकी प्रस्तुति की।

17. मार्गनिर्देश और दिशा प्रदान करने तथा मेसर्स राइट्स की प्रगति का मानीटरन करने के लिए सदस्य (एएच) की अध्यक्षता के अधीन एक संचालन समिति का गठन किया, अंतर-माडल परिवहन संसाधन लागतों और परिवहन की प्रमुख विधियों को कवर करने वाले यातायात प्रवाह का सृजन और विश्लेषण करने के व्यापक उद्देश्य को लेकर समग्र परिवहन प्रणाली अध्ययन करने में प्रवृत्त रहा जिससे कि एक इष्टतम अंतर-माडल मिश्रण निर्धारित किया जा सके।

18. विभिन्न अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रस्तावों तथा राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त राज्य विकास रिपोर्टों की जांच की और ठोस टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

19. विभिन्न मंत्रालयों और विषय विशेषज्ञों के परामर्श से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदी सार्वजनिक परिवहन के संबंध में एक नीति-पत्र तैयार किया ।

20. दिल्ली और गुडगांव के बीच नए सड़क संयोजनों के विकास हेतु, सदस्य-सचिव की अध्यक्षता में पीएमओ द्वारा गठित उच्च स्तरीय समन्वय समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य किया ।

4.28 पर्यटन

पर्यटन सेल देश में पर्यटन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्यटन क्षेत्रक के नीति निर्माण, आयोजना और विकास से संबंधित मामलों में योजना आयोग की मदद करता है। यह पर्यटन क्षेत्रक की समग्र बजटीय और वास्तविक आयोजना से संबंधित है।

सेल ने वर्ष 2007-08 के दौरान निम्न क्रियाकलाप किए:

1. पर्यटन मंत्रालय के वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक योजना प्रस्तावों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2007-08 के प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा प्रस्तावों की गहन जांच के बाद सिफारिशें की गईं।

2. पर्यटन क्षेत्रक के संबंध में वार्षिक योजना 2007-08 अध्याय तैयार कर लिया गया है।

3. पर्यटन के संबंध में विभिन्न कार्यदलों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पर्यटन संबंधी संचालन समिति की रिपोर्ट तैयार की गई ।

4. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अध्याय का मसौदा तैयार किया गया ।

5. पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया तथा पर्यटन परियोजनाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थायी वित्त समिति की बैठकों में भाग लिया।

6. विलयन/पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप पर्यटन मंत्रालय की प्लान स्कीमों के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की जांच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

7. छमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों में विभिन्न योजना

स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, मुद्दों की पहचान की गई और देश में पर्यटन विकास संबंधी उपाय सुझाए गए।

4.29 ग्राम तथा लघु उद्यम प्रभाग

1. ग्राम तथा लघु उद्यम प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों से संबंधित काम करता है:

- लघु, छोटे और मझौले उद्योग मंत्रालय
- कपड़ा मंत्रालय
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित 2007-08 प्रस्तावों के लिए वार्षिक योजना पर चर्चा की गई तथा वीएसई क्षेत्रक के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने के वास्ते उपयुक्त सिफारिशें की गईं। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों की जांच की गई तथा कार्यान्वयन और आवश्यक कार्रवाई के वास्ते आवश्यक टिप्पणियां, सुझाव और सिफारिशें की गईं।

केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए वार्षिक योजना 2007-08

3. लघु, छोटे और मझौले उद्योग, कपड़ा (वीएसई) व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों के वार्षिक योजना 2007-08 प्रस्तावों पर मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और समुचित परिव्ययों की सिफारिश की गई। वर्ष के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों की छमाही प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रभाग के अन्य प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार से हैं:

4. वीएसई क्षेत्रक की जो विकासात्मक स्कीमें/कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, वे अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों आदि की जरूरतें पूरी कर रहे हैं।

5. प्रभाग ने तीनों मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर टिप्पणियां भी प्रदान की तथा सीसीईए/ईएफसी/एसएफसी पर विभिन्न टिप्पणियों की जांच की ।

6. वीएसई क्षेत्रक से संबंधित कपड़ा मंत्रालय, एफपीआई, एसएसएमई के लिए परिणामी बजट 2007-08 में परिणामों/लक्ष्यों के संबंध में प्रक्रिया तैयार की गई ।

4.30 स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ

स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ मुख्यतः स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी नीतिगत मुद्दों से संबंधित है । प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किए गए स्वैच्छिक क्षेत्रक पर राष्ट्रीय नीति के एक मसौदे को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित और जुलाई, 2007 में अधिसूचित कर दिया गया है । नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(1) स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक ऐसा समर्थनकारी माहौल कायम करना जिससे उनके उद्यम और प्रभावशीलता को बढ़ावा मिले तथा उनकी स्वायत्तता सुरक्षित रहे ।

(2) स्वैच्दिक संगठनों को भारत और विदेश से आवश्यक वित्तीय संसाधन वैध ढंग से जुटाने के लिए समर्थ बनाना ।

(3) ऐसी पद्धतियां विनिर्धारित करना, जिनके जरिए सरकार और स्वैच्छिक संगठन मिलकर परस्पर विश्वास और सम्मान के साथ काम कर सकें; और

(4) स्वैच्छिक संगठनों को अधिशासन और प्रबंधन की पारदर्शी और जवाबदेह पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

ग्यारहवीं योजना के लिए स्वैच्छिक क्षेत्रक के संबंध में संचालन समिति की रिपोर्ट को 2007 में अंतिम रूप दिया गया । इसके अलावा, सिविल सोसायटी खिड़की पहल के तहत योजना आयोग में विभिन्न विकास सम्बद्ध विषयों पर स्वैच्छिक संगठनों/एनजीओ/सीएसओ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतीकरण आयोजित किए गए ।

4.31 जल संसाधन प्रभाग

योजना आयोग के जल संसाधन प्रभाग को, जल संसाधनों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और मानीटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई (बड़ी, मझौली और लघु परियोजनाएं), बाढ़ नियंत्रण (समुद्र रोधी कटाव कार्य सहित) और कमान क्षेत्र विकास सम्मिलित है। यह प्रभाग ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति तथा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के लिए भी उत्तरदायी है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

(1) सिंचाई और जल प्रबंधन क्षेत्रक ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रक व भारत निर्माण कार्यक्रम के संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा पूरा किया गया । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए संचालन समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया ।

(2) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के सुझावानुसार भूजल की मिल्कियत और प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया । जल संसाधन प्रभाग, विशेषज्ञ दल के लिए सचिवालयीय प्रभाग था तथा विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट सितम्बर में योजना आयोग को प्रस्तुत की गई ।

(3) जल संसाधन प्रभाग ग्रामीण आधारिक ढांचे के निर्माण के लिए *भारत निर्माण* कार्यक्रम के साथ गहरे रूप से जुड़ा रहा था। भारत निर्माण में प्रभाग की भूमिका के ब्यौरे इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिए गए हैं।

(4) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक से संबंधित वार्षिक योजना 2007-08 अध्याय तैयार किया गया। भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों तथा लक्ष्यों से संबंधित कार्यनीतियां और विश्लेषण अध्याय में परिलक्षित है।

(5) जल संसाधन मंत्रालय तथा सभी राज्यों के लिए वार्षिक योजना 2007-08 तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया। जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग के परिणामी बजट को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया। जल संसाधन मंत्रालय तथा सभी राज्यों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

(6) योजना आयोग ने 36 वृहद तथा मझौली सिंचाई परियोजनाओं और 6 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए निवेश मंजूरी प्रदान कर दी। परियोजनाओं की सूची संलग्नक में प्रस्तुत है।

(7) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, 2006-07 में 2350 करोड़ रुपए (अनुदान) के अनुदान के मुकाबले 3580 करोड़ रुपए (अनुदान) का आबंटन किया गया । अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए, कुछेक राज्यों, नामतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश की एआईबीपी सीमा बढ़ा दी गई ।

(8) जल संसाधन मंत्रालय की सभी केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उन्हें जारी रखने की दृष्टि से, प्रभाग में आकलन किया गया। तीन राज्य क्षेत्रक स्कीमों, यथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, डगवैल स्कीम के जरिए भू-जल पुनर्भरण और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम का भी उनके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की दृष्टि से आकलन किया गया ।

(9) जल संसाधन प्रभाग के अधिकारी उस केन्द्रीय दल के सदस्य थे, जिसने आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया ।

संलग्नक

जनवरी से दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के दौरान मंजूर की गई तथा मझौली सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मंजूरी आदेश के अनुसार मंजूरी का मास/पूर्णता वर्ष
		बड़ी और मझौली परियोजनाएं		
1.	आंध्र प्रदेश	निलवई मझौली सिंचाई परियोजना	90.50	फरवरी 2007/ 2008-09
2.	- तदैव -	जे. चौका राव गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	6016.00	मार्च 2007/2008-09
3.	- तदैव -	अली सागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	227.90	मार्च 2007/2007-08
4.	- तदैव -	मुसुरुमिली मझौली सिंचाई परियोजना	207.00	मार्च 2007/2007-08
5.	- तदैव -	अरगुला राजाराम गुत्फा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	171.71	मार्च 2007/2007-08
6.	- तदैव -	कुमारामिम मझौली सिंचाई स्कीम	202.59	मार्च 2007/2008-09
7.	- तदैव -	भूपति पालेम मझौली सिंचाई स्कीम	47.23	मार्च 2007/2008-09
8.	- तदैव -	राजीव (भीमा) लिफ्ट सिंचाई स्कीम (नई बड़ी)	744.00	दिसम्बर 2007/2008-09
9.	असम	धनसिरी बड़ी सिंचाई परियोजना	147.24	अगस्त 2007/2009-2010
10.	बिहार	पुनपुन बराज स्कीम (बड़ी)	199.41	अक्तूबर 2007/2009-10
11.	छत्तीसगढ़	महानदी जलाशय परियोजना (संशोधित बड़ी)	845.00	दिसम्बर 2007/2007-08
12.	**- तदैव -**	**सुतिआपात मझौली सिंचाई स्कीम**	**46.95**	**अप्रैल2007/ 2011-2011**
13.	हिमाचल प्रदेश	बहल वैली लिफ्ट बैंक सिंचाई परियोजना (मझौली) जिला मंडी	62.25	मार्च 2007/2011-2012

14.	- तदैव -	सिद्वात मझौली सिंचाई परियोजना	66.35	नवम्बर 2007/2008-09
15.	जम्मू व कश्मीर	खंडी केनाल मझौली सिंचाई परियोजना, जिला डोडा	53.70	मार्च 2007/2011-2012
16.	महाराष्ट्र	लोअर वर्धा परियोजना	857.70	मार्च 2007-2011-2012
17.	- तदैव -	लाल नल्ला मझौली सिंचाई परियोजना	103.49	मार्च 2007/2008-09
18	महाराष्ट्र	अरुणावती नदी परियोजना	224.16	मार्च 2007/2007-08
19	महाराष्ट	खडकपुर्ना नदी परियोजना	578.56	मार्च 2007/2009-10
20	- तदैव -	कार मझौली सिंचाई परियोजना	170.04	मार्च 2007/2008-09
21	- तदैव -	धोम बालकावाड़ी टनल सिंचाई परियोजना	475.29	मार्च 2007/2009-10
22	- तदैव -	तराली सिंचाई परियोजना (नई बड़ी)	504.96	मार्च 2007/2009-10
23	- तदैव -	उत्तरमंद मझौली सिंचाई परियोजना	123.16	सितम्बर 2007/2009-10
24	- तदैव -	चन्द्रभाग मझौली सिंचाई परियोजना	188.93	अक्तूबर 2007/2008-09
25	- तदैव -	सपन मझौली सिंचाई परियोजना	200.70	अक्तूबर 2007/2008-09
26	- तदैव -	पेनताकली मझौली सिंचाई परियोजना	169.67	सितम्बर 2007/2008-09
27	- तदैव -	मोरना (गुरेघर) मझौली सिंचाई परियोजना	129.64	सितम्बर 2007/2009-10
28	- तदैव -	वांग मझौली सिंचाई परियोजना	162.78	सितम्बर 2007/2010-2011
29	- तदैव -	बेम्बला नदी परियोजना	1276.87	जून 2007/2009-10
30	- तदैव -	सुल्वाड़े मझौली सिंचाई परियोजना	290.88	दिसम्बर 2007/2008-09

31	- तदैव -	सरनखेड़ा मझौली सिंचाई परियोजना	202.47	दिसम्बर 2007/2008-09
32	- तदैव -	प्रकाश बराज मझौली सिंचाई परियोजना	178.91	दिसम्बर 2007/2008-09
33	- तदैव -	संगोला ब्रांच कनाल (नई बड़ी)	288.77	दिसम्बर 2007/2010-2011
34	मणिपुर	दोलइताबी बराज परियोजना (मझौली)	98.37	मई 2007/2008-09
35	उड़ीसा	मंजोर मझौली सिंचाई परियोजना	99.53	दिसम्बर 2007/2007-08
36	पंजाब	फर्स्ट पटियाला फीडर और कोटला ब्रांच कनाल का पुनरुद्धार (ईआरएम)	123.30	मार्च 2007/2011-2012
37	राजस्थान	नर्मदा नहर परियोजना	1541.36	अगस्त 2007/2013-2014
38.	उत्तर प्रदेश	कचनोडा बांध परियोजना	88.67	जनवरी 2007/2013-2014
		बाढ़ नियंत्रण योजनाएं		
39	बिहार	भागलपुर जिले के नागाचिआ उप-प्रभाग में गंगा नदी के बाए किनारे पर विक्रमशिला पुल से ऊपर खैरपुर, राघोपुर, आकिदपुर गांवों के संरक्षण के लिए कटाव-रोधी स्कीम	13.57	मार्च 2007/2007-08
40	बिहार	0.00-9.72 कि.मी. के बीच बागमती दाएं किनारे को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ीकरण	9.95	मार्च 2007/2007-08
41	उत्तर प्रदेश	यमुना नदी के बाएं किनारे पर जेवर-टप्पल मार्जिनल बांध का निर्माण	71.3711	जून 2007/2009-10
42	उत्तर प्रदेश	जिला गोरखपुर में कौडीराम से खजनी गोरखपुर रोड तक अमी नदी के बाएं किनारे पर मार्जिनल किनारे का निर्माण	12.94	दिसम्बर 2007/2008-09
43	उत्तर प्रदेश	जिला गोरखपुर में कौडीराम से खजनी गोरखपुर रोड तक अमी नदी के बाएं किनारे पर मार्जिनल किनारे का निर्माण	13.07	दिसम्बर 2007/2008-09
44	उत्तर प्रदेश	नसीबपुर, जिला हुगली में आफटेक (श्रृंखला 0.00) से पश्चिम बंगाल में संकरोल, जिला हावड़ा में आउटफाल (श्रृंखला 1410.00) तक दक्षिण सरस्वती नदी (अपर और लोअर दोनों भाग) का सुधार	32.10	दिसम्बर 2007/2009-2010

जलापूर्ति एवं स्वच्छता

प्रमुख क्रियाकलाप

1. जल आपूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र के बारे में विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों और पेयजल आपूर्ति विभाग तथा शहरी विकास विभाग के लिए ग्यारहवीं योजना (2007-12) और वार्षिक योजना 2007-08 तैयार करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

2. वार्षिक योजना 2007-08 दस्तावेज में शामिल किए जाने के लिए जल आपूर्ति तथा सफाई संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दिया गया।

इस स्कीम का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा 50% के आधार पर किया जा रहा है और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडब्ल्यूएस विभाग) के बजट में किए गए 6500 करोड़ रुपए के समग्र योजना परिव्यय का प्रयोग कर लिए जाने की संभावना है।

3. भारत के राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के लिए भारत निर्माण नामक एक प्रमुख योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने 28 फरवरी, 2005 को दिए गए अपने बजट अभिभाषण में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को भारत निर्माण के छः घटकों में से एक घटक के रूप में अभिज्ञात किया है। भारत निर्माण (2005-06 से 2008-09 तक) के अधीन 55067 कवर न की गई बस्तियों, 3.31 लाख पिछड़ गई बस्तियों तथा 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत निर्माण के पहले तीन वर्षों में लक्ष्य/उपलब्धि निम्नानुसार रही हैः

4. डीडब्ल्यूएस विभाग की वार्षिक योजना 2007-08 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में सुधार लाने के वास्ते केन्द्र प्रायोजित समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) के लिए

वार्षिक योजनाएं	लक्ष्य	उपलब्धि
भारत निर्माण के लक्ष्य 2005-06 से 2008-09 तक	55067 कवर न की गई, 3.31 लाख पिछड़ गई, 2.17 लाख बस्तियां जल की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित थी	
वार्षिक योजना 2005-06		
सीएपी 99 के अनुसार	11897	13121
पिछड़ गई	34373	79544
गुणवत्ता प्रभावित	10000	4550
योग	**56270**	**97215**
वार्षिक योजना 2006-07		
सीएपी 99 के अनुसार	18120	12440
पिछड़ गई	40000	89580
गुणवत्ता प्रभावित	15000	5330
योग	**73120**	**107350**
वार्षिक योजना 2007-08		
सीएपी 99 के अनुसार	27664	2487
पिछड़ गई	90000	23020
गुणवत्ता प्रभावित	65823	2318
योग (अक्तूबर, 2007 तक)	**183487**	**27825**

800 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले वार्षिक योजना 2007-08 में 1060 करोड़ रुपए की राशि शामिल है ।

5. शहरी रोजगार और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय वार्षिक योजना 2007-08 में, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में सुधार करने के लिए केन्द्र प्रायोजित एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता स्कीम (आईएलसीएस) के लिए 40.00 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

परिणामी बजट 2007-08 में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में परिणामों की समीक्षा

6. एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत 6500 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले वार्षिक योजना 2007-08 के परिणाम ये हैं कि "कवर न की गई (एनसी) शेष 27664 बस्तियों, 90,000 पिछड़ गई बस्तियों, 65823 जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों (कुल 183487 बस्तियों) को कवर किया जाए। दिसम्बर 2007 तक की उपलब्धि हैः 4548 एनसी, 31411 पिछड़ गई, 44562 जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां (कुल 80521 बस्तियां)।

7. टीएससी के अधीन 2007-08 के लिए 1060 करोड़ रुपए का परिव्यय है। मांग चालित स्कीम होने के कारण पहले से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि 2007-08 के अंत तक 578 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है। अक्तूबर 2007 तक सभी जिले मंजूर किए जा चुके हैं। 12 मिलियन परिवारों में टायलेट उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।

4.32 महिला और बाल विकास

1. योजना आयोग में महिला और बाल विकास प्रभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है, और ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और आलोच्य अवधि के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास के लिए कार्रवाई कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यरूप देने के लिए जिम्मेदार है । वर्ष 2007-08 के दौरान प्रभाव के प्रमुख कार्यकलापों का सारांश में उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है ।

2. प्रभाग ने, ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र तथा "महिलाओं का सशक्तिकरण और बाल विकास" के संबंध में संचालन समिति द्वारा की गई सिफारिशों और नीति-निर्देशों पर आधारित "महिलाओं की एजेंसी और बाल अधिकारों की दिशा में" ग्यारहवीं योजना के अध्याय का मसौदा तैयार किया । प्रभाग ने, वार्षिक योजना 2007-08 दस्तावेज में समावेशन हेतु महिला और बाल विकास के संबंध में अध्याय का मसौदा भी तैयार किया ।

3. प्रभाग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के वार्षिक योजना प्रस्ताव 2008-09 की जांच की और वित्तीय वर्ष के दौरान स्कीम-वार वित्तीय जरूरतों का जायजा लिया। प्रभाग ने मंत्रालय के वार्षिक योजना 2008-09 प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य स्तर की बैठकों के वास्ते सार भी तैयार किया। प्रभाग ने विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2008-09 को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान उपाध्यक्ष के प्रयोग के लिए महिला और बाल विकास से संबंधित क्षेत्रीय टिप्पणियां भी तैयार कीं। इसके बाद प्रभाग ने प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र की वार्षिक योजना 2008-09 में महिला और बाल क्षेत्रक से संबंधित क्षेत्रीय परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार कार्यकारी दलों की बैठकें आयोजित कीं। कार्यकारी दलों ने राज्य क्षेत्र नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। मौजूदा अंतरालों, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कमियों पर काबू पाने तथा बल और प्राथमिकताएं देते हुए महिला और बाल क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय शुरू करने के सुझाव दिए। साथ ही राज्यों को महिला घटक योजनाएं तैयार करने तथा महिलाओं के बीच आय सृजक क्रियाकलापों, विशेष रूप से स्वयंसेवी समूहों के गठन के माध्यम से स्व-रोजगार के निमित्त उनके कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजनाओं में उपयुक्त कार्यक्रम शामिल करने को प्रोत्साहित किया गया।

4. प्रभाग ने संसद प्रश्नों का कार्य किया और योजना आयोग के अन्य विषय प्रभागों तथा मंत्रालयों/विभागों को उन संसद प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए संगत सूचना प्रदान की जो उन्हें प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार प्रभाग में

अतिविशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का निपटान किया गया। साथ ही प्रभाग ने आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07, संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण, प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में शामिल किए जाने के लिए महिलाओं और बच्चों के क्षेत्रक से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई और उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा क्षेत्रक प्रभारी सदस्य के लिए भाषण और संदेश तैयार किए।

5. प्रभाग ने, 2007-08 के दौरान महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए और राज्य सरकारों के लिए लैंगिक बजटिंग के प्रति संवेदी बनाने के लिए आयोजित कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया । प्रभाग ने राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) के शासी निकाय, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के साधारण निकाय और राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) के साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व भी किया। प्रभाग ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुसंधान सलाहकार समिति और "स्टेप" परियोजना की संस्वीकृति समिति में भी भाग लिया ।

6. महिला और बाल विकास क्षेत्रक के बारे में अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के लिए जो प्रस्ताव समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग (एसईआर) के माध्यम से प्राप्त हुए थे उनकी जांच की गई और उन पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

7. वर्ष 2007-08 के दौरान योजना आयोग ने आईसीडीएस के पुनर्गठन के संबंध में किसी मतैक्य पर पहुंचने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई की । इस प्रयोजनार्थ, विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने के लिए पृष्ठपत्रों के रूप में चर्चा करने के लिए आईसीडीएस के पुनर्गठन के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किए गए ।

8. वर्ष के दौरान प्रभाग ने परियोजना मूल्यांकन और मानीटरन प्रभाग (पीएएमडी) के निकट सहयोग से, मंत्रिमंडल टिप्पणियों/ईएफसी/एसएफसी ज्ञापनों के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय के विभिन्न प्रस्तावों की जांच की/मंजूरी प्रदान की, अर्थात् अवैध व्यापार की रोकथाम और अवैध व्यापार और वाणिज्यिक सेक्स संबंधी शोषण के पीड़ितों का बचाव, पुनर्वास और पुनःएकीकरण, लैंगिक बजट पद्धति के संबंध में एसएफसी, "बालिका के लिए नकद सशर्त अंतरण स्कीम और एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के संबंध में ईएफसी । एक नई विदेश सहायित केन्द्र प्रायोजित स्कीम, अर्थात् बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में "प्रियदर्शिनी " प्रारंभ करने के संबंध में पूर्ण योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रभाग द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान, प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत करने जैसी सभी आवश्यक कार्रवाई की गई ।

9. आलोच्य अवधि के दौरान, प्रभाग ने ग्यारहवीं योजना के लिए महिला अर्थशास्त्रियों का एक दल तथा बाल्यावस्था कुपोषण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल गठित किया तथा उसकी सेवा की ।

4.33.1 प्रशासन

1. योजना आयोग का स्तर भारत सरकार के किसी भी विभाग का स्तर है इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण के नोडल विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त अनुदेश तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवा नियमावली के तहत प्रावधान योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। प्रशासन सामान्यतया इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। योजना आयोग प्रशासन, योजना आयोग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की जीवन-वृत्ति आकांक्षाओं के प्रति भी संवेदनशील रहा है और इस संबंध में समय-समय पर पर्याप्त कार्रवाई करता रहा है। इसके साथ ही प्रशासन अपनी स्टाफ संख्या को सही आकार देने की अपेक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देता है और सिविल पदों में सीधी भर्ती के इष्टतमीकरण पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करता है।

4.33.2 जीवन-वृत्ति प्रबंधन कार्यकलाप

1. वित्त वर्ष 2007-08 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान 34 अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/बैठकों आदि में योजना आयोग/भारत सराकर का प्रतिनिधित्व करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसेकि विश्व बैंक, आईएमएफ, एपीओ आदि द्वारा विभिन्न देशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इस अवधि के दौरान कैरियर प्रबंधन डेस्क द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष

के 4 विदेशी दौरों, सदस्यों के 16 दौरों संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई भी की गई।

2. योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के आईईएस, आईएसएस, जीसीएस आदि के लगभग 52 अधिकारियों को आर्थिक मामले विभाग, सांख्यिकी विभाग, आरबीआई-सीएबी, पुणे तथा विभिन्न अन्य सरकारी और स्वायत्तशासी संस्थानों/संगठनों द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित/आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया। उपर्युक्त के अलावा, सीएसएस, सीएससीएस तथा सीएसएसएस के लगभग 17 अधिकारियों/कर्मचारियों को पीटी विभाग और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनिवार्य व अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

3. आलोच्य अवधि में योजना आयोग ने उच्चतर रक्षा प्रबंध पाठ्यक्रम (एचडीएमसी), रक्षा प्रबंधन कालेज, सिकंदराबाद के अधिकारियों के लिए परिचय कार्यक्रम भी आयोजित किया। श्रीलंका के वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों, युगांडा के राष्ट्रीय आयोजना प्राधिकरण के दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के प्रेसीडेंसी में मंत्री महामहिम डॉ0 इसोप पहड के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल और वित्त मंत्रालय, अफगानिस्तान के बजट विभाग के 25 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए परिचय कार्यक्रमों का आयोजन किया । श्रीलंका से वरिष्ठ स्तरीय लोक सेवकों के लिए भारत मं योजना प्रक्रिया पर एक विचार विमर्श सत्र भी आयोजित किया गया । शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर से राजनीतिक विज्ञान में एम.एड और और मानव अधिकारों व कर्त्तव्यों में पी.जी. डिप्लोमा तथा बेचलर ऑफ जरनलिज्म एंड कम्यूनिकेशन साइंस कोर्स के 30-30 छात्रों (तथा दो अधिकारियों) के दो और समूहों के लिए भी परिचय सत्र आयोजित किए गए ।

4.33.3 संगठन और पद्धति तथा समन्वय अनुभाग

अवधि	गतिविधियां
01.04.07 से 31.12.07	**ओ एंड एम तथा समन्वय कार्य** 1. वर्ष 2007-08 के दौरान सभी अनुभागों/प्रभागों का ओ एंड एम निरीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के सभी 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करना भी नियोजित किया गया है। 2 (1) योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों पर वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशें पर की गई कार्रवाई का समन्वय और संकलन। (2) योजना आयोग तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन। (3) संवीक्षा समिति द्वारा मंजूरी के लिए वार्षिक सीधी भर्ती योजना पर कार्रवाई करना। (4) विभिन्न नियतकालिक विवरणियों का संकलन/समेकन और उन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय/यूपीएससी/डीओपीटी आदि को भेजना।**लोक/स्टाफ शिकायत समाधान तंत्र** 3. अपने रोजमर्रा के कामकाज में योजना आयोग का सामान्य जनता के साथ कोई वास्ता नहीं पड़ता। तो भी, जनता की तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और अनुप्रयुक्त जनशक्ति जनसांधन अनुसंधान संस्थान सहित आयोग के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में आयोग ने एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है । सलाहकार (प्रशासन), शिकायत निदेशक के रूप में काम करते हैं, जिनकी सहायता के लिए निदेशक/उप-सचिव स्तर के तीन स्टाफ शिकायत अधिकारी मौजूद हैं। जन शिकायतों के प्रभावी मानीटरन और उनका शीघ्र निपटान करने के लिए योजना आयोग के इंटरनेट पर एक अन्योन्यक्रियापूर्ण वेब-समर्थित लोक शिकायत निवारण और मानीटरन प्रणाली (पीजीआरएमएस) स्थापित की गई है। शिकायतों के निवारण की स्थिति से संबंधित सूचना प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को नियमित रूप से भेजी जाती है। अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के दौरान इस अनुभाग में शिकायत का कोई भी मामला प्राप्त नहीं हुआ।

4.33.4 हिन्दी अनुभाग

1. योजना आयोग के अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 3(3) के अंतर्गत, विभिन्न प्रलेखों/पत्रों का अनुवाद करने के अलावा, हिन्दी अनुभाग ने आश्वासनों, संसद प्रश्नों, स्थायी समिति से सम्बद्ध सामग्री, अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, मंत्रिमंडल टिप्पणी, प्रोटोकोल व अन्य करारों, फार्मों और प्रारूपों आदि का भी अनुवाद किया ।

2. वार्षिक योजना 2006-07 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) से संबंधित अनुवाद का पर्यवेक्षण और प्रूफ रीडिंग तथा एनडीसी व इसकी उप-समितियों की बैठकों से सम्बद्ध एजेंडा, कार्यवृत्त व अन्य सामग्री का अनुवाद कार्य भी हिन्दी अनुभाग ने किया ।

3. त्रैमासिक हिन्दी प्रगति रिपोर्टें और वार्षिक कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट जैसी रिपोर्टें योजना आयोग के अनुभागों ओर अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त की गईं तथा समुचित रूप से समीक्षा के बाद समेकित रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गई ।

4. योजना आयोग के प्रभागों, अनुभागों, अधिकारियों और स्टाफ तथ इसके यूनिट-कार्यालयों को अधिकतम कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया गया । वरिष्ठ अधिकारियों/अधिकारियों और स्टाफ को प्रेरित करने व हिन्दी में सरकारी कार्य करने में हिचकिचाहट को दूर करने के लिए अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित की गईं ।

5. योजना आयोग में और साथ ही इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भी विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को तेज करने के लिए वर्ष के दौरान प्रयास किए गए । परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हुई । इसके नियंत्रणाधीन सभी प्रभागों/अधिकारियों को सलाहकार (राजभाषा) द्वारा एक अ.शा. पत्र भी भेजा गया, जिसमें उनसे हिन्दी का प्रगामी रूप से प्रयोग बढ़ाने का अनुरोध किया गया ।

6. हिन्दी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने पर बल दिया गया । योजना आयोग के कंप्यूटरों से ई-मेल संदेश और अधकारिक सूचना भी जारी की गई ।

7. योजना आयोग की "कौटिल्य पुरस्कार योजना " को वर्ष 2005-06 के लिए भी जारी रखने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई जिससे कि योजना आयोग के कार्य से संबंधित तकनीकी विषयों के बारे में उच्च स्तर के मूल हिन्दी साहित्य के लेखन को बढ़ावा मिल सके।

8. "हिन्दी दिवस 2006" के अवसर पर गृहमंत्री श्री शिवराज वी. पाटिल और मंत्रिमंडल सचिव से संदेश प्राप्त हुए। इन संदेशों को योजना आयोग के अधिकारियों और स्टाफ के बीच तथा इसके नियंत्रणाधीन अन्य कार्यालयों के बीच भी व्यापक रूप से परिचालित किया गया।

9. योजना आयोग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें हिन्दी टंकण, हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण में सफलतापूर्वक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । विजेताओं को योजना राज्य मंत्री श्री एम.वी. राजा शेखरन द्वारा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। तथापि, विभिन्न प्रतियोगिताओं में सभी प्रतिभागियों को हिन्दी शब्दकोश प्रदान किए गए, जिनसे हिन्दी में सरकारी काम करने में मदद मिल सकती है।

10. राजभाषा अधिनियम, नीति व विभिन्न अन्य प्रावधानों के संबंध में जानकारी को ठोस बनाने के लिए निदेशक (सामान्य प्रशासन) की अध्यक्षता में एक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया । योजना राज्यमंत्री के ओएसडी ने भी राजभाषा हिन्दी में भाग लिया । हिन्दी के संबंध में एक संवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें 35 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया ।

4.33.5 पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र

1. योजना आयोग का पुस्तकालय योजना भवन में स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों सहित, योजना आयोग के सभी स्टाफ सदस्यों को संदर्भ सेवा और पुस्तकें प्रदान करने की सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा। इसने भारत सरकार के लगभग सभी पुस्तकालयों को अंतःपुस्तकालय ऋण सेवाएं भी मुहैया की हैं। अन्य विभागों के अधिकारियों तथा संस्थानों/विश्वविद्यालयों

में पंजीकृत शोधकर्ताओं को परिसर के भीतर परामर्श और संदर्भ सुविधा प्रदान की गई।

2. पुस्तकालय ने अपने लगभग सभी क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण कर दिया है। इन क्रियाकलापों के लिए अब लिबसिस नामक एक पुस्तकालय ओटोमेशन साफ्टवेयर संस्करण 5.0 का प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है जिसके जरिए आयोग के अधिकारियों को सूचना प्रदान की जाती है।

3. पुस्तकालय अपने प्रकाशन भी निकाल रहा है, जैसे कि (i) "डाकप्लान" : पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली चुनी हुई पत्रिकाओं से निकाले गए चुने हुए लेखों की मासिक सूची, (ii) रिसेंट लिस्ट आफ एडीशंस (पुस्तकालय में शामिल की गई नई पुस्तकों की सूची), (iii) योजना आयोग के पुस्तकालय द्वारा मंगाई जा रही पत्र/पत्रिकाओं की एक सूची। पुस्तकालय ने योजना आयोग के अधिकारियों की मांग पर ग्रंथसूची भी उपलब्ध कराई।

रिपोर्टोधीन अवधि में, पुस्तकालय के संग्रह में अंग्रेजी की 309 और हिन्दी की 370 पुस्तकें जोड़ी गई हैं। आशा है कि मार्च, 2008 के अंत तक पुस्तकालय में और भी पुस्तकें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा पुस्तकालय में 216 पत्रिकाएं प्राप्त हुईं। पुस्तकालय ने संदर्भ संबंधी लगभग 8000 प्रश्नों के उत्तर में जानकारी प्रदान की और व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया। लगभग 11273 पाठक पुस्तकालय में परामर्श और संदर्भ कार्य के लिए आए।

कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन; सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी सहित पुस्तकालय के स्टाफ ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में भाग लिया।

4.33.6 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र - योजना भवन यूनिट

योजना आयोग, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आधारभूत ढांचे संबंधी समिति (सीओआई) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित हार्डवेयर, साफ्टवेयर, नेटवर्क सम्बद्ध वेब-आधारित प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) और डाटाबेस विकास संबंधी सभी जरूरतें योजना आयोग में स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन यूनिट द्वारा पूरी की जा रही हैं । 2007-08 के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे प्रस्तुत हैः

I आधारिक ढांचा विकास

(i) **हार्डवेयरः** योजना आयोग द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आधारभूत ढांचा संबंधी समिति (सीओआई) तथा प्रधानमंत्री की विज्ञान भवन स्थित आर्थिक सलाहकार समिति (ईएसी) को कंप्यूटर हार्डवेयर और निकनेट (इंट्रानेट तथा इंटरनेटश्र्दोनों से संबंधित नेटवर्क) सहायता प्रदान की जाती है। नई प्राप्तियों को न्यूनतम जीबी रैम और 19 टीएफटी स्क्रीन के साथ नवीनतम पीआईबी दोहरी कोर पद्धतियों के अनुरूप मानकीकृत किया गया है ।

(ii) **लैनः** स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) की पीजीसीआईएल 34 एमबीपीएस आप्टीकल फाइबर संपर्क, स्टैंड-बाई आरएफ संपर्क तथा 2 एमबीपी की तीन पट्टाशुदा लाइनों के जरिए निकनेट और इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। **पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड (पीजीसीएल) की मौजूदा पट्टाशुदा लाइन को योजना भवन प्रयोक्ताओं के लिए 10 एमबीपीएस से 34 एमबीपीएस के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है।** एलसी से आरसी पिचकार्डो के माध्यम से सभी स्विचों को आप्टिकल फाइबर संयोज्यता से जोड़ कर आंतरिक लैन का भी स्तरोन्नयन कर दिया गया है। आंतरिक नेटवर्क निर्माण भी विभिन्न "वीलैंस" के जरिए स्तरोन्नत कर दिया गया है और "प्राक्सी" नए लेआउट के अनुसार अधिक तेज और सुरक्षित नेटवर्क संयोज्यता सहित पुनः संरूपित कर दी गई है। इस समय योजना आयोग के इंटरनेट में लगभग 600 ग्राहक, सर्वर और नेटवर्क प्रिंटर हैं।

(iii) **"वीलैन" कार्यान्वयनः** बेहतर, तेज और सुरक्षित नेटवर्क के लिए "वीलैन" को योजना भवन में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क नेबरहुड में एकीकृत करने के वास्ते उसके लिए वीलैन पर एक **वेब-आधारित नेटशेयर** अनुप्रयोग विकसित किया गया है ताकि फाइलों/

फोल्डरों का आदान-प्रदान किया जा सके; स्पैम/वाइरस आक्रमण को रोकने तथा इसे एक सुरक्षित नेटवर्क बनाने के लिए प्रत्येक मंजिल पर अप्रयुक्त पोर्टों को निष्क्रिय कर दिया गया।

(iv) **वीफी समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क कनेक्टिविटी :** पहले चरण में, "विलैन" 4400 सीरीज नियंत्रक के माध्यम से "सिस्को" प्रबंधित एक्सेस पाइंटों के जरिए विज्ञान भवन में पहली ओर दूसरी मंजिल के प्रयोक्ताओं के लिए एक कुशल आधुनिकतम तीव्र और सुरक्षित वीफी समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे कि सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेते समय अपने लेपटाप पर डाटा आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही पहली और दूसरी मंजित पर सभी समिति कक्ष पूर्णतः वीफी हैं । इस कंट्रोलर का यह लाभ है कि इन एक्सेस पाइंटों का प्रबंधन किसी भी पूर्व-परिभाषित पाइंट से किया जा सकता है, जहां इसे नेटवर्क पर दूरस्थ वायरलैस के जरिए कामय किया जा सकता है । "लैप्स", सिस्को यूनिफाइड वायरलैस नेटवर्क आर्किटेक्चर का भाग है । इसके साथ, उपाध्यक्ष, राज्यमंत्री, सदस्यों, सभी प्रधान सलाहकारों/वरिष्ठ सलाहकारों, सलाहकारों के चेम्बर और पहली व दूसरी मंजिल पर समिति कक्ष पूर्णतः वीफी समर्थित हैं । बाद में वायरलैस वीफी कनेक्टिविटी का विस्तार योजना भवन की शेष तीनों मंजिलों पर कर दिया जाएगा।

(v) **निकनेट के साथ वीपीएन संयोज्यता का सुदृढ़ीकरणः** वीपीएन पर फाइल अंतरण प्रोटोकाल (एफटीपी) का प्रयोग करके योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में वेबसाइटों के स्थानीय रूप से दूरस्थ अपडेशन के लिए **वीपीएन** (विशुद्धतः निजी नेटवर्क) संयोज्यता भी स्थापित कर दी गई है।

(vi) **वायस एंड वीडियो इंटरनेट प्रोटोकोल (वीओआईपी) कार्यान्वयन :** एनआईसी, योजना भवन यूनिट ने "वायस एंड वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल (वीओआईप) बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम" कार्यान्वित करने की पहल की है ताकि सर्वोच्च स्तरीय अधिकारियों के पास आईपी पर संचार की बेहतर पद्धति हो सके । इस बात पर सहमति हुई है कि योजना आयोग में, डीसीएच, एमओएस, सदस्यों और सदस्य-सचिव, प्रधान सलाहकारों को मिलाकर उनके समर्थनकारी स्टाफ सहित, एक "क्लोज यूजर ग्रुप" कायम करने की जरूरत है तथा ये अधिकार और निर्णय निर्माता वीओआईपी सिस्टम से जुड़ जाएंगे । पहले चरण में प्रस्तावित वीओआईपी संचार पद्धति में लगभग 50 वीडियो फोन होंगे जो अधिकारियों के स्तर और उपयोग पर निर्भर करेगा। योजना भवन में विद्यमान "लैन" का इस्तेमाल करके इन्हें आच्छादित किया जाएगा, जिसका वितरण एनआईसी के योजना भवन यूनिट के प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण के तहत प्रबंधित 100/1000 एमबीपीएस द्वारा किया जाएगा । इन मोडों, स्थानों और ग्राहकों के बीच इंटरनेट संयोजकता एसआईपी समर्थित प्लेटफार्म फोनों के साथ की जाएगी जो आईपी पर वायस ओर वीडियो का समर्थन करेंगे । साफ्टवेयर संघटक का प्रबंधन स्थानीय सर्वर पर किया जाएगा । यह सेवा कार्यान्वित की जा रही है और वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान पूरी हो जाएगी ।

(vii) **इंटरनेट और मेल सुविधाः** योजना आयोग अवस्थापना संबंधी समिति (सीओआई), ईएसी, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर), नरेला और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सभी कर्मियों को इंटरनेट तथा ई-मेल के लिए सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया है। योजना आयोग के मेल एकाउंट्स का अद्यतन और नियमित अनुरक्षण किया जाना जारी है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को निकनेट टेलीकंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनके निवास स्थान पर कंप्यूटर प्रणालियां, अर्थात डेस्कटाप/लैपटाप तथा ब्राडबैंड संयोज्यता प्रदान कर दी गई है।

(viii) **बैक-अप सेवाएंः** योजना भवन में एक शक्तिशाली बैक सर्वर स्थापित किया गया है। इस बैक-अप सर्वर में वेरीटास नेट बैक-अप सर्वर 6.0 साफ्टवेयर आरोपित किया गया है जिसमें ये शामिल हैंः प्रक्रमी बैक-अप, संश्लिष्ट बैक-अप, मुक्त फोरमैट बैक-

अप, शून्य डाउनटाइम सहित सर्वर बैक-अप और साथ ही इसमें आपदा बहाली आदि का भी विकल्प है। इसमें समूची प्रणाली, प्रचालन प्रणाली सहित सर्वरों की इमेज, डाटा सहित एप्लीकेशन और पैच विवरण ग्रहण करने की क्षमता है जिससे कि लैन अथवा किसी अन्य मीडिया के माध्यम से बहाली सुनिश्चित की जा सके । बैक-अप सर्वर सभी सर्वरों के लिए और 100 डेस्कटॉप और लेपटाप एजेंटों (डीएलओ) के लिए भी बैक-अप सेवाएं प्रदान करता है ।

(ix) **प्रणाली संचालन (सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन):** मौजूदा प्रौक्सी सर्वर को अधुनातन आईएसए 2004 सर्वर के साथ स्तरोन्नत कर दिया गया है। सभी प्रशासनिक सर्वरों, अर्थात प्राक्सी सर्वर, डाटाबेस सर्वर, पीसी सर्वर, एंटी वायरस और पैच मैनेजमेंट सर्वर का संचालन किया गया तथा वह चल रहा है। सर्वरों के बचाव और सुरक्षा के लिए समय-समय पर सभी सर्वरों के लिए आधुनिक सेवा पैक, सिक्यूरिटी पैच तथा एंटी वायरस अपडेट्स स्थापित किए गए हैं।

(x) **प्रयोक्ता सहयोगः** योजना आयोग के प्रयोक्ताओं को तथा प्रधानमंत्री की विज्ञान भवन में स्थित आर्थिक सलाहकार समिति (ईएसी) को, जब कभी आवश्यक होता है, सभी प्रकार का प्रयोक्ता सहयोग (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) प्रदान किया जाता है जैसेकि एंटीवायरस पैकेज, इंटरनेट और नेटवर्क संयोज्यता के लिए प्रयोक्ता मशीन का समरूपण, ई-मेल आदि जैसे विभिन्न साफ्टवेयरों की स्थापना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में ***"आधारभूत ढांचा निर्माण अवसर और चुनौतियां"*** विषय पर आधारित आधारभूत ढांचे संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन; 20 मई, 2006 को आयोजित ***"आधारभूत ढांचे में पीपीपी पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन"*** और साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए विज्ञान भवन में 2007-08 के दौरान आयोजित "राष्ट्रीय विकास परिषद (एमडीसी) की 53वीं ओर 54वीं बैठक के लिए ,पिछली बैठक हाल ही में 19 दिसम्बर, 2007 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा क्षेत्रक पर विचार व अंतिम रूस्प देने, तथा 11वीं योजना (2007-12) अनुमोदित करने के लिए हुई थी, के लिए भी आवश्यक सहायता प्रदान की गई तथा सभी एनडीसी बैठकों के उद्‌घाटन और समापन सत्र, विश्व में सर्वत्र इस राष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करने के लिए, किसी भौतिक अथवा भौगोलिक सीमाओं के बगैर, एनआईसी द्वारा इंटरफेस पर सजीव वेबकास्ट किए गए ।

(xi) **सेंट्रलाइज्ड एंटी-वायरस सोल्यूशनः** योजना भवन ईएसी और एनकेसी में ट्रेंड माइक्रो-आफिस स्केन एंटरप्राइज एडीशन साफ्टवेयर वर्ज़न 8.550/100 के साथ एंटी-वायरस सोल्यूशन हेतु एक अद्यतन सेंट्रलाइज्ड सर्वर स्थापित किया गया है। नेटवर्क में वर्म्स फैलने से रोकने के लिए योजना आयोग में एक **पेच मैनेजमेंट सर्वर** भी स्थापित कर दिया गया है। सर्वर और ग्राहकों पर एंटी-वायरस और पैचेज का नियमित अद्यतनीकरण/स्तरोन्नयन किया गया है। रोजमर्रा के आधार पर संक्रमित मशीन का मानीटरन तथा वायरस की समय-समय पर सफाई की गई है।

(xii) **दूसरी मंजिल, योजना भवन में नव-निर्मित सम्मेलन कक्ष में वीडियो-वाल की स्थापना :** वीडियो-वाल स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है तथा इसे दूसरी मंजिल पर निर्मित किए जा रहे नए सम्मेलन कक्ष में प्रचालित किया जाएगा, जिसे नेटवर्क पर मल्टी-लेयर जीआईएस सिस्टम सर्वरों के साथ इंटरफेस कर दिया जाएगा । "स्पेटिअल डाटा, इन्फ्रा-स्ट्रक्चर फार मल्टी-लेयर्ड ज्योग्रफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) फार प्लानिंग ", नामक योजना आयोग द्वारा प्रायोजित एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएस), एनआईसी की सहायता से निष्पादित की जा रही है तथा इसे योजना आयोग में चालू कर दिया गया है । कोई भी व्यक्ति वीडियो-वाल पर देश के सभी क्षेत्रों के मल्टी-लेयर नक्शे देख सकता है । आधुनिकतम अवस्थापना और सुविधाओं के साथ सम्मेलन कक्ष का निर्माण एनआईसी की सहायता से किया जा रहा है ।

II वेब-आधारित एमआईएस तथा डाटाबेस

1 (क) ग्राम आयोजना सूचना प्रणाली (वीपीआईएस)- *सुविधाएं: मानीटरन के चौथे टियर साधन का सुदृढ़ीकरण करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सार्वजनिक प्रयोग के लिए ग्राम आयोजना सूचना प्रणाली (वीपीआईएस) डिजाइन, विकसित तथा कार्यान्वित की गई है।* यह प्रणाली भारत के महापंजीयक द्वारा जारी किए गए जनगणना 2001 के आंकड़ों के साथ संकलित 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार ग्राम-स्तरीय गैर-जनगणना आंकड़ों पर आधारित वेब-आधारित पुनःप्राप्ति प्रणाली है। यह प्रणाली जनांकिकी तथा भारत के सभी आबाद गांवों में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित विश्लेषणात्मक जानकारी की पुनःप्राप्ति में समर्थ बनाती है। नौ विभिन्न सुविधाओं में ये शामिल हैंः शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, डाकतार, टेलीफोन, संचार, समाचार-पत्र, बैंकिंग, मनोरंजनात्मक तथा सांस्कृतिक सुविधाओं की उपलब्धता, संयोज्यता और विद्युत-आपूर्ति की उपलब्धता। यह प्रणाली राज्य, जिला और गांव जैसे विभिन्न स्तरों पर सुविधाओं को लेकर गांवों की स्थिति की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है।

इस प्रणाली के दो भाग हैं अर्थात तालिका रूप में दर्शाए जाने वाले आंकड़े तथा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यू फार्म्स। यह प्रणाली माइक्रोसाफ्ट विजुअल स्टुडियो 2005 का प्रयोग करते हुए नेट में तैयार की गई है। यह प्रणाली योजना आयोग के कर्मचारियों तथा अन्य द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए इंटरनेट तथा इंट्रानेट पर उपलब्ध करा दी गई थी। एमआईएस यूआरएल http://pcserver.nic.in/vpis के माध्यम से सुलभ हो सकती है।

1(ख) ग्राम आयोजना सूचना प्रणाली (वीपीआईएस)- जनांकिकी

ग्राम आयोजना सूचना प्रणाली- जनांकिकी, भी भारत सरकार के जनगणना आंकडों-2001 पर आधारित एक वेब-आधारित पुनःप्राप्ति प्रणाली है। यह प्रणाली भारत के सभी गांवों की जनांकिकी से संबंधित विभिन्न विश्लेषणात्मक जानकारी की पुनःप्राप्ति समर्थ बनाती है। यह एमआईएस राज्य पुनःप्राप्ति तथा जनांकिकी डाटा के विश्लेषण के लिए डिनैमिक क्वैरी इंजिन का प्रयोग करके तैयार की गई है। जिसमें एसआरएस निर्माण, साफ्टवेयर विकास, परीक्षण और सभी माड्यूलों का कार्यान्वयन शामिल है ।

2. जिला आयोजना सूचना प्रणाली (डीपीआईएस):

यह प्रणाली जनगणना 2001 पर भारत के महापंजीयक द्वारा जारी की गई जनांकिकी रूपरेखा तथा सुविधाओं संबंधी डाटा पर आधारित ***जिला आयोजना के लिए डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित की गई एक वेब-आधारित सूचना प्रणाली है।*** डाटा पर आधारित कुछेक और प्राचल तथा विवरण एमआईएस में शामिल कर लिए गए हैं। इन प्राचलों में ये शामिल हैंः जनांकिकी, सुविधाएं तथा अन्य समाजार्थिक प्राचल। जनांकिकी रूपरेखा अथवा सुविधाओं अथवा अन्य प्राचल के किसी भी मिश्रण के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रणाली आयोजना की विशेष घटक योजना (एससीपी) तथा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) घटक की, जो एससी तथा एसटी के लिए योजनाओं पर बल देते हैं सहायता करती है। यह सूचना प्रणाली जिला आयोजना को अंतिम रूप देने में योजना निर्माताओं की मदद करेगी और साथ ही शोधकर्ताओं तथा विद्वानों को उनके अध्ययनों में सहायता प्रदान करेगी। एमआईएस यूआरएल http://pcserver.nic.in/dpis के माध्यम से सुलभ हो सकती है।

3. "आनलाइन शिकायत पंजीकरण पद्धति : योजना सेवा" : योजना भवन, योजना आयोग में सभी अनुरक्षण और सामान्य सेवाओं के आनलाइन पंजीकरण और मानीटरन के लिए योजना सेवा हेतु एक वेब आधारित प्रबंधन पद्धति का, ई-अधिशासन परियोजना के तहत योजना आयोग की आवश्यकता के अनुसार, डिजाइन और विकास किया गया है । इस पद्धति का विकास, फ्रंट एंड पर "नेट" प्लेटफार्म और बैक- एंड पर एसक्यूएल सर्वर 2000 का इस्तेमाल करके किया गया है । इसे, सभी किस्म की सेवाओं, आनलाइन नियंत्रण के संबंध में चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें प्रयोक्ता वैयक्तिक शिकायतें ऑनलाइन कर सकते हैं और मानीटरन कर सकते हैं । यह पद्धति

योजना आयोग के सभी कंप्यूटर प्रयोक्ताओं से हार्डवेयर साफ्टवेयर की शिकायतें नेटवर्क पर सुकर बनानी है जिससे कि योजना भवन में तैनात हार्डवेयर/अनुरक्षण इंजीनियरों को शिकायतों को प्रभावी ढंग से दूर करने और सिस्टम डाउन-टाइम को कम से कम करने में मदद मिलती है ।

4. योजना प्रशासन के लिए एमआईएस : यह योजना आयोग के प्रशासन अनुभागों से सम्बद्ध विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित रिकार्डों के पंजीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वेब-आधारित जी2-ई प्रबंधन सूचना पद्धति (http://pcsrver/yojna.admn) है । योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों की आवश्यकतानुसार ई-अधिशासन पहलों के तहत एमआईएस का विकास । सिस्टम के विभिन्न माड्यूल हैं :

(1) **वेतनवृद्धि डाटाबेस :** योजना भवन में कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का विवरण बनाए रखने के लिए एक वेब आधारित सिटम का विकास किया गया है । इससे कर्मचारी के वर्तमान वेतनमान, विद्यमान वेतन वृद्धि, भावी वेतन आदि का रिकार्ड रखा जाता है। इससे, एक मास विशिष्ट में अद्यतन बनाने के लिए, कर्मचारियों के रिकार्ड का पता चलता है । यह प्रत्येक कर्मचारी का वेतनवृद्धि आदेश भी प्रिंट करता है ।

(2) **छुट्टी प्रबंधन सूचना प्रणाली (लीवामिस) :** योजना आयोग के कर्मचारियों की छुट्टी का रिकार्ड रखने के लिए एक वेब आधारित पद्धति विकसित की गई है । इससे विशिष्ट अवधि के संबंध में कर्मचारी की डाटा एंट्री, अद्यतन बनाने और रिपोर्टों के सृजन में सुविधा होती है । इससे रिपोर्ट करने वाले अधिकारी को छुटटी मंजूर करने से पहले कर्मचारी की छुट्टी की स्थिति चैक करने में सुविधा होती है । इंट्रा-योजना के माध्यम से अलग-अलग छुट्टी चैक करने के लिए एक माड्यूल भी विकसित किया गया है। कर्मचारियों (वैयक्तिक स्टाफ) के नए समूह के संबंध में डाटा एंट्री माड्यूल की व्यवस्था की गई है तथा कर्मचारियों को समूह चुनने का विकल्प दिया गया है । एमआईएस में और संशोधन करने तथा उसके विस्तार का कार्य चल रहा है । कर्मचारियों (प्रशासन-1 के लिए) के नए समूह के संबंध में डाटा एंट्री माड्यूल की व्यवस्था की गई है । इस सिस्टम के जरिए तैयार छुट्टी आदेश को मेल के जरिए योजना आयोग के सभी कर्मचारियों को परिचालित किया जाता है । <u>एक नई रिपोर्ट का विकास किया गया है, जिसमें उन सभी कर्मचारियों की सूची दी गई है जो सिस्टम की वर्तमान तारीख को विशिष्ट रूप से अनुपस्थित है ।</u> एमआईएस में और संशोधन करने तथा उसके विस्तार का कार्य चल रहा है ।

(3) **विवरण पोस्ट करना :** इसमें, कमरा नं. फोन नं., अधिकारी/प्रभाग/कमरे में तैनाती/टेलीफोन नं. और तैनाती की अवधि का रिकार्ड रखा जाता है । कर्मचारियों की तैनाती का विवरण, पिछली तैनातियों सहित इसमें योजना आयोग के अंदर कर्मचारियों की तैनाती का रिकार्ड रखा जाता है और इससे नियमित व दैनिक मजदूरी कर्मचारियों के इष्टतम उपयोग में मदद मिलती है । माड्यूल में डाटा एंट्री, अद्यतन बनाना और रिपोर्ट करने की विशेषताएं शामिल हैं । इस माड्यूल को योजना आयोग में अपनाया गया है ।

(4) **पेंशनभोगियों का विवरण :** पेंशन माड्यूल का विकास किया गया है तथा इसे योजना एडमिन में एकीकृत किया गया है । इसमें डाटा एंट्री, अद्यतन बनाने और तीव्र डाटा : पुनः प्राप्ति सुकर बनाने के लिए क्षेत्र के किसी मिश्रण के संबंध में पूछताछ का विकल्प है ।

(5) **मास्टर अपडेट माड्यूल :** इस माड्यूल को कर्मचारी का पदनाम, नाम को अद्यतन बनाने तथा वेतनवृद्धि मास को अद्यतन बनाने के लिए जोड़ा गया है । ड्रापडाउन सूची से नाम के चयन के आधार पर इससे कर्मचारी के रिकार्ड को अद्यतन बनाए रखने में मदद मिलती है ।

5. सरकारी आवास प्रबधन पद्धति (जीएएमएस) : जीएएमएस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग के सभी लेखा अनुभागों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है । जीएएमएस, एक आनलाइन लाइसेंस फीस संग्रह और मानीटरन पद्धति है ।

6. केन्द्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और मानीटरन पद्धति (सीपीजीआरएएमएस) : सीपीजीआरएएमएस के संबंध में एक डेमो-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशासन प्रभाग और एनआईसी यूनिट के अधिकारियों ने भाग लिया । सिस्टम को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग के प्रशासनिक अनुभागों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है ।

7. केन्द्रीयकृत पेंशन शिकायत समाधान और मानीटरन पद्धति (सीपीईएनजीआरएएमएस) : एनआईसी के सहयोग से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने, केन्द्रीयकृत पेंशन शिकायत समाधान और मानीटरन पद्धति (सीपीईएनजीआरएएमएस) के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लोक/पेंशन शिकायत अधिकारियों के लिए आधे दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना आयोग से तीन, और एनआईसी, योजना आयोग यूनिट से दो व्यक्तियों ने 18 सितम्बर, 2007 को भाग लिया । योजना आयोग में पेंशन प्रकोष्ठ को आवश्यक सहायता प्रदान की गई है और पेंशनभोगियों की सभी शिकायतों को भारत सरकार के पेंशनर्स पोर्टल पर प्रस्तुत करने के लिए मानीटरन हेतु पद्धति पर अमल करने के लिए पहल की गई है ।

8. केन्द्रीयकृत एसीसी रिक्ति मानीटरन पद्धति (एवीएमएस) एनआईसी द्वारा डिजाइन व विकसित एक ई-अधिशासन साधन : एनआईसी मुख्यालय में होस्ट की गई एक वेब-आधारित कंप्यूटरीकृत मानीटरन पद्धति की स्थापना को चालू कर दिया गया है जिससे एसीसी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामलों पर समय पर कार्यवाही करने में सुविधा होती है । इस पद्धति को http://avms.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है । एनआईसी, योजना भवन यूनिट, पदनामित नोडल अधिकारी को डाटाबेस को अद्यतन बनाने में सहायता प्रदान करता है । कार्मिक विभग ने, एसीसी रिक्ति मानीटरन पद्धति (एवीएमएस) के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए 18 दिसम्बर, 2007 को एक प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एनआईसी-योजना भवन यूनिट से दो अधिकारियों तथा योजना आयोग से पदनामित नोडल अधिकारी ने भाग लिया ।

9. विस्तृत डीडीओ पैकेज - एनआईसी द्वारा विकसित एक ई-अधिशासन साधन : योजना आयोग में वेतन संवितरण में चुस्ती लाने के लिए एक विस्तृत डीडीओ पैकेज का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है । अवधारणा-पत्र के रूप में एक प्रस्ताव तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया को चुस्त बनाने के संबंध में एक संक्षिप्त नोट योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है । सीओएम पीडीडीओ ने, मास्टर रिकार्ड के उत्प्रवास और सीडीडीओ पैकेज के कार्यान्वयन के लिए योजना भवन में सफलतापूर्वक स्थापित किया । कार्यान्वयन सभी के लिए अत्यंत सरल और उपयोगी होगा । इससे बहुत से स्थानों पर पैकेज को संशोधित करने में दोहरे प्रयासों में काफी बचत होगी और एकरूपता आएगी। सभी 1658 कर्मचारियों के संबंध में मास्टर रिकार्ड/तालिकाओं के सृजन हेतु आधारीय कार्य तथा कार्यान्वयन हेतु अन्य अपेक्षित आधारीय कार्य, एनआईसी, योजना भवन यूनिट की सहायता से विभिन्न लेखा अनुभागों द्वारा किया जा रहा है । एनआईसी ने, विस्तृत डीडीओ पैकेज (कोम्प डीडीओ) पर 19 से 23 नवम्बर, 2007 तक पांच दिन की एक कार्यशाला भी आयोजित की ।

10. योजना आयोग व्यय मानीटरन पद्धति (पीसी-ईएमएस) : योजना के संबंध में योजना और योजनेत्तर दोनों प्रकार के खर्च का मानीटरन तथा अनुदान मांगों के साथ एकीकरण करने के लिए एक वेब-आधारित एमआईएस का विकास किया जा रहा है । उक्त एमआईएस के संबंध में पद्धति अध्ययन, पद्धति डिजाइन, इनपुट माड्यूल और पूछताछ का विकास किया गया है । आईएफए (एकीकृत वित्त लेखे) प्रभाग के लिए साफ्वेयर का विकास किया गया है तथा उसका मासिक व्यय और अनुदान मांगों का अनुरक्षण किया जा रहा है । एमआईएस के अंतर्गत, अनुदान मांगें; योजना बजट संयोजन; बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के अनुसार योजना व योजनेतर विवरण को चित्रित करते हुए अन्य विवरण सम्मिलित हैं । पद्धति से विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने में मदद मिलती है ।

11. पका मध्याह्न भेजन - मूल्यांकन अध्ययन-वेब आधारित डाटा विश्लेषण पद्धति : पका मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया है तथा विभिन्न मुद्दों के संबंध में डाटा एकत्र किया गया है जैसे कि :

- **निधियों का प्रवाह और उपयोग**
- **खाद्यान्न उपयोग**
- **लाभार्थी विवरण आदि**

यह डाटा विभिन्न स्तरों से 10 पूर्व निश्चित प्रारूपों में एकत्र किया गया है, जैसे कि राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम, लाभार्थी। स्कीम के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) की मदद करने के लिए परियोजना का डिजाइन और विकास किया जा रहा है । ग्राम अनुसूची के लिए वेब-आधारित "डाटा एनेलिसिस सिस्टम फार सीएमडीएम" विकसित किया गया है । पद्धति को पीईओ प्रभाग की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है जब भी डाटा और इनपुट अनुसूची आनी शुरू हो जाए। स्कीम के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की मदद करने के लिए वेब-आधारित डाटा विश्लेषण पद्धति का प्रस्ताव है ।

डाटा एंट्री के संबंध में पीईओ के संबंधित सलाहकार और उच्च अधिकारियों को दिए गए एमआईएस का प्रस्तुतीकरण व डेमो, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर अनुसूची विकसित की गई । ग्राम स्तर अनुसूची की डाटा एंट्री के लिए साफ्टवेयर विकास का कार्य चल रहा है । इस अवधि के दौरान 31 दिसम्बर, 2007 तक ब्लॉक अनुसूचियों के संबंध में डाटा एंट्री कार्य पूरा हो गया है; स्कूल स्तर अनुसूचियों के संबंध में साफ्टवेयर विकास और परीक्षण पूरा किया गया; राज्य और जिला अनुसूची के संबंध में रिपोर्टों के लिए साफ्टवेयर विकास लगभग पूरा हो गया तथा लाभार्थी स्तर अनुसूची के लिए भी सिस्टम डिजाइन पूरा हो गया। पीईओ आवश्यकता के आधार पर मूल्यांकन रिपोर्ट, पीईओ प्रभाग द्वारा चाही गई आवश्यकतानुसार तैयार की जा रही है ।

12. "राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)" पर एमआईएस" एक नई परियोजना है । सिस्टम डिजाइन, कोडिंग और सिस्टम का विकास शुरू किया गया । यह, विभिन्न स्कीम का राज्य-वार, जिले, ग्राम और क्षेत्रक-वार मानीटरन के लिए एक वेब-आधारित सूचना पद्धति है । भौतिक और वित्तीय प्रगति के लिए डाटा एंट्री/उन्नयन विलोपन और रेस्टोर माड्यूल का विकास किया गया। प्रयोक्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रशासन माड्यूल का भी विकास किया गया, जिसमें राज्य-वार जिले-वार प्रयोक्ता सृजन आशोधन सम्मिलित है । क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर का इस्तेमाल रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं और फिर पैकेज को कार्यान्वित किया जाएगा । एंट्री, अपडेट, विलोपन और स्कीम के रेस्टोर के लिए वेब प्रशासन माड्यूल, राज्य-जिला और सेक्टर मास्टर्स फाइल विकसित की गई है । मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों की आरएसवीवाई स्कीम का वास्तविक डाटा इस्तेमाल करके विभिन्न माड्यूलों का परीक्षण प्रगति पर है ।

13. विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप-आयोजना (टीएसपी) के लिए वेब-आधारित एससीपी/टीएसपी एमआईएस : जनगणना 2001 डाटा के आधार पर अनुसूचित जाति आबादी के आधार पर और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रेंज विवरण के आधार पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के आधार पर जिला स्तर तक सभी गांवों का वेब-आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है । ग्राम स्तर विवरण प्रदर्शित करने के लिए एक रिपोर्ट भी विकसित की गई है तथा एमआईएस में माड्यूल जोड़ा गया है ।

14. हार्डवेयर तालिका प्रबंधन पद्धति (एचआईएमएस) : सिस्टम साफ्टवेयर विकास, सिंचाई, परीक्षण और नई हार्डवेयर तालिका प्रबंधन पद्धति का योजना आयोग के लिए विकास किया गया । यह, योजना आयोग द्वारा खरीदी गई तथा प्रयुक्त सभी हार्डवेयर तालिका मदों के लिए एक नई वेब-आधारित पद्धति है तथा इस पैकेज के माध्यम से सभी नई सामग्रियों, इन-स्टाक तथा ट्रांजेक्शन विवरण से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

15. राष्ट्रीय स्कीमों के लिए एमआईएस (सीएस और सीएसएस) : विजुअल स्टूडियो 2005 के एएसपी एनईटी का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय स्कीमों (सीएस और सीएसएस) के लिए प्रयोक्ता इंटरफेस का पुनः डिजाइन और पुनः विकास किया गया । साफ्टवेयर "पैकेज" के अंतर्गत विभिन्न माड्यूल सम्मिलित हैं तथा डाटा को 2006-07 के संबंध में अद्यतन बनाया गया ।

सुरक्षा माड्यूल : यह माड्यूल विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, माड्यूल साफ्टवेयर की सुरक्षा को हेण्डल करता है । इस माड्यूल का मुख्य कार्य है : मंत्रालय/विभाग के आधार पर विशेषाधिकार के साथ नए प्रयोक्ता का सृजन, प्रयोक्ता प्रोफाइल का संशोधन/विलोपन ।

एंट्री/अपडेट माड्यूल : यह माड्यूल, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्कीमों और परिव्ययों के रिकार्डों के समावेशन और अद्यतन से संबंधित है ।

रेस्टोर माड्यूल : किसी प्रयोक्ता द्वारा रिकार्ड का विलोपन किए जाने पर वह पद्धति से स्थायी रूप से विलोप नहीं होगा। यह पद्धति की सुविधा है कि किसी भी विलोपित रिकार्ड को बहाल किया जा सकता है अथवा पद्धति से स्थायी रूप से हटाया जा सकता है । यह सुविधा केवल पद्धति के प्रशासक को दी जाती है ।

रिपोर्टें : अनेक रिपोर्टों को मंत्रालय-वार, विभागीय-वार, स्कीम-वार, श्रेणी-वार, परिव्यय, स्कीम/टाइप आदि के अनुसार सृजित किया जा सकता है ।

16. फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी घटकों, भारत निर्माण सहित, के संबंध में एमआईएस : एनआईसी मुख्यालय में, सभी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के एकसमान कोडों के लिए कोडिंग पद्धति के मानकीकरण तथा एक मतैक्य कायम करने के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है, जिससे कि फ्लैगशिप कार्यक्रमों और सभी केन्द्रीय स्कीमों के सभी घटकों के बीच मानकीकृत कोडिंग को एकसमान रूप से अपनाया जा सके । भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी 14 घटकों के संबंध में एक एकल खिड़की, वेब-आधारित एमआईएस, फ्लैगशिप कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अध्ययन और संयोजन करके डिजाइन तथा विकसित किया गया, जिसे योजना भवन में कार्यान्वित किया गया है तथा जिसे यूआरएल http://pcserver.nic.in/flagship का इस्तेमाल करके बाहर से प्राप्त किया जा सकता है । कार्यबल ने यह अनुमोदित कर दिया है कि भू-क्षेत्र-कोडिंग के संबंध में कार्यनीति को सिद्धांत रूप से अपनाया जाना चाहिए और उसमें जनगणना कोडिंग लक्षणों को जोड़ा जा सकता है । इस बात पर सहमति हुई कि जब तक समुचित संस्थागत पद्धति के साथ भू-क्षेत्र आधारित कोडिंग पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए पूरी प्रक्रिया का उत्प्रवास नहीं हो जाता तब तक सभी प्रभागों द्वारा जनगणना कोड का इस्तेमाल किया जाना जारी रहेगा । जहां तक विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों और उप-स्कीमों के नामों के लिए कोडिंग का संबंध है, सीजीए द्वारा ई-लेखा में प्रयुक्त सभी योजना स्कीमों के लिए स्कीम कोड को अपनाया जा सकता है । योजना आयोग, सीजीए के साथ मिलकर फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी घटकों के बीच एकरूपता लाने के लिए स्कीम कोडों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक रूपरेखा का सृजन कर सकता है ।

17. उपाध्यक्ष, योजना आयोग के लिए एमआईएस : अनन्य रूप से उपाध्यक्ष, योजना आयोग के लिए एमआईएस डिजाइन और विकसित की गई है । नए अपडेट आने पर एमआईएस से उपाध्यक्ष को, वार्षिक राज्य योजनाओं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आधार, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी; डब्ल्यूटीओ सम्बद्ध मामलों, व देशज व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में नवीनतम अद्यतन डाटा के क्षेत्र में, मदद मिलती है । एमआईएस के अंतर्गत, 1990-91 के बाद से अभी तक के अनुमोदित परिव्यय और व्यय से सम्बद्ध जानकारी, पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि, तुलनात्मक विवरणों और प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जीएसडीपी द्वारा पैमानाकृत जानकारी सम्मिलित है। डाटाबेस में उपलब्ध अन्य सूचना में सम्मिलित है : भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजस्व, व्यय, राजकोषीय घाटे, कृषि जीडीपी अनुमानों, जीआईएनआई माध्यम, राज्यवार विद्युत टी एंड डी हानियों, केन्द्र और राज्यों के राजकोषीय घाटे, गरीबी सम्बद्ध डाटा, एफडीआई और डब्ल्यूटीओ सम्बद्ध डाटा, चुनिंदा देशों के जीडीपी पूर्वानुमान और उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि । एमआईएस से उपाध्यक्ष को वार्षिक योजना 2007-08 चर्चा के दौरान भी मदद मिलती है, जो संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ प्रगति पर है और साथ ही राज्यों और विदेशों के उनके दौरे के दौरान भी । इसे यूआरएल http://pcserver.nic.in/dchmis से प्राप्त किया जा सकता है ।

18. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्कीमों के संबंध में एमआईएस (सीएस और सीएसएस) : वार्षिक योजना 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के संबंध में

और मंत्रालयों/विभागों की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों, मंत्रालयों/विभागों की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के भावी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सहायता के संबंध में वेब-आधारित सूचना पद्धति विकसित की गई है। इस पद्धति से योजना निर्माताओं को डाटाबेस से परिव्यय के बारे में जानकारी व डाटाबेस से अन्य जानकारी, मंत्रालयों अथवा विभागों के आधार पर श्रेणी-वार ब्यौरा आदि प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

19. मल्टी-लेयर्ड जीआईएस अनुप्रयोगों के संबंध में न्यूनतम स्थानिक डाटा अवस्थापना : "स्पेटिअल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फार मल्टी-लेयर्ड ज्योग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम (जीआईएस फार प्लानिंग" की स्कीम, जो योजना आयोग द्वारा प्रायोजित और एनआईसी की सहायता से निष्पादित एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है, योजना आयोग में चालू हो गई है। अब एनआईसी के माध्यम से स्थानिक डाटा और जीआईएस अनुप्रयोग सेवाएं जी2जी में योजना आयोग में भी उपलब्ध है। एनआईसी मुख्यालय का "दि मिरर सर्वर" अर्थात सन फायर वी440 सर्वर सन सोलेरीज भी चालू कर दिया गया है तथा कोई भी http://planings/website.nsdb/viewer.htm के माध्यम से राष्ट्रीय स्थानिक डाटाबेस अनुप्रयोग प्राप्त कर सकता है।

एनएसडीबी डाटाबेस वाले सन-सोलारिस सर्वर के अलावा, अंतरिक्ष विभाग ने भी योजना आयोग में अपनी मिरर साइट प्रस्तुत की है जो भी चालू है तथा निम्नलिखित लेयर योजना आयोग में इंट्रा-योजना पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। इस सर्वर को http://g2g-isro/website/isro/india के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

अंतरिक्ष विभाग सर्वर में निम्नलिखित लेयर हैं :

- स्वर्ण चतुर्भुज : राष्ट्रीय राजमार्ग; जिला सड़कें, ग्राम/बगैर डामर की सड़कें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे।
- नदियां : जलाशय; वाटरशेड स्तर; भू-उपयोग, वनस्पति किस्म; मृदा उत्पादकता; मृदा ढलान; मृदा गहराई; मृदा सामग्री; मृदा कटाव आदि।

डाटा स्रोत में सम्मिलित है :

- जनगणना, 2001 डाटा; प्राइमरी जनगणना सार और सुविधाएं डाटाबेस।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबंधित डाटा; खादी और ग्रामोद्योग।
- एनआरएसए से प्राप्त डाटा आदि।

योजना आयोग में एनआईसी-वाईबीयू यूनिट सभी जीआईएस अनुप्रयोगों का अभिरक्षक भी है, जहां मिरर साइट कार्यात्मक है और योजना आयोग के लिए डिजिटीकृत नक्शे तैयार किए गए। बड़ी संख्या में नक्शा निर्माण और डाटाबेस सृजन की योजना आयोग में स्थानीय रूप से सेवा की जाती है तथा विभिन्न अंतर-मंत्रालयीय समूहों को बड़ी संख्या में इनपुट उपलब्ध कराए गए।

20. गैर-सरकारी संगठन डाटाबेस : गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के संबंध में डाटाबेस योजना आयोग की वेबसाइट http://planningcommission.gov.in पर उपलब्ध है। इस डाटाबेस में लगभग 16,400 एनजीओ से संबंधित जानकारी शामिल है। सदस्य, योजना आयोग द्वारा सुझाए गए विभिन्न क्रियाकलापों की 28 श्रेणियों के आधार पर अच्छे/वैध एनजीओ के रूप में अभिज्ञात शीर्ष के अधीन 500 एनजीओ के प्रोफाइल दिए गए है। यह जानकारी एनजीओ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। यह साइट http://pcserver.nic.in/ngo से सुलभ हो सकती है। एएसपी एनईटी का प्रयोग करके एनजीओ/वीओ की आनलाइन पंजीकरण पद्धति और डाटा-एंट्री/अपडेट माड्यूल की डिजाइनिंग प्रगति पर है।

21. योजना आयोग के लिए संसद प्रश्नों/उत्तरों का डाटा बैंक: संसद प्रश्नों और उनके उत्तरों का, जिनके बारे में योजना आयोग के संसद अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, एक वेब-समर्थित डाटाबेस, इंटरनेट साइट http://pcserver.in/parliament पर उपलब्ध है। इस डाटाबेस को नए सिरे से तैयार किया गया है तथा योजना आयोग के संबंध में विभिन्न सत्रों के दौरान उठाए गए प्रश्न और उत्तर वेब-फार्मेट में डाल दिए गए तथा आवश्यक कोडिफिकेशन करके संबंधित सूचना श्रेणी-वार और प्रभाग-वार के लिए डाटाबेस अद्यतन बनाया गया। वेबसाइट में "क्विक सर्च"

नामक तलाश का एक नया मोड़ जोड़ दिया गया है। शीघ्र तलाश में केवल संगत कीवर्ड टाइप करने पर सिस्टम स्वतः तलाश करेगा और कोश सूचक तालिकाओं के डाटाबेस से एकदम वैसा ही अथवा उसी के समान पैटर्न के साथ सुमेलित करेगा तथा तारीख-वार छंटाई किए गए प्रश्नोत्तरों के संपर्कों की सूची प्रस्तुत करेगा। मानसून सत्र, 2007 योजना आयोग से संबंधित संसद प्रश्न के संबंध में उनके विषय और संबंधित प्रभाग के बारे में अद्यतन कोडिड सूचना और शरद सत्र, 2007 के लिए संसद प्रश्न/उत्तर हेतु डायरी पद्धति को संशोधित किया।

22. वित्तीय संसाधन प्रभाग के लिए एमआईएस : "वित्तीय संसाधन सार" की राज्य-वार मासिक सूचना के लिए एक वेब-आधारित पुनःप्राप्ति प्रणाली आंतरिक प्रयोग के लिए इंट्रानेट पर उपलब्ध है। इससे प्रयोक्ता के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिन राज्यों के वित्तीय संसाधनों के सारों के लिए इन्पुट उपलब्ध थे, उन्हें अपलोड कर दिया गया है। आवेदन-पत्र को और अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बना दिया गया है जिसके लिए उटाबेस का प्रयोक्ता इंटरफेस संशोधित किया गया है।

23. कोयला क्षेत्रक के लिए डाटाबेस : कंपनी-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति की विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने के काम को सुविधापूर्ण बनाने के लिए योजना आयोग के विद्युत और ऊर्जा प्रभाग के वास्ते एक शंका-आधारित वेब-समर्थित प्रणाली (http://pcserver.nic.in/coal) इंटरनेट पर उपलब्ध है। यह प्रणाली कोयले के संबंध में कंपनी-वार/स्कीम-वार, वित्तीय तथा क्षेत्रक-वार मांग रिपोर्टों पर जानकारी भी उपलब्ध कराती है।

24. योजना आयोग/पीईओ दस्तावेजों का डाटाबेस : पीसी/पीईओ दस्तावेजों के सूचक के लिए एक वेब-आधारित प्रणाली (http://pcserver.nic.in/peolibrary) इंटरनेट पर उपलब्ध है ताकि योजना आयोग पुस्तकालय के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), योजना आयोग द्वारा प्रकाशित दस्तावेज और प्रकाशन बनाए रखना सुविधापूर्ण हो सके।

25. वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की स्थिति के लिए डाटाबेस : योजना आयोग के अधिकारी (अधिकारियों)/ कर्मचारी (कर्मचारियों) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की स्थिति के अनुरक्षण के लिए एक डाटाबेस तैयार किया गया है और वह स्थानीय सर्वर http://pcserver/acr पर उपलब्ध है। प्रश्न पर आधारित अनेक रिपोर्टें जरूरत के अनुसार तैयार की गई हैं। बहु-प्रयोक्ता वातावरण के लिए आनलाइन डाटा एंट्री तथा अपडेशन माड्यूल भी तैयार किए गए हैं। नियमित अपडेशन भी किया जा रहा है तथा अभी तक योजना आयोग के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के 4527 एसीआर अद्यतन किए गए हैं ।

26. योजना आयोग के अभिलेख अनुभाग के लिए डाटाबेस : विभिन्न प्रभागों आदि से फाइलों के संचलन का मानीटरन/खोज तथा सुगम पहुंच के लिए योजना आयोग के विभागीय अभिलेख कक्ष के वास्ते डाटाबेस इंटरनेट पर उपलब्ध है। डाटा एंट्री/नियमित अपडेशन किया जा रहा है। नियमित अपडेट जारी है तथा आज तक 12500 रिकार्ड डाटाबेस किए गए हैं ।

27. हवाई टिकट बुकिंग पद्धति : योजना आयोग प्रोटोकाल अनुभाग के लिए विकसित और अनुरक्षित इस पद्धति से एयर-इंडिया, इंडियन एयरलाइंस आदि से टिकट मंगाने के लिए बुकिंग अनुरोधों को समेकित करने में सुविधा होती है।

28. स्टाफ कार सेल के लिए लैन आधारित सूचना प्रणाली : योजना आयोग के स्टाफ कार सेल संबंधी सूचना के प्रबंध और मानीटरन के लिए एक लैन-आधारित प्रणाली इंटरनेट पर उपलब्ध है। यह प्रणाली स्टाफ कारों की उपलब्धता/तैनाती संबंधी अपेक्षित ब्यौरों और जानकारी को अद्यतन बनाने में सहायता प्रदान करती है।

29. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम डाटाबेस : योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग के लिए राज्य सार्वजनिक उपक्रमों पर एक वेब-समर्थित डाटाबेस इंटरनेट पर उपलब्ध है। इस डाटाबेस में विभिन्न पीएसयू की बाबत इक्विटी, ऋण, लाभ/हानि, लाभांश तथा निविष्ट पूंजी आदि संबंधी डाटा दिया गया है। रिपोर्टें/शंकाएं, पीएसयू-वार, राज्य-वार, वर्ष-वार तथा मद-वार सृजित की जा सकती हैं जिनमें संयुक्त वार्षिक वृद्धि दरों तथा साधारण वार्षिक वृद्धि दरों से

संबंधित संगठित आंकड़ें शामिल हैं। यह डाटाबेस यूआरएल http://pcserver/psu से सुलभ हो सकता है।

30. श्रम रोजगार और जनशक्ति के लिए वेब समर्थित पुनः प्राप्ति प्रणाली : योजना आयोग के श्रम रोजगार और जनशक्ति प्रभाग के लिए एक वेब-समर्थित पुनःप्राप्ति प्रणाली (http://pcserver/lem) है, जोकि इंट्रानेट पर उपलबध है प्राचलों से संबंधित जानकारी की पुनःप्राप्ति को सरल बनाती है। इस साइट से उपलब्ध राज्य स्तरीय प्राचलों हेतु नक्शों के रूप में सूचना के प्रदर्शन में भी सुविधा मिलती है।

31. वन, वन्य जीवन और पर्यावरण पर सूचना प्रणाली : सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के संबंध में वन, वन्य जीवन और पर्यावरण पर विषय-निष्ठ जानकारी उपलबध कराने के लिए इंट्रानेट पर एक वेब-आधारित साइट http://pcserver/forest उपलब्ध है।

32. वेतन चिट्ठा प्रणाली : योजना आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन बिल इसी पैकेज के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। योजना आयोग के सभी कर्मचारियों की वेतनपर्चियों के लिए डाटा तैयार किया जाता है और साथ ही इंट्रा योजना पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। 2006-07 के दौरान विभिन्न रिपोर्टें अद्यतन बनाने और तैयार करने के लिए संबंधित प्रभाग को सहायता भी प्रदान की गई। योजना आयोग के अधिकारियों के वेतनपर्ची डाटा तैयार करने के लिए एक क्रियाविधि/सुविधा तैयार का ताकि उसे इंट्रा योजना पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। इंट्रा-योजना के लिए वेतन पर्ची तैयार की गई की आटोमेट प्रक्रिया का विकास किया जा रहा है, जिसमें तालिका तैयार करना तथा उसे संबंधित व्यक्तियों को स्वतः ई-मेल करना शामिल है । थोड़े से संशोधन के साथ इस कार्यक्रम का उपयोग हार्डवेयर तालिका प्रबंधन पद्धति (एचआईएमएस) के लिए किया जाएगा । इनमें निम्न शामिल हैं:

(क) **वेतन बिल - योजना आयोग के सभी अधिकारियों/स्टाफ के मासिक वेतन बिल तैयार किए जाते हैं।**

(ख) **सामान्य भविष्य निधि** - योजना आयोग के सभी कर्मचारियों के वार्षिक जीपीएफ विवरण तैयार किए जा रहे हैं और **सभी कर्मचारियों के एकीकृत जीपीएफ विवरण एकल साइन-आन सहित इंट्रा-योजना पोर्टल में रख दिए गए हैं।**

(ग) **बोनस** - सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए वार्षिक बोनस तैयार किया जाता है। **डीए बकाया** - सभी कर्मचारियों के लिए डीए बकाया तैयार किए जाते हैं।

33. वित्तीय संसाधन और डाटा प्रबंध के लिए वेबसाइट - वित्तीय संसाधन प्रभाग को सहायता : एनआईसी (वाईबीयू) ने योजना आयोग के वित्तीय संसाधन (एफआर) प्रभाग के लिए एक वेब-आधारित आवेदन-पत्र तैयार किया है, जो इंट्रानेट पर उपलब्ध है। यह साइट अब पूरी तरह कार्यान्वित की जा चुकी है और इसे सभी योजनाओं के लिए सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से संबंधित वित्तीय आबंटन, परिव्यय, व्यय विवरणों से जुड़ी हुई सारी जानकारी से; केन्द्रीय वित्तीय संसाधनों से संबंधित बृहद और सूक्ष्म विवरणों से संवर्द्धित किया जा रहा है। संशोधन तथा और अधिक वेब पृष्ठ जोड़ तथा अपलोड कर दिए गए हैं। एमआईएस एक ही स्थान पर सभी जानकारी के लिए न्यासी है तथा वह योजना आयोग के सभी प्रयोक्ताओं के लिए यूआरएल http://pcserver.nic.in/frmis से 24x7 उपलब्ध है।

34. राज्य योजनाओं और डाटा प्रबंध के लिए वेबसाइट - राज्य योजना डिवीजन के लिए सहायता : योजना आयोग के विविध प्रभागों से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों, लेखों, इन्पुटों, डाटा न्यासी तथा अन्य सामग्री से जुड़ी सभी जानकारी को आंतरिक प्रयोग के लिए प्रयोक्ता अनुकूल ढंग से इंट्रासर्वर पर रखने के लिए, जिससे कि उसे किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, राज्य योजना प्रभाग के लिए वेब-आधारित आवेदन-पत्र की संकल्पना और डिजाइन करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस साइट में सभी पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं तथा उनके क्षेत्रकीय और उप-क्षेत्रकीय परिव्यय, व्यय से संबंधित आंकड़े तथा योजना आयोग तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर तैयार किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्रीफ, योजना आयोग तथा राज्यों द्वारा वार्षिक योजना चर्चाओं आदि के दौरान की गई प्रस्तुतियां एक स्थान पर उपलब्ध रहेंगी ।

35. कार्यालय प्रक्रिया आटोमेशन (ओपीए) : जहां ओपीए को कार्यान्वित किया गया है उन प्रभागों के लिए आवश्यक सहायता । इसके अंतर्गत सम्मिलित है : अलग-अलग अनुभागों के लिए प्रथागत बनाना; संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना; और पदोन्नति, पदनाम बदलने के मामले में कर्मचारियों के ब्यौरों का अपडेशन । योजना आयोग के पीएएमडी प्रभाग को ओपीए के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया । पीएएमडी के लिए ओपीए पद्धति को प्रथागत बनाया गया तथा उसे प्रभाग में कार्यान्वित किया गया ।

36. "योजना संसाधन" - इंट्रा योजना पोर्टल पर सामग्री और डाटा प्रबंधन सेवाएं : योजना आयोग के सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रभागों के लिए "योजना संसाधनों" के लिए एक कालम रखने के योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयानुसार, इंट्रा-योजना पोर्टल के सामग्री प्रबंधन को निम्नलिखित से संबंधित जानकारी शामिल करके समृद्ध बनाया गया है : (1) उपाध्यक्ष, यो.आ. का कार्यालय; (2) वित्तीय संसाधन प्रभाग, (3) योजना आयोग का राज्य योजना प्रभाग; (4) पुस्तकालय प्रभाग । "योजना संसाधन कालम" को योजना आयोग के शेष प्रभागों से इनपुटों के साथ और अपडेट किया जाएगा। इन प्रभागों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उचित यूसेरिड/पासवर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि प्रयोक्ताओं के लिए खुद पोर्टल के विषय-वस्तु प्रबंधन फ्रेमवर्क के अंतर्गत पोर्टल के संबंध में अपने संसाधनों को पोर्टल पर अपलोड करने में सुविधा हो सके । वित्तीय संसाधन प्रभाग के सभी अधिकारियों को सामग्री प्रबंधन के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी दिए गए ।

37. योजना आयोग के इंट्रानेट पोर्टल, इंट्रा योजना की सामग्री का प्रबंधन : पोर्टल के संबंध में सामग्री का प्रबंधन किया गया, जिसमें सम्मिलित है :

क. नए प्रयोक्ताओं का सृजन

ख. जो प्रयोक्ता योजना आयोग से सेवानिवृत्ति/सेवामुक्त कर दिए गए थे, उनकी स्थिति को अद्यतन बनाना।

ग. राज्य योजना और पुस्तकालय प्रभाग के लिए सामग्री को इंट्रा-योजना पोर्टल पर अपलोड किया गया ।

घ. मास के लिए वेतनचिट्ठा डाटा की अपलोडिंग ।

ङ. परिपत्रों/कार्यालय आदेशों/नोटिसों को दैनिक आधार पर अपलोड करना ।

च. अनुरोध प्राप्त होने पर अन्य सामग्री को अपलोड करना ।

छ. वेतनचिट्ठा साफ्टवेयर के सुचारू कामकाज के लिए तकनीकी सहायता ।

ज. ओपीए प्रबंधन ।

38. निम्नलिखित वेबसाइटों का अपडेशन और अनुरक्षण : योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत निम्नलिखित वेबसाइट को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अपडेट और अनुरक्षण किया गया :

क. योजना आयोग वेबसाइट : http://planingcommission.gov.in

ख. ज्ञान आयोग वेबसाइट : http://knowledgecommission.gov.in

ग. अवस्थापना संबंधी समिति वेबसाइट : http://infrastructure.gov.in

घ. आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) : http://eac.gov.in

39. ई-प्राप्ति का कार्यान्वयन : ई-प्राप्ति का कार्यान्वयन अनिवार्य हो गया है तथा छः डीडीओएस/अधिकारियों के संबंध में डिजिटल प्रमाणपत्र एनआईसीएसए से प्राप्त किया गया, कार्डों को एक्टीवेट किया गया और डीजीएस एंड डी के साथ पंजीकरण हेतु यूसेरिड्स/पासवर्ड का भी सृजन किया गया ताकि वे डीजीएस एंड डी रेट संविदे के विरुद्ध ऑनलाइन आपूर्ति आर्डर हेतु डीजीएस एंड डी वेबसाइट का लोगिन कर सकें । इन अधिकारियों तथा जनरल-I, जनरल-II, प्रोटोकोल और केयरटेकर सैल से छः अन्य समर्थनकारी स्टाफ ने, डीजीएस एंड डी रेट संविदे के विरुद्ध "आनलाइन" आपूर्ति आर्डर देने के लिए मांगकर्ताओं/डीडीओ/प्रापकों के लिए "वाक-इन" प्रशिक्षण में भाग लिया । वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह अनिवार्य बना दिया है कि सभी मांगकर्ता विभाग रेट संविदे के विरुद्ध वस्तुएं खरीदने के लिए डीजी एस एंड डी वेबसाइट http://www.dgsnd.gov.in आनलाइन" आदेश देंगे ।

III. भारत के राष्ट्रीय पोर्टल तथा अन्य वेबसाइटों के लिए सामग्रीः

भारत पोर्टल (http://india.gov.in) की सामग्री का सुदृढ़ीकरण करने के लिए योजना आयोग से संबंधित कुछेक दस्तावेज भी जोड़ दिए गए हैं।

1. योजना आयोग की वेबसाइट : योजना आयोग की वेबसाइट नामतः http://planningcommission.gov.in को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है। विभिन्न पृष्ठों के हिन्दी और पाठ रूपांतर भी तैयार तथा वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ और संबंधित पृष्ठों के संबंध में आवश्यक संशोधन किए गए और उन्हें अद्यतन बनाया गया। योजना आयोग की वेबसाइट में और आगे संवर्द्धन किया गया तथा उसे अद्यतन बनाया गया। नए संपर्क उपलब्ध कराने के वास्ते वेबसाइट का मुख्य होमपेज संशोधित कर दिया गया है। **"भारत के लिए सामाजिक लेखांकन मैट्रिक्स (एसएएम)"** जैसी विभिन्न अध्ययन रिपोर्टें, **उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए निरीक्षण समिति की रिपोर्ट** तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लेख/भाषण उपलब्ध हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान जारी किए गए परिपत्र/टेंडर समय-समय पर अपलोड किए गए हैं।

2. आर्थिक सलाहकार समिति (ईएसी) की वेबसाइटः अध्यक्ष, आर्थिक सलाहकार समिति की इस आशय की इच्छा के कारण कि परिषद की एक अपनी अलग वेबसाइट होनी चाहिए, **यह साइट पंजीकृत की गई तथा अंततः सचिव, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 27 अक्तूबर, 2006 को एक नई वेबसाइट http://eac.gov.in शुरू कर दी गई है।** आर्थिक सलाहकार परिषद इसलिए गठित की गई है जिससे कि आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न मतों के बारे में सरकार के भीतर जागरूकता उत्पन्न की जा सके। यह वेबसाइट ईएसी द्वारा की गई पहलों का प्रसार करने और सरकारी नीतियों से संबंधित सभी प्रमुख पहलों के लिए एकल विंडो सुलभता प्रदान करने के लिए एक कड़ी के रूप में है।

3. आधारिक ढांचे संबंधी समिति (सीओआई) की वेबसाइट : माननीय वित्तमंत्री द्वारा http://infrastructure.gov.in नामक एक वेबसाइट 20 मई, 2006 को विज्ञान भवन में शुरू की गई। एनआईसी (वाईबीयू) ने इस साइट को शुरू करने में सीओआई सचिवालय को पूरी सहायता प्रदान की है और योजना आयोग में स्थित एनआईसी यूनिट, वेबसाइट को सामयिक रूप से अद्यतन बनाने और इसे सामग्री-समृद्ध बनाने के लिए इस प्रभाग को बराबर सहायता प्रदान कर रहा है।

4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइट : श्री साम पित्रोडा की अध्यक्षता में **"राष्ट्रीय ज्ञान आयोग "** की वेबसाइट सरकारी क्षेत्र के अधीन औपचारिक रूप से शुरू की गई। एनआईसी (वाईबीयू) ने इस साइट को शुरू करने में पूरी सहायता प्रदान की है और वेबसाइट को सामयिक रूप से अद्यतन बनाने और इसे सामग्री-समृद्ध बनाने के लिए बराबर सहायता प्रदान कर रहा है।

IV. इंट्रा-योजना, योजना आयोग का ई-अभिशासन अनुप्रयोगः

1. इंट्रा-योजना पोर्टल (http://intrayojana.nic.in) : एनआईसी (वाईबीयू) ने योजना आयोग के सभी कर्मचारियों के लिए सभी जी2ई/जी2जी अनुप्रयोगों के वास्ते लाइनक्स, प्लोन और जोप जैसे साफ्टवेयरों का प्रयोग करते हुए मुक्त मानकों पर निर्मित एकीकृत वन-स्टाप वेब-आधारित पोर्टल और सेवा समाधान में विभिन्न जानकारी संचित करने के लिए इंट्रा-योजना पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया है। इस पोर्टल को मूल्यवान जानकारी से समृद्ध बनाया गया है और इसमें सामग्री और दस्तावेज प्रबंध, कार्य-प्रवाह, सामग्री की व्यक्तिनिष्ठ सुपुर्दगी तथा अन्य वास्तविक समय सहयोगात्मक सेवाओं जैसी विशेषताएं मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति सर्वर में एकल लॉगिन करके अपनी जरूरत के लिए विशिष्ट जानकारी की बहुविध कोटियों की तलाश कर सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है।

योजना आयोग के इंट्रा-योजना इंट्रानेट पोर्टल का *प्रणाली प्रशासन कार्य* और प्रबंध किया गया, जिसमें निम्न शामिल हैः

- नए प्रयोक्ताओं का सृजन; जो प्रयोक्ता योजना आयोग से सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिए गए थे उनकी स्थिति को अद्यतन बनाना।
- प्रति माह वेतन चिट्ठा अपलोड करना।

- परिपत्रों/कार्यालय आदेशों/नोटिसों को दैनिक आधार पर अपलोड करना।
- जब कभी अनुरोध किया जाए तो अन्य सामग्री को लोड करना। अपलोड की जाने वाली सामग्री में फोटो, चालू महीने के वेतन पर्ची आकड़े, दैनिक परिपत्र और नोटिस, समाचार आदि अपलोड किए जा चुके हैं।
- एनआईसी, योजना भवन यूनिट द्वारा विकसित नई एमआईएस/सूचना प्रणालियों के लिए हाइपर लिंक उपलब्ध कराना।
- इंट्रा-योजना की विभिन्न सेवाओं को कैसे सुलभ बनाया जाएश्इस संबंध में योजना आयोग के अधिकारियों को एक प्रस्तुति की गई।
- इस पोर्टल को और अधिक उपयोगी तथा सामग्री-समृद्ध आदि बनाने के लिए प्रशासनिक कार्य किया जा रहा है।

2. कार्यालय क्रियाविधि स्वचलीकरण प्रणाली (ओपीए): फाइल संचलन और डायरी/प्रेषण संचलन की वेब-आधारित कार्यालय क्रियाविधि स्वचलीकरण प्रणाली योजना आयोग में काम कर रही है। इसकी विशेषताओं से कार्यकुशलता लाने, काफी समय और प्रयास बचाने में बहुत मदद मिलती है और साथ ही योजना आयोग के कामकाज में पारदर्शिता भी आ जाती है। ओपीए पद्धति के डाटाबेस प्रशासन, अर्थात प्रयोक्ताओं के प्रबंधन, नए और मौजूदा प्रयोक्ताओं के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों, तकनीकी सहायता आदि रोजमर्रा के क्रियाकलाप सुचारु रूप से चल रहे हैं। नई प्रणाली के सुचारु कार्यचालन के लिए नई वेब-आधारित ओपीए प्रणाली पर सभी संबंधितों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है और अनेक प्रभागों ने ओपीए को कार्यान्वित किया है। योजना आयोग के कई और प्रभाग/अनुभाग इसमें जुड़ गए हैं। प्रयोक्ताओं को समय-समय पर तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

V. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005:

सूचना अधिकार अधिनियम पर अमल करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक वेब-समर्थित प्रणाली विकसित की गई है। सभी दस्तावेजों और आरटीआई अधिनियम से संबंधित बाहरी पूछताछ को इंट्रानेट पर उपलब्ध एक सर्वर में अपलोड कर दिया गया है। पूरी साइट शुरू कर दी गई है और योजना आयोग वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ के साथ इसका आवश्यक संपर्क भी उपलब्ध करा दिया गया है।

VI. पीएओ कंपेक्ट साफ्टवेयर:

एनआईसी ने, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के उपयोग के वास्ते बहुत से अदायगी और लेखांकन कार्य के कंप्यूटरीकरण के लिए एक वित्तीय प्रबंधन सूचना पद्धति साफ्वेयर "पीएओ कंपेक्ट" विकसित किया है। विंडोज 2000 सर्वर, जिस पर यह साफ्टवेयर स्थापित किया गया है, एनआईसी (वाईबीयू) द्वारा उसका रखरखाव भी किया जा रहा है।

VII. वार्षिक योजना तैयार करना

एनआईसी-वाईबीयू वार्षिक योजना, मध्यावधिक मूल्यांकन वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना दस्तावेज आदि तैयार करने में योजना आयोग के योजना समन्वय प्रभाग की मदद करता रहा है।

VIII. कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण:

योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर संबंधी विषयों पर योजना भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन विषयों में ये शामिल हैं: कंप्यूटर के आधारभूत तत्व, विंडोज-आधारित माइक्रोसाफ्ट अनुप्रयोग, जैसेकि एमएस वर्ड, एमएस एक्सल, ई-मेल, पावर प्वाइंट, हिन्दी साफ्टवेयर, इंटरनेट आदि तथा अन्य पैकेजों का प्रयोग। 2007-08 के दौरान निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- एमएस-एक्सेल पर विशेष बल देते हुए विशेष रूप से कृषि प्रभाग के लिए कंप्यूटर जागरूकता पर दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। योजना आयोग के वित्तीय संसाधन (एफआर) प्रभाग के अधिकारियों के लिए एमएस-एक्सेल पर पांच दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- नई प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए "इंट्रा योजना " पोर्टल तथा ओपीए प्रणाली पर दो बार प्रस्तुति आयोजित की गई।

- योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा : योजना अयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कंप्यूटर जागरूकता पाठ्यक्रम पर एक पांच-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि उनके भीतर कंप्यूटर जागरूकता उत्पन्न की जा सके। **2007-08 के दौरान 40 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।**

- कंप्यूटर जागरूकता के संबंध में पांच दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, योजना आयोग के पुस्तकालय प्रभाग के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया।

4.33.7 विभागीय अभिलेख कक्ष

1. अवधारण के लिए योजना आयोग के विभागीय अभिलेख कक्ष को भेजी गई फाइलों और रिकार्डो की प्रविष्टि और पुनः प्राप्ति को कंप्यूटरीकृत करने का काम जारी रहा तथा कंप्यूटरीकरण के दौरान पेश आई कठिनाइयों और कमियों को एनआईसी, योजना भवन यूनिट की मदद से दूर किया गया ।

2. इस बात को देखते हुए कि योजना आयोग का विभागीय अभिलेख कक्ष कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 तथा सार्वजनिक अभिलेख नियमावली, 1997 में बताए गए तथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रखा जाता है इसलिए यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के लिए एक आदर्श है। उत्कृष्ट कार्यकरण और निर्धारित मानदंडों के अनुसार काम करने के लिए इसकी प्रशंसा भी की जाती है।

3. 31 दिसम्बर, 2006 और 30 जून, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छमाही विवरणियां और फार्म-5 तथा फार्म-1 आदि जैसी वार्षिक विवरणियां संकलित की गईं और समय पर भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजी गई।

4.33.8 योजना अयोग क्लब

1. योजना आयोग क्लब की प्रबंध समिति का 15. 2.2007 को सर्वसम्मति से चुनाव हुआ और क्योंकि वर्ष 2006-07 के लिए टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए कोई समय शेष नहीं रह गया था इसलिए 2003-04 के टूर्नामेंट विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय किया गया जो उस वर्ष प्रदान नहीं किए जा सके थे ।

2. कैरम और टेबल टेनिस जैसे खेलों के लिए खिलाड़ियों को ये खेल खेलने के लिए, क्लब की बजटीय तंगी को देखते हुए सुविधाएं और सामग्री प्रदान की गई ।

3. प्रबंध समिति ने 18 मई से 20 मई, 2007 तक देहरादून-ऋषिकेष और हरिद्वार की यात्रा करने के लिए प्रयास किए किन्तु अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों द्वारा इच्छा व्यक्त न किए जाने पर, दौरे को रद्द करना पड़ा । बाद में, आगरा-मथुरा-वृंदावन का दौरा आयोजित किया गया । क्लब को स्टाफ सदस्यों से अपार सहयोग प्राप्त हुआ । तदनुसार, 21.9.2007 से 23.9.2007 तक एक दौरा आयोजित किया गया। कुल 59 सदस्यों ने, जिनमें उनके परिवार सम्मिलित थे, इस दौरे में भाग लिया। 22.9.2007 को रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, वृंदावन में रात्रि आवास की व्यवस्था की गई, जिन्होंने पौष्टिक भोजन की भी व्यवस्था की तथा अनुरोध किए जाने पर प्रतिभागियों का महत्वपूर्ण मंदिरों का दौरा करने के लिए मार्गदर्शन किया । प्रतिभागियों के लिए यह बहुत ही जानकारीपूर्ण और आनंददायक दौरा था ।

4. योजना आयोग क्लब ने 1.2.2008 को 10.30 बजे समिति कक्ष में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया ।

5. सचिव, योजना आयोग (डॉ0 सुभाष पाणी) ने, 2003-04 के दौरान आयोजित विभिन्न खेलों/एथलेटिक खेलों के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए । योजना आयोग/पीईओ के लगभग 175 अधिकारियों और स्टाफ ने समारोह में भाग लिया।

4.33.9 कल्याण यूनिट

1. अपने कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल करने के लिए योजना आयोग में एक कल्याण यूनिट काम कर रहा है। कल्याण यूनिट योजना आयोग के अधिकारियों/स्टाफ के लिए प्राथमिक सहायता की व्यवस्था करता है। साथ ही यह यूनिट नेमी बीमारियों, जैसेकि सिरदर्द, पेट दर्द आदि के लिए आम दवाइयां भी मुहैया कराता है। योजना आयोग के कर्मचारियों को सप्ताह में दो बार निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श प्रदान किया जाता है। आपात स्थिति में जैसेकि दुर्घटना/अन्य परिस्थितियों में कल्याण यूनिट सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है और उन्हें चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल ले जाता है। सहायक कल्याण अधिकारी उन परिवारों के कर्मचारियों के घरों का दौरा करते हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई हो तथा सभी संभव मदद प्रदान करते हैं। कल्याण यूनिट उन मृत कर्मचारियों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने में मदद देता है जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा जो योजना आयोग कर्मचारी कल्याण निधि सोसायटी के सदस्य होते हैं। कार्यकाल के दौरान मरने वाले कर्मचारियों की स्मृति में कार्यालय में शोक सभाओं का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह यूनिट अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के विदाई समारोह का आयोजन भी करता है।

2. इसके अलावा कल्याण यूनिट निम्नलिखित राष्ट्रीय समारोह आयोजित करता हैः

- शहीद दिवस
- आतंकवाद-विरोधी दिवस
- सद्भावना दिवस
- कौमी एकता दिवस
- झंडा दिवस और सांप्रदायिक तालमेल बढ़ाने के लिए निधि जुटाने की व्यवस्था
- सशस्त्र सेना झंडा दिवस तथा निधि इकट्‌ठी करने के लिए व्यवस्था

3. 1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 तक कल्याण यूनिट ने अपने सामान्य कार्यकलाप के अलावा, निम्नलिखित कार्यकलाप भी आयोजित किए :

1. योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 28.5.2007 से 1.6.2007 तक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।

2. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन का शताब्दी वर्ष 1.10.2007 को मनाया। महात्मा गांधी के जीवन पर एक वार्ता शो/संवाद भी 1.10.2007 को आयोजित किया गया और तीन प्रतिभागियों को क्रमशः 2000/- रुपए, 1000/- रुपए और 500/- रुपए के नकद पुरस्कार और सभी वक्ताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए ।

3. भवन की तीसरी और दूसरी मंजिल पर क्रमशः एक फल स्टाल व नेस्केफ काउंटर भी चल रहा है।

4. 25 नवम्बर, 2007 को सामुदायिक तालमेल फ्लेग दिवस के अवसर पर योजना आयोग के अधिकारियों/स्टाफ से 5789.00 रुपए और अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) के अधिकारियों/स्टाफ से 1475.00 रुपए एकत्र किए गए ।

5. 7 दिसम्बर, 2007 को सशस्त्र सेना फ्लेग दिवस के अवसर पर योजना आयोग के अधिकारियों/स्टाफ से 5793.00 रुपए और अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) से 652.00 रुपए एकत्र किए गए ।

कल्याण यूनिट, टी बोर्ड, काफी बोर्ड, भूतपूर्व

कर्मचारी सहकारी समिति सोसायटी, फल चाट स्टाल, केन्द्रीय भंडार, डीएमएस स्टाल आदि से संबंधित कामकाज की भी देखभाल करता है ।

साथ ही कल्याण यूनिट योजना आयोग कर्मचारियों की कल्याण निधि सोसायटी और विभागीय कैंटीन को भी सेवाएं प्रदान करता है।

योजना आयोग कर्मचारी कल्याण निधि सोसायटी

4. योजना आयोग कर्मचारी कल्याण निधि सोसायटी अगस्त, 1997 से काम कर रही है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। योजना आयोग, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सभी कर्मचारी, जिनमें अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी शामिल हैं, सोसायटी के सदस्य बन सकते हैं। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सोसायटी के कुल सदस्यों की संख्या 699 है।

5. मासिक अंशदान जोकि वेतन काट लिया जाता है राजपत्रित, अराजपत्रित तथा श्रेणी घ कर्मचारियों के लिए क्रमशः 20 रुपए, 15 रुपए और 10 रुपए है। सदस्यों द्वारा दिए गए कुल अंशदान में से दो तिहाई भाग उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति पर वापिस लौटा दिया जाता है। सोसायटी को योजना आयोग से वार्षिक सहायता अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2006-07 के लिए इसे सहायता अनुदान के रूप में 13,820 रुपए का सहायता अनुदान मंजूर किया गया।

6. किसी सदस्य की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में सोसायटी परिवार को तुरंत वित्तीय राहत प्रदान करती है और लंबी बीमारी के मामले में सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 8 वर्षों की थोड़ी सी अवधि के दौरान सोसायटी ने उसके सदस्य की मृत्यु के मामले में राहत की राशि 2500 रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए और लंबी बीमारी के मामले में 500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी है। इसके अलावा सोसायटी सदस्य के पति/पत्नी की मृत्यु/बीमारी के मामले में भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है बशर्ते कि पति-पत्नी के संबंध में मासिक अंशदान दिया गया हो।

7. 1 जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के दौरान सदस्यों को चिकित्सीय राहत के रूप में 28000 रुपए की राशि प्रदान की गई, मृत्यु होने पर मृत सदस्यों के परिवारों को 1,25,000 रुपए की वित्तीय राहत प्रदान की गई ।

विभागीय कैंटीन

8. स्टाफ कल्याण के एक उपाय के रूप में योजना आयोग के कर्मचारियों को उचित दरों पर स्वच्छ रूप से तैयार भोजन, स्नैक और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए एक विभागीय कैंटीन खोली गई है। यह विभागीय कैंटीन किसी लाभ अथवा हानि के बिना काम कर रही है।

9. योजना आयोग में यह विभागीय कैंटीन अक्तूबर, 1961 से काम कर रही है। विभागीय कैंटीन में कार्यरत स्टाफ को 1 अक्तूबर, 1991 से सरकारी कर्मचारियों के रूप में घोषित कर दिया गया है। विभागीय कैंटीन के खातों की प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा कराई जाती है । कार्यालय समय के बाद काम करने वाले कर्मचारियों को चाय, स्नैक प्रदान करने के लिए तीन बैरे कार्यालय समय के बाद शाम को 7 बजे तक ड्यूटी पर लगाए गए हैं।

10. दीवाली के त्योहार के मौके पर योजना आयोग के कर्मचारियों के लिए विशेष मिठाइयां तैयार करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई।

11. विभागीय कैंटीन की देखभाल एक प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है । इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं, जिनमें इसके कामकाज की समीक्षा की जाती है तथा सुधार संबंधी अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाता है ।

12. सफाई और स्वच्छता स्थिति बनाए रखने की देखभाल तथा प्रयुक्त सामग्री की कोटि/मात्रा व तैयार होने वाली मदों पर निगरानी एक उप-समिति द्वारा की जाती है।

13. कैंटीन परिसर के पूर्ण जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है ।

4.33.10 चार्ट, नक्शे तथा उपकरण यूनिट

योजना आयोग का चार्ट, नक्शा एवं उपकरण यूनिट कार्यालय के अंदर एवं बाहर दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज और साथ ही विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों तथा औपचारिक क्रियाकलापों को आयोजित कराने के लिए तकनीकी और उपकरण संबंधी सहायता उपलब्ध कराता है। यूनिट के पास कार्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न आधुनिक उपकरण मौजूद हैं:

(क) इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैपटाप

(ख) आयोजित बैठक, प्रस्तुतियों तथा अन्य जानकारी को दर्शाने के लिए प्लाज्मा स्क्रीन श्रव्य-दृश्य प्रणाली

(ग) रंगीन लेजर प्रिंटर

(घ) स्कैनिंग मशीन

(ड.) टीवी तथा वीसीआर

(च) पेजमेकर-6.5, 7, फोटोशाप-6, 7 तथा कोरल ड्रा-10, 11, 12 साफ्टवेयर सहित पेंटियम-4 कंप्यूटर

(छ) ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर

(ज) रंगीन फोटोकापियर

(झ) लैमिनेशन मशीनें

(ञ) हैवी ड्यूटी फोटोकापियर तथा डिजिटल स्कैनर और प्रिंटर मशीनें

(ट) स्पाइरल बाइंडिंग, स्ट्रिप बाइंडिंग तथा पिन बाइंडिंग आदि सहित बाइंडिंग मशीनें ।

2. इस यूनिट द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलाप संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष के दौरान प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों के कवर पृष्ठ डिजाइन तैयार किए, यथा वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए कार्यदल पत्र "चुनौतियां तथा वैश्वीकरण के अवसर" का पुस्तक कवर डिजाइन तैयार किया । प्रधानमंत्री के भाषण का कवर, कवर डिजाइन तथा प्रदर्शन कार्ड/एनडीसी बैठकों के लिए शीर्षक तैयार किए, जो योजना आयोग द्वारा 29 मई, 2007 को आयोजित की गई थी । 11वीं योजना "कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे" रिपोर्ट के लिए कवर पृष्ठ का डिजाइन, "भू-जल प्रबंधन और स्वामित्व" पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का कवर डिजाइन किया ।

- कोरल ड्रा 12 पर "इंडिया मेप" - डीएसएलपी - प्रायोगिक आईआईटी/आईआईएम दर्शाते हुए "मेप ऑफ इंडिया" तैयार किया ।
- भारत में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय संस्थान दर्शाते हुए "मेप आफ इंडिया" तैयार किया ।
- एसएएस नगर, मोहाली नगर के नक्शे का संपादन और मुद्रण ।
- योजना आयोग के संगठनात्मक चार्ट (अंग्रेजी और हिन्दी में) सलाहकार स्तर और अनुभाग अधिकारी स्तर तक, कार्य के आबंटन सहित । इसके साथ ही, सशक्तिकरण संबंधी कोर समूह और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के लिए भी संगठनात्मक चार्ट तैयार किए ।
- वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से आयोजित बैठकों/सेमिनारों के लिए नाम प्रदर्शन कार्ड तैयार किए ।
- योजना आयोग राज्यमंत्री, उपाध्यक्ष/सदस्य/प्रधान सलाहकार, योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के उपयोगार्थ बैठकों/सेमिनारों की रंगीन ट्रांसपेरेन्सीज तैयार की ।
- हिन्दी पखवाड़े में भाग लेने वालों के लिए हिन्दी में प्रमाण पत्रों की डिजाइनिंग और मुद्रण ।
- प्लांट्स के चित्र तैयार किए ।
- एक सहायता-अनुदान रजिस्टर की डिजाइनिंग और मुद्रण ।
- उपाध्यक्ष कार्यालय के आमंत्रण कार्डों पर सुलेख कार्य ।
- बैठकें/सेमिनार/सम्मेलन आदि में भाग लेने वाले अधिकारियों की बैठने की योजना व्यवस्था दर्शाने वाले चार्ट तैयार किए ।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आठवीं योजना व्यय, दसवीं योजना व्यय के संबंध में शिक्षा क्षेत्रक के लिए चार्ट डिजाइन किए ।
- प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले "-अपर प्राइमरी कक्षा (6-8), प्राइमरी कक्षा (1-5), प्रारंभिक (कक्षा 1-8) के ग्राफिक चार्ट-11वीं पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए तैयार किए । दसवीं योजना के दौरान, वर्तमान कीमतों पर परिव्यय और व्यय, 1993-94 कीमतों पर जीएसडीपी, छत्तीसगढ़ का योजना निष्पादन, पिछले वर्षों की तुलना में विकास के ग्राफों का निर्माण ।
- योजना आयोग/कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन/पश्चिम घाट के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए पहचान-पत्र तैयार किए तथा उनका लेमिनेशन किया ।
- सरकारी दस्तावेजों की स्केनिंग और मुद्रण । योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के लिए विभिन्न फोटो और कलर प्रिंटिंग की स्केनिंग की ।
- योजना भवन के लिए कार और स्कूटर पार्किंग लेबलों (स्टीकरों) की डिजाइनिंग ।
- योजना आयोग के फोटोकॉपी के नेमी कार्य के अलावा, यूनिट ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में), दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की प्रतियों के मुद्रण से सम्बद्ध अतिरिक्त कार्य भी वर्ष के दौरान किया ।
- हैवी ड्यूटी फोटोकॉपियर, डिजिटल स्केनर-सह-प्रिंटर (कलर और मोनो) के लिए नमूने ।
- फोटोकापियरों, कलर फोटोकापियरों और कलर प्रिंटों आदि के एएमसी बिलों का प्रमाणीकरण ।
- यूनिट ने आलोच्य वर्ष के दौरान उपस्कर इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन बोर्डों, प्लाज़मा स्क्रीनों, लेपटॉप, टी.बी. और वीसीआर, ओवरहेड प्रोजेक्टरों और फोटोकापियरों की भी हैंडलिंग और प्रचालन किया ।

4.33.11 सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ

योजना आयोग में आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना अक्तूबर, 2005 में की गई थी । यह योजना भवन के भूतल पर स्थिति "सूचना द्वार" में कार्य कर रहा है । योजना आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर एक पृथक संयोजन "आरटीआई अधिनियम" है । दर्शकों/ग्राहकों की सुविधा के लिए "सूचना द्वार" ने ऑनलाइन प्रश्नों को पूरा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं । वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2007 तक आरटीआई प्रकोष्ठ में 12 पूछताछ प्राप्त हुई तथा सभी का उत्तर दिया गया ।

अध्याय 5

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

संगठन

भारत में आयोजना की अवधारणा शुरू होने से ही वैविध्यपूर्ण भू-जलवायु स्थितियों से युक्त एक विशिष्ट स्थिति में तथा भारतीय राज्यों की बहुविध समाजार्थिक विशेषताओं के चलते कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक स्कीमें और कार्यकमों की सुधरी योजना कैसे तैयार की जाएं-यह बात योजना निर्माताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती रही है । इस चुनौती का सामना करने के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) को विकास कार्यक्रमों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी ताकि मूल्यांकन परिणामों का उपयोग योजना का निर्माण करने तथा सेवाओं में सुधार के लिए हो सके ।

तदनुसार, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य गहन क्षेत्र विकास स्कीमों का मूल्यांकन करने के विशिष्ट उद्देश्य से योजना आयोग के सामान्य मार्गदर्शन तथा निदेशों के तहत, एक स्वतंत्र संगठन के रूप में अक्तूबर, 1952 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया था । विभिन्न क्षेत्रों जैसे, कृषि, सहकारिता, ग्रामोद्योग, मत्स्य उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक वानिकी इत्यादि योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के विस्तारीकरण से, पीईओ द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन कार्य का धीरे-धीरे अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तक विस्तार किया गया ।

कार्य

2. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कहने पर प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययन, कार्य-निष्पादन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, आपूर्ति प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये अध्ययन प्रकृति से नैदानिक होते हैं और इनका उद्देश्य ऐसे कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से विभिन्न कार्यक्रम सफल तथा/अथवा असफल हुए और इसके साथ ही मध्यावधिक सुधार करके तथा भावी कार्यक्रमों के बेहतर डिजाइन बनाकर मौजूदा स्कीमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के सबक सीखना भी इनका उद्देश्य है।

मूल्यांकन अध्ययन

3. पीईओ सम्वर्ती और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करता है । सम्वर्ती मूल्यांकन अध्ययन, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए आयोजित किए जाते हैं । ये अध्ययन, विभिन्न कार्यान्वयन समस्याओं की जांच/आकलन करने के लिए और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान पेश आई समस्याओं के व्यावहारिक समाधानों की पहचान करने के लिए, कार्यान्वयन स्तर पर आयोजित किए जाते हैं ।

चुनिंदा परियोजनाओं के संबंध में प्रभाव अध्ययन, परियोजनाओं को पूरा हो जाने के बाद अथवा तब किए जाते हैं जब प्रत्याशित लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं । इन अध्ययनों से कार्यक्रम के उद्देश्यों की दृष्टि से लाभों की मात्रा का पता लगाने, लाभों के प्राप्तकर्ताओं व प्राप्त न करने वालों का विनिर्धारण करने, प्रभाव में भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारकों का विनिर्धारण करने तथा डिजाइन सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन की कमजोरियों पर काबू पाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने में मदद मिलती है ।

संगठनात्मक ढांचा

4. पीईओ मुख्यतः एक फील्ड स्तरीय संगठन है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समग्र प्रभार के अधीन है। इसका तीन स्तरीय ढांचा है जिसका मुख्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली में है। मध्य स्तर पर क्षेत्रीय मूल्यांकन

कार्यालय हैं जबकि इसकी अगली कड़ी फील्ड यूनिट है जो परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के नाम से जाने जाते हैं।

मुख्यालय

5. पीईओ मुख्यालय में संगठन सलाहकार (मूल्यांकन) की अध्यक्षता में काम करता है जिसकी सहायता के लिए सलाहकार, निदेशक/उप-सलाहकार अपने सहयोगी स्टाफ के साथ सुलभ रहते हैं। प्रत्येक अधिकारी अध्ययन डिजाइन तैयार करने, अध्ययन आयोजित करने तथा सलाहकार (मूल्यांकन) के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में पीईओ के क्षेत्रीय यूनिटों के माध्यम से इकट्ठा किए गए डाटा के विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है।

क्षेत्रीय कार्यालय

6. पीईओ की 15 क्षेत्रीय यूनिट हैं- 7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आरईओ) तथा 8 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (पीईओ) हैं। निष्पादन तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के लिए ग्राम और परिवार स्तर पर प्राथमिक डाटा सृजित करना तथा राज्य, जिला, ब्लाक और ग्राम स्तरों पर स्थित कार्यान्वयन तंत्रों के विभिन्न नोडों से डाटा को संसाधित करना जरूरी है। पीईओ के क्षेत्रीय यूनिट यह सुनिश्चित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि मूल्यांकन अध्ययनों में प्रयुक्त प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े ग्रासरूट यथार्थ का प्रतिनिधित्व करते हों। क्योंकि मूल्यांकन निष्कर्षों को योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा कार्यरूप दिया जाना होता है इसलिए नैदानिक तथा प्रभाव अध्ययनों के लिए सृजित आंकड़ों की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मूल्यांकन अध्ययनों में पीईओ के क्षेत्रीय यूनिट सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पीईओ का अभिविन्यास संलग्नक में दिया गया है।

पुस्तकालय

7. पीईओ मुख्यालय का अपना पुस्तकालय (तकनीकी) है, जहां अध्ययनों के डिजाइनिंग/कार्यशील बनाने के लिए अपनाए जाने वाले मूलयांकन तकनीकों के संबंध में संदर्भ पुस्तकें व मूल्यांकन से संबद्ध अन्य प्रकाशन हवाले के लिए रखे जाते हैं। मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रतियां भी पुस्तकालय में संदर्भ-प्रयोजनार्थ रखी जाती हैं।

मूल्यांकन क्षमता

8. यद्यपि मूल्यांकन निष्कर्षों का आयोजना प्रक्रिया में इनपुट के रूप में, विशेष रूप से आयोजना के प्रथम दो दशकों के दौरान, लाभदायक रूप से इस्तेमाल किया गया किन्तु पिछले वर्षों के दौरान योजना निर्माताओं और विकास प्रशासकों से मूल्यांकन अध्ययनों की मांग समाप्त हो गई। मूल्यांकन, कुल मिलाकर लगभग "स्टैंड अलोन" कार्यकलाप बन गया है । इस प्रकार, मूल्यांकन क्षमता विकास (ईसीडी) बना नहीं रहा और मूल्यांकन संगठनों की शक्तियां क्षीण हो गई । यद्यपि सभी राज्यों में राज्य मूल्यांकन संगठनों (एसईओ) की स्थापना की गई थी तथापि, अब वे केवल कुछ राज्यों में ही सक्रिय हैं ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्रक विकास स्कीमों के लिए मानीटरन और मूल्यांकन पद्धति के सुदृढ़ीकरण हेतु संचालन समिति

9. प्रभावी सेवा प्रणाली के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, और उत्तम शासन कायम करने के लिए मानीटरन और मूल्यांकन पद्धति को सुदृढ़ बनाने की जरूरत को समझते हुए, एक उच्च अधिकार-प्राप्त समिति गठित करके देश में विद्यमान एम और ई पद्धति के सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त उपायों का पता लगाना जरूरी समझा गया । तदनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक क्षेत्रक विकास स्कीमों के लिए मानीटरन और मूल्यांकन पद्धति के सुदृढ़ीकरण हेतु एक संचालन समिति, प्रोफेसर अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में मई, 2006 में गठित की गई ।

संचालन समिति की पहली बैठक, प्रोफेसर अभीजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 26.6.2006 को आयोजित हुई, जिसमें अध्यक्ष ने कार्यक्रमों का उन एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन और सुव्यवस्थित मानीटरन आयोजित करने पर बल दिया जो व्यावसायिक दक्षताओं से सज्जित हैं । विकास कार्यक्रम के लिए बेंचमार्क डाटा की उपलब्धता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, जिनके मुकाबले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के निष्पादन का मापन किया जा सकता है, उन्होंने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रमों का सघन मूल्यांकन आयोजित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों के मूल्यांकन संगठनों की मूल्यांकन क्षमता को

सुदृढ़ करने की जरूरत दोहराई । कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वसनीय मूल्यांकन सूचना एकत्र करने और प्रभावी मूल्यांकन निष्कर्ष सृजित करने में राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान संस्थानों को शामिल किया जा सकता है ।

इसके अलावा, दो उप समितियां, एक डॉ0 (श्रीमती) रेणुका विश्वनाथन, तत्कालीन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में और एक डॉ0 एस.एस. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की अध्यक्षता में क्रमशः निम्न प्रयोजनार्थ गठित करने का निर्णय लिया गया : (क) सरकार में मूल्यांकन क्षमता का अध्ययन करना; और (ख) सामाजिक क्षेत्रक विकास मंत्रालयों में विद्यमान एम एंड ई पद्धतियों की समीक्षा ।

कुल मिलाकर, उप समितियों की सात बैठकें (तीन सामाजिक क्षेत्रक विकास मंत्रालयों में विद्यमान मूल्यांकन पद्धतियों संबंधी उप-समिति की तथा चार सरकार में क्षमता के मूल्यांकन संबंधी उप-समिति की) बुलाई गई, जिनमें मानीटरन और मूल्यांकन के लिए विद्यमान पद्धति के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ तथा संबंधित उप-समिति की रिपोर्टों में शामिल किए जाने के वास्ते मुद्दों का विनिर्धारण किया गया । दोनों उप-समितियों की रिपोर्टें प्राप्त होने पर, संचालन समिति की दूसरी बैठक 24.1.2007 को आयोजित की गई । उप-समिति में जिन विषयों पर विचार किया गया तथा जो सिफारिश की गई, उन पर बैठक में चर्चा हुई । बाद में, उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर संचालन समिति की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया । संचालन समिति की तीसरी बैठक, रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा करने के लिए 18.5.2007 को आयोजित हुई । बैठक के विचार-विमर्श के आधार पर, रिपोर्ट के मसौदे को तदनुसार संशोधित किया गया ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानीटरन और मूल्यांकन का सुदृढ़ीकरण

10. संचालन समिति की मुख्य सिफारिशें, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों के लिए परिव्ययों में वृद्धि करने के साथ-साथ, मानीटरन और मूल्यांकन पद्धतियों, डिजाइनों और संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण की भी जरूरत है, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख में सम्मिलित हैं। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सुदृढ़ किया जाएगा । विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के एम और ई कार्यकलापों के समन्वयन हेतु पीईओ को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा ।

इसके अलावा, योजना दस्तावेज में यह भी नोट किया गया कि पीईओ की वर्तमान कमजोरियों और इससे भी बुरी राज्य मूल्यांकन संगठनों (एसईओ) की स्थिति को देखते हुए, ग्यारहवीं योजना के दौरान विद्यमान संगठनों का पुनर्गठन करना आवश्यक है ।

ग्यारहवीं योजना में देश में एम और ई पद्धति की प्रमुख कमियों का भी विनिर्धारण किया गया है तथा प्रत्येक कमजोरी के बारे में उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है, जो निम्न प्रकार हैं।

(1) बेसलाइन डाटा का अभाव

बहुत-सी स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में बेसलाइन डाटा उपलब्ध नहीं है, जो कार्यक्रम के परिणाम और प्रभाव के निष्पादन संकेतकों को मापने में एक बाधा है ।

जहां तक संभव हो, नई स्कीमें, बेसलाइन निर्धारित होने के बाद ही अनुमोदित की जानी चाहिए ।

(2) अनुपयुक्त संकेतकों का विनिर्धारण

लगभग सभी मामलों में कार्यक्रम की प्रक्रिया और परिणाम, संगत जानकारी एकत्र करने के लिए उपयुक्त रूप से विनिर्धारित नहीं किए जाते, जिससे मानीटर किए गए डाटा का सार्थक विश्लेषण करने का प्रयास कठिन हो जाता है ।

नई स्कीमों में ऐसे संकेतकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जिनका मानीटरन किया जा सके ।

(3) एम और ई परिणामों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं

मानीटरन और मूल्यांकन हेतु प्रत्येक वर्ष निधियों के कुल आबंटन का कुछ प्रतिशत विनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फ्लैगशिप कार्यक्रम में एक अंतःनिर्मित पद्धति लागू है । फिर भी, इन कार्यक्रमों के मानीटरन और मूल्यांकन के परिणामों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई का अत्यंत अभाव है ।

इन-हाउस मानीटरन के परिणामों का एक पारदर्शी डाटा संग्रहस्थल होना चाहिए, जिसका उपयोग स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जा सके ।

(4) डाटा विश्लेषण के लिए कोई पद्धति नहीं

मानीटर की गई सूचना का विश्लेषण करने के लिए कार्यक्रमों में कोई अंतः निर्मित पद्धति लागू नहीं की गई है ।

इस प्रयोजनार्थ प्रायोगिक स्कीमों के परिणामों का उपयोग करके, कार्यक्रम घटकों के समुचित प्रभाव विश्लेषण सहित, इस पहलू पर ग्यारहवीं योजना में बल दिया जाना चाहिए । इसके लिए, बाहरी शासन का दोहन करने की जरूरत होगी ।

(5) मूल्यांकन की कोटि सुधारना

स्कीमों/कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभाव में सुधार करने के लिए प्रभावी निष्कर्षों के साथ स्वतंत्र मूल्यांकन की कोटि में सुधार करने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है ।

मूल्यांकन की कोटि में सुधार करने के लिए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में सुझाव दिया गया है कि पीईओ और एसईओ को ऐसी मूल्यांकन क्षमता के साथ नेटवर्किंग विकसित करनी चाहिए, जो सरकार से बाहर विद्यमान है । इसके अलावा, मूल्यांकन पर पुनः दिए गए महत्व को देखते हुए एक नई केन्द्रीय योजना स्कीम, नामतः सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण वर्ष 2006-07 में प्रारंभ की गई थी । वर्ष 2007-08 के लिए स्कीम हेतु 26 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसे विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का उत्तम मूल्यांकन आयोजित करने के लिए ग्यारहवीं योजना में पर्याप्त रूप से बढ़ाया यजाएगा, जिससे निष्पादन, अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता, संधारणीयता और विकास उपाय की संगतता से संबंधित बड़ी संख्या में मुद्दों का समाधान होगा ।

मूल्यांकन हेतु योजना स्कीम

11. एक केन्द्रीय योजना स्कीम "सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण" वर्ष 2006-07 में 8.55 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन के साथ लागू की गई थी । वर्ष 2007-08 में इस स्कीम हेतु बजट आबंटन 26 करोड़ रुपए है । स्कीम का मुख्य उद्देश्य योजना निर्माताओं/आयोजनकर्ताओं के लिए तुरंत और उपयोगी मूल्यांकन सूचना उपलब्ध कराना है । विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के उत्तम मूल्यांकन से न केवल सरकारी क्षेत्रक निष्पादन में सुधार होगा बल्कि अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता, प्रभाविकता, संधारणीयता और सरकारी क्षेत्रक वित्तपोषण की संगतता और विकास उपाय से संबंधित अनेक मुद्दों का भी समाधान होगा ।

क्षमता निर्माण

12. मूल्यांकन क्षमता विकसित करने तथा मूल्यांकन साधनों के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी में वृद्धि करने के लिए, पीईओ ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से 25 और 26 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में एक "मूल्यांकन की कोटि सुधारने के संबंध में तकनीकी कार्यशाला" आयोजित की । इस कार्यशाला में भारत और विदेश से नीति निर्माताओं और मूल्यांकनकर्ताओं ने भाग लिया ।

इसके अलावा, मूल्यांकन के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए दो क्षेत्रकीय कार्यक्रम - भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा मई, 2007 में बारापानी, मेघालय में और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) द्वारा जून, 2007 में रांची में, आयोजित किए गए ।

मूल्यांकन अध्ययनों का प्राथमिकताकरण

13. उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) ने, पीईओ द्वारा अपने ही संसाधनों से अथवा आउटसोर्सिंग के जरिए किए जाने वाले 30 मूल्यांकन अध्ययनों का प्राथमिकताकरण किया है ।

पीईओ द्वारा 2007-08 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें

14. वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित मूल्यांकन रिपोर्टें और सारसंग्रह प्रकाशित किए गए :

(1) केरल में विकेन्द्रीकृत योजना अनुभव पर मूल्यांकन रिपोर्ट ।

(2) सारदा सहायक परियोजना पर मूल्यांकन रिपोर्ट ।

(3) पीईओ में विकास मूल्यांकन और इसके प्रभाव (खंड II) ।

(4) मूल्यांकन अध्ययनों का संग्रह, 1999-2006 (खंड 5) ।

डीईएसी द्वारा प्राथमिकता प्रदत्त मूल्यांकन अध्ययनों की स्थिति

15. डीईएसी द्वारा अपनी 17 जनवरी, 2007 को आयोजित बैठक में जिन मूल्यांकन अध्ययनों को प्राथमिकता प्रदान की गई, उनकी स्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	11.12.07 को मूल्यांकन अध्ययन की स्थिति
1.	पका-पकाया मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम)	डाटा एंट्री प्रगति पर है ।
2.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा इसके जनवरी, 2008 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है ।
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस)	रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा इसके जनवरी, 2008 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है ।
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	मूल्यांकन डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है ।
5.	सर्व शिक्षा अभियान	मूल्यांकन डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है । अनुसूचियों का पूर्व-परीक्षण जनवरी, 2008 में किया जाएगा ।
6.	एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस)	आईसीडीएस के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रिम करने की बोली जारी कर दी गई है। जिस संस्थान को मूल्यांकन का कार्य सौंपा जाएगा, उसका अंतिम चयन जनवरी, 2008 में किया जाएगा ।
7.	गामीण सड़कें	क्षेत्र स्टाफ का अनुस्थापन नवम्बर, 2004 में किया गया था। डाटा एकत्रीकरण और क्षेत्र कार्य दिसम्बर, 2007 के अंत तक शुरू किया जाएगा।
8.	ग्रामीण आवासन	अध्ययन का मूल्यांकन डिजाइन तैयार करने का काम प्रगति पर है ।
9.	राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।
10.	राष्ट्रीय सम विकास योजना	आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा मूल्यांकन कार्य करने के लिए संस्थान का चुनाव कर लिया गया है।

चल रहे अन्य अध्ययनों की स्थिति

16. निम्नलिखित अध्ययन पूर्णता के विभिन्न चरणों पर हैं :

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	मूल्यांकन अध्ययन की स्थिति
1.	पश्चिम घाट का विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र कार्य प्रगति पर है ।
2.	अनुसूचित जाति लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण	मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा प्रगति पर है।
3.	उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधिक कार्रवाई योजना	रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
4.	जम्मू और कश्मीर के चार मिलिटेंसी प्रभावित जिलों में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का मूल्यांकन	अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही जारी होने वाली है ।
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही जारी होने वाली है ।
6.	हथकरघा बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम	मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा प्रगति पर हे ।

पीईओ के अन्य कार्यकलाप

17. योजना आयोग के एसईआर प्रभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अध्ययनों के अनुमोदनार्थ योजना आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में पीईओ, प्रायोजित अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार अध्ययन डिजाइनों की जांच कर रहा है । वर्ष 2007-08 के दौरान 8 स्कीमों के संबंध में अध्ययन डिजाइनों की जांच की गई तथा उनकी क्रियाविधि के संबंध में पीईओ की टिप्पणियां एसईआर प्रभाग को भेजी गई ।

पीईओ द्वारा आयोजित दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम

18. दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र कार्य आयोजित करने के लिए एक जरूरी कार्य है । अध्ययनों के परियोजना निदेशकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से पृष्ठभूमि सामग्री इकट्ठा कर लेंगे जिससे कि क्षेत्र में शुरू किए जाने के लिए अध्ययनों के डिजाइन तैयार किए जा सकें। पीईओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को यह समझाने के लिए कि क्षेत्र में अध्ययन कैसे किया जाए व्यापक चर्चा के लिए दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संगत वर्ष के दौरान निम्नानुसार दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- ग्रामीण सड़कों के संबंध में अध्ययन आयोजित करने के लिए पीईओ (मुख्यालय), नई दिल्ली में नवम्बर, 2007 में दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- “पश्चिमी घाट और पर्वतीय क्षेत्र विकास स्कीम" पर अध्ययन आयोजित करने के लिए सितम्बर, 2007 में तिरुवनंतपुरम में दिशा-अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

संलग्नक

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का अभिविन्यास

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आरईओ) का नाम	संबद्ध परियोजना मूल्यांकन कार्यालय से संबंधित क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय	संबंधित आरईओ/पीईओ के अधीन आने वाले राय/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
I. पूर्वी क्षेत्र 1. आरईओ, कोलकाता	पीईओ, गुवाहाटी तथा पीईओ, भुवनेश्वर	1. अरुणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नागालैंड 7. उड़ीसा 8. सिक्किम 9. त्रिपुरा 10. पश्चिमी बंगाल 11. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
II. उत्तरी क्षेत्र 2. आरईओ, चण्डीगढ़	पीईओ, शिमला	1. हरियाणा 2. हिमाचल प्रदेश 3. जम्मू तथा काश्मीर 4. पंजाब 5. चण्डीगढ़ 6. दिल्ली
III. दक्षिणी क्षेत्र 3. आरईओ, चेन्नई	पीईओ, तिरुवनंतपुरम	1. केरल 2. तमिलनाडु 3. लक्षद्वीप 4. पाण्डिचेरी
IV. दक्षिणी मध्य क्षेत्र 4. आरईओ, हैदराबाद	पीईओ, बंगलौर	1. आंध्र प्रदेश 2. कर्नाटक
V. मध्य क्षेत्र 5. आरईओ, जयपुर	पीईओ, भोपाल	1. मध्य प्रदेश 2. छत्तीसगढ़ 3. राजस्थान
VI. उत्तरी मध्य क्षेत्र 6. आरईओ, लखनऊ	पीईओ, पटना	1. बिहार 2. झारखंड 3. उत्तर प्रदेश 4. उत्तरांचल
VII. पश्चिमी क्षेत्र 7. आरईओ, मुंबई	पीईओ, अहमदाबाद	1. गोवा 2. गुजरात 3. महाराष्ट्र 4. दादर व नागर हवेली 5. दमन व दीव

अध्याय 6

सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

1. योजना आयोग का सतर्कता एकक, सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जैसेकि "समूह क" "समूह ख", समूह "ग" अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा की कमी संबंधी मामले। साथ ही यह एकक पदोन्नति के समय सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करता है, बाहरी नौकरियों/पासपोर्टो के लिए आवेदन-पत्र अग्रेषित करने, स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने आदि पर सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, योजना आयोग से कार्यमुक्त होने और इसे परामर्श के लिए भेजे गए अन्य अनुशासनात्मक मामलों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए भी जिम्मेदार है।

2. क्योंकि योजना आयोग एक ऐसा विभाग है जिसका जनता के साथ सीधा वास्ता नहीं पड़ता इसलिए भ्रष्टाचार, कदाचार की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। अप्रैल से दिसम्बर, 2006 के दौरान एकक में प्राप्त हुई सिफारिशों की जांच की गई और उनका निपटान किया गया। प्रशासन प्रभाग द्वारा भेजे गए मामलों पर आवश्यक सलाह दी गई।

3. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित मुकदमे 1992 की रिट याचिका संख्या (आपराधिक) 666-07 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार योजना आयोग में यौन उत्पीड़न पर एक शिकायत तंत्र समिति का गठन किया गया। इस विषय पर आचरण नियमावली के संगत प्रावधान, योजना आयोग में व्यापक रूप से परिचालित किए गए। अप्रैल-दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान समिति को एक शिकायत की रिपोर्ट की गई तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग रिपोर्ट पर अपेक्षित कार्रवाई कर रहा है ।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा संबंधी अभिमत

1. 2007 की रिपोर्ट संख्या 1

परिशिष्ट VI-डी के साथ पठित पैरा 6.10 मार्च, 2006 के महीने में और 2005-06 की अंतिम तिमाही में भारी खर्च से संबंधित है।

- वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं की बाबत राहत पर कुल व्यय 0.88 करोड़ रुपए था (क्रम सं. 123 पर) । पूरा व्यय मार्च, 2006 के दोरान किया गया जो कुल खर्च का 100% तथा अंतिम तिमाही का 100% था ।
- प्रमुख शीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (क्र.सं. 124 पर) पर पूरा खर्च वर्ष के दौरान 18.39 करोड़ रुपए था, जिसमें से 5.46 करोड़ रुपए का खर्च मार्च, 2006 मास में किया गया, जो कुल व्यय का 30% था । अंतिम तिमाही में खर्च की राशि 10.27 करोड़ रुपए थी, जो अंतिम तिमाही की 56% थी ।
- प्रमुख शीर्ष-3601-राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान (क्र.सं. 1.25 पर) पर कुल खर्च 2.91 करोड़ रुपए था, जिसमें से 1.71 करोड़ रुपए मार्च, 2006 मास में खर्च किए गए जो कुल खर्च का 59% था। अंतिम तिमाही में खर्च 1.71 करोड़ रुपए था, जो अंतिम तिमाही का 59% था ।

खर्च न हुए प्रावधान से संबंधित तालिका 7.5 के साथ पठित पैरा 7.13- पूरक अनुदानों/विनियोजन से अधिक था

- वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व खंड (स्वीकृत) अनुदान/विनियोजन सं. 72- के अंतर्गत योजना मंत्रालय का मूल प्रावधान 106.80 करोड़ रुपए था, प्राप्त पूरक अनुदान की राशि 11.26 करोड़ रुपए थी, वास्तविक संवितरण 104.54 करोड़ रुपए था तथा खर्च न हुआ प्रावधान 13.52 करोड़ रुपए हो गया (क्रम सं. 6 पर) ।

उप शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक पूरक अनुदान दर्शाने वाले विवरण से संबंधित तालिका 7.6 के साथ पठित पैरा 7.14

- वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान प्रमुख शीर्ष/उप-शीर्ष - 3451.00.101.02 के अंतर्गत कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का मूल प्रावधान 2.82 करोड़ रुपए था, पूरक प्रावधान 0.14 करोड़ रुपए था, वास्तविक व्यय 2.77 करोड़ रुपए था, खर्च न हुआ प्रावधान 0.19 करोड़ रुपए था (क्र.सं. 16 पर)।

परिशिष्ट 7-च के साथ पठित पैरा 7.16, अवास्तविक बजटीय धारणाओं वाले मामले दर्शाने वाले विवरण से संबंधित है ।

- वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान उपशीर्ष 2245.80.102.08 - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम-के अंतर्गत बजट प्रावधान 9.80 करोड़ रुपए है, वास्तविक संवितरण 0.88 करोड़ रुपए था, खर्च न हुआ प्रावधान 8.92 करोड़ रुपए था, जो बजट प्रावधान का 91% था ।
- वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान उपशीर्ष - 3475.00.800.52 - योजना के लिए 50वें वर्ष की पहल-के अंतर्गत बजट प्रावधान 10.12 करोड़ रुपए था, वास्तविक संवितरण 4.62 करोड़ रुपए था, खर्च न हुआ प्रावधान 5.50 करोड़ रुपए था, जो बजट प्रावधान का 54% था ।

2. वर्ष 2007 की रिपोर्ट सं. 3

परिशिष्ट-7 के साथ पठित पैरा 1.3 से पता चलता है कि 31 मार्च, 2006 को मार्च, 2005 तक जारी 2.06 लाख रुपए के अनुदानों के संबंध में 2 उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे, जो 31 मार्च, 2006 तक दिए जाने थे ।

******